स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

29वीं वार्षिक रिपोर्ट
29th ANNUAL REPORT
2017-18

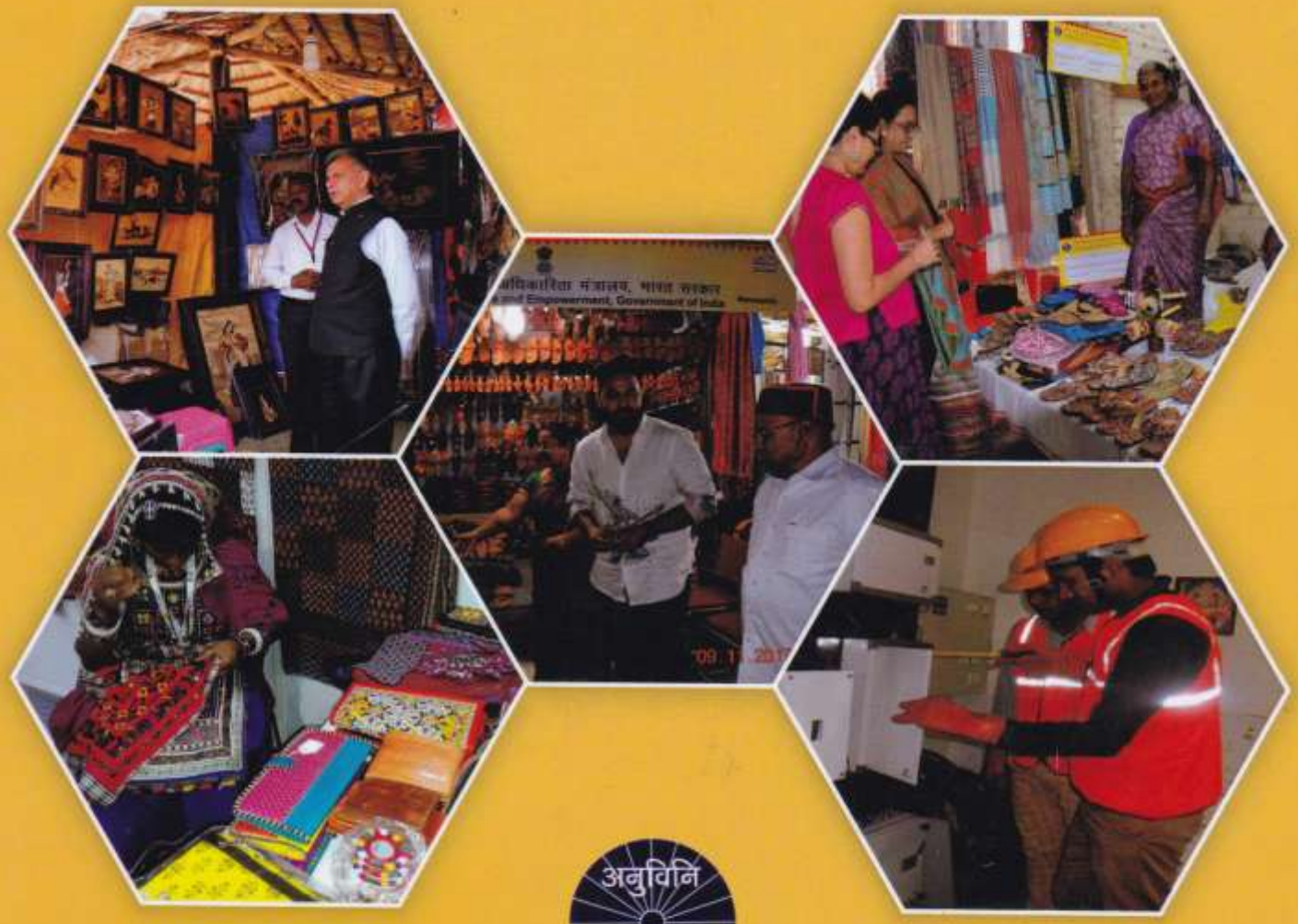

अनुविनि
nsfdc

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन
(भारत सरकार का उपक्रम)

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION
(A Government of India Undertaking)

29वीं वार्षिक रिपोर्ट
29th ANNUAL REPORT
2017-18

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन
(भारत सरकार का उपक्रम)

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION
(A Government of India Undertaking)

(आईएसओ 9001:2008 प्रमाणित कंपनी)
(An ISO 9001:2008 Certified Company)

14वीं मंजिल, कोर 1 व 2, स्कोप मीनार, लक्ष्मी नगर जिला केंद्र, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092
14th Floor, Core 1 & 2, SCOPE Minar, Laxmi Nagar District Centre, Laxmi Nagar, Delhi-110092
फोन/Phone : 011-22054392, 22054394, 22054396 फैक्स/Fax : 011-22054395
ई-मेल/E-mail : support-nsfdc@nic.in वेबसाइट/Website : www.nsfdc.nic.in

विषय–सूची

क्रम सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1	नोटिस	1
2	कंपनी–सूचना	2
3	अध्यक्षीय संदेश	3
4	निदेशक मंडल की रिपोर्ट	11
5	तुलन–पत्र	80
6	आय और व्यय का विवरण	82
7	नकद प्रवाह विवरण	86
8	सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट	130
9	सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर प्रबंध समिति का उत्तर	142
10	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	151
11	पंजीकृत कार्यालय एवं संपर्क केंद्र	152

CIN : U93000DL1989NPL034967

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन

(भारत सरकार का उपक्रम)

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

(A Government of India Undertaking)

एनएसएफडीसी / सचि / 29वीं वाआबै / 268 20 सितंबर, 2018

नोटिस

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की 29वीं वार्षिक आम बैठक 25.09.2018 (मंगलवार) को दोपहर 2:30 बजे सम्मेलन कक्ष, 'ए' विंग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली–110001 में निम्नलिखित कार्य संपन्न करने के लिए होगी:

सामान्य कार्य:

31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणिका के साथ–साथ निदेशकों की रिपोर्ट और वैधानिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट, प्रबंध समिति के उत्तर और उस पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों पर विचार करना, अपनाना और निम्नलिखित संकल्पों को संशोधन सहित अथवा बिना संशोधन (संशोधनों) के साधारण संकल्प के रूप में पास करना:

"**संकल्प किया जाता है कि** 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणिका के साथ–साथ बोर्ड रिपोर्ट, वैधानिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट, उस पर प्रबंध समिति के उत्तर और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों और को प्राप्त किया, विचार किया और अपनाया।"

कृते निदेशक मंडल के आदेशानुसार

(अन्नु मोगल)
कंपनी सचिव

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 20.09.2018

टिप्पणी:

बैठक में भाग लेने एवं वोट देने के लिए अधिकृत सदस्य को अपने स्थान पर किसी प्रतिनिधि को बैठक में भाग लेने के लिए एवं अपने स्थान पर परोक्षी नियुक्त करने का अधिकार है। परोक्षी को कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। (परोक्षी फार्म संलग्न है)।

पंजीकृत एवं प्र.का : 14वीं मंजिल, कोर 1 व 2, स्कोप मीनार, लक्ष्मी नगर जिला केंद्र, लक्ष्मी नगर दिल्ली–110092
Regd. & H.O.: 14th Floor, Core 1 & 2, SCOPE Minar, Laxmi Nagar District Centre, Laxmi Nagar, Delhi-110092
फोन/Phone : 011-22054392, 22054394, 22054396 फैक्स/Fax : 011-22054395, 22054349
ई-मेल/E-mail : support-nsfdc@nic.in वेबसाइट/Website : www.nsfdc.nic.in

कंपनी सूचना

निदेशक मंडल (2017–18)

श्री श्याम कपूर
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
(29.07.2016 से)

श्री बी.एल. मीणा
(दिनांक 04.06.2015 से)

श्रीमती टी.सी.ए. कल्याणी
(दिनांक 14.01.2016 से)

श्री गुलाब सिंह
(दिनांक 26.08.2014 से)

श्री एस.एम. आवले
(दिनांक 04.06.2015 से)

श्री कैजांग छोफेल लामा
(दिनांक 17.04.2017 से)

श्री लाचीराम भुक्या
(दिनांक 23.03.2018 से)

श्री भास्कर पंत
(दिनांक 23.03.2018 से)

श्री पीयूष श्रीवास्तव
(दिनांक 23.03.2018 से)

श्रीमती आइन्द्री अनुराग
(दिनांक 04.06.2015 से 09.08.2018 तक)

श्री बी. आनन्द कुमार
(17.04.2017 से 23.03.2018 तक)

सुश्री विशाखा सैलानी
(गैर–सरकारी निदेशक)
(दिनांक 17.04.2017 से)

सांविधिक लेखापरीक्षक

मैसर्स नरेश के. गुप्ता एंड कं., सनदी लेखाकार,
201–202ए, आदित्य आर्केड, प्लॉट नं. 30,
सामुदायिक केंद्र, प्रीत विहार
दिल्ली – 110 092

बैंकर्स
सिंडिकेट बैंक, दिल्ली
केनरा बैंक, दिल्ली/मुंबई/बेंगलूरू
भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली/कोलकाता
कॉर्पोरेशन बैंक, दिल्ली
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, दिल्ली
पंजाब नेशनल बैंक, दिल्ली
विजया बैंक, दिल्ली
इंडियन ओवरसीज बैंक, दिल्ली
इलाहाबाद बैंक, दिल्ली
आईडीबीआई, दिल्ली
बैंक ऑफ बड़ौदा, दिल्ली
बैंक ऑफ इंडिया, दिल्ली
आंध्रा बैंक, दिल्ली
ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, दिल्ली
पंजाब एंड सिंध बैंक, दिल्ली
सैंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, दिल्ली
कोटक महिंद्रा बैंक, दिल्ली

पंजीकृत कार्यालय
नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन
(भारत सरकार का उपक्रम)
14वीं मंजिल, कोर 1 व 2, स्कोप मीनार,
लक्ष्मी नगर जिला केंद्र,
लक्ष्मी नगर, दिल्ली – 110 092.

कंपनी सचिव
श्रीमती अन्नु भोगल

25 सितंबर, 2018 को एनएसएफडीसी की 29वीं वार्षिक आम बैठक पर अध्यक्षीय संदेश

प्रिय सदस्यगण,

निदेशक मंडल की ओर से मैं निगम की 29वीं वार्षिक आम बैठक में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं इस विशिष्ट अवसर पर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं।

आप सभी सदस्यों को 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट, निदेशकों की रिपोर्ट, लेखापरीक्षित वार्षिक लेखे, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों को पहले ही परिचालित कर दिया गया है और आपकी अनुमति से मैं इसे पढ़ा समझूंगा।

आपको सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आपके निगम ने इस बार भी सरकार के साथ हस्ताक्षरित समझौता–ज्ञापन 2016–17 के तहत अपनी 'उत्कृष्ट' रेटिंग को बनाए रखा है। 31 मार्च, 2018 को आपके निगम की प्राधिकृत अंश पूंजी रु.1500.00 करोड़ थी और प्रदत्त अंश पूंजी रु.1348.01 करोड़ थी।

मुख्य उपलब्धियां

प्रस्तावों की स्वीकृति

वर्ष के दौरान आपके निगम ने, योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों/चैनलाइजिंग एजेंसियों को रु.1069.67 करोड़ के प्रस्ताव स्वीकृत किए। इसे प्राप्त करके, आपके निगम ने 29 वर्षों में पहली बार रु.1000 करोड़ के लक्ष्य को पार किया है।

निधियों का संवितरण

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने, 1,08,340 लाभार्थियों को लाभांवित करने हेतु योजनाओं के कार्यान्वयनार्थ राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों/चैनलाइजिंग एजेंसियों को 63% के लक्ष्य (समझौता–ज्ञापन के अंतर्गत 'उत्कृष्ट' लक्ष्य) की तुलना में रु.600.88 करोड़ अर्थात् वर्ष 2017–18 के दौरान उपलब्ध कुल निधियों का 69.66% संवितरित किया। इन उपलब्धियों के द्वारा आपके निगम ने संवितरण के लिए निर्धारित रु.500.00 करोड़ के लक्ष्य को पार किया है और पिछले 29 वर्षों में पहली बार एक लाख लाभार्थियों से अधिक को कवर किया है।

कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने अनुसूचित जातियों के 17,088 शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए रु.28.10 करोड़ की लागत से कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम स्वीकृत और कार्यान्वित किए हैं और 17 (सत्रह) कौशल प्रशिक्षण संस्थानों के साथ साझेदारी स्थापित करके रु.15.72 करोड़ [अनुसूचित जातियों के कल्याण, प्रशिक्षण (अनुदान) – अग्रिम एवं प्रशिक्षण व्यय – लाभार्थी के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की योजना के अंतर्गत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा उपलब्ध, कराए गए अनुदान सहित] संवितरित किए। प्रशिक्षण आरंभ करने वाले 17,088 प्रशिक्षणार्थियों में से, 10,862 प्रशिक्षणार्थियों ने अपने कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरे किए और सूचना के अनुसार स्व/वैतनिक–रोजगार में प्रशिक्षुओं

की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा, वर्ष 2016–17 के दौरान प्रशिक्षण आरंभ करने वाले 11,079 प्रशिक्षणार्थियों का प्रशिक्षण वर्ष के दौरान पूरा किया गया था।

समझौता–ज्ञापन (एमओयू) (2017–18) लक्ष्य के समक्ष उपलब्धियां

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने समझौता–ज्ञापन के सभी लक्ष्यों को 'उत्कृष्ट' श्रेणी के अंतर्गत हासिल किया हैं। लेखापरीक्षित आंकड़ों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए कुल भारित अंक 100.00 हैं, जो 'उत्कृष्ट' रेटिंग के अनुरूप हैं।

विशेष पहलें

2017–18 के दौरान, आपके निगम ने अपनी गतिविधियों को और बढ़ाने तथा सुदृढ़ करने के लिए विशेष पहलें की हैं, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

(i) राज्यों में संयुक्त (कंपोजिट) जागरूकता शिविर

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने मंत्रालय और राष्ट्रीय निगमों की योजनाओं को क्षेत्रीय स्तर पर प्रचारित करने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित 15 कंपोजिट/जागरूकता शिविरों में भाग लिया। ये शिविर दिल्ली, जम्मू व कश्मीर, (श्रीनगर, उधमपुर), हिमाचल प्रदेश (सोलन), उत्तर प्रदेश (बिजनौर, नोएडा, वाराणसी), चंडीगढ़, मध्य प्रदेश (इंदौर, चित्रकूट, उज्जैन) में आयोजित किए गए। ऐसे प्रत्येक शिविर में एनएसएफडीसी को अपनी योजनाओं को प्रचारित करने और आगंतुकों के बीच जन–जागरूकता उत्पन्न करने के लिए योजनाओं के पम्फलेट बांटने के लिए स्टॉल उपलब्ध कराए गए। कुछ शिविरों में सफल लाभार्थियों को एनएसएफडीसी की योजनाओं के अंतर्गत ऋण लेने और व्यवसाय संबंधी क्रियाकलापों के बारे में अनुभवों को जनसमूह के बीच साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया।

(ii) अनुमानित आवंटन मानदंडों का संशोधन

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने अनुमानित आवंटन मानदंडों में संशोधन किया। संशोधन के अनुसार, कुल उपलब्ध निधियों की दृष्टि से मंजूरी और संवितरण के लिए अनुमानित आवंटन दो तरीकों से किया गया है:

(क) देश की कुल अनुसूचित जाति की आबादी के अनुपात में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रतिनिधित्व की गई अनुसूचित जाति की आबादी के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सभी एससीए को आधिकारिक रिपोर्टिंग जैसे कि संसदीय प्रश्नोत्तर, संसदीय मामले, अदालत का मामला इत्यादि के उद्देश्य के लिए अनुमानित आवंटन।

(ख) राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के एसीए को उनके द्वारा प्रतिनिधित्व अनुसूचित जाति आबादी के अनुपात में उन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की कुल अनुसूचित जाति आबादी के लिए जहां एससीए कुल उपलब्ध निधि के प्रभावी उपयोग के उद्देश्य से नियमित रूप से निधि का लाभ उठा रहे हैं या पिछले तीन वित्तीय वर्षों में कम से कम एक बार एनएसएफडीसी से निधि का लाभ उठाया हो के लिए अनुमानित आवंटन।

(iii) मंजूरी और संवितरण हेतु योजनावार आवंटन का संशोधन

वर्ष के दौरान, लघु ऋण योजनाओं के तहत अधिक लाभार्थियों को कवर करने के लिए, आपके निगम ने मियादी ऋण योजना, लघु ऋण वित्त योजना और महिला समृद्धि योजना के तहत मंजूरी और संवितरण हेतु योजनावार आवंटन में 60:10:30 के मौजूदा अनुपात से 50:15:35 अनुपात का संशोधन किया है।

(iv) परियोजना की मंजूरी के लिए शक्तियों के प्रत्यायोजन का संशोधन

वर्ष के दौरान, काम के दोहराव से बचने और समय एवं संसाधनों को बचाने के लिए, आपके निगम ने अप्रनि, एनएसएफडीसी की शक्तियों के मौजूदा प्रत्यायोजन में संशोधन किया ताकि एकल परियोजना/लाभ केंद्रों के लिए रु.10.00 लाख तक की और एक समान व्यावसायिक गतिविधि की समूह योजना अथवा एक समान लागत की भिन्न गतिविधियों के साथ–साथ एकल परियोजना लागत/लाभ केंद्र दोनों के लिए परियोजना लागत चाहे कुछ भी हो एक समान व्यावसायिक गतिविधि की समूह योजना अथवा एक समान लागत की भिन्न गतिविधियों के लिए रु.500.00 लाख तक की मंजूरी देना।

(v) अनुसूचित जाति बुनकर क्लस्टर का विकास

अनुसूचित जाति के बुनकरों को अधिक लाभ उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार की योजनाओं के कवरेज की दृष्टि से आपके निगम ने, 14 अप्रैल, 2017 में विकास आयुक्त (हथकरघा), वस्त्र मंत्रालय के साथ एक समझौता–ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है। समझौता–ज्ञापन का मूल उद्देश्य, हथकरघा के क्षेत्र में क्लस्टर स्तर पर, उच्च मूल्य के गुणवत्ता बुनकरों के उत्पादन और निपटान को बढ़ावा देकर अनुसूचित जाति के कारीगरों और उनके परिवारों को सहायता करना है।

(vi) अनुसूचित जाति शिल्पकार क्लस्टर का विकास

वर्ष के दौरान, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार की वित्तीय सहायता के साथ, आपके निगम ने असम (03 क्लस्टर), बिहार (01 क्लस्टर), राजस्थान (04 क्लस्टर) और पश्चिम बंगाल (01 क्लस्टर) राज्यों में 4,660 अनुसूचित जाति कारीगरों के लाभ के लिए रु.221.16 लाख की मंजूरी दी और 09 हस्तशिल्प समूहों के विकास के लिए नियुक्त परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईए) को रु.87.34 लाख जारी किए।

उपरोक्त के अलावा, प्रति राज्य 01 क्लस्टर की दर से आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना राज्य में 1,024 अनुसूचित जाति के कारीगरों के लाभ हेतु और 03 हस्तशिल्प क्लस्टरों के विकास के लिए आपके निगम ने एक राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (निम्समे), हैदराबाद को पीआईए में से रु.7.50 लाख की स्वीकृति दी और अपने स्रोत से 7.50 लाख रुपए जारी किए।

(vii) लाभार्थियों के लिए की गई पहलें

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने एससीए, पीएसबी एवं आरआरबी और एनबीएफसीएमएफआई के लिए ऋण नीतियों में संशोधन किया। ऋण नीतियों में निम्नलिखित संशोधन किए गए:

(क) लघु व्यवसाय योजना (एलवीवाई) के तहत रु.3.00 लाख से रु.5.00 लाख तक यूनिट लागत में वृद्धि।

(ख) महिला किसान योजना (एमकेवाई) और शिल्पी समृद्धि योजना (एसएसवाई) के तहत रु.0.50 लाख से रु.2.00 लाख तक यूनिट लागत में वृद्धि।

(ग) लघु ऋण वित्त योजना (एमसीएफ) और महिला समृद्धि योजना (एमएसवाई) के तहत पहले चक्र में रु.0.50 लाख से बढ़ाकर रु.0.60 लाख और बाद के चक्रों में रु.1.00 लाख के तहत यूनिट लागत में वृद्धि।

(घ) हरित व्यवसाय योजना (जीबीएस) के तहत यूनिट लागत में रु.2.00 लाख से रु.30.00 लाख की वृद्धि।

(ङ) लघु ऋण वित्त योजना (एमसीएफ), महिला समृद्धि योजना (एमएसवाई) और आजीविका माइक्रो फाइनेंस (एएमएफ) के तहत 03 साल से 3½ साल के लिए पुनर्भुगतान अवधि में वृद्धि।

(च) हरित व्यवसाय योजना (जीबीएस) के तहत 06 वर्ष से 10 वर्ष तक पुनर्भुगतान अवधि में वृद्धि।

(छ) फरवरी माह के अंत तक, संवितरण के लिए पूर्ववर्ती माह के अंत तक पहले से संवितरित निधियों का कम से कम 80% संचयी उपयोग स्तर होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, मार्च माह में निधियों के संवितरण के लिए पूर्ववर्ती दिन के अंत में संचयी निधियों का उपयोग स्तर 80% होना चाहिए।

(ज) ऋण आधारित योजनाओं के मामले में संभावित अनुसूचित जाति लाभार्थियों के लिए वार्षिक पारिवारिक आय मानदंड को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रु.98,000/– वार्षिक और शहरी क्षेत्रों के लिए रु.1,20,000/– वार्षिक से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए रु.3,00,000/– वार्षिक संशोधित किया गया।

(झ) संभावित अनुसूचित जाति प्रशिक्षुओं के लिए कोई वार्षिक पारिवारिक आय मानदंड नहीं है।

(viii) स्वच्छ भारत अभियान

ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के निर्देशों के अनुपालन में, एनएसएफडीसी ने "स्वच्छता ही सेवा" के लिए विभिन्न अभियान आयोजित किए। अभियान के दौरान, आपके निगम ने "स्वच्छता" से संबंधित विभिन्न गतिविधियों और विभिन्न जगहों और स्थानों पर पर्यावरण स्वच्छता से संबंधित परियोजनाओं को मंजूरी दी। एनएसएफडीसी ने सी–ब्लॉक, प्रीत विहार के सामने स्थित, जे जे क्लस्टर (राजीव शिविर), चित्रा विहार, झुग्गी बस्ती, दिल्ली में और सेक्टर–10, गुरूग्राम, हरियाणा में स्थित गैर–अनुसूचित नोमाडिक जनजातीय (डीएनटी) क्षेत्र में स्वच्छता अभियान आयोजित किया। आपके निगम ने बोलपुर, बीरभूम जिला, पश्चिम बंगाल में जैव–मेथेनेशन प्लांट–सह–कार्बनिक अपशिष्ट प्रोसेसर स्थापित किया। ब्रह्मपुरी, दिल्ली के गैर–आवासीय विद्यालय और पेराबुर मेतुप्पालयम, तमिलनाडु के एससी लैदर क्लस्टर में "स्वच्छता ही सेवा" अभियान आयोजित किया गया। इसके साथ ही आपके निगम ने कार्यालय परिसर का रखरखाव और सफाई सुनिश्चित की।

इसके अलावा, आपके निगम ने स्वच्छ भारत कोष, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय को रु.28.50 लाख का योगदान दिया, जिसका उपयोग देश में स्वच्छता के उद्देश्य को पूरा करने हेतु विद्यालयों, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शौचालयों के निर्माण के लिए किया जाएगा। स्वच्छ भारत कोष को कॉर्पोरेट क्षेत्र से कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) फंड को इकट्ठा करने और स्वच्छ भारत अभियान के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों और समाजसेवी लोगों से योगदान प्राप्त करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है।

(ix) अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन

आयुष मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में, एनएसएफडीसी ने 21 जून, 2017 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। इस अवसर पर निगम के सभी कर्मचारियों के लिए "योग सत्र" आयोजित किया गया था। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, आयुष मंत्रालय ने आपके निगम के कर्मचारियों को योग प्रशिक्षण देने के लिए योग प्रशिक्षक को नियुक्त किया। एनएसएफडीसी के सभी अधिकारियों ने कार्यक्रम को सफल बनाने में सक्रिय भूमिका निभाई।

(x) वरिष्ठ नागरिक सप्ताह

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में आपके निगम ने 1–7 अक्तूबर, 2017 "वरिष्ठ नागरिक सप्ताह" के दौरान ग्रेटर नोएडा एवं गाजियाबाद (यूपी) और फरीदाबाद (हरियाणा) जैसे विभिन्न स्थानों पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य और योग शिविर का आयोजन किया।

(xi) एमएसई के लिए सार्वजनिक प्रापण (Procurement) नीति

सूक्ष्म और लघु उद्योग (एमएसई) आदेश, 2012 की सार्वजनिक खरीद नीति के अधिदेश के अनुसार केंद्रीय मंत्रालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अपने वार्षिक वस्तुओं और सेवाओं की कुल खरीद का 20% सूक्ष्म और लघु उद्योगों (एमएसई) से करना होगा। सरकार ने इसके अलावा, इस 20% में से 4% वस्तुओं और सेवाओं की खरीद अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाली एमएसई से करने के लिए चिह्नित किया है। सूक्ष्म और लघु उद्योग (एमएसई) आदेश, 2012 की सार्वजनिक नीति के अनुपालन में, निगम ने वर्ष 2017–18 के दौरान अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त कर लिया है।

(xii) आईएस/आईएसओ 9001:2008 के अनुसार गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन लाइसेंस का नवीनीकरण

आपके निगम के गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन लाइसेंस को 2017–18 में गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली की सभी आवश्यकताओं के सफल समापन के बाद आईएस/आईएसओ 9001:2008 के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा नवीनीकृत किया गया था। बीआईएस ने अगस्त, 2017 माह में नवीकरण लेखा परीक्षा आयोजित की और अक्तूबर, 2017 में लाइसेंस के नवीकरण के लिए अनुशंसा की। बीआईएस द्वारा आवंटित नवीनीकृत लाइसेंस नंबर सीआरओ/क्यूएम/एल–8002836.3 है। लाइसेंस 18 नवंबर, 2017 से 14 सितंबर, 2018 तक मान्य है। हालांकि, लाइसेंस की वैधता अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिए होगी बशर्ते कि संशोधित संस्करण आईएस/आईएसओ 9001:2015 में परिवर्तन की सभी कार्रवाइयां और सत्यापन 31 अगस्त, 2018 से पहले पूरा हो गया हो। यदि यह शर्त पूरी हो जाती है, तो लाइसेंस को 29 नवंबर, 2019 तक अनुमति दी जाएगी और शेष अवधि के लिए बीआईएस द्वारा एक नया लाइसेंस जारी किया जाएगा।

(xiii) सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणाली का सुदृढ़ीकरण

आपका निगम विभिन्न रिपोर्टों के सृजन के लिए आंतरिक रूप से तैयार किए गए मॉड्यूल में परियोजना संबंधी आंकड़ों के लिए डाटाबेस अनुरक्षित कर रहा है। विभिन्न वायरसों, स्पानईवेयर, एडवेयर और अन्य, दोषपूर्ण प्रोग्रामों के प्रति आंकड़ों, हार्डवेयर और नेटवर्किंग के व्यापक संरक्षण के लिए आपके निगम ने एंटी वायरस सॉफ्टवेयर संस्थापित किया है, जिसे आवधिक रूप से अपडेट किया जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण के सुदृढ़ीकरण हेतु रिपोर्ट वर्ष के दौरान, पीसी, लैपटॉप, सहायक उपकरण और बाह्य उपकरणों का प्रापण किया गया।

आपके निगम ने वर्ष के दौरान, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा डिजाइन और विकसित की गई दिव्यांग–अनुकूल, एक गतिशील द्विभाषी वेबसाइट बनाई है। इसके अतिरिक्त, नई गतिशील, दिव्यांग–अनुकूल और द्विभाषी वेबसाइट, जो वेब–आधारित कौशल प्रशिक्षण अनुप्रयोग के साथ–साथ भारत सरकार वेबसाइट के दिशानिर्देशों (जीआईजीडब्ल्यू) का अनुपालन है, मौजूदा वेबसाइट को प्रतिस्थापित करके एनआईसी क्लाउड सर्वर में लगाए जाने की प्रक्रिया में है।

- ई–कार्यालय का कार्यान्वयन, एनएसएफडीसी मुख्यालय में कार्यान्वित कर दिया गया है।
- नया वेब–आधारित एनएसएफडीसी का ऋण लेखांकन सॉफ्टवेयर वर्तमान में परीक्षण चरण के साथ–साथ समानांतर चल रहा है।
- एनएसएफडीसी के अधिकारियों द्वारा प्रयोग हेतु वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर/एसीआर) के लिए एक वेब आधारित सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। सॉफ्टवेयर की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:
  - किसी विशेष वर्ष के लिए मानव संसाधन विभाग कर्मचारीवार एपीएआर को जनरेट और जारी किया जा सकता है।
  - कर्मचारी अपने व्यक्तिगत उपयोगकर्ता (यूजर) कोड और पासवर्ड के साथ सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं।
  - लॉगिन के बाद, कर्मचारी द्वारा एक पीडीएफ फाइल के माध्यम से स्व–मूल्यांकन को भरने का प्रावधान है।
  - कर्मचारी द्वारा स्व–मूल्यांकन जमा करने के बाद, एपीएआर स्वतः ही कर्मचारी के रिपोर्टिंग अधिकारी/समीक्षा अधिकारी को चिह्नित हो जाती है।

(xiv) कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व और सतत विकास (सीएसआर और एसडी) नीति बनाई और बोर्ड को संस्तुति के लिए प्रस्तुति की गई है। कंपनी के कार्यकलापों को दर्शाने वाली कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व और सतत विकास नीति को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया।

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, रु.86.77 लाख (जो कि पिछले तीन वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए निवल लाभ का 2% है) के बजटीय आवंटन से, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान सीएसआर गतिविधियों पर रु.32.76 लाख खर्च किए।

(xv) संसाधन संपर्क कार्यक्रम

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के तहत के प्रावधानों को बोर्ड रिपोर्ट में कुछ प्रकटीकरण की आवश्यकता है। आपका निगम अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट गतिविधियों को पूरा करता है। अधिनियम की धारा 8 के तहत शामिल कंपनियों को 27.02.2014 की अधिसूचना के अनुसार जारी की गई नई कंपनी (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी) नियम, 2014 में भी उल्लेख किया गया है कि वे कार्यान्वयन एजेंसियां होंगी अर्थात वे कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व को कार्यान्वित करेंगी।

वर्ष के दौरान, आपके निगम को कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के तहत पांच लाभ कमाने वाले सीपीएसई जैसे केंद्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी), नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एनएफएल), (आरईसी), भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल) और एमएमटीसी लिमिटेड से स्वीकृति मिली है। इसके अलावा, वर्ष के दौरान संबंधित प्रशिक्षण संस्थानों को 71.00 लाख रुपए का सीएसआर फंड जारी किया गया।

आगे का मार्ग

आपका निगम, आर्थिक वृद्धि को तीव्रता प्रदान करने के लिए और आय बढ़ाने के लिए लक्ष्य समूह के सहायतार्थ नवीन दृष्टिकोणों को अपनाएगा। सहायता का केंद्र बिंदु आर्थिक कार्यों, व्यवसायिक/तकनीकी शिक्षा तथा रोजगार प्रदान करने वाले कौशल विकास में बना रहेगा। भौगोलिक दृष्टि से लक्ष्य समूह की बहुलता वाले क्षेत्रों पर विशेषतः देश के पिछड़े जिलों को प्रधानता होगी। आपका निगम, अनुसूचित जाति के मध्य उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए बहु–उद्देशीय कार्यनीति अपनाने के लिए विद्यमान सहयोगी संबंधों को बनाए रखते हुए, चैनलाइजिंग एजेंसियों और अन्य विकास भागीदारों को नया भागीदार बनाएगा।

आभारोक्ति

कंपनी के निदशेक मंडल की ओर से, मैं आपकी सतत् सहायता और बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए ह्रदय से धन्यवाद देता हूं। मैं, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की पर्याप्त सहायता और सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता हूं। मैं, भारत सरकार के विभिन्नि मंत्रालयों, लोक उद्यम विभाग, राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र के प्रशासनों का भी आभार व्यक्त करता हूं। मैं, विभिन्न राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों, चैनलाइजिंग एजेंसियों जिसमें विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी–माइक्रो फाइनेंस संस्थान सीएसआर निधि प्रदान करने वाले विभिन्न लाभप्रद सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के पार्टनर और फाउंडेशन आदि शामिल है, से प्राप्त सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता हूं।

मैं, प्रशिक्षण संस्थानों को, जिनके कारण लक्ष्य समूह के लिए रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं, उनके सहयोग के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूं।

मैं, अपने निगम के सभी कर्मचारियों के निष्ठापूर्वक प्रयासों के लिए आभार व्यक्त करता हूं जिसकी वजह से हम उच्च लक्ष्य प्राप्त कर सके। मैं इस यात्रा में सभी स्टेक होल्डरों के सतत् सहयोग की आशा करता हूं।

(श्याम कपूर)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 19 सितंबर, 2018

संक्षिप्त शब्द (ऐक्रोनिम)

संक्षिप्त शब्द	पूर्ण शब्द
अजजा	अनुसूचित जन जाति
अजा	अनुसूचित जाति
अपवि	अन्य पिछड़ा वर्ग
अप्रनि	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
आईआईटीएफ	भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला
आईएसएसडीआरआई	वसूली संरचना के विकास के लिए राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों के लिए प्रोत्साहन योजना
आईटी	सूचना प्रौद्योगिकी
आईडीबीआई	इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया
आरआरबी	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
आरटीआई	सूचना का अधिकार
इंडएएस	भारतीय लेखांकन मानक
ईओआईओआई	व्यय से अधिक आय
ईएमडी	ब्याना राशि
ईसीएल	प्रत्याशित क्रेडिट हानियां
ईपीएस	प्रतिशेयर अर्जन
एचएमवी	भारी मोटर वाहन
एनआईसी	नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेंटर
एनआईसीएसआई	राष्ट्रीय सूचनात्मक केंद्र सेवाएं अधिनिगमित
एनएसकेएफडीसी	राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम
एनएसएफडीसी	नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन
एनबीएफसी	गैर–बैंकिंग वित्त कंपनी
एफवीटीओसीआई	अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर
एसवीटीपीएल	लाभ एवं हानि के उचित मूल्य पर
एमएफआई	सूक्ष्म वित्त संस्था
एमओयू	समझौता–ज्ञापन
एमएचआरडी	मानव संसाधन विकास मंत्रालय
एलएमवी	हल्के मोटर वाहन
एलडीडीपी	चूक भुगतान पर नकद हानि
एससीए	राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी
एससीएसपी	अनुसूचित जाति उप–योजना
ओसीआई	अन्य व्यापक आय के संगठक
डीपीई	लोक उद्यम विभाग
डीपीएल	गरीबी रेखा के दोगुने से नीचे
बीपीएल	गरीबी रेखा से नीचे
पीएसबी	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक
सीए	चैनलाइजिंग एजेंसी
सीएपीआईओ	केंद्रीय सहायक जन सूचना अधिकारी
सीपीआईओ	केंद्रीय जन सूचना अधिकारी
सीपीएसई	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम
सीएसआर	कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व

निदेशक मंडल की रिपोर्ट (2017–18)

आपके निगम की 29वीं वार्षिक आम बैठक में, मैं आपका स्वागत करता हूँ। वार्षिक आम बैठकें, लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट तथा लेखों पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षकों की अभ्युक्तियों के साथ आपके निगम की प्रगति पर चर्चा करने के लिए अवसर है।

1. निगम की रूपरेखा

आपका निगम, नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के रूप में भारत सरकार द्वारा 08 फरवरी, 1989 को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 (अब कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन धारा 8) के अंतर्गत 'लाभ–निरपेक्ष कंपनी' के रूप में स्थापित किया गया था। इसने 09.04.2001 तक अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति दोनों लक्ष्य समूहों की आवश्यकताओं को पूरा किया है। निगम का, 10.04.2001 को, जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति लक्ष्य समूह के लिए नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के सृजन के कारण द्विभाजन हुआ। इसके द्विभाजन के परिणामस्वारूप, आपका निगम अब पूर्णतः अनुसूचित जाति के लक्ष्य समूह की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

1.1 दृष्टि

अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के सामाजिक–आर्थिक विकास के माध्यम से व्यवस्थित प्रकार से गरीबी को कम करने के लिए चैनलाइजिंग एजेंसियों और अन्य विकास भागीदारों के साथ प्रभावी, उत्तरदायी और सहयोगात्मक तरीके से प्रमुख उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना।

1.2 लक्ष्य

वित्तीय सहायता के प्रवाह में सुधार और कौशल विकास एवं अन्य नवीन पहलों के माध्यम से अनुसूचित जातियों की समृद्धि को बढ़ावा देना।

1.3 उद्देश्य

आपके निगम के संस्था के ज्ञापन–पत्र (मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन) में, प्राप्त किए जाने वाले निम्नलिखित मुख्य उद्देश्यों की सूची दी गई है:

(i) अनुसूचित जाति की आबादी के लिए ट्रेडों और अन्य महत्वपूर्ण आर्थिक क्रियाकलापों की पहचान करना।

(ii) अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के कौशल और उनके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रियाओं को उन्नत बनाना।

(iii) छोटे, कुटीर और ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना।

(iv) अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के उत्थान और आर्थिक कल्याण के लिए विशेष कार्यक्रमों को वित्तपोषित करना।

(v) अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के आर्थिक कल्याण के लिए उनके वित्तीय सहायता के प्रवाह में सुधार करना।

(vi) लक्ष्य समूह को परियोजनाएं स्थापित करने के लिए परियोजना तैयार करने, प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता के रूप में अपनी सहायता प्रदान करना।

(vii) भारत और विदेश में पूर्णकालिक व्यावसायिक तकनीकी पाठ्यक्रमों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जाति के पात्र छात्रों को ऋण प्रदान करना।

(viii) पात्र युवाओं को भारत में वोकशनल (व्यावसायिक) शिक्षा और प्रशिक्षण में अध्ययन करने के बाद कौशल और नियोजनीयता में वृद्धि करने के लिए ऋण प्रदान करना।

उक्त उद्देश्य के अनुसरण में आपका निगम राज्य/संघ शासित क्षेत्रों की चैनलाइजिंग एजेंसियों और अन्य चैनल भागीदारों के माध्यम से अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत रियायती ब्याज दरों पर वित्तीय सहायता देने और विभिन्न ऋणेत्तर योजनाओं के अंतर्गत सहायता उपलब्ध करा रहा है।

1.4 प्राधिकृत और प्रदत्त अंश पूँजी

वर्ष के दौरान, आपके निगम की प्राधिकृत अंश पूंजी रु.1500.00 करोड़ है। वित्तीय वर्ष 2017–18 के आरंभ में प्रदत्त अंश पूंजी रु.1218.02 करोड़ (रु.1.78 करोड़ आबंटन के लिए लंबित) थी। भारत सरकार ने एनएसएफडीसी को रु.128.21 करोड़ की इक्विटी सहायता जारी की। वित्तीय वर्ष के अंत में संचयी प्रदत्त पूंजी रु.1348.01 करोड़ थी।

1.5 संगठन की संरचना

आपके निगम के कार्यालयाध्यक्ष अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक हैं, जिन्हें महाप्रबंधक, 2 उप–महाप्रबंधक तथा वरिष्ठ कार्यपालकों की टीम द्वारा सहायता मिलती है। आपके निगम में 78 कर्मचारी हैं। परियोजना, वित्त, मानव संसाधन और प्रशासन विभाग के अलावा, निगमित, आंतरिक लेखापरीक्षा, समन्वय, बैंकिंग, सतर्कता, विधि, एमआईएस, कौशल प्रशिक्षण, रिकार्ड प्रबंधन, सीएसआर, पुस्तकालय और राजभाषा कक्ष हैं। राज्यों में एनएसएफडीसी की योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन और मॉनीटरिंग सुनिश्चित करने की दृष्टि से विशिष्ट राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के साथ सहायक महाप्रबंधक की अध्यक्षता में परियोजना डेस्क भी हैं। उपर्युक्त के अलावा, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों, अन्य संस्थाओं और अंतिम वित्त प्रदाताओं अर्थात गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी – सूक्ष्म वित्तपोषण संस्थाओं (एनबीएफसी–एमएफआई) के माध्यम से पूरे भारत में एनएसएफडीसी की योजनाओं के अंतर्गत पहुंच बढ़ाने की दृष्टि से एक बैंकिंग प्रभाग है, जिसके प्रमुख मुख्य प्रबंधक है। परियोजना विभाग और बैंकिंग प्रभाग के इन दो डेस्कों के अलावा एक प्रशिक्षण कक्ष, जिसके प्रमुख मुख्य प्रबंधक है, जिसे अनन्य रूप से लक्ष्य समूह के कौशल विकास से संबंधित कार्य सौंपे गए हैं।

संगठन का चार्ट **अनुलग्नक–I** पर दर्शाया गया है।

1.6 संपर्क केंद्र

आपके निगम के तीन संपर्क केंद्र कार्यालय हैं, जो संबंधित राज्य/संघ शासित क्षेत्रों की राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों और अन्य चैनल पार्टनरों से संपर्क रखते हैं और संबंधित राज्य/संघ राज्य शासित क्षेत्रों में कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग करते हैं।

संपर्क केंद्रों के स्थल और उनके क्षेत्राधिकार नीचे दिए जा रहे हैं:

क्र. सं.	संपर्क केंद्र	क्षेत्राधिकार
(i)	बैंगलूरु	तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुद्दुचेरी
(ii)	कोलकाता	ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम
(iii)	मुंबई	महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, गोवा, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली

छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्यों और दिल्ली व चंडीगढ़ संघ शासित प्रदेशों को सीधे प्रधान कार्यालय द्वारा देखा जा रहा है।

1.7 चैनल वित्त प्रणाली

(i) आपका निगम संबंधित राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा नामित पूरे देश के 37 राज्य/संघ शासित क्षेत्रों की चैनलाइजिंग एजेंसियों के नेटवर्क के माध्यम से लक्ष्य समूह को विभिन्न ऋण और ऋणेत्तेर सुविधाएं देता है, जिन्हें संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासन द्वारा नामित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, आपके निगम ने योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, गैर–बैंकिंग वित्त कंपनियों सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एनबीएफसी–एमएफआई) और अन्य संस्थाओं को वैकल्पिक चैनल के रूप में स्थापित किया है। वर्तमान में 31.03.2018 को आपके निगम के पास 56 वैकल्पिक चैनलाइजिंग एजेंसियां हैं।

(ii) राज्य/संघ शासित क्षेत्र–वार राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों/चैनलाइजिंग एजेंसियों की सूची **अनुलग्नक–II (क) और II (ख)** पर दी गई है।

(iii) स्थानीय जरूरतों, पात्र आवेदकों की पहचान और लाभार्थियों के चयन, ऋणी के साथ प्रलेखन, योजनाओं का कार्यान्वयन तथा लाभार्थियों से ऋण की वसूली पर आधारित परियोजना प्रस्तावों की तैयारी एवं प्रायोजन, राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों/चैनलाइजिंग एजेंसियों के अधिकार क्षेत्र में है।

1.8 निधियों का नोशनल आबंटन

आपका निगम, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरंभ में, संबंधित राज्य/संघ शासित क्षेत्र की अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अनुपात में राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों को निधियाँ नोशनल रूप से आबंटित करता है।

1.9 निधियों के संवितरण के लिए मानक (नॉर्म्स)

1.9.1 राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों के मानक

राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों को निधियों की निर्मुक्ति करने से पहले, निम्नलिखित शर्तों पर विचार किया जाता है:

(i) गारंटी:

राज्य सरकार की गारंटी/बैंक गारंटी/राज्य सरकार के आदेशों/ राज्य सरकार के आश्वासनों की पर्याप्त उपलब्धता।

(ii) उपयोग स्तर:

फरवरी माह के अंत तक, संवितरण के लिए पूर्ववर्ती माह के अंत तक पहले से संवितरित निधियों का कम से कम 80% संचयी उपयोग स्तर होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, मार्च माह में निधियों के संवितरण के लिए पूर्ववर्ती दिन के अंत में संचयी निधियों का उपयोग स्तर 80% होना चाहिए।

(iii) देयों की चुकौती:

एक वर्ष से अधिक कोई अतिदेय/बकाया राशि नहीं होनी चाहिए।

उक्त मानदंडों का ऋण योजनाओं में संवितरण के मामले में पालन किया जाता है। जहां तक 01.12.2009 से आरंभ शिक्षा ऋण योजना का संबंध है, शिक्षा ऋण की मंजूरी के समय राज्य सरकार गारंटी की उपलब्धता और एक वर्ष से अधिक पुराना अतिदेय का न होना सुनिश्चित किया जाता है।

1.9.2 पीएसबी/आरआरबी के लिए मानक

एनएसएफडीसी की ऋण नीति के अनुसार, पीएसबी और आरआरबी (चैनलाइजिंग एजेंसियों) को एनएसएफडीसी से निधियों के संवितरण हेतु पात्र बनने के लिए कुछ मानक पूरे करने होते हैं। ये मानक नीचे दिए गए हैं:

- संवितरण के समय एनएसएफडीसी को भुगतान योग्य कोई अतिदेय राशियाँ नहीं होनी चाहिए।
- परियोजना आधारित योजनाओं के अंतर्गत फरवरी माह के अंत तक, संवितरण के लिए पूर्ववर्ती माह के अंत तक पहले से संवितरित निधियों का कम से कम 80% संचयी उपयोग स्तर होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, मार्च माह में निधियों के संवितरण के लिए पूर्ववर्ती दिन के अंत में संचयी निधियों का उपयोग स्तर 80% होना चाहिए।

उपर्युक्त के अलावा, पिछले वित्तीय वर्ष के लिए उनके वार्षिक लेखाओं पर आधारित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा निम्नलिखित शर्तें पूरी की जाएगी:

- गैर–निष्पादन परिसंपत्तियां (एनपीए) 10% से कम होनी चाहिए अथवा पिछले 05 वित्तीय वर्षों के लिए 10% से कम या औसत निवल एनपीए होनी चाहिए। इसके अलावा, इन 05 वर्षों में से निवल एनपीए, पिछले 03 वर्षों के लिए हर वर्ष 10% से कम होनी चाहिए।
- पिछले वित्तीय वर्ष में लाभ होना चाहिए या पिछले 05 वर्षों में से कम से कम किन्हीं 03 वर्षों में लाभ होना चाहिए।
- किसी विनियामक निकाय का चूककर्ता नहीं होना चाहिए।

1.9.3 अन्य संगठनों के लिए मानक

सार्वजनिक क्षेत्र बैंक (पीएसबी) द्वारा जारी एनएसएफडीसी के पक्ष में एनएसएफडीसी के लिए सावधि जमा/बैंक गारंटी/उत्तर दिनांकित बहु–शहरीय (मल्टी–सिटी पोस्ट डेटेड) चेक।

1.9.4 एनबीएफसी–एमएफआई के लिए मानक

एनएसएफडीसी की ऋण नीति के अनुसार एनबीएफसी–एमएफआई (चैनलाइजिंग एजेंसियों) को एनएसएफडीसी से निधियों के संवितरण हेतु पात्र बनने के लिए कुछ मानक पूरे करने होते हैं। ये मानक नीचे दिए गए हैं:

- पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अंत में एक वर्ष से अधिक के लिए एनएसएफडीसी निधियों का उपयोग लंबित नहीं होना चाहिए।
- फरवरी माह के अंत तक, संवितरण के लिए पूर्ववर्ती माह के अंत तक पहले से संवितरित निधियों का कम से कम 80% संचयी उपयोग स्तर होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, मार्च माह में निधियों के संवितरण के लिए पूर्ववर्ती दिन के अंत में संचयी निधियों का उपयोग स्तर 80% होना चाहिए।
- संवितरण के समय एनएसएफडीसी को अतिदेय राशि भुगतान योग्य नहीं होनी चाहिए।
- एनबीएफसी.एमएफआई को संवितरण प्रतिभूति की शर्त के अधीन होगा:–
  - क्लस्टर मोड के अंतर्गत, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) से गारंटी संवितरित की जाने वाली धनराशि के समतुल्य या उत्तर दिनांकित चेकों (पीडीसी) के रूप में 50% और पीएसबी से 50% सावधि जमा के रूप में हो। संवितरित की जाने वाली धनराशि के 50% के समतुल्य एक अदिनांकित पीडीसी हो।
  - गैर–क्लस्टर मोड के अंतर्गत, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक से संवितरित की जाने वाली धनराशि के समतुल्य गारंटी/ सावधि जमा या 50% तक संबंधित संपत्ति मालिक (मालिकों) की व्यक्तिगत/कॉरपोरेट गारंटी के साथ–साथ आवासीय/वाणिज्यिक संपत्ति के बंधक के रूप में और बाकी पीसीबी से गारंटी/ सावधि जमा के रूप में होनी चाहिए।

1.10 आवेदकों का पात्रता मानदंड

एनएसएफडीसी की योजनाओं के अंतर्गत शामिल होने के लिए आवेदकों के पात्रता मानदंड निम्नलिखित हैं:

(i) आवेदक अनुसूचित जाति समुदाय का होना चाहिए।

(ii) ऋण आधारित योजनाओं के अंतर्गत आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय रु.3.00 लाख (दिनांक 08.03.2018 से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए) तक होनी चाहिए।

वार्षिक पारिवारिक आय मानदंड, कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए लागू नहीं होगा। कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत राशि को भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के मानदंडों के अनुसार प्रदान किया जाएगा।

1.11 महिला लाभार्थियों के समावेशन के लिए मानदंड

आपका निगम अपनी योजनाओं के अंतर्गत अधिक से अधिक महिला लाभार्थियों को शामिल करने को महत्व देता है। अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए सरकारी कार्यक्रमों/योजनाओं के अभिमुखीकरण और समन्वय पर टास्क फोर्स की अनुशंसा के परिणामस्वरूप, आपके निगम में वित्तीय और प्रत्यक्ष दोनों रूप से 40% महिला लाभार्थियों को शामिल करने के लिए मानदंड हैं।

तिरुवंतपुरम की श्रीमती सविता सतीसन को एनएसएफडीसी की मीयादी ऋण योजना के अंतर्गत एक कूल बार स्थापित करने के लिए ऋण प्रदान किया गया

1.12 निगम की योजनाएं

आपके निगम के पास लाभार्थियों को वित्तीय और अन्य सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न ऋण आधारित और गैर–ऋण आधारित योजनाएं हैं। लाभार्थियों को कृषि और संबद्ध, लघु उद्योगों और परिवहन सेक्टरों सहित सेवाओं के अंतर्गत विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापों के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है। आपका निगम उच्च शिक्षा लेने और व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण के लिए भी ऋण प्रदान करता है।

राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों/चैनलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से लक्ष्य समूह के लिए निगम द्वारा वित्तपोषित योजनाओं के विवरण निम्नलिखित हैं:

1.12.1 ऋण आधारित योजनाएं

आपके निगम ने पिछले कुछ वर्षों में अपने लक्ष्य समूह के सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए, मियादी ऋण, कार्यशील पूंजी ऋण, लघु ऋण वित्त, महिला समृद्धि योजना, महिला किसान योजना, शिल्पी समृद्धि योजना, लघु व्यवसाय योजना, नारी आर्थिक सशक्तिकरण योजना, शिक्षा ऋण योजना, वोकेशनल शिक्षा और प्रशिक्षण ऋण योजना, हरित व्यवसाय योजना, स्टैंड–अप इंडिया योजना और आजीविका माइक्रो फाइनेंस योजना सहित विभिन्न योजनाएं बनाई हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत दी जा रही ऋण राशि की प्रमात्रा के आधार पर 1% से 8% तक वार्षिक की रेंज में रियायती ब्याज–दर पर ऋण दिया जाता है। इसके अलावा, राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों/चैनलाइजिंग एजेंसियों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उक्त ब्याज दरों में 2 से 3% (आजीविका माइक्रो फाइनेंस योजना के मामले में 8% को छोड़कर) जोड़ने की और लाभार्थियों से ब्याज प्रभारित करने की अनुमति दी जाती है।

1.12.1 (क)(i) एससीए/सीए के माध्यम से संचालित योजनाएं

क्रम सं.	योजना	यूनिट लागत	यूनिट लागत/लाभ केंद्र का 90% तक अधिकतम ऋण सीमा	प्रभारित वार्षिक ब्याज दर	
				सीए	लाभार्थीगण
1	मियादी ऋणयोजना (टीएल)	रु.30.00 लाख तक, तथापि ब्याज एनएसएफडीसी अंश/इकाई के आधार पर प्रभारित किया जाता है।	रु.5.00 लाख तक	3%	6%
			रु.5.00 लाख से अधिक व रु.10.00 लाख तक	5%	8%
			रु.10.00 लाख से अधिक और रु.20.00 लाख तक	6%	9%
			रु.20.00 लाख से अधिक और रु.27.00 लाख तक	7%	10%
कार्यशील पूंजी ऋण		रु.5.00 लाख तक की परियोजना लागत के लिए संपूर्ण कार्यशील पूंजी और रु.5.00 लाख से अधिक और रु.30.00 लाख तक की परियोजना लागत के लिए कुल कार्यशील पूंजी का 70% अथवा रु.7.00 लाख/इकाई, जो भी कम हो, उपलब्ध कराया जाता है।		8%	10%
2	लघु ऋण वित्त योजना (एमसीएफ)	रु.0.60 लाख तक	रु.0.54 लाख तक	2%	5%
3	महिला समृद्धि योजना (एमएसवाई)	रु.0.60 लाख तक	रु.0.54 लाख तक	1%	4%
4	महिला किसान योजना (एमकेवाई)	रु.2.00 लाख तक	रु.1.80 लाख तक	2%	5%
5	शिल्पी समृद्धि योजना (एमएसवाई)	रु.2.00 लाख तक	रु.1.80 लाख तक	2%	5%
6	लघु व्यवसाय योजना (एलवीवाई)	रु.5.00 लाख तक	रु.4.50 लाख तक	3%	6%
7	नारी आर्थिक सशक्तिकरण योजना	एनएसएफडीसी की कोई भी योजना के अनुसार		1%	4%
8	हरित व्यवसाय योजना (जीबीएस)	रु.7.50 लाख तक	रु.6.75 लाख तक	2%	4%
		रु.7.50 लाख से अधिक और रु.15.00 लाख तक	रु.13.50 लाख तक	3%	6%
		रु.15.00 लाख से अधिक और रु.30.00 लाख तक	रु.27.00 लाख तक	4%	7%
9	स्टैंड-अप इंडिया योजना	रु.10.00 लाख से अधिक और रु.20.00 लाख तक	रु.18.00 लाख तक	6%	9%
		रु.20.00 लाख से अधिक और रु.30.00 लाख तक	रु.27.00 लाख तक	7%	10%
10	शिक्षा ऋण योजना (ईएलएस)	90% अथवा रु.10.00 लाख तक, जो भी कम हो (भारत में)		1.5% (0.5% महिलाओं को छूट)	4% (0.5% महिलाओं को छूट)
		90% अथवा रु.20.00 लाख तक, जो भी कम हो (विदेश में)			
11	वोकेशनल शिक्षा और प्रशिक्षण ऋण योजना (वीईटीएलएस)	रु.1.50 लाख तक (100%)		1.5% (0.5% महिलाओं को छूट)	4% (0.5% महिलाओं को छूट)

1.12.1 (क)(ii) एनबीएफसी-एमएफआई के माध्यम से संचालित योजनाएं

क्रम सं.	योजना	यूनिट लागत	यूनिट लागत/लाभ केंद्र का 90% तक अधिकतम ऋण सीमा	प्रभारित वार्षिक ब्याज दर*	
				एनबीएफसी-एमएफआई	लाभार्थीगण
12	आजीविका माइक्रो फाइनेंस योजना (एएमवाई)	रु.0.60 लाख तक	रु.0.54 लाख तक	5% (1% महिलाओं को छूट)	13% (1% महिलाओं को छूट)

*लाभार्थियों को वार्षिक आधार पर देय राशियों की समय से पूर्ण अदायगी पर एनएसएफडीसी से ब्याज में 2% वार्षिक की दर से राहत पाने के पात्र होंगे, एनबीएफसी, एमएफआई से ऋण राशि की लाभार्थी द्वारा त्वरित चुकौती करने संबंधी सूचना प्राप्ती होने के बाद, एनएसएफडीसी द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) द्वारा सीधे लाभार्थियों के खाते में जमा किया जाएगा।

1.12.1 (ख) वित्त के साधन

आपके निगम की ऋण नीति के अनुसार, निगम (एनएसएफडीसी) इकाई लागत का 90% तक ऋण उपलब्ध कराता है और शेष राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी एवं/अथवा प्रवर्तक (प्रमोटर) 10% उपलब्ध कराते हैं, केवल वोकेशनल शिक्षा और प्रशिक्षण ऋण योजना, को छोड़कर, जहां ऋण के रूप में परियोजना लागत का शत–प्रतिशत उपलब्ध कराया जाता है।

1.12.1 (ग) प्रवर्तक का अंशदान

परियोजना में प्रवर्तक की हिस्सेदारी और योगदान के लिए प्रति इकाई 1.00 लाख रुपए से अधिक लागत की मियादी ऋण परियोजनाओं के अंतर्गत प्रवर्तक (प्रमोटर) के अंशदान पर नीचे दिए विवरण के अनुसार बल दिया जाता है:

क्र. सं.	योजना/प्रति इकाई लागत	परियोजना लागत के प्रतिशत के रूप में प्रवर्तक का कम से कम अंशदान
(i)	रु.1.00 लाख तक की परियोजना लागत के लिए	इस पर बल नहीं दिया जाता है।
(ii)	रु.1.00 लाख से अधिक तथा रु.2.50 लाख तक की परियोजना लागत के लिए	2%
(iii)	रु.2.50 लाख से अधिक तथा रु.5.00 लाख तक की परियोजना लागत के लिए	3%
(iv)	रु.5.00 लाख से अधिक तथा रु.10.00 लाख तक की परियोजना लागत के लिए	5%
(v)	रु.10.00 लाख से अधिक तथा रु.20.00 लाख तक की परियोजना लागत के लिए	7%
(vi)	रु.20.00 लाख से अधिक तथा रु.30.00 लाख तक की परियोजना लागत के लिए	10%

1.12.1 (घ) लाभार्थियों को आर्थिक सहायता (सब्सिडी)

शिक्षा ऋण योजना तथा वोकेशनल शिक्षा और प्रशिक्षण ऋण योजना को छोड़कर, सभी योजनाओं में राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों द्वारा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार को जारी की गई अनुसूचित जाति उप–योजना (एससीएसपी) के लिए विशेष केंद्रीय सहायता से रु.10,000/– की दर से अथवा इकाई लागत का 50% जो भी कम हो, की आर्थिक सहायता (सब्सिडी) गरीबी रेखा से कम आय वाले लाभार्थियों के लिए उपलब्ध कराई जाती है। शिक्षा ऋण योजना के अंतर्गत मान्यता प्राप्त तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में नामांकित लाभार्थी (12वीं कक्षा के बाद) मोरेटोरियम अवधि के दौरान ब्याज सब्सिडी के भी पात्र हैं, जोकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए केंद्रीय ब्याज सब्सिडी की योजना के अंतर्गत मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई जाती है।

1.12.1(ङ) विलंबन काल (मोरेटोरियम)

लाभार्थियों को ऋण संवितरण के बाद मूलधन की अदायगी के लिए विलंबन काल (अदायगी अवधि अवकाश) दिया जाता है ताकि लाभार्थी अपने व्यवसाय क्रियाकलापों में मजबूती से खड़े हो सकें। तथापि, ब्याज राशि के भुगतान के लिए विलंबन काल नहीं दिया जाता है। विभिन्न योजनाओं में विलंबन काल अवधि नीचे दी जा रही है:

योजना	विलंबन काल
➢ मियादी ऋण योजना	व्यापार कार्य की प्रकृति के आधार पर 6 माह से 12 माह
➢ लघु ऋण वित्त	3 माह
➢ महिला समृद्धि योजना	3 माह
➢ महिला किसान योजना	12 माह
➢ शिल्पी समृद्धि योजना	6 माह
➢ लघु व्यवसाय योजना	6 माह
➢ नारी आर्थिक सशक्तिकरण योजना	योजना की प्रकृति के आधार पर 3–12 माह
➢ शिक्षा ऋण योजना	पाठ्यक्रम पूरा होने के छह माह बाद अथवा रोजगार पाने पर, जो भी पहले हो।
➢ वोकेशनल शिक्षा और प्रशिक्षण योजना	पाठ्यक्रम पूरा होने के छह माह बाद अथवा रोज़गार पाने पर, जो भी पहले हो।
➢ हरित व्यवसाय योजना	6 माह
➢ आजीविका माइक्रो फाइनेंस योजना	3 माह
➢ स्टैंड–अप इंडिया योजना	भारत सरकार की स्टैंड–अप इंडिया योजना के नॉर्म के अनुसार

1.12.1(च) ऋण अदायगी अवधि

ऋण अदायगी अवधि मोटे तौर पर नकदी प्रवाह अर्जन के मूल्यांकन, परियोजना परिसंपत्ति की आयु एवं परियोजना की गेस्टेशन (परिपक्वता) अवधि के आधार पर निश्चित की जाती है। विभिन्न योजनाओं और क्रियाकलापों के अंतर्गत ऋण अदायगी अवधियां नीचे दी जा रही हैं:

योजनाएं	अदायगी की अवधि
मियादी ऋण योजना	
भूमि आधारित कार्य (कृषि भूमि पर खेती, बागवानी व सिंचाई इत्यादि)	10 वर्ष तक
परिवहन कार्य (ऑटोरिक्शा, जीप, मालवाहक इत्यादि)	5 वर्ष तक
लघु उद्योग	5 वर्ष तक
सर्विस क्षेत्र गतिविधियां	5 वर्ष तक
कार्यशील पूंजी ऋण	2 वर्ष
महिला किसान योजना	10 वर्ष तक

योजनाएं	अदायगी की अवधि
शिल्पी समृद्धि योजना	5 वर्ष तक
लघु व्यवसाय योजना	6 वर्ष तक
नारी आर्थिक सशक्तिकरण योजना	10 वर्ष तक
वोकेशनल शिक्षा और प्रशिक्षण ऋण योजना	5 वर्ष तक (रु.1.00 लाख तक के ऋण हेतु) और 7 वर्ष तक (रु.1.00 लाख से अधिक के ऋण हेतु)
शिक्षा ऋण योजना	10 वर्ष तक (रु.7.50 लाख तक के ऋण हेतु) और 15 वर्ष तक (रु.7.50 लाख से अधिक ऋण हेतु)
लघु ऋण वित्त	3½ वर्ष तक
महिला समृद्धि योजना	3½ वर्ष तक
हरित व्यवसाय योजना	10 वर्ष तक
आजीविका माइक्रो फाइनेंस वित्त योजना	3½ वर्ष तक
स्टैंड–अप इंडिया योजना	भारत सरकार की स्टैंड–अप इंडिया योजना के नॉर्म के अनुसार

1.12.1(छ) दूसरी बार ऋण सुविधा

लघु ऋण वित्त महिला समृद्धि योजना और आजीविका माइक्रो फाइनेंस योजना के लाभार्थीगण निर्धारित अवधि में पूरी ऋण राशि की अदायगी करने के पश्चात, एनएसएफडीसी की किसी भी योजना के अंतर्गत, दूसरी बार ऋण लेने के पात्र हैं।

इसके अलावा, आपका निगम प्रति यूनिट रु.2.00 लाख तक परियोजना लागत के मियादी ऋण के अंतर्गत लाभार्थियों को दूसरी बार भी ऋण (महिला किसान योजना, शिल्पी समृद्धि योजना, लघु व्यवसाय योजना सहित) देता है, बशर्ते कि (क) पहले लिए गए ऋण की समय पर पूरी अदायगी हो; और (ख) वास्तव में सृजित परिसंपत्ति तथा व्यापार के सफलतापूर्वक चलने पर फील्ड रिपोर्ट प्रस्तुत की हो।

1.12.1 (ज) वित्तपोषित परियोजनाओं की क्षेत्र–वार निदर्शी सूची

विभिन्न ऋण योजनाओं के अंतर्गत निधित परियोजनाओं को चार मुख्य क्षेत्रों, नामतः कृषि और समवर्गी, उद्योग, सेवा एवं परिवहन तथा शिक्षा ऋण योजना में वर्गीकृत किया जाता है। विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत परियोजनाओं की निदर्शी सूची नीचे दी जा रही है:

कृषि एवं समवर्गी क्षेत्र	
➢ कृषि भूमि खरीद	➢ ट्रैक्टर ट्रॉली
➢ पॉली हाऊस	➢ ट्रॉली के साथ विद्युत चालित यंत्र
उद्योग क्षेत्र	
➢ आटा चक्की और मिर्च पिसाई चक्की	➢ फ्लाई ऐश ईंट निर्माण

सर्विस एवं परिवहन क्षेत्र	
➢ लघु उद्यम	➢ टेंट हाऊस
➢ किराना और शीतल पेय	➢ सेटरिंग मैटीरियल
➢ मिनी होटल	➢ दवाई की दुकान
➢ मिनी सुपर बाजार	➢ चमड़े की चप्पल उत्पादन इकाई
➢ कंक्रीट मिश्रण	➢ लेजर और स्क्रीन के साथ डीटीपी
➢ इंटरनेट के साथ जीरॉक्स मशीन	➢ वकील कार्यालय
➢ मशरूम प्रसंस्करण	➢ फास्ट फूड
➢ हरित व्यवसाय (ई–रिक्शा)	➢ गेस्ट हाऊस सह–लॉज
➢ पिकअप वैन	➢ ऑटो टैक्सी
➢ सामान वाहक ऑटो ट्रॉली	➢ जीप टैक्सी
➢ टैक्सी कार	➢ सामान वाहक ऑटो
➢ लघु व्यवसाय	➢ सवारी ऑटो
शिक्षा ऋण योजना	
➢ इंजीनियरिंग (इलेक्ट्रिकल, मेकेनिकल इंजीनियरिंग, प्लास्टिक प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा, बी.ई., बी.टेक, एम टेक इत्यादि)	➢ नर्सिंग (बी.एससी.)
➢ परिवहन डिजाइन में पी.जी. डिप्लोमा	➢ सूचना प्रौद्योगिकी (बीसीए/एमसीए)
➢ वास्तुकला (बी.आर्क)	➢ प्रबंधन (बीबीए/एमबीए)
➢ चिकित्सा (बीएएमएस/बीएचएमएस/एमबीबीएस/एमडी)	➢ विधि (एलएलबी/एलएलएम)
➢ फार्मेसी (बी.फार्मा/एम.फार्मा)	➢ डेंटल (बीडीएस)
➢ हॉस्पिटलिटी और होटल प्रबंधन संस्थान (बी. एससी.)	➢ शिक्षा (पीटीसी/बी.एड.)

1.12.2 <u>गैर–ऋण आधारित योजनाएं</u>

1.12.2 (क) <u>कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम</u>

- आपका निगम अपैरल, दूरसंचार, फर्नीचर व फिटिंग्स, चमड़ा, सूचना प्रौद्योगिकी/सू. प्रौ., प्लास्टिक/रसायनों और पेट्रोरसायनों, वस्त्र, रबड़, पूंजीगत सामान, हस्तशिल्प और कारपेट आदि नियोजन योग्य क्षेत्रों में लक्ष्य समूह के व्यक्तियों हेतु कौशल विकास कार्यक्रम प्रायोजित करता है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में तकनीकी कौशल के अलावा, सॉफ्ट कौशल का भी प्रशिक्षण दिया जाता है।

- ये कार्यक्रम प्रतिष्ठित सरकारी/अर्ध–सरकारी/स्वायत्त संस्थानों, विश्वविद्यालयों/मानित विश्वविद्यालयों/क्षेत्रीय कौशल परिषद् क्षेत्रीय कौशल परिषद् से संबद्ध प्रशिक्षण प्रदाताओं

के माध्यम से आयोजित किए जाते हैं तथा प्रशिक्षणार्थियों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रति माह रु.1,500/– की दर से वृत्तिका दी जाती है।

जालंधर पंजाब में सेक्टर स्किल काउंसिल के प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा आयोजित मिल ऑपरेटर ट्रेड में प्रशिक्षण के दौरान एनएसएफडीसी प्रायोजित प्रशिक्षणार्थी

- प्रशिक्षणार्थियों को, राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों/चैनल भागीदारों के जरिए आपके निगम से प्राप्त होने वाली वित्तीय सहायता से नियोजन सहायता और/अथवा अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए उद्यमीय मार्गदर्शन भी दिए जाते हैं। चैनलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से उन्हें एनएसएफडीसी द्वारा वित्तीय सहायता भी दी जाती है।

1.12.2(ख) लाभार्थियों को विपणन सहायता

आपका निगम लाभार्थियों को अपने उत्पादों को चुनिंदा प्रदर्शनियों एवं मेलों में बिक्री योग्य उत्पादों को बेचने के लिए अवसर प्रदान करता है।

1.12.2(ग) मेले और प्रदर्शनी में लाभार्थियों को निःशुल्क स्टाल

(i) आपका निगम राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों एवं मेलों में भाग लेता है एवं लाभार्थियों को अपने उत्पादों के प्रदर्शन व बिक्री हेतु निःशुल्क स्टाल उपलब्ध कराता है।

(ii) इन प्रदर्शनियों में प्रतियोगिता से लाभार्थियों को न केवल अपने उत्पाद को बेचने बल्कि ग्राहकों, डीलरों और निर्यातकों से बातचीत करने एवं नए उत्पादों के विकास के लिए जरूरतों/आवश्यकताओं को जानने का भी अवसर मिलता है।

माननीय केंद्रीय मंत्री (सा.न्या.और अधि.) श्री थावरचंद गेहलोत, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित आईआईटीएफ–2017 के दौरान एनएसएफडीसी के लाभार्थियों के स्टॉल का दौरा करते हुए

1.12.2(घ) **लाभार्थियों को विपणन प्रशिक्षण**

ग्राहकों की जरूरतों के अनुसार, कारीगरों के उत्पादों के विपणन और विकास/पुनः डिजाइनिंग संबंधित विभिन्न प्रकार के आदानों को लाभार्थियों को उपलब्ध कराने के लिए विपणन प्रशिक्षण दिया जाता है। ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में काउंटर पर अच्छी विक्रय कला के कार्य–निवेश के साथ ग्राहकों की जरूरतों के अनुकूल उत्पादों में रूपांतर कैसे किया जाए, इस पर जोर दिया जाता है।

1.12.2(ड.) **जागरूकता शिविर**

एनएसएफडीसी की योजनाओं के बारे में लक्ष्य समूह के बीच जन–जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न राज्यों में जागरूकता शिविर आयोजित किए जाते हैं। इन शिविरों में योजनाओं के संबंध में प्रस्तुतीकरण किया जाता है और उपस्थितों को निगम की योजनाओं की जानकारी संबंधी ब्रोशर और पैम्फलेट बांटे जाते हैं। सफल लाभार्थियों को निगम की योजनाओं और व्यापार संबंधी अन्य क्रियाकलापों के अंतर्गत ऋण लेने के अपने अनुभवों के बारे में जनसमूह को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

2. प्रबंधन चर्चाएं और विश्लेषण रिपोर्ट

2.1 वर्ष के दौरान उपलब्धियां

2.1.1 प्रस्तावों की स्वीकृति

वर्ष के दौरान आपके निगम ने, योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों/चैनलाइजिंग एजेंसियों को रु.1069.67 करोड़ के प्रस्ताव स्वीकृत किए। इसे प्राप्त करके, आपके निगम ने 29 वर्षों में पहली बार रु.1000 करोड़ के लक्ष्य को पार किया है।

2.1.2 निधियों का संवितरण

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने, 1,08,340 लाभार्थियों को लाभान्वित करने के लिए योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों/चैनलाइजिंग एजेंसियों को 63% के लक्ष्य (समझौता–ज्ञापन के अंतर्गत 'उत्कृष्ट' लक्ष्य) की तुलना में रु.600.88 करोड़ अर्थात् 2017–18 के दौरान उपलब्ध कुल निधियों का 69.66% संवितरित किया। इन उपलब्धियों के द्वारा आपके निगम ने संवितरण के लिए निर्धारित रु.500.00 करोड़ के लक्ष्य को पार किया है और पिछले 29 वर्षों में पहली बार एक लाख लाभार्थियों से अधिक को कवर किया है।

2.1.2(क) **संवितरण और शामिल लाभार्थियों के योजना–वार ब्योरे**

वर्ष 2017–18 और उससे पूर्व वर्ष के लिए संवितरण और शामिल लाभार्थियों के ब्योरे नीचे दिए जा रहे हैं:

क्रम सं.	योजना	राशि (करोड़ रुपए में)		लाभार्थी (संख्या)	
		2016-17	2017-18	2016-17	2017-18
क.	**मियादी ऋण योजना**				
(i)	मियादी ऋण	130.39	124.35	13,552	3,375
(ii)	हरित व्यवसाय योजना	54.36	1.75	40	20
(iii)	स्टैंड–अप योजना	0.00	9.25	0	76
(iv)	महिला किसान योजना	0.35	0.47	86	118
(v)	शिल्पी समृद्धि योजना	0.18	0.28	46	70
(vi)	लघु व्यवसाय योजना	169.39	205.53	11,954	11,937
(vii)	शिक्षा ऋण योजना	7.06	4.74	308	266
(viii)	वोकेशनल शिक्षा एवं प्रशिक्षण ऋण योजना	0.28	0.00	21	0
	उप–कुल (क)	**362.01**	**346.37**	**26,007**	**15,862**
(i)	लघु ऋण वित्त योजना	29.16	187.46	7,267	42,027
(ii)	महिला समृद्धि योजना	87.81	65.14	48,831	50,057
(iii)	आजीविका माइक्रोफाइनेंस योजना	0.00	1.91	0	394
	उप–कुल (ख)	**116.97**	**254.51**	**56,098**	**92,478**
	सकल कुल [(क) + (ख)]	**478.98**	**600.88**	**82,105**	**1,08,340**

2.1.2(ख) संवितरण और शामिल लाभार्थियों के क्षेत्र–वार ब्योरे:

क्रम सं.	योजना	राशि (करोड़ रुपए में)		लाभार्थी (संख्या)	
		2016-17	2017-18	2016-17	2017-18
(i)	मियादी ऋण				
(क)	प्राथमिक सेक्टर (भूमि, खरीद, सिंचाई और अन्य संबद्ध क्रियाकलाप)	82.17	6.28	7,872	461
(ख)	द्वितीय सेक्टर (उद्योग)	0.26	0.00	13	0
(ग)	तृतीय सेक्टर (सर्विस व परिवहन)	102.32	118.07	5,667	2,914
	जोड़ (क) + (ख) + (ग)	**130.39**	**124.35**	**13,552**	**3,375**
(ii)	हरित व्यवसाय योजना	54.36	1.75	40	20
(iii)	स्टैंड–अप योजना	0.00	9.25	0	76
(iv)	महिला किसान योजना (प्राथमिक सेक्टर)	0.35	0.47	86	118
(v)	शिल्पी समृद्धि योजना	0.18	0.28	46	70
(vi)	लघु व्यवसाय योजना	169.39	205.53	11,954	11,937
(vii)	लघु ऋण वित्त योजना	29.16	187.46	7,267	42,027
(viii)	महिला समृद्धि योजना	87.81	65.14	48,831	50,057
(ix)	आजीविका माइक्रो फाइनेंस योजना	0.00	1.91	0	394
(x)	शिक्षा ऋण योजना	7.06	4.74	308	266
(xi)	वोकेशनल शिक्षा एवं प्रशिक्षण ऋण योजना	0.28	0.00	21	0
	सकल जोड़ (i से xi)	**478.98**	**600.88**	**82,105**	**1,08,340**

2.1.2(ग) (i) **समझौता–ज्ञापन लक्ष्य की तुलना में उपलब्धियां (2017–18)**

वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए समेकित समझौता–ज्ञापन लक्ष्य और उपलब्धियां **अनुलग्नक–III** पर दी गई हैं। 'उत्कृष्ट' श्रेणी के अंतर्गत केवल अधिशेष/निवल मूल्य को छोड़कर सभी समझौता–ज्ञापन लक्ष्य हासिल किए गए हैं। लेखापरीक्षित आंकड़ों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए कुल भारित अंक 100.00 हैं, जो 'उत्कृष्ट' रेटिंग के अनुरूप हैं।

(ii) **कुल संवितरित ऋण में से माइक्रो फाइनेंस लाभार्थियों को दिए गए ऋण का प्रतिशत**

वर्ष के दौरान, आपके निगम के कुल संवितरित ऋण में से माइक्रो फाइनेंस लाभार्थियों को दिए गए ऋण का प्रतिशत 42.36% है।

(iii) **कौशल विकास मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सामान्य मानदंडों के तहत कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किए गए लक्षित समूहों की संख्या**

वर्ष के दौरान, लक्ष्य समूह के 16,088 व्यक्तियों को कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत शामिल किया गया था जो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए सामान्य मानदंडों के अनुरूप थे।

(iv) **कम से कम 6 महीने की अवधि के कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किए गए लक्ष्य समूह की संख्या**

वर्ष के दौरान, आपके निगम द्वारा लक्षित समूह के 1,000 व्यक्तियों को कम से कम 6 महीने की अवधि के कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किए।

(v) **एसीआर/एपीएआर के संदर्भ में, निर्धारित समय–सारिणी के अनुपालन के साथ सभी अधिकारियों (ई–0 और ऊपर) के संबंध में वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर)/वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) ऑनलाइन जमा करना**

वर्ष के दौरान, एसीआर/एपीएआर के संदर्भ में, निर्धारित समय सीमाओं के अनुपालन के साथ सभी अधिकारियों (ई–0 और ऊपर) के संबंध में एसीआर/एपीएआर के ऑनलाइन जमा करने का प्रतिशत 100% है। ऑन–लाइन एपीएआर को बनाए रखने और जमा करने के लिए इन–हाउस सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है।

(vi) **वरिष्ठ अधिकारियों [समप्र (ई–5) और ऊपर के लिए ऑनलाइन त्रैमासिक सतर्कता स्पष्टीकरण को अद्यतन करना,**

वर्ष के दौरान, वरिष्ठ अधिकारियों [सहायक महाप्रबंधक (ई–5) और ऊपर के लिए ऑनलाइन त्रैमासिक सतर्कता स्पष्टीकरण अद्यतन को आपके निगम द्वारा 100% हासिल किया गया।

(vii) **पदानुक्रम योजना की तैयारी और निदेशक मंडल द्वारा इसकी मंजूरी**

वर्ष के दौरान, निगम की पदानुक्रम योजना को दिनांक 21.08.2017 को आयोजित 146वीं बोर्ड मीटिंग में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से डीपीई को समय पर भेजा गया है।

(viii) <u>अधिकारियों के लिए बिना देरी के विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठकें आयोजित करना (ई–0 और ऊपर के स्तर)</u>

वर्ष के दौरान, निगम में सभी स्तरों पर खाली पदों के लिए डीपीसी की बैठके आयोजित करना 100% के साथ हासिल किया गया।

(ix) <u>भारत में उत्कृष्टता केंद्र जैसे आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी, आईसीएआई इत्यादि में कम से कम एक सप्ताह का प्रशिक्षण प्रदान करके प्रतिभा प्रबंधन और जीविका प्रगति</u>

वर्ष के दौरान, भारत में उत्कृष्टता केंद्र जैसे आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी, आईसीएआई इत्यादि में कम से कम एक सप्ताह का प्रशिक्षण प्रदान करके प्रतिभा प्रबंधन और जीविका प्रगति प्रदान करने का प्रतिशत 13.89% है।

2.1.2(घ) <u>राज्य/संघ शासित–वार ब्योरा योजनावार/क्षेत्रवार संवितरण</u>

2017–18 के दौरान निष्पादन को नीचे ग्राफ में दर्शाया गया है:

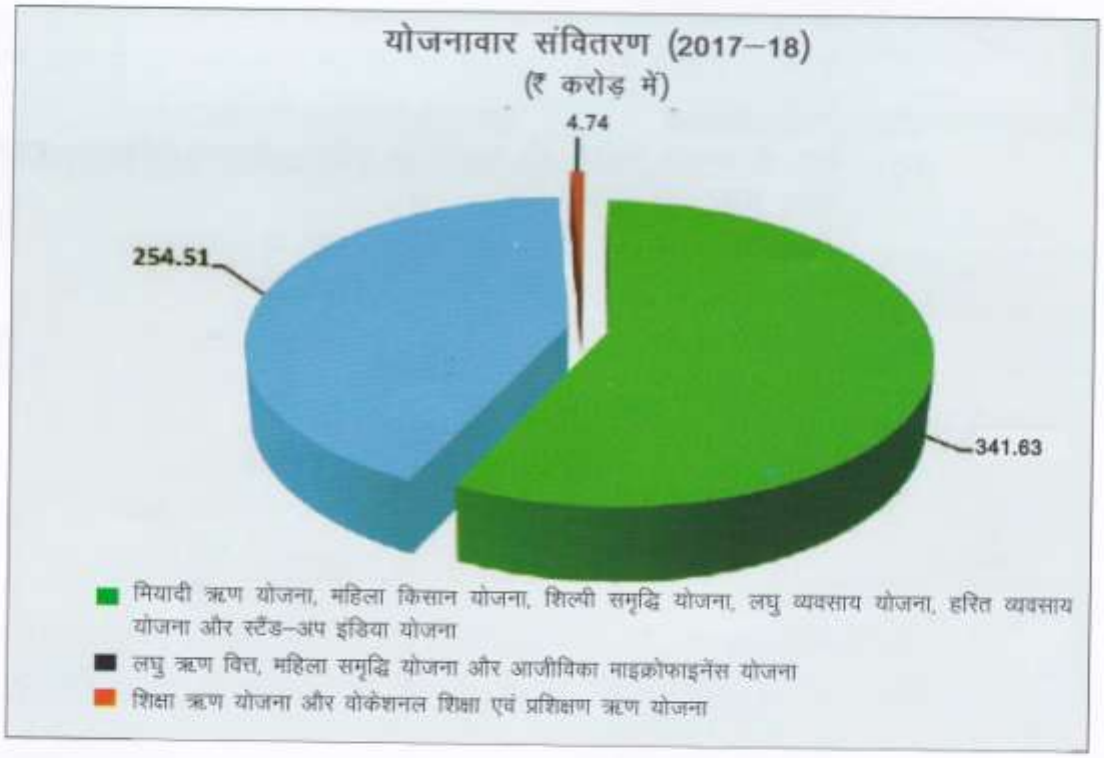

(i) मियादी ऋण योजना में महिला किसान योजना (एमकेवाई), शिल्पी समृद्धि योजना (एसएसवाई) और लघु व्यवसाय योजना (एलवीवाई), हरित व्यवसाय योजना (जीबीएस) और स्टैंड–अप इंडिया योजना (एसआईएस) शामिल हैं।

(ii) लघु ऋण योजना में लघु ऋण वित्त (एमसीएफ), महिला समृद्धि योजना (एमएसवाई) और आजीविका माइक्रोफाइनेंस योजना (एएमवाई) शामिल हैं।

(iii) शिक्षा ऋण योजना में शिक्षा ऋण योजना (ईएलएस) और वोकेशनल शिक्षा एवं प्रशिक्षण ऋण योजना (वीईटीएलएस) शामिल हैं।

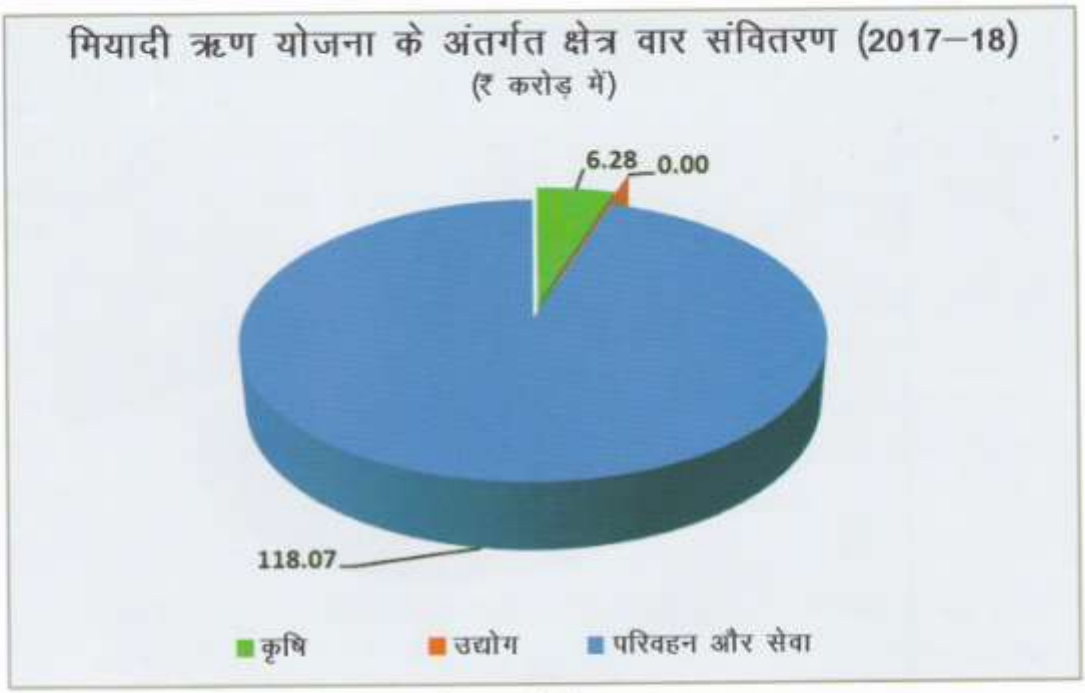

- गत तीन वर्षों के दौरान संवितरण बढ़ते क्रम में है।

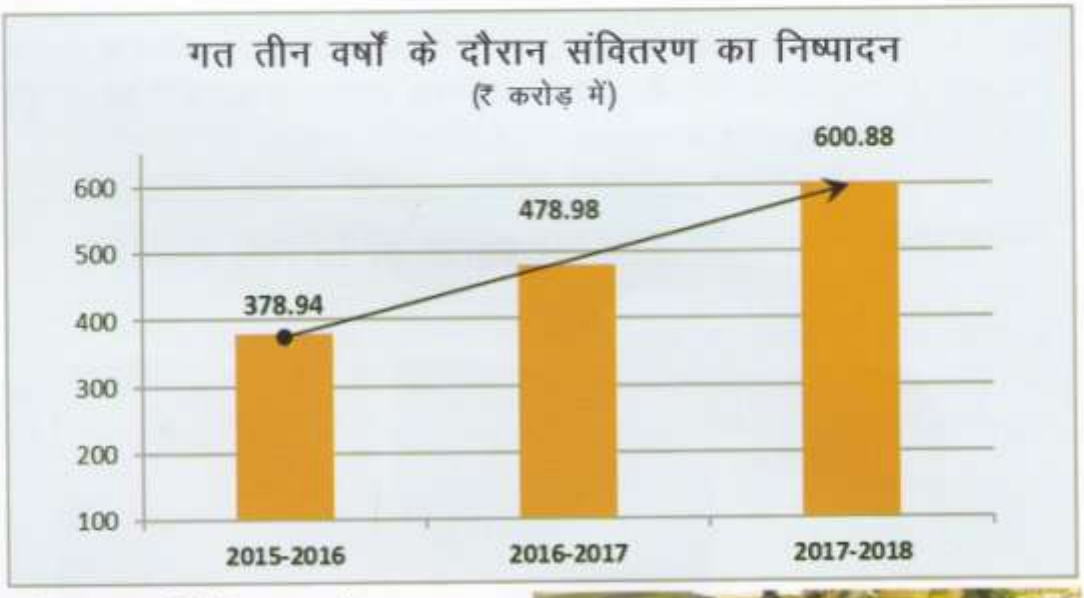

2.1.3 <u>महिला लाभार्थियों का कवरेज</u>

- वर्ष के दौरान, आपके निगम ने अपनी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 72,657 महिला लाभार्थियों को रियायती वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है, जो कि महिला लाभार्थियों को लाभान्वित करने के 40% मानदंड प्रत्यक्ष शर्तों की तुलना में कुल कवरेज का 67.06% है।

बांगला कॉलोनी, शिमला (हि.प्र.) की श्रीमती रेखा देवी को चूड़ी, कपड़े और अन्य घरेलू सामानों के फेरी व्यवसाय करने के लिए लघु वित्त ऋण सहायता

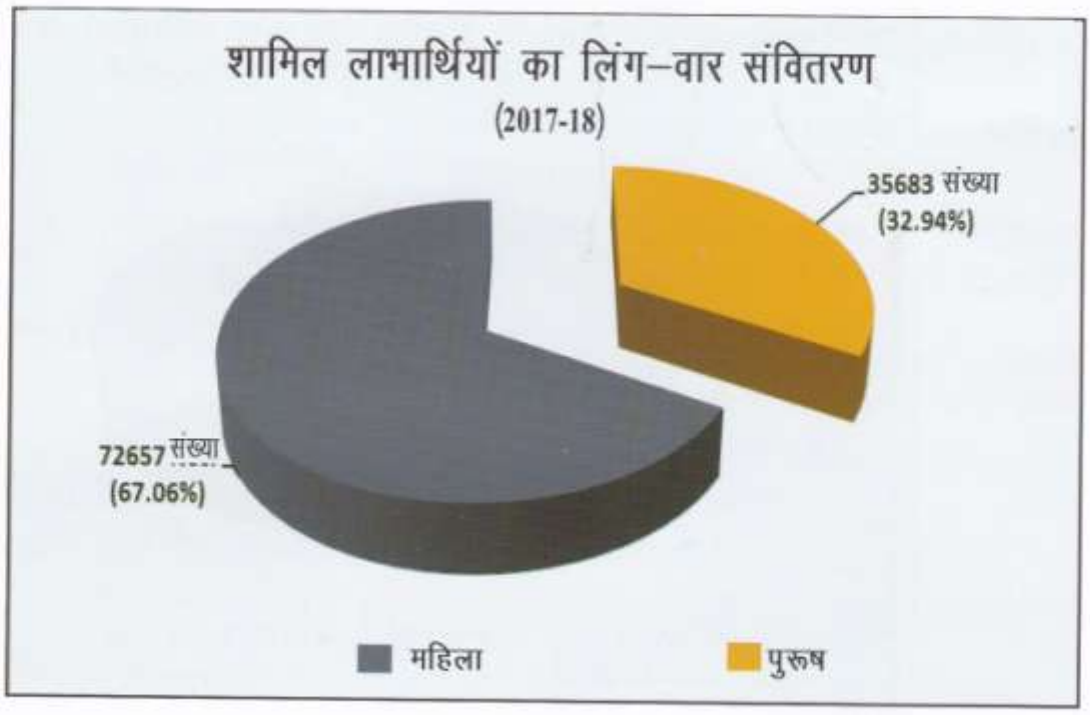

- इसी प्रकार, वर्ष के दौरान, आपके निगम ने महिला लाभार्थियों के लिए रु.247.75 करोड़ संवितरित किए हैं, जो 40% के वित्तीय मानदंड की तुलना में वर्ष के कुल संवितरण का 41.23% है।

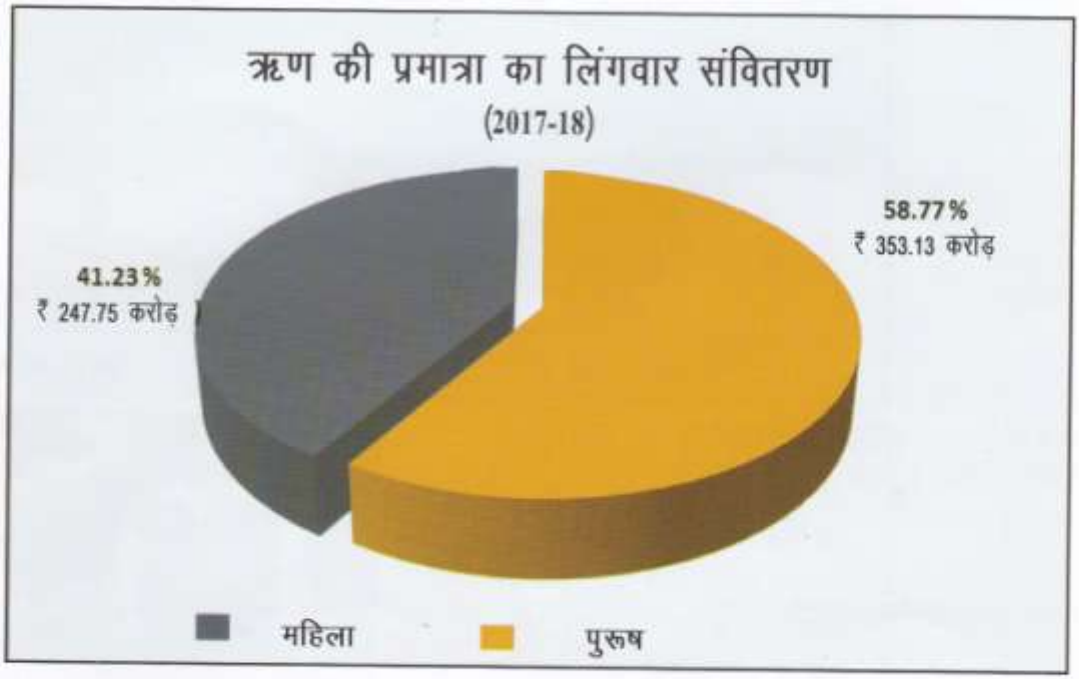

- गत तीन वर्षों के दौरान महिला लाभार्थियों को संवितरण बढ़ते क्रम में है।

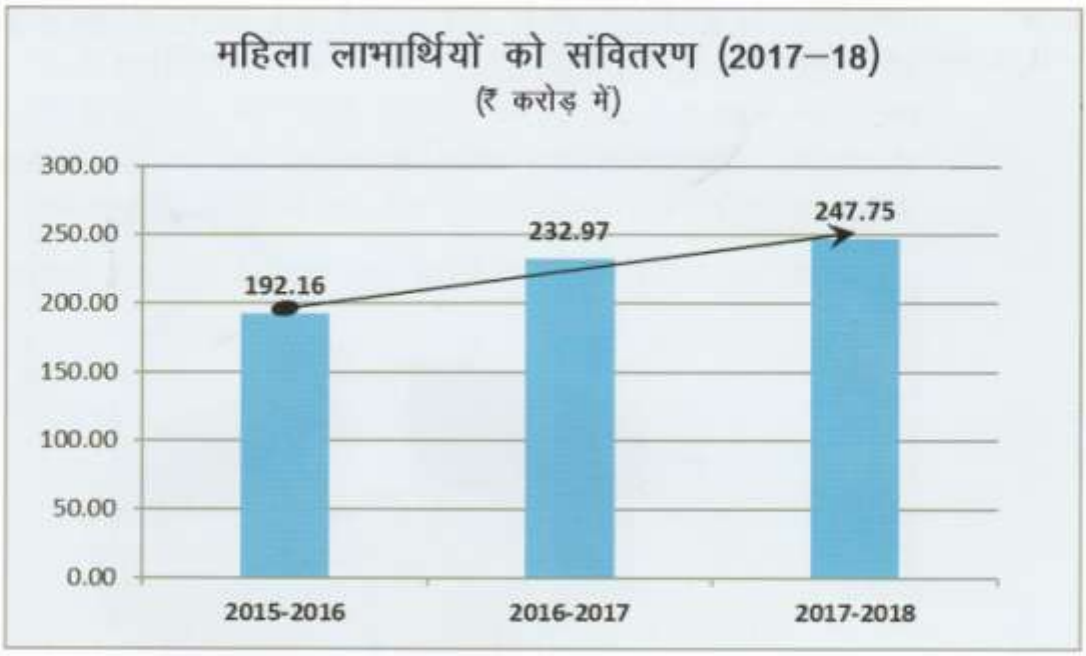

2.1.4 ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में लाभार्थियों का कवरेज:

वर्ष 2017–18 के दौरान, आपके निगम ने ग्रामीण क्षेत्रों से 49.76% और शहरी क्षेत्रों से 50.24% लाभार्थियों को कवर किया है।

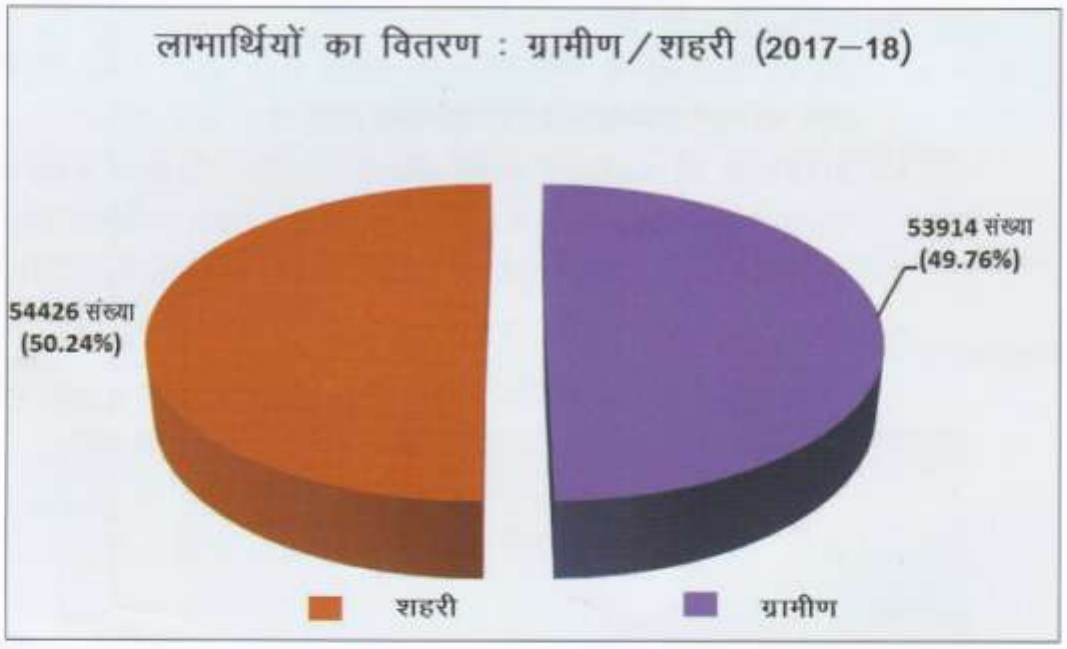

2.1.5 निधि उपयोग

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए निर्मुक्त निधियों के उपयोग में सुधार लाने के लिए राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों/चैनलाइजिंग एजेंसियों के साथ गहन अभियान चलाया है। इसके परिणामस्वरूप 31.03.2018 को संचयी उपयोग स्तर 77.61% प्राप्त किया गया।

2.1.6 **लाभार्थियों का कवरेज – गरीबी रेखा से नीचे वाले (बीपीएल) तथा बीपीएल से ऊपर एवं गरीबी रेखा से दोगुने (डीपीएल) के नीचे वाले लाभार्थीगण**

चैनलाइजिंग एजेंसियों से प्राप्त उपयोग रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2017–18 के दौरान, आपके निगम की योजनाओं के अंतर्गत बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत आने वाले 77% और बीपीएल से ऊपर एवं डीपीएल से नीचे की श्रेणी के अंतर्गत आने वाले 23% लाभार्थियों को कवर किया गया।

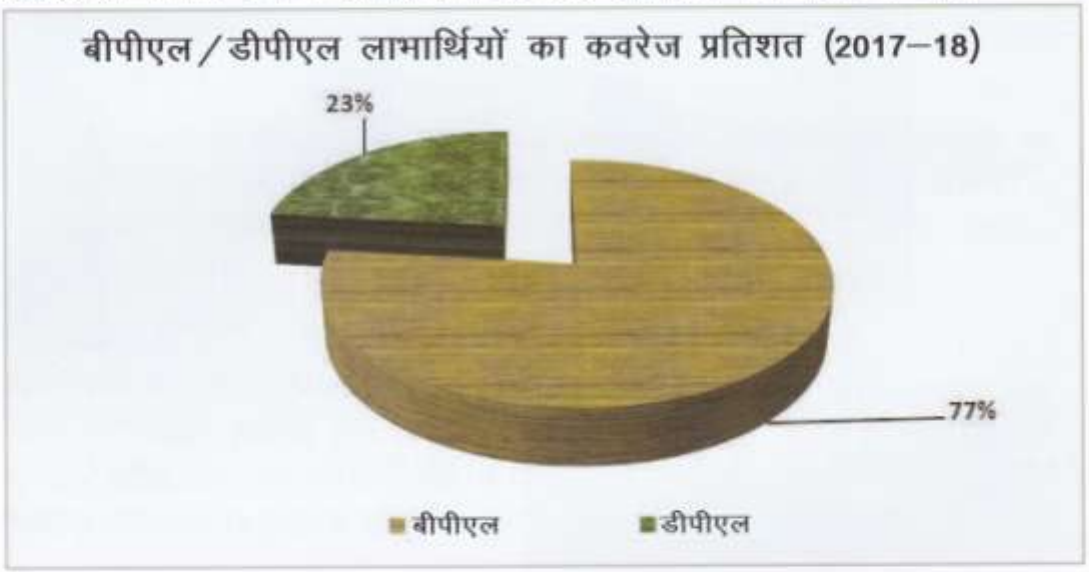

2.1.7 **संचयी संवितरण की तुलना में इक्विटी सहायता**

- वर्ष के दौरान, आपके निगम को भारत सरकार से रु.128.21 करोड़ की इक्विटी सहायता प्राप्त हुई और रु.600.88 करोड़ संवितरित किए गए।
- 31.03.2018 को यथास्थिति संचयी इक्विटी सहायता रु.1348.01 करोड़ रही है, जिसकी तुलना में आपके निगम ने रु.4478.68 करोड़ का संचयी संवितरण प्राप्त किया, जिसमें 11.85 लाख लाभार्थी कवर किए गए, जिनमें से 6.86 लाख (57.86%) महिला लाभार्थी थीं।
- अब तक संवितरण भारत सरकार से प्राप्त इक्विटी सहायता का 3.32 गुना है।

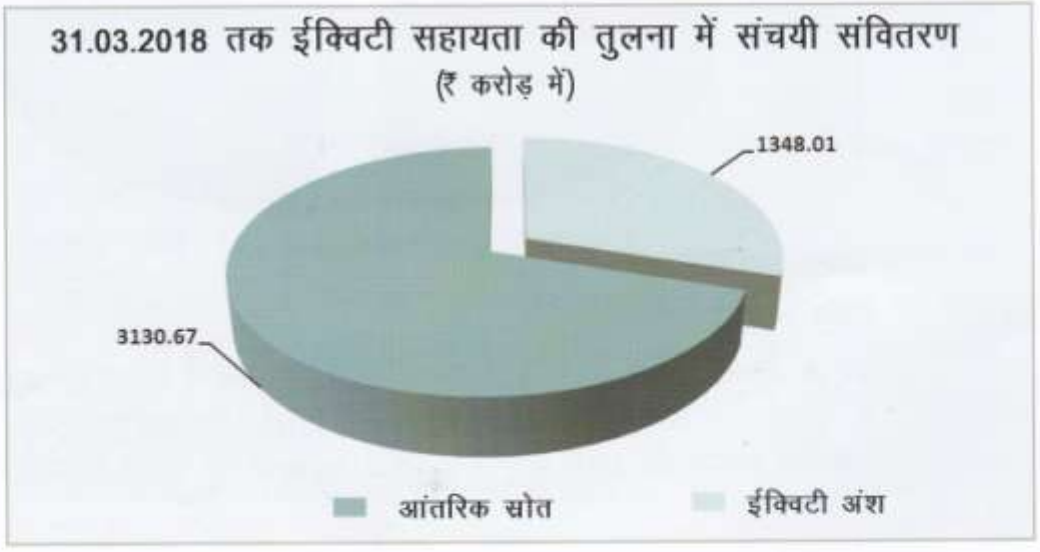

2.1.8 **राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी/चैनलाइजिंग एजेंसी से ऋण की वसूली**

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों/चैनलाइजिंग एजेंसियों से 288.48 करोड़ रुपए की वसूली प्राप्त की।

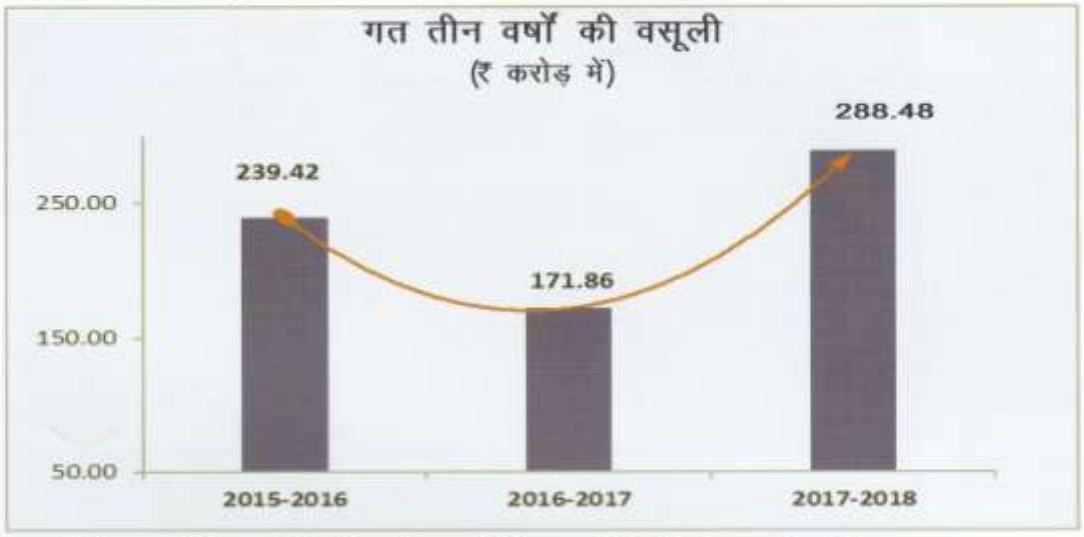

2.1.9 **राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों/चैनलाइजिंग एजेंसियों की कार्यपद्धति**

आपका निगम चैनल वित्त प्रणाली अपनाता है, जिसमें राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी/चैनलाइजिंग एजेंसिंयों के माध्यम से लाभार्थियों को निधियां दी जाती हैं। वित्त वर्ष के आरंभ में सामान्य चैनल में 37 राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियां और वैकल्पिक चैनल में 52 चैनलाइजिंग एजेंसियां थीं। वित्तीय वर्ष में, आपके निगम ने वैकल्पिक चैनल में 4 नई एजेंसियों के साथ समझौता–करार हस्ताक्षरित किया। इस प्रकार एनएसएफडीसी के पास वर्ष के दौरान 27 राज्यों एवं 6 संघ शासित क्षेत्रों से 37 राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियां और वैकल्पिक चैनल में 56 अन्य एजेंसियां थीं, इनमें से 25 राज्यों और 6 संघ शासित क्षेत्रों ने निधियों का लाभ प्राप्त किया है।

2.1.10 **भागीदारी**

2.1.10 (क) **निगम के उद्देश्यों को समर्थन देने के लिए सरकारी विभागों/स्थापित संस्थानों के साथ भागीदारी:**

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने निगम के उद्देश्यों को समर्थन देने के लिए निम्नलिखित संस्थानों के साथ भागीदारी स्थापित की:

रोजगार उन्मुख कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए आरईसी फाउंडेशन और एनएसएफडीसी के बीच एक समझौता–करार निष्पादित किया गया। आरईसी ने एनएसएफडीसी को 1650 अनुसूचित जाति लाभार्थियों के कौशल प्रशिक्षण के लिए सीएसआर अनुदान मंजूर किया।

क्र.सं.	संस्थान	उद्देश्य
1.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई	राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच का विस्तार हेतु।
2.	पंजाब नैशनल बैंक, नई दिल्ली	
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा, मुंबई	
4.	ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, गुड़गांव	
5.	सुरभि अर्थ फाऊंडेशन, नई दिल्ली	अनुसूचित जाति शिल्पकारों/बुनकरों के क्लरस्टरों के विकास हेतु।
6.	मानव विकास संस्था, जयपुर	
7.	आर्ट इल्ल्यूमिनेट्स मैनकाइंड (एम), कोलकाता	अनुसूचित जाति शिल्पकारों के क्लस्टरों के विकास हेतु।
8.	महिला मंडल बाड़मेर अगोर, बाड़मेर	
9.	जय भैरव वैलफेयर सोसायटी, बीकानेर	अनुसूचित जाति शिल्पकारों/बुनकरों के क्लस्टरों के विकास हेतु।
10.	भारतीय उद्यमिता संस्थान, गुवाहटी	
11.	राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम संस्थान (निम्समे), हैदराबाद	अनु.जाति. शिल्पकारों के क्लस्टरों के विकास हेतु।
12.	ग्रामीण सहारा, कामरूप, असम	अनुसूचित जाति बुनकरों के क्लस्टरों के विकास हेतु।
13.	विकास आयुक्त (हथकरघा), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	अनुसूचित जाति बुनकरों के क्लस्टरों के विकास हेतु।
14.	फर्नीचर एंड फिटिंग्स स्किल काउंसिल, हरियाणा	कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु।
15.	डोमेस्टिक वर्कर्स सेक्टर स्किल काउंसिल, नई दिल्ली	
16.	भारतीय नलसाजी कौशल परिषद (आईपीएससी), दिल्ली	
17.	टैक्सटाईल सेक्टर स्किल काउंसिल, नई दिल्ली	
18.	रबड़ स्किल डेवलपमेंट काउंसिल, नई दिल्ली	
19.	इलैक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया (ईएसएससीआई), नई दिल्ली	
20.	अशोक लेलैंड ड्राईविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टिट्यूट, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश	
21.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नई दिल्ली	कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु कॉर्पोरेट सीएसआर वित्त पोषण।
22.	अपोलो मेड स्किलस लिमिटेड, हैदराबाद	कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु।
23.	स्किल काउंसिल फॉर ग्रीन जॉब्स, नई दिल्ली	कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु।
24.	आरईसी फाउंडेशन, नई दिल्ली	कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु कॉर्पोरेट सीएसआर वित्त पोषण।
25.	एमएमटीसी लिमिटेड, नई दिल्ली	कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु कॉर्पोरेट सीएसआर वित्त पोषण।

2.1.10(ख) प्रदर्शनियों / मेलों में सहभागिता:

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने लाभार्थियों के उत्पादों के लिए विपणन अवसर उपलब्ध कराने हेतु निम्नलिखित प्रदर्शनियों / मेलों में भाग लिया। उपर्युक्त कार्यक्रमों में कवर किए गए राज्यों और प्रदर्शित की गई शिल्प वस्तुओं के ब्योरे निम्नलिखित हैं:

माननीय केंद्रीय मंत्री (सा.न्या.और अधि.) श्री थावरचंद गेहलोत, दिल्ली हाट, आईएनए, नई दिल्ली में आयोजित शिल्पोत्सव–2017 के दौरान एनएसएफडीसी के लाभार्थी के साथ बातचीत करते हुए

प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित प्रदर्शनी आईआईटीएफ–2017 में एनएसएफडीसी के लाभार्थी अपने उत्पादों को बेचते हुए

क्र.सं	स्थान	दिनांक	शामिल राज्य	बिक्री की गई शिल्प वस्तुएं
1.	प्रदर्शनी–सह–बिक्री, दिल्ली हाट, दिल्ली,	14–20 अप्रैल, 2017	दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र	ब्लॉक प्रिंटिंग, चंदेरी साड़ी, सूट, फाइबर का सामान और आर्टिफिशियल ज्वेलरी और कोल्हापुरी चप्पल।
2.	मालवा उत्सव मेला, इंदौर, मध्य प्रदेश	2–8 मई, 2017	मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, प. बंगाल	ब्लॉक प्रिंटिंग, चंदेरी साड़ी, सूट, पंजाबी जूती, राजस्थानी जूती, जूट बैग।
3.	वस्त्र मेला, भारत	30 जून–3 जुलाई, 2017	गुजरात	जरी व क्रोचेट सामान, चर्म–वस्त्र।
4.	हैंडलूम हाट, जनपथ, नई दिल्ली	16–29 अक्तूबर, 2017	दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, पुडुचेरी	ब्लॉक प्रिंटिंग, तैयार वस्त्र, जरी का सामान, चंदेरी साड़ी, सूट, फाइबर का सामान और आर्टिफिशियल ज्वेलरी और कोल्हापुरी चप्पल इत्यादि।
5.	शिल्पोत्सव, दिल्ली हाट, आईएनए	1–15 नवंबर, 2017	दिल्ली मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, पुडुचेरी, पंजाब	ब्लॉक प्रिंटिंग, तैयार वस्त्र, जरी का सामान, चंदेरी साड़ी, सूट, फाइबर का सामान और आर्टिफिशियल ज्वेलरी, कोल्हापुरी चप्पल, पंजाबी जूती, चर्म–बैग, बैड शीट, मोती का काम, ब्लॉक प्रिंटिंग, चंदेरी, हथकरघा शॉल, स्टोल, जैकेट, मोजे, टोपी और मफलर, बाटिक प्रिंटिंग, सॉफ्ट खिलौने इत्यादि।

क्र.सं	स्थान	दिनांक	शामिल राज्य	बिक्री की गई शिल्प वस्तुएं
6.	आईआईटीएफ 2017, नई दिल्ली,	14–27 नवंबर, 2017	कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुवाहटी, चंडीगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश	मिट्टी के बर्तन, लकड़ी के खिलौने, लकड़ी के शिल्प/पेंटिंग, कोल्हापुरी चप्पल, टेराकोटा आभूषण, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, हथकरघा अनुकृति/कपड़े का काम, चंदेरी व सूती साड़ी, ब्लॉक प्रिंटिंग, ऊनी सामान इत्यादि।
7.	9वें ईस्ट हिमालयन एक्सपो, शिलांग	14–20 दिसंबर, 2017	असम	टेराकोटा, पीतल का सामान, आभूषण।
8.	लोकोत्सव गोवा, पणजी	14–21 जनवरी, 2018	महाराष्ट्र	फाइबर का सामान और आर्टिफिशियल ज्वेलरी।
9.	गुवाहटी हैंडलूम एक्सपो, असम	27 जनवरी–11 फरवरी, 2018	गुवाहटी	हथकरघा उत्पाद, आर्टिफिशियल ज्वेलरी/कपड़े का काम, आर्टिफिशियल पलावर।
10.	केरल एक्स्पो, एलेप्पी	26 दिसंबर–2 जनवरी 2018	केरल	चमड़े के उत्पाद, हथकरघा का सामान।
11.	सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2018, फरीदाबाद	2–18 फरवरी, 2018	गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब, पश्चिम बंगाल, मणिपुर और कर्नाटक	एम्ब्रोयडिड क्रोचेटड कपड़े, बेड शीट, पैच वर्क, हथकरघा शॉलें, स्टोल, जैकेट, जुराबें, टोपियां और मफलर, चंदेरी साड़ियां, फाइबर वस्तुएं और पेंटिंग्स, चर्म–उत्पाद, राजस्थानी व पंजाबी जूती, रेडीमेड वस्त्र, बाटिक प्रिंटिंग, लकड़ी के खिलौने, रोज वूड पेंटिंग, कांथा शिल्प, सॉफ्ट खिलौने, ब्लॉक प्रिंटिंग आदि।

वर्ष के दौरान, दिल्ली में 3 प्रमुख प्रदर्शनियों में हमारे लाभार्थियों की कुल बिक्री का आंकड़ा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	प्रदर्शनियों का नाम	दिनांक	ब्रिकी आंकड़ा (रुपए)
1.	शिल्पोत्सव, दिल्ली हाट, आईएनए	1–15 नवंबर, 2017	3224990.00
2.	आईआईटीएफ 2017, नई दिल्ली	14–27 नवंबर, 2017	4242100.00
3.	सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2018, फरीदाबाद (हरियाणा)	2–18 फरवरी, 2018	4577970.00
	समग्र योग		**1,20,45,060.00**

2.1.11 राज्यों में संयुक्त (कंपोजिट) जागरूकता शिविर

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने मंत्रालय और राष्ट्रीय निगमों की योजनाओं को क्षेत्रीय स्तर पर प्रचारित करने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित 15 कंपोजिट/जागरूकता शिविरों में भाग लिया। ये शिविर दिल्ली, जम्मू व कश्मीर (श्रीनगर, उधमपुर), हिमाचल प्रदेश (सोलन), उत्तर प्रदेश (बिजनौर, नोएडा, वाराणसी), चंडीगढ़, मध्य प्रदेश (इंदौर, चित्रकूट, उज्जैन) में आयोजित किए गए। ऐसे प्रत्येक शिविर में एनएसएफडीसी को अपनी योजनाओं को प्रचारित करने और आगंतुकों के बीच जन–जागरूकता उत्पन्न करने के लिए योजनाओं के पम्फलेट बांटने के लिए स्टॉल उपलब्ध कराए गए। कुछ शिविरों में सफल लाभार्थियों को एनएसएफडीसी की योजनाओं के अंतर्गत ऋण लेने और व्यवसाय संबंधी क्रियाकलापों के बारे में अनुभवों को जनसमूह के बीच साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया।

क्र. सं	प्रदर्शनी/मेला	तारीख
i.	कौशल और रोजगार मेला, देवघर	3–5 अप्रैल, 2017
ii.	यूसीएमएस व जीटीबी अस्पताल, दिलशाद गार्डन, दिल्ली	13 मई, 2017
iii.	राइजिंग कश्मीर, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर, श्रीनगर, जम्मू व कश्मीर	3–6 जुलाई, 2017
iv.	नॉर्थ ईस्ट कॉलिंग मेला, दिल्ली	9–10 सितंबर, 2017
v.	जागरूकता शिविर, बिजनौर, उत्तर प्रदेश	16 सितंबर, 2017
vi.	जागरूकता शिविर, झालावाड़	17 सितंबर, 2017
vii.	जागरूकता शिविर, घुमरवीन, हिमाचल प्रदेश	15 अक्तूबर, 2017
viii.	स्वदेशी मेला, वाराणसी, उत्तर प्रदेश	8–17 अक्तूबर, 2017
ix.	जागरूकता कार्यक्रम, एटीडीसी, सुंदरनगरी	17 अक्तूबर, 2017
x.	जागरूकता कार्यक्रम, बरौला गांव, नोएडा	25 अक्तूबर, 2017
xi.	डेस्टिनेशन हिमाचल, सोलन	24–26 अक्तूबर, 2017
xii.	स्वदेशी मेला, चंडीगढ़	22–26 नवंबर, 2017
xiii.	विजन मेला जम्मू व कश्मीर, उधमपुर, जम्मू व कश्मीर	29–31 जनवरी, 2018
xiv.	5वां गवर्नमेंट डेवलपमेंट एंड पॉलिसी एक्सपो–2018, इंदौर, मध्य प्रदेश	9–11 फरवरी, 2018
xv.	आजीविका मेला, प्रगति मैदान, दिल्ली	23 मार्च–1 अप्रैल, 2018

2.1.12 गैर–ऋण आधारित योजना का बाह्य मूल्यांकन अध्ययन

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने मैसर्स डाटामेशन कंस्लटेंट प्रा. लि., दिल्ली को अपनी गैर–ऋण आधारित योजना के मूल्यांकन और अध्ययन का कार्य सौंपा था। इस अध्ययन में 5 राज्यों, नामतः चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में 2016–17 के दौरान प्रशिक्षित 1,623 लाभार्थी/प्रशिक्षणार्थी कवर किए गए। अध्ययन के अंतर्गत राज्य/संघ शासित क्षेत्र वार शामिल लाभार्थी/प्रशिक्षणार्थियों का विवरण नीचे दिया जा रहा है:

क्रम सं.	राज्य	लाभार्थियों की संख्या	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	कुल
i)	चंडीगढ़	82	10	92
ii)	छत्तीसगढ़	100	20	120
iii)	राजस्थान	100	64	164
iv)	उत्तराखंड	40	20	60
v)	पश्चिम बंगाल	1187	0	1187
	कुल	**1509**	**114**	**1623**

2.1.13 कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम और प्रशिक्षण संस्थान

एनएसएफडीसी कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत सिपेट, विजयवाड़ा द्वारा मशीन प्रचालन पर प्रशिक्षुओं हेतु एनएसएफडीसी प्रायोजित अभ्यास–सत्र

सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सिपेट), बालासोर, ओडिशा में मशीन प्रचालन–प्लास्टिक प्रोसेसिंग ट्रेड में एनएसएफडीसी प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने अनुसूचित जातियों के 17,088 शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए रु.28.10 करोड़ की लागत से कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम स्वीकृत और कार्यान्वित किए हैं और 17 (सत्रह) कौशल प्रशिक्षण संस्थानों के साथ साझेदारी स्थापित करके रु.15.72 करोड़ [अनुसूचित जातियों के कल्याण, प्रशिक्षण (अनुदान) – अग्रिम एवं प्रशिक्षण व्यय – लाभार्थी के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की योजना के अंतर्गत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए अनुदान सहित] संवितरित किए। इसके अलावा, केन्द्रीय भण्डाण निगम (सीडब्ल्यूसी), पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (पीएफसी), राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) और भारतीय प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल) से रु.52.17 लाख की राशि

सीएसआर फंड के तहत प्राप्त हुई और संबंधित प्रशिक्षण संस्थानों को जारी की गई। कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसे सिलाई मशीन ऑपरेटर, बढ़ई–लकड़ी के फर्नीचर, चमड़े के जूते–चप्पल क्लोजिंग और स्टिचिंग, चर्म वस्त्र–कटिंग और क्लिकिंग, चर्म परिशोधन प्रक्रिया, चमड़े की फिनिशिंग प्रक्रिया, मशीन ऑपरेटर सहायक–प्लास्टिक प्रसंस्करण (एमओए–पीपी), मशीन ऑपरेटर सहायक–प्लास्टिक एक्सट्रूजन (एमओ–पीई), मशीन ऑपरेटर–इंजेक्शन मोल्डिंग (एमओ–आईएम), मशीन ऑपरेटर–ब्लो मोल्डिंग (एमओ–बीएम), सीएनसी ऑपरेटर टर्निंग, सीएनसी ऑपरेटर वर्टिकल मशीनिंग इत्यादि विभिन्न व्यापारों/क्षेत्रों में आयोजित किए गए थे। प्रशिक्षण आरंभ करने वाले 17,088 प्रशिक्षणार्थियों में से, 10,862 प्रशिक्षणार्थियों ने अपने कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरे किए और सूचना के अनुसार स्व/वैतनिक–रोजगार में प्रशिक्षुओं की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा, वर्ष 2017–18 के दौरान प्रशिक्षण आरंभ करने वाले 11,079 प्रशिक्षणार्थियों का प्रशिक्षण वर्ष के दौरान पूरा किया गया था।

स्वीकृत और कार्यान्वित किए गए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के राज्य/संघ शासित क्षेत्र–वार सार **अनुलग्नक–IV** में दिया गया है।

2.1.14 अनुमानित आवंटन मानदंडों का संशोधन

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने अनुमानित आवंटन मानदंडों में संशोधन किया। संशोधन के अनुसार, कुल उपलब्ध निधियों की दृष्टि से मंजूरी और संवितरण के लिए अनुमानित आवंटन दो तरीकों से किया गया है:

(i) देश की कुल अनुसूचित जाति की आबादी के अनुपात में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रतिनिधित्व की गई अनुसूचित जाति की आबादी के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सभी एससीए को आधिकारिक रिपोर्टिंग जैसे कि संसदीय प्रश्नोत्तर, संसदीय मामले, अदालत का मामला इत्यादि के उद्देश्य के लिए अनुमानित आवंटन।

(ii) राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के एसीए को उनके द्वारा प्रतिनिधित्व अनुसूचित जाति आबादी के अनुपात में उन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की कुल अनुसूचित जाति आबादी के लिए जहां एससीए कुल उपलब्ध निधि के प्रभावी उपयोग के उद्देश्य से नियमित रूप से निधि का लाभ उठा रहे हैं या पिछले तीन वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार एनएसएफडीसी से निधि का लाभ उठाया हो, के लिए अनुमानित आवंटन।

2.1.15 मंजूरी और संवितरण हेतु योजनावार आवंटन का संशोधन

वर्ष के दौरान, लघु ऋण योजनाओं के तहत अधिक लाभार्थियों को कवर करने के लिए, आपके निगम ने मियादी ऋण योजना, लघु ऋण वित्त योजना और महिला समृद्धि योजना के तहत मंजूरी और संवितरण हेतु योजनावार आवंटन में 60:10:30 के मौजूदा अनुपात से 50:15:35 अनुपात का संशोधन किया है।

2.1.16 परियोजना की मंजूरी के लिए शक्तियों के प्रत्यायोजन का संशोधन

वर्ष के दौरान, काम के दोहराव से बचने और समय एवं संसाधनों को बचाने के लिए, आपके निगम ने एकल परियोजना/लाभ केंद्रों के लिए रु.10.00 लाख तक की और एक समान व्यावसायिक गतिविधि की समूह योजना अथवा एक समान लागत की भिन्न गतिविधियों के

साथ–साथ एकल परियोजना लागत/लाभ केंद्र दोनों के लिए परियोजना लागत चाहे कुछ भी हो एक समान व्यावसायिक गतिविधि की समूह योजना अथवा एक समान लागत की भिन्न गतिविधियों के लिए रु.500.00 लाख तक की मंजूर करने के लिए अप्रनि, एनएसएफडीसी की शक्तियों के मौजूदा प्रत्यायोजन में संशोधन किया।

2.1.17 अनुसूचित जाति बुनकर क्लस्टर का विकास

अनुसूचित जाति के बुनकरों को अधिक लाभ उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार की योजनाओं के कवरेज की दृष्टि से आपके निगम ने, 14 अप्रैल, 2017 में विकास आयुक्त (हथकरघा), वस्त्र मंत्रालय के साथ एक समझौता–ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है। समझौता–ज्ञापन का मूल उद्देश्य, हथकरघा के क्षेत्र में क्लस्टर स्तर पर, उच्च मूल्य के गुणवत्ता बुनकरों के उत्पादन और निपटान को बढ़ावा देकर अनुसूचित जाति के कारीगरों और उनके परिवारों को सहायता करना है।

एनएसएफडीसी द्वारा कार्यान्वित विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) की अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना के अंतर्गत गांव और ब्लॉक– पूगल जिला बीकानेर, राजस्थान में एकीकृत डिजाइन और प्रौद्योगिकी विकास परियोजना के तहत प्रशिक्षण के दौरान हस्त–कढ़ाई शिल्प क्लस्टर की एनएसएफडीसी सहायता प्राप्त महिला शिल्पकार

2.1.18 अनुसूचित जाति शिल्पकार क्लस्टर का विकास

वर्ष के दौरान, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार की वित्तीय सहायता के साथ, आपके निगम ने असम (03 क्लस्टर), बिहार (01 क्लस्टर), राजस्थान (04 क्लस्टर) और पश्चिम बंगाल (01 क्लस्टर) राज्य में 4,660 अनुसूचित जाति कारीगरों के लाभ लिए रु.221.16 लाख की मंजूरी दे दी और 09 हस्तशिल्प समूहों के विकास के लिए नियुक्त परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईए) को रु.87.34 लाख जारी किए।

नेशनल शैड्यूलड कास्ट्स फाइनेंस कॉरपोरेशन (एनएसएफडीसी) द्वारा कार्यान्वित विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) की अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना के अंतर्गत गांव जीतवारपुर ब्लॉक और जिला मधुबनी, बिहार, में डिजाइन और तकनीकी विकास कार्यशाला के दौरान मधुबनी चित्रकारी और कढ़ाई शिल्प क्लस्टर की एनएसएफडीसी सहायता प्राप्त महिला शिल्पकार

उपरोक्त के अलावा, प्रति राज्य 01 क्लस्टर की दर से आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना राज्य में 1,024 अनुसूचित जाति के कारीगरों के लाभ हेतु और 03 हस्तशिल्प क्लस्टरों के विकास के लिए आपके निगम ने एक राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (निम्समे), हैदराबाद को पीआईए में से रु.7.50 लाख की स्वीकृति दी और अपने स्रोत से 7.50 लाख रुपए जारी किए।

क्लस्टर–वार विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	पीआईए का नाम	क्लस्टर का स्थान	क्लस्टर की गतिविधि	शिल्पकारों की संख्या	मंजूर राशि (रुपयों में)	निर्मुक्त राशि (रुपयों में)
1.	जय भैरव वैलफेयर सोसायटी (जेबीडब्ल्यूएस), बीकानेर	पूगल, बीकानेर, राजस्थान	हाथ की जरी	519	59.12	26.18
		सरदारशर चुरू, राजस्थान	बंधेज (टाई व डाई)	525	7.50	6.75
2.	महिला मंडल बाड़मेर अगोर (एमएमबीए), बाड़मेर	गदरा रोड, बाड़मेर, राजस्थान	हाथ की जरी (शीशा)	500	59.12	26.18
3.	आर्ट इल्यूमिनेट्स मैनकाइंड (एआईएम), कोलकाता	जितवारपुर, मधुबनी, बिहार	मधुबनी पेंटिंग और सुजनी क्राफ्ट	545	57.92	13.23
		बोलपुर, बीरभूम, पश्चिम बंगाल	बाटिक और टाई व डाई	512	7.50	3.75
4.	मानव विकास संस्था (एमवीएस), जयपुर	वार्ड संख्या 39, 41, 42, 43 और 44, टोंक, राजस्थान	नमदा क्राफ्ट	559	7.50	3.75
5.	भारतीय उद्यमिता संस्थान (आईआईई), गुवाहटी	ढालपुर, लखीमपुर, असम	टेराकोटा और बेंत व बांस	500	7.50	0.00
		सोनाकूची, बारपेटा, असम	आभूषण क्राफ्ट	500	7.50	3.75
		बरतला, नालबारी, असम	बेंत व बांस	500	7.50	3.75
6.	राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम संस्थान (निम्समे), हैदराबाद	आदिलाबाद, तेलंगाना	बहु–क्राफ्ट सामान	402	2.50	2.50
		मूलस्थानम, ईस्ट गोदावरी, आंध्र प्रदेश	चमड़ा हस्तशिल्प	390	2.50	2.50
		सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र	बांस क्राफ्ट	232	2.50	2.50
			कुल	**5684**	**228.66**	**94.84**

2.1.19 वर्ष 2017–18 के लिए सर्वोत्तम पांच कार्य–निष्पादन राज्य

(क) स्वीकृति ली गई

रैंक	राज्य	राशि (करोड़ रु.)
1	महाराष्ट्र	159.85
2	उत्तर प्रदेश	151.53
3	आंध्र प्रदेश	132.96
4	तमिलनाडु	121.26
5	पश्चिम बंगाल	79.53

(ख) संवितरण लिया गया

रैंक	राज्य	राशि (करोड़ रु.)
1	तमिलनाडु	87.71
2	उत्तर प्रदेश	74.09
3	त्रिपुरा	62.23
4	पश्चिम बंगाल	61.15
5	महाराष्ट्र	60.38

(ग) निधि का उपयोग (सक्रिय राज्य)

रैंक	राज्य	प्रतिशत
1	हरियाणा	99.59
2	केरल (केरल राज्य महिला विकास निगम) (केएसडब्ल्यू डीसी)	95.97
3	सिक्किम	90.81
4	केरल (केरल राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम लिमिटेड) (केएसडीसी)	89.65
5	हिमाचल प्रदेश	89.14

(घ) अदायगी की गई

रैंक	राज्य	राशि (करोड़ रु.)
1	महाराष्ट्र	57.21
2	पश्चिम बंगाल	36.93
3	कर्नाटक	35.82
4	उत्तर प्रदेश	34.11
5	केरल	19.20

(ङ) कवर किए गए लाभार्थी

रैंक	राज्य	संख्या
1	पश्चिम बंगाल	47,573
2	तमिलनाडु	14,934
3	उत्तर प्रदेश	12,117
4	त्रिपुरा	9,144
5	मध्य प्रदेश	4,754

(च) महिला लाभार्थी		
रैंक	राज्य	संख्या
1	पश्चिम बंगाल	47,194
2	तमिलनाडु	5,996
3	उत्तर प्रदेश	4,365
4	त्रिपुरा	3,588
5	बिहार	2,572

2.1.20 **राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी को प्रोत्साहित करने के लिए की गई पहलें**

2.1.20(क) **वसूली अवसंरचना के विकास (आईएसएसडीआरआई) के लिए राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों की प्रोत्साहन योजना**

आपका निगम 2007–08 से एक वित्तीय वर्ष में राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी द्वारा एनएसएफडीसी को चुकाई गई कुल राशि का 0.5% की दर से प्रोत्साहन देने के लिए योजना चला रहा है, यह ऐसे राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी के लिए है, जिनकी वित्त वर्ष के अंत में संचयी वसूली 60% से अधिक है अथवा पिछले वित्तीय वर्ष से कम से कम 10% अंश (पॉइंट) का वसूली में सुधार है और जिन्होंने एनएसएफडीसी को शत–प्रतिशत अदायगी की है।

राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी के अनुरोध पर, योजना को नीचे दिए अनुसार उदार किया गया है:

(i) पूर्ववर्ती वर्ष के अंत में, एनएसएफडीसी को शत–प्रतिशत अदायगी करने वाले राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी को आईएसएसडीआरआई के अंतर्गत प्रोत्साहन के रूप में वर्ष में अदा की गई कुल राशि का 0.5% उपलब्ध कराया जाएगा, बशर्ते कि उनकी लाभार्थियों से वसूली कम से कम 50% हो अथवा वसूली सुधार पिछले वित्तीय वर्ष में कम से कम 5% पॉइंट है।

(ii) पूर्ववर्ती वित्त वर्ष के अंत में एनएसएफडीसी को 90% अदा करने वाले राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी को आईएसएसडीआरआई के अंतर्गत प्रोत्साहन के रूप में वर्ष में अदा की गई कुल राशि का 0.25% उपलब्ध कराया जाएगा बशर्ते कि उनकी लाभार्थियों से वसूली कम से कम 50% हो अथवा उनका वसूली सुधार पिछले वित्तीय वर्ष में कम से कम 5 प्रतिशत पॉइंट है।

चूंकि योजना का राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी द्वारा अच्छा स्वागत किया गया था, इसलिए इसका कार्यान्वयन 31.03.2022 तक बढ़ा दिया गया है।

वर्ष के दौरान, वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए आईएसएसडीआरआई के अंतर्गत निम्नलिखित एससीए को प्रोत्साहन धनराशि प्रदान की गई है:

क्र.सं.	राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी का नाम	प्रोत्साहन राशि (रुपए)
(i)	चंडीगढ़ अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, चंडीगढ़	3,856/-
(ii)	गोवा राज्य अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास निगम लिमिटेड, गोवा	2,662/-
(iii)	हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, हरियाणा	55,348/-
(iv)	हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम, हिमाचल प्रदेश	32,486/-
(v)	केरल राज्य अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास निगम, केरल	2,46,210/-
(vi)	केरल राज्य महिला विकास निगम, केरल	1,92,453/-
(vii)	उत्तराखंड बहुद्देश्यीय वित्त एवं विकास निगम, उत्तराखंड	17,576/-
(viii)	पश्चिम बंगाल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास एवं वित्त निगम, पश्चिम बंगाल	13,84,778/-
	कुल	**19,35,369/-**

2.1.20 (ख) 'राष्ट्रीय निष्पादन उत्कृष्टता पुरस्कार' (एनएपीई) योजना

आपका निगम, बेहतर निष्पादन करने वाले एससीए के प्रोत्साहन के लिए वर्ष 2007–08 से 'राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी का रेटिंग तंत्र और बेहतर निष्पादन के लिए पुरस्कार योजना' चला रहा है। योजना का नाम संशोधित कर 'राष्ट्रीय निष्पादन उत्कृष्टता पुरस्कार' (एनएपीई) कर दिया गया है। योजना में संशोधन भारत सरकार की वर्तमान प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर किया गया है।

नई योजना वर्ष 2016–17 से लगभग रु.45.00 लाख प्रति वर्ष के कुल बजट से कार्यान्वित की जाएगी।

'निष्पादन उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार' के अंतर्गत एससीए को निष्पादन प्रोत्साहन निम्न प्रकार से दिया जाएगा:

(₹ लाख में)

स्तर	पैरामीटर	पुरस्कार			कुल
		पहला	दूसरा	तीसरा	
I	एनएसएफडीसी से एक वर्ष में नोशनल आबंटन की तुलना में रु.3.00 करोड़ तक की निधि लेने वाले एससीए	5.00	3.00	2.00	10.00
II	एनएसएफडीसी से एक वर्ष में नोशनल आबंटन की तुलना में रु.3.00 करोड़ से अधिक और रु.10.00 करोड़ तक की निधि लेने वाले एससीए	7.00	5.00	3.00	15.00
III	एनएसएफडीसी से एक वर्ष में नोशनल आबंटन की तुलना में रु.10.00 करोड़ से अधिक की निधि लेने वाले एससीए	10.00	6.00	4.00	20.00
	कुल	**22.00**	**14.00**	**9.00**	**45.00**

2.1.21 **लाभार्थियों के लिए की गई पहलें**

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने एससीए, पीएसबी और आरआरबी और एनबीएफसीएमएफआई के लिए ऋण नीतियों में संशोधन किया। ऋण नीतियों में निम्नलिखित संशोधन किए गए:

2.1.21(क) **राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एससीए), सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी)/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के लिए एनएसएफडीसी ऋण नीति में संशोधन**

(i) लघु व्यवसाय योजना (एलवीवाई) के तहत रु.3.00 लाख से रु.5.00 लाख तक यूनिट लागत में वृद्धि।

(ii) महिला किसान योजना (एमकेवाई) और शिल्पी समृद्धि योजना (एसएसवाई) के तहत रु.0.50 लाख से रु.2.00 लाख तक यूनिट लागत में वृद्धि।

(iii) लघु ऋण वित्त योजना (एमसीएफ) और महिला समृद्धि योजना (एमएसवाई) के तहत पहले चक्र में रु.0.50 लाख से बढ़ाकर रु.0.60 लाख और बाद के चक्रों में रु.1.00 लाख के तहत यूनिट लागत में वृद्धि।

(iv) हरित व्यवसाय योजना (जीबीएस) के तहत निम्नांकित स्लैब–वार ब्याज दरों पर यूनिट लागत में रु.2.00 लाख से रु.30.00 लाख की वृद्धि:

क्र सं	इकाई लागत	प्रभारित वार्षिक ब्याज	
		एससीए/सीए	लाभार्थी
(क)	रु.7.50 लाख तक	2%	4%
(ख)	रु.7.50 लाख से ज्यादा और रु.15.00 लाख तक	3%	6%
(ग)	रु.15.00 लाख से ज्यादा और रु.30.00 लाख तक	4%	7%

(v) लघु ऋण वित्त योजना (एमसीएफ) और महिला समृद्धि योजना (एमएसवाई) के तहत 03 साल से 3½ साल के लिए पुनर्भुगतान अवधि में वृद्धि।

(vi) हरित व्यवसाय योजना (जीबीएस) के तहत 06 वर्ष से 10 वर्ष तक पुनर्भुगतान अवधि में वृद्धि।

(vii) फरवरी माह के अंत तक, संवितरण के लिए पूर्ववर्ती माह के अंत तक पहले से संवितरित निधियों का कम से कम 80% संचयी उपयोग स्तर होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, मार्च माह में निधियों के संवितरण के लिए पूर्ववर्ती दिन के अंत में संचयी निधियों का उपयोग स्तर 80% होना चाहिए।

(viii) ऋण आधारित योजनाओं के मामले में संभावित अनुसूचित जाति लाभार्थियों के लिए वार्षिक पारिवारिक आय मानदंड को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रु.98,000/– वार्षिक और शहरी क्षेत्रों के लिए रु.1,20,000/– वार्षिक से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए रु.3,00,000/– वार्षिक संशोधित किया गया।

(ix) संभावित अनुसूचित जाति प्रशिक्षुओं के लिए कोई वार्षिक पारिवारिक आय मानदंड नहीं है।

2.1.21(ख) **एनबीएफसी–एमएफआई के लिए एनएसएफडीसी ऋण नीति में संशोधन**

(i) 03 साल से 3½ साल तक आजीविका लघु वित्त, योजना (एएमवाई) के तहत पुनर्भुगतान अवधि में वृद्धि।

(ii) फरवरी माह के अंत तक, संवितरण के लिए पूर्ववर्ती माह के अंत तक पहले से संवितरित निधियों का कम से कम 80% संचयी उपयोग स्तर होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, मार्च माह में निधियों के संवितरण के लिए पूर्ववर्ती दिन के अंत में संचयी निधियों का उपयोग स्तर 80% होना चाहिए।

(iii) संभावित अनुसूचित जाति लाभार्थियों के लिए वार्षिक पारिवारिक आय मानदंड को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रु.98,000/– वार्षिक और शहरी क्षेत्रों के लिए रु.1,20,000/– वार्षिक से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए रु.3,00,000/– वार्षिक संशोधित किया गया।

2.1.22 **स्वच्छ भारत अभियान**

ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के निर्देशों के अनुपालन में, एनएसएफडीसी ने "स्वच्छता ही सेवा" के लिए विभिन्न अभियान आयोजित किए। अभियान अवधि के दौरान, आपके निगम ने "स्वच्छता" संबंधी विभिन्न गतिविधियां निष्पादित की और विभिन्न, जगहों और स्थानों पर पर्यावरण की स्वच्छता संबंधी परियोजनाओं को मंजूरी दी। एनएसएफडीसी ने चित्रा विहार के सामने स्थित जे जे क्लस्टर (राजीव कैंप), सी–ब्लॉक, प्रीत विहार, दिल्ली की झुग्गी व बस्ती और सेक्टर–10, गुरूग्राम, हरियाणा में गैर–अधिसूचित घूमंतु जनजातीय क्षेत्र (डीएनटी) में पर्यावरण स्वच्छता अभियान आयोजित किया। आपके निगम ने बोलपुर, बीरभूम जिला, पश्चिम बंगाल में जैव–मैथनेशन प्लांट–सह–कार्बनिक अपशिष्ट प्रोसेसर स्थापित किया। ब्रह्मपुरी, दिल्लीं के गैर–आवासीय विद्यालय और मेत्तुप्पालयम, पेराबुर, तमिलनाडु के अनुसूचित जाति लैदर क्लस्टर में अभियान आयोजित किया गया। इसके साथ ही आपके निगम ने कार्यालय परिसर का रखरखाव और सफाई सुनिश्चित की।

एनएसएफडीसी द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के दौरान प्रीत विहार स्लम क्षेत्र में ड्रेनेज पाइप की स्थापना

इसके अलावा, आपके निगम ने स्वच्छ भारत कोष, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय को रु.28.50 लाख का योगदान दिया, जिसका उपयोग देश में स्वच्छता के उद्देश्य को पूरा करने हेतु विद्यालयों, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शौचालयों के निर्माण के लिए किया जाएगा। स्वच्छ भारत कोष को कॉर्पोरेट क्षेत्र से कारपोरेट सामाजिक दायित्व, (सीएसआर) निधियों को इकट्ठा करने और स्वच्छ भारत अभियान के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों और समाजसेवियों से योगदान प्राप्त करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है।

2.1.23 **अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन**

आयुष मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में, एनएसएफडीसी ने 21 जून, 2017 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। इस अवसर पर निगम के सभी कर्मचारियों के लिए "योग सत्र" आयोजित किया गया था। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, आयुष मंत्रालय ने आपके निगम के कर्मचारियों को योग प्रशिक्षण देने के लिए योग प्रशिक्षक को नियुक्त किया। एनएसएफडीसी के सभी अधिकारियों ने कार्यक्रम को सफल बनाने में सक्रिय भूमिका निभाई।

एनएसएफडीसी द्वारा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन

2.1.24 **वरिष्ठ नागरिक सप्ताह**

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में आपके निगम ने 1 से 7 अक्तूबर, 2017 "वरिष्ठ नागरिक सप्ताह" के दौरान ग्रेटर नोएडा एवं गाजियाबाद (यूपी) और फरीदाबाद (हरियाणा) जैसे विभिन्न स्थानों पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य और योग शिविर का आयोजन किया।

2.1.25 **एमएसई के लिए सार्वजनिक प्रापण (Procurement) नीति**

सूक्ष्म और लघु उद्योग (एमएसई) आदेश, 2012 की सार्वजनिक खरीद नीति के अधिदेश के अनुसार केंद्रीय मंत्रालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अपने वार्षिक वस्तुओं और सेवाओं की कुल खरीद का 20% सूक्ष्म और लघु उद्योगों (एमएसई) से करना होगा। सरकार ने इसके अलावा, इस 20% में से 4% वस्तुओं और सेवाओं की खरीद अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाली एमएसई से करने के लिए चिह्नित किया है। सूक्ष्म और लघु उद्योग (एमएसई) आदेश, 2012 की सार्वजनिक नीति के अनुपालन में, निगम ने वर्ष 2017–18 के दौरान अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त कर लिया है।

3. प्रचालनात्मक कार्य–निष्पादन के संदर्भ में वित्तीय निष्पादन

3.1 आय और व्यय लेखा

(i) वर्ष के दौरान, आपके निगम की प्रचालन से आय (राजस्व) रु.39.44 करोड़ है तथा प्रचालन (निवल) से प्रचालन लाभ या अधिशेष राजस्व 51.62% है।

(ii) आपके निगम की आय रु.28.88 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2017–18 में रु.39.44 करोड़ हो गई है।

(iii) कर्मचारी लागत सहित कुल व्यय रु.15.08 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2017–18 में रु.19.08 करोड़ हो गया।

(iv) व्यय से आय की अधिकता, वर्ष 2016–17 के रु.49.00 करोड़ की तुलना में वर्ष 2017–18 में रु.47.51 करोड़ है।

3.2 लाभ का विनियोजन

निगम व्यय से आय की अधिकता का 10% विशेष आरक्षित निधि में तथा शेष राशि सामान्य आरक्षित में अंतरित करता है। तद्नुसार, विशेष आरक्षित निधि में रु.4.80 करोड़ विनियोजित किया है और सामान्य आरक्षित में भावी संवितरण करने के लिए रु.42.82 करोड़ अंतरित किया है।

3.3 प्रति शेयर अर्जन

प्रति इक्विटी शेयर अर्जन वर्ष 2016–17 के रु.43.15 और रु.43.13 (मूलभूत और तरलीकृत) की तुलना में वर्ष 2017–18 के दौरान रु.36.74 और रु.36.74 (मूलभूत और तरलीकृत) है।

3.4 एनपीए/ऋण परिसंपत्तियां (निवल)

वर्ष के दौरान, आपके निगम का एनपीए/कुल ऋण (निवल) परिसंपत्तियों का प्रतिशत 0.92% है।

3.5 ऋण संवितरण/कुल उपलब्ध निधि

वर्ष के दौरान, आपके निगम के ऋण संवितरण/कुल उपलब्ध निधि का प्रतिशत 69.66% है।

3.6 ऋण अतिदेय/कुल ऋण (निवल)

वर्ष के दौरान, आपके निगम का कुल ऋण अतिदेय/कुल ऋण (निवल) का प्रतिशत 21.65% है।

3.7 निवेश पर वापसी पीएटी या अधिशेष/निवल मूल्य

वर्ष 2016–17 में निगम का निवल मूल्य रु.1645.37 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2017–18 में रु.1822.09 करोड़ हो गया है। वर्ष के दौरान आपके निगम का पीएटी या अधिशेष/निवल मूल्य 2.61% है।

4. निगम की कार्य पद्धति में सुधार

4.1 समझौता–ज्ञापन 'उत्कृष्टता' श्रेणीकरण (2016–17)

आपके निगम ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार को लेखापरीक्षित आंकड़ों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए समझौता–ज्ञापन प्रस्तुत किया। लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार ने समझौता–ज्ञापन के लिए 97.65% का कंपोजिट स्कोर और 'उत्कृष्ट' श्रेणी प्रदान की है।

4.2 आईएस/आईएसओ 9001:2008 के अनुसार गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन लाइसेंस का नवीनीकरण

आपके निगम के गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन लाइसेंस को 2017–18 में गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली की सभी आवश्यकताओं के सफल समापन के बाद आईएस/आईएसओ 9001:2008 के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा नवीनीकृत किया गया था।

बीआईएस ने अगस्त, 2017 माह में नवीकरण लेखा परीक्षा आयोजित की और अक्टूबर, 2017 में लाइसेंस के नवीकरण के लिए अनुशंसा की। बीआईएस द्वारा आवंटित नवीनीकृत लाइसेंस नंबर सीआरओ/क्यूएम/एल–8002836.3 है। लाइसेंस 18 नवंबर, 2017 से 14 सितंबर, 2018 तक मान्य है। हालांकि, लाइसेंस की वैधता अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिए होगी बशर्ते कि संशोधित संस्करण आईएस/आईएसओ 9001:2015 में परिवर्तन की सभी कार्रवाइयां और सत्यापन 31 अगस्त, 2018 से पहले पूरा हो गया हो। यदि यह शर्त पूरी हो जाती है, तो लाइसेंस को 29 नवंबर, 2019 तक अनुमति दी जाएगी और शेष अवधि के लिए बीआईएस द्वारा एक नया लाइसेंस जारी किया जाएगा।

4.3 सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणाली का सुदृढ़ीकरण

आपका निगम विभिन्न रिपोर्टों के सृजन के लिए आंतरिक रूप से तैयार किए गए मॉड्यूल में परियोजना संबंधी आंकड़ों के लिए डाटाबेस अनुरक्षित कर रहा है। विभिन्न वायरसों, स्पाईवेयर, एडवेयर और अन्य दोषपूर्ण प्रोग्रामों के प्रति आंकड़ों, हार्डवेयर और नेटवर्किंग के व्यापक संरक्षण के लिए आपके निगम ने एंटी वायरस सॉफ्टवेयर संस्थापित किया है, जिसे आवधिक रूप से अपडेट किया जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण के सुदृढ़ीकरण हेतु रिपोर्ट वर्ष के दौरान, पीसीए लैपटॉप, सहायक उपकरण और बाह्य उपकरणों का प्रापण किया गया।

- आपके निगम ने वर्ष के दौरान, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा डिजाइन और विकसित की गई दिव्यांग–अनुकूल, एक गतिशील द्विभाषी वेबसाइट बनाई है। इसके अतिरिक्त, नई गतिशील, दिव्यांग–अनुकूल और द्विभाषी वेबसाइट, जो वेब–आधारित कौशल प्रशिक्षण अनुप्रयोग के साथ–साथ भारत सरकार वेबसाइट के दिशानिर्देशों (जीआईजीडब्ल्यू) का अनुपालन है, मौजूदा वेबसाइट को प्रतिस्थापित करके एनआईसी क्लाउड सर्वर में लगाए जाने की प्रक्रिया में है।

- ई–कार्यालय का कार्यान्वयन, एनएसएफडीसी मुख्यालय में कार्यान्वित कर दिया गया है।

- नया वेब–आधारित एनएसएफडीसी का ऋण लेखांकन सॉफ्टवेयर वर्तमान में परीक्षण चरण के साथ–साथ समानांतर चल रहा है।

- एनएसएफडीसी के अधिकारियों द्वारा प्रयोग हेतु वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर/एसीआर) के लिए एक वेब आधारित सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। सॉफ्टवेयर की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

  - ❖ किसी विशेष वर्ष के लिए मानव संसाधन विभाग कर्मचारीवार एपीएआर को जनरेट और जारी किया जा सकता है।
  - ❖ कर्मचारी अपने व्यक्तिगत उपयोगकर्ता (यूजर) कोड और पासवर्ड के साथ सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं।
  - ❖ लॉगिन के बाद, कर्मचारी द्वारा एक पीडीएफ फाइल के माध्यम से स्व–मूल्यांकन को भरने का प्रावधान है।
  - ❖ कर्मचारी द्वारा स्व–मूल्यांकन जमा करने के बाद, एपीएआर स्वतः ही कर्मचारी के रिपोर्टिंग अधिकारी/समीक्षा अधिकारी को चिह्नित हो जाता है।

5. मानव संसाधन विकास

5.1 मानव पूंजी और एनएसएफडीसी स्टाफ का प्रशिक्षण

आपके निगम में 31 मार्च, 2018 को प्रधान कार्यालय और निगम के तीन संपर्क केंद्रों को मिलाकर कुल 78 कर्मचारी नियोजित थे। निगम, संगठनात्मक स्थापना में अलग–अलग व्यक्तियों और समूहों के जॉब कार्य–निष्पादन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से प्रशिक्षण और विकास को, संगठनात्मक क्रियाकलापों से संबंधित कार्य के रूप में मानता है। मानव संसाधनों को, अधिनियमों, नियमों और व्यवसाय लक्ष्यों के अनुरूप बनाने की दृष्टि से कार्यालय में प्रशिक्षण कार्यक्रम के अलावा, आपके निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रबंधन से संबंधित कार्यात्मक क्षेत्रों में अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रमुख संस्थानों में भेजा गया। प्रशिक्षण और संस्थानों के ब्योरे निम्नलिखित हैं:

क्र. सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम/संस्थान का नाम	प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने वाले संस्थान का नाम
1.	"जीएफआर–2017" पर एक दिवसीय अभिमुखीकरण पाठ्यक्रम	आईएसटीएमए, नई दिल्ली
2.	योग प्रशिक्षण	मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, नई दिल्ली
3.	'डिजिटलीकरण: अवसर और चुनौतियां' पर राष्ट्रीय सम्मेलन	स्कोप, नई दिल्ली
4.	"ई–खरीद और जीईएम सहित जीएफआर 2017 के तहत सार्वजनिक खरीद" पर दो दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम	आईएसटीएम, नई दिल्ली
5.	सीएसआर में सर्टिफिकेट कोर्स	इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ कारपोरेट अफेयर्स, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार
6.	पीएसयू, बैंक, केंद्र सरकार के मंत्रालयों के सीवीओ के लिए 5 दिन सतर्कता पाठ्यक्रम	सीबीआई अकादमी, गाजियाबाद
7.	सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) में प्रशिक्षण कार्यक्रम	लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली, महालेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय
8.	नेतृत्व के माध्यम से संगठनात्मक उत्कृष्टता पर एमडीपी	आईआईएम, कलकत्ता
9.	गैर–वित्त अधिकारियों के लिए वित्त पर एमडीपी	आईआईएम, कलकत्ता
10.	प्रबंधकीय नेतृत्व और संघर्ष समाधान पर एमडीपी	आईआईएम, कलकत्ता
11.	व्यक्तिगत विकास और समूह निर्माण पर एमडीपी	आईआईएम, कलकत्ता
12.	एक्सेल का उपयोग कर वित्तीय निर्णय लेने पर वित्तीय विकास कार्यक्रम पर एमडीपी	एनआईएफएम, फरीदाबाद

5.2 **निगम के कर्मचारियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांगजन का प्रतिनिधित्व**

आपके निगम ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांगजन के लिए आरक्षण और छूट के लिए भारत सरकार की नीति का अनुपालन किया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से प्राप्त दि. 04.06.2009 के पत्र सं. 1–4/2009–सम के माध्यम से प्राप्त कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी), कार्मिक, जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के दिनांक 14.11.2008 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36035/17/2008–स्था (आरक्षण) के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांगजन के प्रतिनिधित्व, संबंधी अपेक्षित डाटा निर्धारित प्रारूप में क्रमशः **अनुलग्नक–V, VI और VII** पर है।

5.3 **भर्ती में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष ध्यान देने के लिए उपाय**

आपका निगम कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 08.07.2007 के कार्यालय ज्ञापन सं. 39016/7(एस)/2006–स्थ.(बी) में निहित दिशानिर्देशों और अन्य बातों के साथ–साथ अल्पसंख्यकों की भर्ती के लिए विशेष ध्यान देने के विचारार्थ अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के 15–सूत्री कार्यक्रमों का पालन भी कर रहा है।

5.4 **कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न**

कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 4 के अनुपालन में, आपके निगम ने संगठन के परिसर में यौन उत्पीड़न की घटना/शिकायतों, यदि कोई है, की जांच करने के लिए प्रधान कार्यालय और संपर्क केंद्र स्तर पर "आंतरिक शिकायत समिति" गठित की है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 22 के अनुपालन में यौन उत्पीड़न की घटनाओं पर वार्षिक रिपोर्ट निम्नलिखित है:

1.	वर्ष के दौरान प्राप्त यौन उत्पीड़न शिकायतों की संख्या	शून्य
2.	वर्ष के दौरान निपटान की गई शिकायतों की संख्या	लागू नहीं
3.	90 दिन से अधिक तक लंबित मामलों की संख्या	लागू नहीं
4.	वर्ष के दौरान यौन उत्पीड़न के विरुद्ध आयोजित की गई कार्यशालाओं/जागरूकता कार्यक्रमों की संख्या	–
5.	कार्रवाई का स्वरूप	अपेक्षित नहीं

6. **अन्य उपलब्धियां**

6.1 **राजभाषा का प्रगामी प्रयोग**

- वर्ष के दौरान, आपके निगम ने राजभाषा में टिप्पण और आलेखन में सुधार करने के लिए स्टाफ के सदस्यों के लिए चार कार्यशालाएं आयोजित कीं।

'हिंदी पखवाड़ा' के दौरान डॉ. लक्ष्मी शंकर बाजपेयी जी को आमंत्रित किया गया और प्रधान कार्यालय, दिल्ली में एनएसएफडीसी के कार्मिकों के लिए काव्य गोष्टी का सत्र आयोजित किया गया।

- 01–15 सितंबर, 2017 के दौरान आपके निगम के प्रधान कार्यालय और संपर्क केंद्रों में 'राजभाषा पखवाड़ा' मनाया गया। पखवाड़े के दौरान, प्रधान कार्यालय दिल्ली में 'शब्द हमारा वाक्य आपका' हिंदी टिप्पण/आलेखन, हिंदी निबंध, काव्य पाठ और प्रश्न मंच प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं और संपर्क केंद्रों के लिए हिंदी निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई। विभिन्न प्रतियोगिताओं के सभी विजेताओं को नकद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया।

6.2 सतर्कता जागरुकता सप्ताह–2017 मनाना

केंद्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशों के अनुसार आपके निगम में 'मेरा लक्ष्यः भ्रष्टाचार मुक्त भारत' विषय पर 30.10.2017 से 08.11.2017 तक आपके कार्यालय द्वारा 'सतर्कता जागरुकता सप्ताह–2017' मनाया गया।

अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, एनएसएफडीसी कार्मिकों को सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान सत्यनिष्ठा की प्रतिज्ञा दिलाते हुए।

'सतर्कता जागरूकता सप्ताह का उद्घाटन 30.10.2017 को आपके निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों को ईमानदारी की शपथ दिलाने के साथ आरंभ हुआ। अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक और मुख्य सतर्कता अधिकारी ने कार्मिकों को सतर्कता के महत्व पर संबोधित किया। इसी प्रकार, आपके निगम के संपर्क केंद्रों के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा अपने–अपने संपर्क केंद्र में भी शपथ लेने के साथ 'सतर्कता जागरुकता सप्ताह' आरंभ हुआ।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह–2017 के अवसर भारत के महामहीम राष्ट्रपति, माननीय उपराष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृहमंत्री और मुख्य सतर्कता आयुक्त के संदेश भी आपके निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों के लाभ के लिए नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किए गए। सभी कर्मचारियों की जानकारी के लिए नोटिस बोर्ड पर एनएसएफडीसी व्हिस्ल ब्लोअर पॉलिसी भी प्रदर्शित की गई थी।

आंतरिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई थी और ये 'सतर्कता जागरूकता सप्ताह' के दौरान आपके निगम द्वारा आयोजित किए गए। अधिकारियों और कर्मचारियों का ध्यान आकर्षित करने और उनके द्वारा भ्रष्टाचार से लड़ने की अनुभूतिपूर्ण आवश्यकता पर विचार करने और ईमानदारी, सत्यनिष्ठा तथा पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख स्थानों पर बैनर/नारे प्रदर्शित किए गए।

सप्ताह के दौरान, 'मेरा लक्ष्य : भ्रष्टाचार मुक्त भारत' विषय पर एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसके अलावा, निम्नलिखित विषयों पर तीन अलग कार्यशालाओं/संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किए गए:

- निवारक सतर्कता पर कार्यशाला जिसमें सीवीसी के सतर्कता मैनुअल के निवारक सतर्कता अध्याय की एक प्रति को प्रचारित किया गया था।
- एनएसएफडीसी के आचरण, अनुशासन और अपील नियम, 1990 (24.02.2016 तक संशोधित) पर सभी कर्मचारियों के लिए प्रस्तुतिकरण।
- कर्मचारियों के लिए 'क्या करें' और 'क्या न करें' पर प्रस्तुति।

इसके अलावा, आपके निगम ने एनएसएफडीसी के प्रशिक्षण भागीदार–'फर्नीचर और फिटिंग क्षेत्र कौशल परिषद' को 'सत्यनिष्ठा का शपथ–पत्र' भेजा, और सतर्कता जागरूकता सप्ताह–2017 में अपनी भागीदारी के रूप में 30.10.2017 को सत्यनिष्ठा की शपथ भी ली।

6.3 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

आपका निगम अक्तूबर, 2005 से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन कर रहा है।

(i) अपने कार्यकर्ताओं सहित निगम के कार्य का ब्योरा निगम की वेबसाइट (www.nsfdc.nic.in) पर दिया गया है।

(ii) अधिनियम के अंतर्गत, यथा अपेक्षित मैनुअलों को तैयार किया गया और वेबसाइट पर दिया गया।

(iii) निगम ने अधिनियम के अंतर्गत यथा अपेक्षित अपीलीय प्राधिकारी, पारदर्शिता अधिकारी, जन सूचना अधिकारी और सहायक जन सूचना अधिकारी को पदनामित किया।

(iv) निगम आरटीआई के शुरूआती वर्ष 2016–17 से ही कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा प्रबंधित आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल पर अनुकूलन के जरिए आरटीआई को ऑनलाइन कार्यान्वित कर रहा है।

(v) वर्ष के दौरान, 76 आवेदन प्राप्त हुए और कोई अपील प्राप्त नहीं हुई। वर्ष के दौरान प्राप्त सभी आवेदनों को निर्धारित समय के अंदर निपटाया गया।

(vi) केंद्रीय सूचना आयोग को ऑन–लाइन रिपोर्ट किए गए अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम आवेदनों की वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान प्रत्येक तिमाही की स्थिति नीचे दी जा रही है:

	तिमाही के आरंभ में प्रारंभिक शेष	धारा 6(3) के अंतर्गत अन्य जन प्राधिकारी से हस्तांतरित होकर प्राप्त आवेदनों की संख्या	तिमाही के दौरान प्राप्त (अन्य जन प्राधिकारी को हस्तांतरित मामलों सहित)	धारा 6(3) के अंतर्गत अन्य जन प्राधिकारी से हस्तांतरित मामलों की संख्या	निर्णय जहां अनुरोध/ अपील को रद्द किया	निर्णय जहां अनुरोध/ अपील को स्वीकार किया
पहली तिमाही के दौरान प्रगति (अप्रैल से जून, 2017)						
अनुरोध	04	05	27	08	0	17
पहली अपील	0	लागू नहीं	0	लागू नहीं	0	0
दूसरी तिमाही के दौरान प्रगति (जुलाई से सितंबर, 2017)						
अनुरोध	11	03	12	04	0	18
पहली अपील	0	लागू नहीं	0	लागू नहीं	0	0
तीसरी तिमाही के दौरान प्रगति (अक्तूबर से दिसंबर, 2017)						
अनुरोध	04	02	10	03	0	09
पहली अपील	0	लागू नहीं	0	लागू नहीं	0	0
चौथी तिमाही के दौरान प्रगति (जनवरी से मार्च, 2018)						
अनुरोध	04	04	13	08	0	11
पहली अपील	0	लागू नहीं	0	लागू नहीं	0	0
	नामोद्दिष्ट सीएपीआईओ की कुल संख्या		नामोद्दिष्ट सीपीआईओ की कुल संख्या		नामोद्दिष्ट पारदर्शिता अधिकारी की कुल संख्या	नामोद्दिष्ट अपीलीय अधिकारी की कुल संख्या
	0		1		1	1

ब्लॉक II (संगृहीत शुल्क, प्रभारित दंड और की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई के बारे में विवरण)

	पहली तिमाही	दूसरी तिमाही	तीसरी तिमाही	चौथी तिमाही
धारा 7(1) के अंतर्गत संगृहीत पंजीकरण शुल्क,	70	20	10	50
धारा 7(3) के अंतर्गत संगृहीत अतिरिक्त शुल्क	0	0	0	40

(vii) केंद्रीय सूचना आयोग की वेबसाइट पर अपलोड सूचना का अधिकार पर चौथी तिमाही रिपोर्ट के अनुसार, 31.03.2018 को सूचना का अधिकार के 02 आवेदन लंबित थे। इन आवेदनों का बाद में निर्धारित समय सीमा में जवाब दिया गया।

6.4 **ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन, विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय**

आपके निगम द्वारा किए गए क्रियाकलाप कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (एम) के अंतर्गत विवरणों के प्रकटीकरण के दायरे में नहीं आते, जहां तक यह ऊर्जा के संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन, विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय से संबंधित है।

7. **कर्मचारी और संबंधित प्रकटन का विवरण**

अधिनियम की धारा 197(12) के प्रावधान और कंपनी नियम, 2014 के नियम 5(2) 5(3) (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) के संबंध में पूर्ण वर्ष तक नियोजित रहे कर्मचारियों, जिन्हें उक्त नियमों में दी सीमा से अतिरिक्त पारिश्रमिक प्राप्त हुआ है, के नाम और विवरण इसके साथ **अनुलग्नक–VIII** पर अनुबद्ध हैं।

पारिश्रमिक संबंधी प्रकटन और अधिनियम की धारा 197(2) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5(1) के तहत आवश्यक अन्य विवरणों को वार्षिक लेखे में दिया गया है।

8. **कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)**

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व और सतत विकास (सीएसआर और एसडी) नीति बनाई और बोर्ड को संस्तुति के लिए प्रस्तुत की गई है। कंपनी के कार्यकलापों को दर्शाने वाली कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व और सतत विकास नीति को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया। कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व और सतत विकास नीति को कंपनी की वेबसाइट पर http://www.nsfdc.nic.in/en/csr पर देखा जा सकता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, रु.86.77 लाख (जो कि पिछले तीन वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए निवल लाभ का 2% है), के बजटीय आवंटन से कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान सीएसआर गतिविधियों पर रु.32.76 लाख खर्च किए।

सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट **अनुलग्नक-IX** में संलग्न है।

9. **संसाधन संपर्क कार्यक्रम**

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड रिपोर्ट में कुछ प्रकटीकरण अपेक्षित हैं। आपका निगम अधिनियम की अनुसूची– VII में निर्दिष्ट गतिविधियों को पूरा करता है। अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत आने वाली निगमित कंपनियां, जो दिनांक 27.02.2014 की अधिसूचना के अनुसार जारी नई कंपनी नियमावली (कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नीति), 2014 में भी उल्लेखित हैं कि वे कार्यान्वयन एजेंसियां होंगी।

वर्ष के दौरान, आपके निगम को कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के तहत लाभ कमाने वाले पांच सीपीएसई नामतः केंद्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी), नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एनएफएल), आरईसी, भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल) और एमएमटीसी लिमिटेड से स्वीकृति मिली है। इसके अलावा, वर्ष के दौरान संबंधित प्रशिक्षण संस्थानों को रु.71.00 लाख की सीएसआर निधि निर्मुक्त की गई।

वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए उपरोक्त सीएसआर निधित परियोजनाओं के तहत कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में मंजूर किए गए हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रमों का कार्यान्वयन चल रहा है।

10. कॉरपोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट

कंपनी, कॉरपोरेट गवर्नेंस के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और कंपनी अधिनियम, 2013 तथा लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा निर्धारित कॉरपोरेट गवर्नेंस का पालन करती है। कॉरपोरेट गवर्नेंस की रिपोर्ट इस रिपोर्ट का अविभाज्य अंग है और **अनुलग्नक-X** पर है। कंपनी के लेखापरीक्षकों से प्राप्त अपेक्षित प्रमाण–पत्र कॉरपोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन की पुष्टि करते हैं एवं कॉरपोरेट गवर्नेंस की रिपोर्ट **अनुलग्नक-XI** पर अनुबद्ध हैं।

11. निदेशक मंडल

निदेशक मंडल की अध्यक्षता, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक ने की। दिनांक 31.03.2018 को बोर्ड में 11 सदस्य थे। कृपया अतिरिक्त ब्योरों के लिए इस वार्षिक रिपोर्ट के साथ संबद्ध कॉरपोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट का संदर्भ लें।

12. निदेशक मंडल की बैठकें

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, निदेशक मंडल की चार बैठकें आयोजित हुई। कृपया अतिरिक्त ब्योरो के लिए इस वार्षिक रिपोर्ट के साथ अनुबद्ध कॉरपोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट का संदर्भ लें।

12.1 पारिश्रमिक समिति

निदेशक मंडल ने 5 दिसंबर, 2016 को आयोजित 144वीं बोर्ड मीटिंग में पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन किया। तथापि वर्ष 2017–18 के दौरान, पारिश्रमिक समिति की बैठक नहीं हुई।

12.2 लेखापरीक्षा समिति

लेखापरीक्षा समिति का गठन, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 की शर्तें पूरी करता है। कंपनी की लेखापरीक्षा समिति में श्रीमती टी.सी.ए. कल्याणी (अध्यक्ष), श्री एस. एम. आवले (सदस्य) और श्री श्याम कपूर (सदस्य) थे। श्रीमती अन्नु भोगल (कंपनी सचिव), लेखापरीक्षा समिति की सचिव हैं। वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गई सभी सिफारिशों को बोर्ड द्वारा स्वीकार किया गया।

12.3 जागरूक तंत्र

प्रशासनिक मंत्रालय के आदेशों के अनुसार मुख्य सतर्कता अधिकारी की नियुक्ति की गई है, जो कंपनी के पृथक और स्वतंत्र विभाग अर्थात सतर्कता विभाग के प्रभारी हैं। इसके अलावा, व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी के अंतर्गत निगम के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक को व्हिसल ब्लोअर द्वारा भी सुरक्षित प्रकटन किया जा सकता है।

13. जोखिम प्रबंधन

लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी कॉरपोरेट गवर्नेंस पर गाइडलाइनों के कार्यान्वयन के भाग के रूप में एनएसएफडीसी के निदेशक मंडल द्वारा जोखिम का उचित मूल्यांकन करने, प्रबंधन, निर्धारित कार्य (फ्रेमवर्क) और आंतरिक जोखिम मूल्यांकन को भी कम करने, कॉरपोरेट के साथ एकीकृत करने के लिए खाका तैयार करने हेतु जोखिम प्रबंधन नीति अनुमोदित की गई है।

कंपनी, मुख्य जोखिम एवं अनिश्चितताएं, जो कंपनी की कार्यनीति के उद्देश्य की प्राप्ति के सामर्थ्य को प्रभावित कर सकती हैं, को सुलझाने का प्रबंध, अनुश्रवण करती है तथा मंत्रालय को रिपोर्ट करती है। कंपनी की प्रबंधन समिति, संगठनात्मक ढांचा, प्रक्रिया और स्तर तथा आचार संहिता बताती है कि कंपनी व्यापार को तथा उससे जुड़े जोखिमों को कैसे प्रबंधित करती है।

14. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

कंपनी ने वित्तीय विवरणिकाओं के संबंध में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखा है। वर्ष के दौरान, ऐसे नियंत्रणों की जांच की गई और डिजाइन अथवा प्रचालन में कोई महत्वपूर्ण कमी नहीं पाई गई।

15. वार्षिक आम बैठक

वर्ष के दौरान, वर्ष 2016–17 के लेखों को अपनाने के लिए 29.09.2017 को 28वीं वार्षिक आम बैठक आयोजित हुई थी। संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के नाम

में एक शेयर के सिवाय संपूर्ण शेयर पूंजी भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा धारित है, जिनका प्रतिनिधित्व सचिव, भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय करते हैं। वर्ष 2016–17 के वार्षिक लेखे निदेशक मंडल की रिपोर्ट के साथ अपनाए गए।

16. **निदेशकगण का उत्तरदायित्व कथन**

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के प्रावधानों के अनुसार आपके निदेशकों का कहना है कि:

(i) उल्लेखित सामग्री संबंधी उचित स्पष्टीकरण सहित वार्षिक लेखे को तैयार करने में उपयुक्त लेखा मानदंडों का पालन किया गया है।

(ii) वित्तीय वर्ष के अंत में, निगम के कार्यों का एवं उसी अवधि के लिए आय व व्यय का सही और उचित दृश्य देने के लिए निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीति को अपनाया और लगातार लागू किया तथा निर्णय व प्राक्कलन किए, जो उपयुक्त और विवेकी हैं।

(iii) निदेशकों ने निगम की परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और अन्य अनियमिताओं का पता लगाने व रोकने के लिए कंपनी अधिनियम के प्रावधान के अनुसार उपयुक्त लेखा रिकार्डों के अनुरक्षण के लिए उचित और पर्याप्त ध्यान रखा है।

(iv) निदेशकों ने, वार्षिक लेखे को चलायमान आधार पर तैयार किया है।

(v) निदेशकों ने, कंपनी द्वारा अपनाए जाने योग्य आंतरिक नियंत्रणों को बनाया है और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण उपयुक्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

(vi) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन और ऐसी उपयुक्त एवं प्रभावी प्रणाली को सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की थी।

17. **लेखापरीक्षक और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट**

17.1 **सांविधिक लेखापरीक्षक**

मैसर्स नरेश के. गुप्ता एंड कंपनी, सनदी लेखाकार, नई दिल्ली को वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(4) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया था। इस रिपोर्ट में कंपनी की रिपोर्ट के साथ 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए एनएसएफडीसी के लेखे पर सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट और कंपनी के उत्तर क्रमशः **परिशिष्ट – क और ख** पर दिए गए हैं।

17.2 **नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा**

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा एमएबी–IV के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) और (7) के अंतर्गत अनुपूरक लेखापरीक्षा आयोजित की है। 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए एनएसएफडीसी के लेखे पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की अभ्युक्तियां और कंपनी का उत्तर इस रिपोर्ट के **परिशिष्ट–ग** पर है।

17.3 **आचार संहिता**

निदेशक मंडल ने कंपनी के बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंध समिति के लिए कार्य प्रबंधन कोड और नीति बनाई है। कंपनी के सभी निदेशक मंडल और कोड के अनुपालन को मुख्य अधिकारियों ने स्वीकार किया है।

18. **सामान्य**

आपके निदेशक बताते हैं कि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निम्नलिखित विषयों के संबंध में कोई खुलासा अथवा रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं है:

(i) धारा 149 की उप धारा (6) के अंतर्गत स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा पर बयान;

(ii) केवल कंपनी धारा 178 की उप धारा (1) के अंतर्गत की कंपनी के मामले में, निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक अर्हताएं निश्चित करने के मानदंड सहित, पर कंपनी की नीति, सकारात्मक विशेषताएँ, निदेशकों की स्वतंत्रता तथा धारा 178 की उप धारा (3) के अंतर्गत दिए अन्य मामले;

(iii) धारा 186 के अंतर्गत ऋण, गारंटी अथवा निवेश का विवरण;

(iv) धारा 188 की उप धारा (1) में संदर्भित संबंधित पार्टियों के साथ संविदा अथवा व्यवस्था संबंधी निर्धारित प्रारूप में विवरण;

(v) राशि, यदि कोई है, उसे लाभांश के रूप में अदा करने के लिए संस्तुत किया जाना चाहिए; और

(vi) प्राधिकारियों अथवा न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण द्वारा कोई विशेष या महत्वपूर्ण आदेश पारित नहीं किए गए जो कंपनी की वर्तमान स्थिति और भावी प्रचालन को प्रभावित करें।

19. आभारोक्ति

आपके निदेशकगण, निगम के कर्मचारियों द्वारा वर्ष के दौरान दी गई सेवाओं के प्रति आभार व्यक्त करते हैं जिसके परिणामस्वरूप लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार की अंतर मंत्रालयी समिति द्वारा निर्धारित समझौता–ज्ञापन लक्ष्य के तहत 'उत्कृष्ट' निष्पादन श्रेणी प्राप्त हुई।

आपके निदेशकगण, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को आपके निगम को बेहतर परिणाम प्राप्ति के लिए समय–समय पर मार्गदर्शन देने में सतत सहायता करने के लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं। आपके निदेशकगण, कंपनी कार्य विभाग, लोक उद्यम विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक एवं राज्य स्तर के अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगमों तथा अन्य चैनलाइजिंग एजेंसियों द्वारा दी गई सतत सहायता के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं।

आपके निदेशकगण, अन्य सरकारी विभागों एवं एजेंसियों, कंपनी के लेखापरीक्षकों की सतत् सलाह एवं मार्गदर्शन के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं।

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से

(श्याम कपूर)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
डीआईएन–02643416

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 19 सितंबर, 2018

संगठनात्मक चार्ट (31.03.2018 को)

अनुलग्नक–I
(पैरा 1.5 देखें)

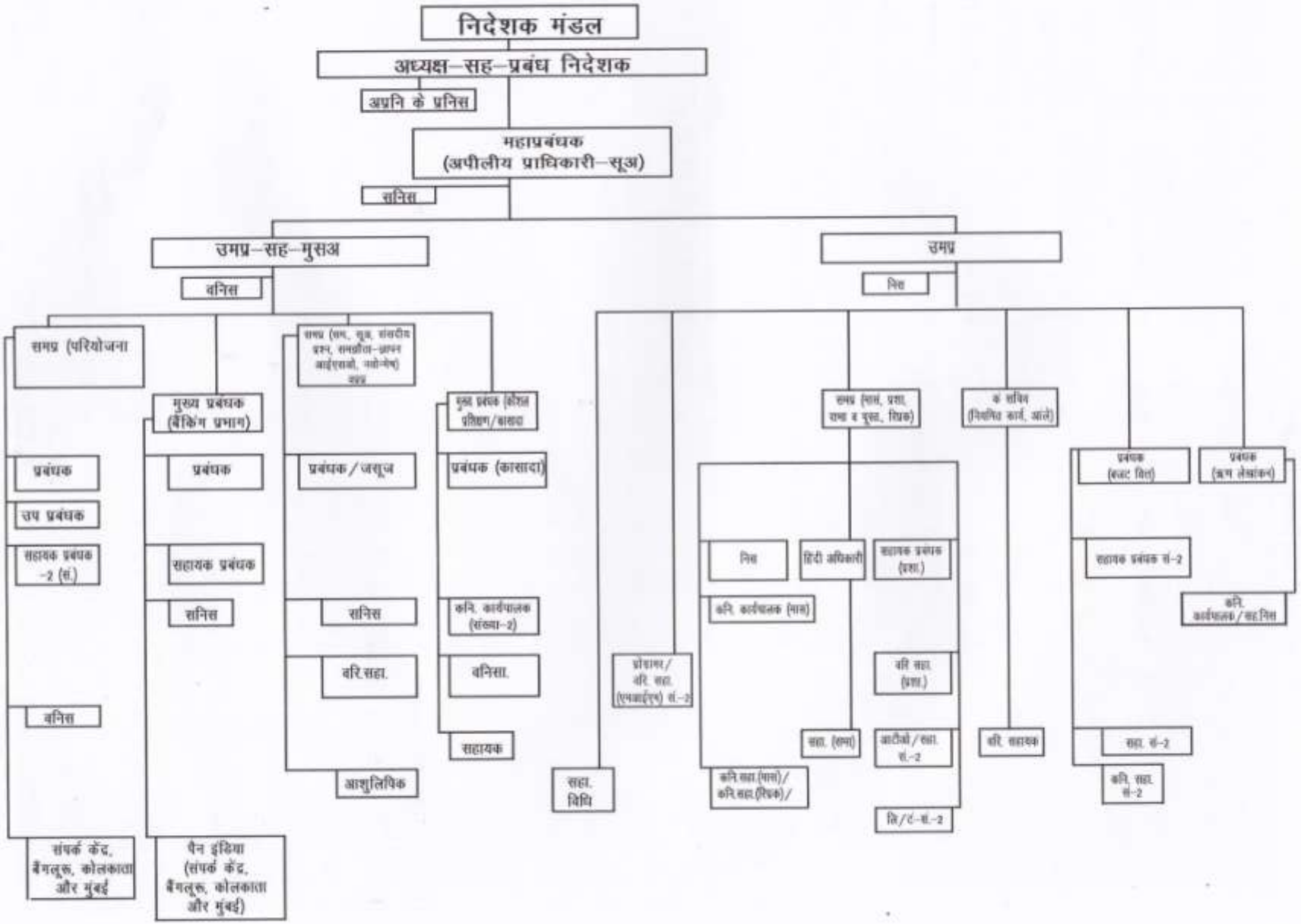

अनुलग्नक-II (क)
(पैरा 1.7 देखें)

राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों की राज्य/संघ शासित क्षेत्र–वार सूची

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	चैनलाइजिंग एजेंसी का नाम
1	आंध्र प्रदेश	1. आंध्र प्रदेश अनुसूचित जाति सहकारी वित्त निगम लिमिटेड
2	असम	2. असम राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम लिमिटेड
3	बिहार	3. बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम लिमिटेड
4	छत्तीसगढ़	4. छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड
5	गोवा	5. गोवा राज्य अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग विकास निगम लिमिटेड
6	गुजरात	6. गुजरात अनुसूचित जाति विकास निगम 7. गुजरात अनुसूचित जाति अति पिछड़ा वर्ग विकास निगम
7	हरियाणा	8. हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड
8	हिमाचल प्रदेश	9. हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निगम
9	झारखंड	10. झारखंड राज्य अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम
10	जम्मू व कश्मीर	11. जम्मू व कश्मीर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास निगम लिमिटेड
11	कर्नाटक	12. डॉ. बी.आर. अम्बेडकर विकास निगम लिमिटेड
12	केरल	13. केरल राज्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड 14. केरल राज्य महिला विकास निगम
13	मध्य प्रदेश	15. मध्य प्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम
14	महाराष्ट्र	16. महात्मा फुले पिछड़ा वर्ग विकास निगम लिमिटेड 17. साहित्यरत्न लोकशाहिर अन्ना भाऊ साठे विकास निगम 18. संत रोहिदास चर्मोद्योग एवं चर्मकार विकास निगम
15	मणिपुर	19. मणिपुर जनजाति विकास निगम लिमिटेड 20. मणिपुर राज्य अजजा और अजा विकास सहकारी बैंक लिमिटेड
16	मेघालय	21. मेघालय सहकारी एपेक्स बैंक लिमिटेड
17	मिजोरम	22. मिजोरम शहरी सहकारी विकास बैंक लिमिटेड 23. मिजोरम खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड
18	ओडिशा	24. ओडिशा अजा और अजजा विकास वित्त सहकारी निगम लिमिटेड
19	पंजाब	25. पंजाब अनुसूचित जाति भूमि विकास एवं वित्त निगम
20	राजस्थान	26. राजस्थान अजा और अजजा वित्त एवं विकास सहकारी निगम
21	सिक्किम	27. सिक्किम अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग विकास निगम
22	तमिलनाडु	28. तमिलनाडु आदि द्रविड़ गृह एवं विकास निगम
23	तेलंगाना	29. तेलंगाना अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम लिमिटेड
24	त्रिपुरा	30. त्रिपुरा अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम लिमिटेड
25	उत्तर प्रदेश	31. उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड
26	उत्तराखंड	32. उत्तराखंड बहु–उद्देश्यीय वित्त एवं विकास निगम
27	पश्चिम बंगाल	33. पश्चिम बंगाल अजा एवं अजजा विकास एवं वित्त निगम
28	चंडीगढ़	34. चंडीगढ़ अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड
29	दादरा एवं नगर हवेली एवं दमन व दीव	35. दादरा एवं नगर हवेली, दमन व दीव अजा/अजजा/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम
30	दिल्ली	36. दिल्ली अजा/अजजा/अपि वर्ग/अल्पसंख्यक और विकलांग जन वित्तीय एवं विकास निगम
31	पुद्दुचेरी	37. पुदुचेरी आदि द्रविड़ विकास निगम लिमिटेड

टिप्पणी: विवरणिका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड राज्य और लक्षद्वीप संघ शासित क्षेत्र को छोड़कर है, जिनमें जनगणना, 2011 के आंकड़ों के अनुसार वहां अनुसूचित जाति की जनसंख्या नहीं है।

अनुलग्नक–II (ख)
(पैरा 1.7 देखें)
(2 का 1)

चैनलाइजिंग एजेंसियों / वैकल्पिक चैनल की सूची

क्रम सं.	राज्य / संघ शासित क्षेत्र	चैनलाइजिंग एजेंसी का नाम
1	आंध्र प्रदेश	1. चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक, गुंटूर 2. आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक, वारंगल 3. सप्तगिरी ग्रामीण बैंक, त्रित्तूर
2	असम	4. पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम, गुवाहाटी 5. ग्रामीण विकास एवं वित्त प्राइवेट लिमिटेड, छयगांव 6. असम ग्रामीण विकास बैंक, गुवाहाटी 7. लंगपी देहांगी रूरल बैंक, सतगांव
3	बिहार	8. मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, पटना 9. उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर 10. बिहार ग्रामीण बैंक, बेगूसराय
4	गुजरात	11. देना गुजरात ग्रामीण बैंक, गांधी नगर 12. बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक, भरूच
5	हरियाणा	13. सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, रोहतक 14. ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, गुड़गांव
6	हिमाचल प्रदेश	15. हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, मंडी
7	झारखंड	16. झारखंड सिल्क टेक्सटाइल्स एवं हैंडिक्राफ्टस विकास निगम, रांची 17. वनांचल ग्रामीण बैंक, दुमका
8	कर्नाटक	18. सिंडिकेट बैंक, बैंगलूरू 19. प्रगति कृष्णा ग्रामीण बैंक, बेल्लारी 20. कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, धारवाड़ 21. कावेरी ग्रामीण बैंक, मैसूर 22. विजया बैंक, बैंगलूरू 23. केनरा बैंक, बैंगलूरू
9	केरल	24. केरल ग्रामीण बैंक, मल्लापुरम
10	महाराष्ट्र	25. महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक, औरंगाबाद 26. विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक, नागपुर 27. अनिक वित्तीय सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, औरंगाबाद 28. देना बैंक, बांद्रा 29. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई 30. बैंक ऑफ बड़ौदा, मुंबई

जारी....

अनुलग्नक–II (ख)
(पैरा 1.7 देखें)
(2 का 2)

क्रम सं.	राज्य / संघ शासित क्षेत्र	चैनलाइजिंग एजेंसी का नाम
11	मध्य प्रदेश	31. मध्यांचल ग्रामीण बैंक, सागर 32. नर्मदा झबुआ ग्रामीण बैंक, इंदौर
12	ओडिशा	33. संबंध फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड, राउलकेला
13	पंजाब	34. पंजाब ग्रामीण बैंक, कपूरथला 35. सतलुज ग्रामीण बैंक, भटिंडा
14	राजस्थान	36. राजस्थान मरूधर बैंक, जोधपुर
15	तमिलनाडु	37. इंडियन ओवरसीज बैंक, चैन्ने 38. पल्लवन ग्रामा बैंक, सेलम 39. पांडयन ग्रामा बैंक, विरुद्धनगर
16	तेलंगाना	40. आंध्रा बैंक, हैदराबाद 41. तेलंगाना ग्रामीण बैंक, हैदराबाद
17	त्रिपुरा	42. त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, अगरतला
18	उत्तर प्रदेश	43. पूर्वांचल ग्रामीण बैंक, गोरखपुर 44. इलाहाबाद, यू.पी. ग्रामीण बैंक, बांदा 45. सर्व यू.पी. ग्रामीण बैंक, मेरठ 46. बड़ौदा यू.पी. ग्रामीण बैंक, रायबरेली 47. यू.पी. सहकारी ग्राम विकास बैंक, लखनऊ 48. प्रथम बैंक, मुरादाबाद 49. काशी गोमती समयुत ग्रामीण बैंक, वाराणसी 50. ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त, गोमती नगर, लखनऊ
19	उत्तराखंड	51. उत्तरांचल ग्रामीण बैंक, देहरादून
20	पुडुचेरी	52. पुडुवई भरतियार ग्रामा बैंक, मुथियालपेट
21	पश्चिम बंगाल	53. इलाहाबाद बैंक, कोलकाता 54. ब्रिट्टी प्रोशिक्षण प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता
22	दिल्ली	55. डॉन बास्को टेक सोसायटी, नई दिल्ली 56. पंजाब नेशनल बैंक, नई दिल्ली

अनुलग्नक–III
(पैरा 2.1.2 (ग) (i) देखें)
(पृष्ठ 2 का 1)

समझौता–ज्ञापन लक्ष्य की उपलब्धियां (2017–18)

क्रम सं.	निष्पादन मापदंड	इकाई	अंक	'उत्कृष्ट' लक्ष्य (2017–18)	उपलब्धि (लेखापरीक्षित)
(क)	**अनिवार्य मानदंड**				
(i)	कारोबार प्रचालन से आय (निवल)	करोड़ रुपए	10	30.00 **(32.72–संशोधित)**	39.44
(ii)	प्रचालन लाभ या अधिशेष/प्रचालन से आय (निवल)	%	20	19.10% **(49.93%–संशोधित)**	51.62%
(iii)	निवेश पर वापसी : पीएटी या अधिशेष/निवल मूल्य	%	20	1.30% **(2.05% –संशोधित)**	2.61%
(ख)	**वैकल्पिक मानदंड (वित्त सीपीएसई)**				
(i)	संवितरित ऋण/कुल उपलब्ध निधि	%	10	63.00% **(67.11% –संशोधित)**	69.66%
(ii)	कुल संवितरण ऋण के प्रतिशत के रूप में लघु ऋण वित्तत लाभार्थियों को संवितरित ऋण	%	05	42.00%	42.36%
(iii)	अतिदेय ऋण/कुल ऋण (निवल)	%	10	24.00% **(23.93% –संशोधित)**	21.65%
(iv)	एनपीए/कुल ऋण (निवल)	%	10	1.09%	0.92%
(v)	**कोई अन्य विशिष्ट परिणामोन्मुखी मापनीय मानदंड**				
(क)	कौशल विकास मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य नॉर्म की शर्तों के अनुसार कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किए गए लक्ष्य समूह की संख्या।	संख्या	05	16,000	16,088
(ख)	कम से कम 6 महीने की अवधि तक के कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान कराए गए लक्ष्य समूह की संख्या।	संख्या	05	1,000	1,000
*	**उपरोक्त खंड (ख) के लक्ष्य भिन्न है तथा खंड (क) के लक्ष्य से अतिरिक्त है।**				

अनुलग्नक–III
(पैरा 2.1.2 (ग) (i) देखें)
(पृष्ठ 2 का 2)

क्रम सं.	निष्पादन मापदंड	इकाई	अंक	'उत्कृष्ट' लक्ष्य (2017–18)	उपलब्धि (लेखापरीक्षित)
(vi)	**मानव संसाधन प्रबंधन मानदंड**				
(क)	एसीआर/एपीएआर लिखने संबंधी निर्धारित समय सीमा के अनुपालन के साथ सभी कार्यपालकों ***(ई–0 और उच्च स्तर के)*** के संबंध में एसीआर/एपीएआर को ऑनलाइन जमा करना।	अधिकारियों की संख्या का प्रतिशत	01	100%	100%
(ख)	वरिष्ठ अधिकारियों **[समग्र (ई–5) और उच्च स्तर]** के लिए ऑनलाइन त्रैमासिक सतर्कता निवारण को अद्यतन करना।	वरिष्ठ अधिकारियों की संख्या का प्रतिशत	01	100%	100%
(ग)	पदानुक्रम योजना की तैयारी और निदेशक मंडल द्वारा इसका अनुमोदन।	तारीख	01	30.09.2017	21.8.2017 को आयोजित 146वीं बोर्ड मीटिंग में निगम की पदानुक्रम योजना निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित की गई है।
(घ)	कार्यपालकों ***(ई–0 और उच्च स्तर)*** के लिए अविलंब डीपीसी आयोजित करना।	%	01	100%	100%
(ङ)	भारत में उत्कृष्ट केंद्र जैसे आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी, आईसीएआई इत्यादि में कम से कम एक सप्ताह के प्रशिक्षण द्वारा प्रतिभा प्रबंधन और कैरियर प्रगति।	अधिकारियों का प्रतिशत	01	10%	13.89%
	कुल		**100**		

अनुलग्नक–IV
(पैरा 2.1.13 देखें)

कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम (2017–18) के अंतर्गत राज्य/संघ शासित क्षेत्र–वार सार

(संख्या में)

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	शुरू कार्यक्रम (प्रशिक्षणार्थी)	पूर्ण कार्यक्रम (प्रशिक्षणार्थी)
1	आंध्र प्रदेश	450	150
2	असम	1190	665
3	बिहार	698	399
4	छत्तीसगढ़	255	255
5	दिल्ली	252	204
6	गुजरात	150	67
7	हरियाणा	878	539
8	हिमाचल प्रदेश	375	175
9	जम्मू व कश्मीर	250	189
10	झारखंड	415	97
11	कर्नाटक	454	140
12	केरल	626	429
13	मध्य प्रदेश	1429	1251
14	महाराष्ट्र	440	270
15	मणिपुर	25	25
16	ओडिशा	767	263
17	पंजाब	512	330
18	राजस्थान	946	599
19	तमिलनाडु	2069	1276
20	तेलंगाना	310	270
21	त्रिपुरा	788	700
22	उत्तर प्रदेश	2459	1465
23	उत्तराखंड	250	250
24	पश्चिम बंगाल	1100	854
	सकल कुल	**17088**	**10862**

अनुलग्नक–V
(पैरा 5.2 देखें)
अजा/अजजा/अपिव रिपोर्ट –I

वर्ष की पहली जनवरी को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व तथा गत कैलेंडर वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या दर्शाने वाला वार्षिक विवरण

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम : **नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, दिल्ली**

समूह	अजा/अजजा/अपिव का प्रतिनिधित्व (01.01.2018 को)				कैलेंडर वर्ष 2017 के दौरान हुई नियुक्तियों की संख्या									
		सीधी भर्ती द्वारा							पदोन्नति द्वारा			प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा		
	कर्मचारियों की कुल संख्या	अजा	अजजा	अपिव	कुल	अजा	अजजा	अपिव	कुल	अजा	अजजा	कुल	अजा	अजजा
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
समूह 'क' प्रबंधकीय/ कार्यपालक स्तर*	36	09	01	05	-	-	-	-	06	-	01	-	-	-
समूह 'ख' पर्यवेक्षीय स्तर	09	03	02	02	-	-	-	-	04	01	01	-	-	-
समूह 'ग' गैर–कार्यपालक स्टाफ (सफाईकर्मियों के अलावा)	30	18	01	06	-	-	-	-	06	06	-	-	-	-
कुल	**75**	**30**	**4**	**13**	-	-	-	-	**16**	**7**	**2**	-	-	-

*अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक सहित।

अनुलग्नक–VI
(पैरा 5.2 देखें)
अजा/अजजा/अपिव रिपोर्ट–II

वर्ष की पहली जनवरी को समूह 'क' की विभिन्न सेवाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व तथा गत कैलेंडर वर्ष के दौरान विभिन्न ग्रेडों में की गई नियुक्तियों की संख्या दर्शाने वाला वार्षिक विवरण

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम : नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, दिल्ली

वेतनमान (रुपयों में)	अजा/अजजा/अपिव का प्रतिनिधित्व (01.01.2018 को)				कैलेंडर वर्ष 2017 के दौरान हुई नियुक्तियों की संख्या									
		सीधी भर्ती द्वारा				पदोन्नति द्वारा				प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा				
	कर्मचारियों की कुल संख्या	अजा	अजजा	अपिव	कुल	अजा	अजजा	अपिव	कुल	अजा	अजजा	कुल	अजा	अजजा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
प्रतिनियुक्ति पर अग्रनि (कॅमंभ पद्धति)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ई–7: रु.100000–260000	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ई–6: रु.90000–240000	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ई–5: रु.80000–220000	3	-	1	1	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-
ई–4: रु.70000–200000	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
ई–3: रु.60000–180000	6	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ई–2: रु.50000–160000	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ई–1: रु.40000–140000	9	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ई–0: रु.30000–120000	10	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	36	9	1	5	-	-	-	-	6	-	1	-	-	-

अनुलग्नक – VII
(पैरा 5.2 देखें)

दिव्यांगजन व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व (01 जनवरी, 2018 को यथास्थिति)

समूह	कर्मचारियों की संख्या				सीधी भर्ती द्वारा							पदोन्नति						
					आरक्षित रिक्तियों की संख्या				की गई नियुक्तियों की संख्या			आरक्षित रिक्तियों की संख्या				की गई नियुक्तियों की संख्या		
	कुल	दृबा	श्रबा	शावि	दृबा	श्रबा	शावि	कुल	दृबा	श्रबा	शावि	दृबा	श्रबा	शावि	कुल	दृबा	श्रबा	शावि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
समूह 'क'	36	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह 'ख'	09	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-
समूह 'ग'	30	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	**75**	**1**	-	**2**	-	-	-	-	-	-	-	**1**	-	-	**1**	**1**	-	-

टिप्पणी : दिव्यांगजन व्यक्तियों का समग्र प्रतिनिधित्व 4.05% है।
(दृबा – दृष्टि बाधित, श्रबा – श्रवण बाधित, शावि – शारीरिक विकलांग)

अनुलग्नक–VIII

(पैरा 7 देखें)

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5(2) के अंतर्गत अपेक्षित कर्मचारियों के विवरण

(क) समीक्षाधीन पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान नियोजित थे और वित्तीय वर्ष में प्राप्त पारिश्रमिक का कुल योग 1,02,00,000/– रुपए से कम नहीं था:

क्रम सं.	नाम और आयु	पदनाम और ड्यूटियों का स्वरूप	प्राप्त पारिश्रमिक	अर्हताएँ	अनुभव (वर्ष)	नियोजन प्रारंभ की तारीख	पूर्व नियोजन	अधिनियम की धारा 217 की उप–धारा (2क) के खंड (क) के उप–खंड (iii) के अर्थांतर्गत में कंपनी में कर्मचारी द्वारा धारित इक्विटी शेयरों का प्रतिशत
–शून्य–								

(ख) वित्तीय वर्ष के किसी भाग के लिए नियोजित थे एवं प्राप्त पारिश्रमिक प्रतिमाह 8,50,000/– रुपए की दर से कम न हो।

क्रम सं.	नाम और आयु	पदनाम और ड्यूटियों का स्वरूप	प्राप्त पारिश्रमिक	अर्हताएँ	अनुभव (वर्ष)	नियोजन प्रारंभ की तारीख	पूर्व नियोजन	ऊपर उप–नियम (2) के उप–खंड (iii) के अर्थांतर्गत कंपनी में कर्मचारी द्वारा धारित इक्विटी शेयरों का प्रतिशत	क्या ऐसा कोई कर्मचारी कंपनी के किसी निदेशक या प्रबंधक का रिश्तेदार है और यदि हां, तो उस निदेशक या प्रबंधक का नाम
–शून्य–									

टिप्पणियां :

1. उपर्युक्त सभी नियुक्तियों की शर्तें एवं निबंधन कंपनी के नियमों के अनुसार हैं।
2. प्राप्त किए गए पारिश्रमिक में आयकर अधिनियम, 1961 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार वेतन, भत्ते और बोनस शामिल हैं।
3. यदि पूरे वित्तीय वर्ष या उसके भाग के लिए नियोजित किया गया है, तो उस वर्ष में प्राप्त कुल पारिश्रमिक अथवा यथास्थिति, ऐसी दर पर प्राप्त किया जो, प्रबंध निदेशक अथवा पूर्णकालिक निदेशक अथवा प्रबंधक के वेतन से अधिक था और जो स्वयं अथवा अपने पति/पत्नी और आश्रित बच्चों के साथ कंपनी के इक्विटी शेयरों का न्यूनतम 2 प्रतिशत धारित करता हो।

अनुलग्नक – IX
(पैरा 8 देखें)
(पृष्ठ 3 का 1)

कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पर रिपोर्ट

यह निगम समावेशी आर्थिक विकास में दृढ़ता से विश्वास करता है। इस सिद्धांत पर कंपनी की सीएसआर पहलें आधारित हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 की अनुसूची-VII विभिन्न क्षेत्रों को सूचीबद्ध करती है जिनमें कारपोरेट संस्थाओं (एंटिटी) से उनके सीएसआर निधियों को खर्च करने और सामाजिक विकास के लिए कार्यक्रमों को लागू करने की अपेक्षा की जाती है। एनएसएफडीसी ने जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए कंपनी के सीएसआर पहलों को रणनीतिक रूप से चुना है।

1. **सीएसआर पहल पर व्यय**

निम्नलिखित तालिका वर्ष 2017–18 के लिए एनएसएफडीसी के विषय–आधारित सीएसआर व्यय प्रस्तुत करती है:–

सीएसआर व्यय	वित्त वर्ष 2017–18 (राशि रुपए में)
वरिष्ठ नागरिकों के लिए योग शिविर	15,821.00
स्वच्छ भारत कोष में योगदान	28,50,000.00
जैव मैथेनेशन संयंत्र सह ऑर्गेनिक अपशिष्ट प्रोसेसर की स्थापना	2,30,000.00
स्वच्छता (स्वच्छता पखवाड़ा)	1,80,544.00
कुल	**32,76,365.00**

2. **कारपोरेट सामाजिक दायित्व समिति की संरचना**

निगम की कारपोरेट सामाजिक दायित्व और सतत् विकास नीति जो कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 तथा "डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुरूप तैयार किया गया है। सीएसआर नीति निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित की गई है।

कंपनी ने निम्नलिखित निदेशकों सहित बोर्ड की कारपोरेट सामाजिक दायित्व समिति (सीएसआर कमेटी) गठित की:–

(i) श्री श्याम कपूर, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, एनएसएफडीसी — अध्यक्ष

(ii) श्री एस.एम.आवले, महाप्रबंधक (लेखा परीक्षा) आईडीबीआई बैंक — सदस्य

(iii) श्री गुलाब सिंह, उप सचिव, बैंकिंग प्रभाग, वित्त मंत्रालय — सदस्य

(iv) श्रीमती अन्नु भोगल, कंपनी सचिव, एनएसएफडीसी — सचिव

अनुलग्नक–IX
(पैरा 8 देखें)
(पृष्ठ 3 का 2)

सीएसआर और एसडी नीति के अनुसार, सीएसआर और एसडी गतिविधियों को सीएसआर की आंतरिक समिति द्वारा कारपोरेट कार्यालय में समन्वित किया जाता है। यह समिति सीएसआर और एसडी गतिविधियों की देखरेख करने वाले बोर्ड द्वारा गठित सीएसआर समिति के प्रति उत्तरदायी है। वर्तमान में, सीएसआर की आंतरिक समिति का गठन निम्नानुसार है:–

(i)	श्री सी. रमेश राव, उमप्र–I	अध्यक्ष
(ii)	श्रीमती अन्नु भोगल, कंपनी सचिव	सदस्य
(iii)	श्री सपन बरुआ, मुख्य प्रबंधक	सदस्य
(iv)	श्री थोटा सतीश, प्रबंधक	सदस्य

3. **वर्ष 2017–18 के दौरान सीएसआर गतिविधियां**

वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए/चल रहे विषयगत परियोजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा यहां दिया गया है:

1	2	3	4	5	6		7	8
क्र सं	अभिज्ञात सीएसआर परियोजना कार्यकलाप	वह सेक्टर जिसमें परियोजना कवर की गई है	परियोजना या कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) उस राज्य और जिले को निर्दिष्ट करें जहां परियोजनाएं या कार्यक्रम चलाया गया	परियोजना या कार्यक्रमवार परिव्यय (बजट) राशि*	परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर खर्च की गई राशि		रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी व्यय (रुपए 6क+ रुपए 6ख)	खर्च की गई राशि: प्रत्यक्ष या कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से
					परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर हुआ प्रत्यक्ष (व्यय)	परिव्यय (ऊपरी व्यय) (ख)		
1	सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता और झोपड़पट्टी विकास							
(i)	स्वच्छता और सफाई (स्वच्छता पखवाड़ा)	शुद्ध जल शोधक गोलियां, डस्टबिन्स देने, सुरक्षित पेयजल, विभिन्न क्षेत्रों में वृक्षारोपण के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता को बढ़ावा देना	(i) स्थानीय क्षेत्र जेजे क्लस्टर चित्रा विहार, दिल्ली और प्रीत विहार, दिल्ली (ii) राज्य और जिले–बीरभूम जिला, पश्चिम बंगाल	1,80,544.00	1,80,544.00	-	1,80,544.00	प्रत्यक्ष
(ii)	बायो–मेथनेशन प्लांट–सह–कार्बनिक अपशिष्ट प्रोसेसर की स्थापना	बायो–मेथनेशन प्लांट– सह–कार्बनिक अपशिष्ट प्रोसेसर की स्थापना जो वायु की अनुप. स्थिति में कार्बनिक पदार्थों को तोड़कर कुकिंग गैस और कार्बनिक खाद को उत्पादित करता है।	राज्य और जिले बीर भूम जिला, पश्चिम बंगाल	2,30,000.00	2,30,000.00	-	2,30,000.00	चैनलाइजिंग एजेंसी, एससीडीसी, पश्चिम बंगाल के माध्यम से

अनुलग्नक–IX
(पैरा 8 देखें)
(पृष्ठ 3 का 3)

1	2	3	4	5	6		7	8
क्र सं	अभिज्ञात सीएसआर परियोजना कार्यकलाप	वह सेक्टर जिसमें परियोजना कवर की गई है	परियोजना या कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) उस राज्य और जिले को निर्दिष्ट करें जहां परियोजनाएं या कार्यक्रम चलाया गया	परियोजना या कार्यक्रमवार परिव्यय (बजट) राशि*	परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर खर्च की गई राशि		रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी व्यय (रुपए 6क+ रुपए 6ख)	खर्च की गई राशि: प्रत्यक्ष या कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से
					परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर हुआ प्रत्यक्ष (व्यय)	परिव्यय (ऊपरी व्यय) (ख)		
(iii)	स्वच्छ भारत कोष में योगदान	देश भर में स्वच्छता के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए स्कूलों, ग्रामीण और शहरी इलाकों में शौचालय बनाने के लिए स्वच्छ भारत कोष में योगदान	व्यय विभाग	28,50,000.00	28,50,000.00	-	28,50,000.00	प्रत्यक्ष
(iv)	वरिष्ठ नागरिक सप्ताह के दौरान वरिष्ठ नागरिकों के लिए योग शिविर	योग शिविर आयोजित करके वरिष्ठ नागरिकों के बीच स्वास्थ्य सुरक्षा को बढ़ावा देना	राज्य और जिले –फरीदाबाद (हरियाणा), ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश)	15,821.00	15,821.00	-	15,821.00	प्रत्यक्ष
			कुल	**32,76,365.00**	**32,76,365.00**	-	**32,76,365.00**	

अनुलग्नक – X
(पैरा 10 देखें)
(पृष्ठ 6 का 1)

कॉर्पोरेट गवर्नेंस (निगमित अभिशासन) रिपोर्ट

1. कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड (निगमित अभिशासन की संहिता) संबंधी कंपनी की राय पर विवरण

निगमित अभिशासन में एक प्रणाली शामिल है, जो यह सुनिश्चित करने के लिए कार्य करती है कि कंपनी मामलों को इस प्रकार प्रबंधित किया जा रहा है कि जवाबदेही, पारदर्शिता और व्यापक अर्थों में सभी लेन–देन में निष्पक्षता है। इसका उद्देश्य हितधारकों (स्टेक होल्डरों) और सामाजिक अपेक्षाओं को पूरा करना है। सुशासन संगठन की गतिशील उन्नति और सकारात्मक मानसिकता से उत्पन्न प्रथा है। हम अपने सभी हितधारकों की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए वचनबद्ध हैं, जोकि हमारे संबंध में भारत सरकार है। इसे अभिशासन प्रक्रियाओं में प्रदर्शित किया है और एक उद्यमी प्रदर्शन कामकाज के माहौल को केंद्रित करता है।

तेजी से विकास के बावजूद, वित्तीय प्रतिरोध (exclusion), अस्वीकार्य गरीबी स्तर, बेरोजगारी, पारंपरिक कृषि गतिविधियों से घट रहे आय के स्तर और कौशल की कमी, अनुसूचित जातियों के आर्थिक विकास में प्रमुख चुनौती बनी रहती है। हालांकि, अनुसूचित जाति के विकासात्मक मानदंडों में 2001 से सुधार हुआ है। फिर भी, समाज में मुख्यधारा और अनुसूचित जाति की आबादी के बीच की खाई अभी भी बनी हुई है। पर्यावरण क्षरण और लिंग असमानता के साथ–साथ विकास में असंतुलन, समावेशी उन्नति को प्राप्त करने में मुख्य चुनौतियां उत्पन्न करते हैं।

एनएसएफडीसी को सुशासन को उन्नत करने और सेवाओं में सुधार करने के लिए राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों की क्षमता के विकास की पहल का समर्थन करने की आवश्यकता है। एनएसएफडीसी को भी अपने प्रचालन में सुशासन के तत्वों को एकीकृत करने की आवश्यकता है।

2. निदेशक मंडल

2.1 बोर्ड का गठन और निदेशकों के पद

भारत के राष्ट्रपति, प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से कंपनी में निदेशक नियुक्त करते हैं। बोर्ड के निदेशकों के गठन में 15 पद हैं। 31.03.2018 को बोर्ड में 11 सदस्य थे।

अनुलग्नक – X
(पैरा 10 देखें)
(पृष्ठ 6 का 2)

बोर्ड का गठन और निदेशकों की श्रेणी नीचे दी जा रही है:–

श्रेणी	निदेशक का नाम	स्थिति में
पूर्णकालिक, कार्यपालक, प्रबंधक निदेशक	श्री श्याम कपूर	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
सरकारी निदेशक*:–		
(क) सा.न्या.अधि.मं. का प्रतिनिधित्व	श्री बी.एल. मीणा श्रीमती आइन्द्री अनुराग श्रीमती टी.सी.ए. कल्याणी	संयुक्त सचिव (एससीडी), सा.न्या.अधि.मं. संयुक्त सचिव (एससीडी), सा.न्या.अधि.मं. वित्तीय सलाहकार (एससीडी),सा.न्या.अधि.मं.
(ख) अन्य मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व	श्री गुलाब सिंह श्री पीयूष श्रीवास्तव	बैंकिंग प्रभाग, वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि एमएसएमई के प्रतिनिधि
(ग) अन्य संस्थाओं का प्रतिनिधित्व	श्री एस.एम. आवले श्री भास्कर पंत	आईडीबीआई के प्रतिनिधि नाबार्ड के प्रतिनिधि
(घ) एससीए का प्रतिनिधित्व,	श्री कैजांग छोफेल लामा श्री लाचीराम भुक्या	सिक्किम एससीए के प्रतिनिधि तेलंगाना एससीए के प्रतिनिधि
गैर–सरकारी निदेशक	सुश्री विशाखा सैलानी	

*अंशकालिक सरकारी निदेशक पदेन सदस्य हैं और उनकी अवधि कंपनी के बोर्ड में नियुक्ति के समय सरकार में उनके संबंधित पद की अवधि की सह–सीमा अवधि है।

2.2 निदेशक मंडल की बैठकें और प्रक्रिया

निदेशक मंडल कंपनी के समग्र कार्यकलापों की देखरेख के लिए गठित शीर्षस्थ समिति है। बोर्ड कंपनी की कार्यनीति के लिए निर्देश, प्रबंधन नीतियों और उसकी प्रभाविता देता है व मूल्यांकन करता है तथा सुनिश्चित करता है कि शेयर धारकों (भारत सरकार) का दीर्घावधि हित बना रहे।

2.3 तारीख सहित बोर्ड की बैठकों की संख्या

वर्ष के दौरान, न्यूनतम दो बैठकों की आवश्यकता की तुलना में बोर्ड की चार बैठकें आयोजित हुईं। बोर्ड बैठकों का विवरण निम्नलिखित है:–

बोर्ड की बैठक	तारीख	निदेशकों की संख्या	उपस्थित निदेशकों की संख्या
145वीं	17.04.2017	09	08
146वीं	21.08.2017	09	08
147वीं	15.11.2017	08	05
148वीं	23.03.2018	11	10

अनुलग्नक – X
(पैरा 10 देखें)
(पृष्ठ 6 का 3)

2.4 बोर्ड की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति

निदेशक का नाम	से	तक	अवधि के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या (2017–18)	अवधि के दौरान बैठकों में उपस्थिति संख्या (2017–18)
श्री श्यांम कपूर	29.07.2016	आज तक	4	4
श्री गुलाब सिंह	26.08.2014	आज तक	4	3
श्री बी.एल. मीणा	04.06.2015	आज तक	4	2
श्री सलिल एम. आवले	04.06.2015	आज तक	4	4
श्रीमती आइन्द्री अनुराग	04.06.2015	आज तक	4	2
श्रीमती टी.सी.ए. कल्याणी	14.01.2016	आज तक	4	4
सुश्री विशाखा सैलानी	17.04.2017	आज तक	4	4
श्री बी. आनन्द कुमार	17.04.2017	23.03.2018	2	2
श्री कैजांग छोफेल लामा	17.04.2017	आज तक	4	3
श्री भास्कर पंत	23.03.2018	आज तक	1	1
श्री पीयूष श्रीवास्तव	23.03.2018	आज तक	1	1
श्री लाचीराम भुक्या	23.03.2018	आज तक	1	1

2.5 निदेशकों की नियुक्तियां और उनके कार्यकाल की समाप्ति

वर्ष के दौरान निदेशक मंडल में निम्नलखित परिवर्तन हुए:–

क्रम सं.	निदेशक का नाम	से	तक	समाप्ति का कारण
1	श्री भास्कर पंत	23.03.2018	आज तक	नियुक्ति
2	सुश्री विशाखा सैलानी	17.04.2017	आज तक	नियुक्ति
3	श्री कैजांग छोफेल लामा	17.04.2017	आज तक	नियुक्ति
4	श्री पीयूष श्रीवास्तव	23.03.2018	आज तक	नियुक्ति
5	श्री लाचीराम भुक्या	23.03.2018	आज तक	नियुक्ति
6	श्री बी. आनन्द कुमार	17.04.2017	23.03.2018	पद का परित्याग

अनुलग्नक – X
(पैरा 10 देखें)
(पृष्ठ 6 का 4)

2.6 बोर्ड और समिति की बैठकों के कार्यवृत्त की कार्यवाही का रिकार्ड

कंपनी सचिव द्वारा बोर्ड और समिति की प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त की कार्यवाही को रिकार्ड किया जाता है। बोर्ड के सदस्यों को उनकी टिप्पणी के लिए कार्यवृत्त का मसौदा परिचालित किया जाता है।

2.7 निदेशकों के लिए पारिश्रमिक

केंद्र सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम होने के नाते, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक की नियुक्ति, कार्यकाल और पारिश्रमिक का निर्णय भारत सरकार द्वारा किया जाता है। अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक की नियुक्ति करने वाला सरकारी पत्र नियुक्ति की अवधि, वेतनमान आदि सहित उनकी नियुक्ति के विस्तृत निबंधनों और शर्तों को इंगित करता है और यह भी बताता है कि पत्र में शामिल अन्य निबंधनों और शर्तों के संबंध में, निगम के प्रासंगिक नियम लागू होंगे।

2.7.1 अंशकालिक पदेन सरकारी निदेशक

अंशकालिक पदेन सरकारी निदेशकों को किसी भी पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाता है और बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क का भी भुगतान नहीं किया जाता है। वर्ष के दौरान सरकारी निदेशकों में से कोई भी कंपनी के साथ किसी भी तरह का आर्थिक संबंध या लेनदेन नहीं करता है।

2.7.2 स्वतंत्र निदेशक

स्वतंत्र निदेशकों को लाभार्थियों और प्रशिक्षण संस्थानों के आधिकारिक दौरे पर खर्चों की प्रतिपूर्ति को छोड़कर किसी भी पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाता है। बैठक शुल्क के मामले में बोर्ड ने सा. न्या. अधि. मंत्रालय के तहत सभी सीपीएसई पर लागू एक आम अधिसूचना जारी करने के लिए निर्दिष्ट किया गया है।

2.8 आचार संहिता

एनएसएफडीसी एक सुपरिभाषित आचार संहिता का पालन करता है, जो सत्य, निष्ठा, हित–संघर्ष और गोपनीयता के मुद्दों को काफी हद तक संबोधित करता है और नैतिक आचरण की आवश्यकता पर जोर देता है, जो कि सुशासन का आधार है। आचरण संहिता बोर्ड स्तर और बोर्ड से नीचे स्तर तक लागू है। अर्थात् सामान्य प्रबंधन कैडर तक बोर्ड स्तर से एक ग्रेड नीचे तक मौजूद है।

3 वार्षिक आम बैठक

पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान कंपनी की वार्षिक आम बैठक सचिव कक्ष, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, 6वीं मंजिल ('ए' विंग), शास्त्री भवन, नई दिल्ली में आयोजित हुई थी।

पिछले तीन वर्षों के दौरान, आयोजित वार्षिक आम बैठकों की तारीख और समय तथा उसमें पारित विशेष संकल्प निम्नलिखित हैं:–

वर्ष	तारीख	समय	पारित विशेष संकल्प
2014–15	21.09.2015	पूर्वाह्न 10.00 बजे	शून्य
2015–16	27.09.2016	अपराह्न 3.00 बजे	शून्य
2016–17	29.09.2017	दोपहर 12.00 बजे	शून्य

अनुलग्नक – X
(पैरा 10 देखें)
(पृष्ठ 6 का 5)

4. लेखा परीक्षा समिति

निगम, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–8 (पहले कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा–25 के तहत) के अधीन एक लाभ निरपेक्ष कंपनी के रूप में पंजीकृत है। यह न तो एक सार्वजनिक कंपनी है और न ही एक सार्वजनिक कंपनी की सहायक है। यह एक निजी सरकारी कंपनी है और किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्ध नहीं है। चूंकि कंपनी सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी की परिभाषा के तहत नहीं आती है, इसलिए लेखापरीक्षा समिति के गठन का प्रावधान निगम पर लागू नहीं था। हालांकि, डीपीई द्वारा सीपीएसई के लिए जारी कॉरपोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति का गठन 14.01.2016 को डीपीई द्वारा निर्धारित निर्देश के संबंध में किया गया था।

कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने दिनांक 05.06.2015 को एक अधिसूचना जारी की, जिसमें धारा–8 कंपनियों को 'धारा 177 की उपधारा (2) में 'बहुमत वाले स्वतंत्र निदेशकों के साथ' शब्दों को छोड़ दिया जाएगा' की छूट दी गई है। तदनुसार, बोर्ड किसी निदेशक को सदस्य के रूप में नामित कर सकता है क्योंकि उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार धारा 8 कंपनियों के लिए स्वतंत्र निदेशकों को सदस्य के रूप में छूट दी गई है। लेखापरीक्षा समिति ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के प्रावधानों के तहत इस तरह की भूमिकाओं को खारिज किया है।

वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की क्रमशः दिनांक 17.04.2017, 21.08.2017, 15.11.2017 और 23.03.2018 को चार बैठकें हुईं।

5. कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) समिति

कारपोरेट सामाजिक दायित्व समिति का गठन कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और अनुसूची–VII के अनुरूप किया गया है। वर्तमान सीएसआर समिति में श्री श्याम कपूर (अध्यक्ष), श्री एसएम अवाले (सदस्य) और श्री गुलाब सिंह (सदस्य) शामिल हैं।

वर्ष के दौरान दिनांक 17.04.2017 और 23.03.2018 को समीक्षा हेतु समिति की दो बार बैठक हुई। अन्य विषयों के साथ–साथ सीएसआर समिति की भूमिका में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए:

(i) बोर्ड को सीएसआर नीति का गठन और अनुशंसा।

(ii) सीएसआर व्यय की सिफारिश।

(iii) सीएसआर परियोजनाओं की निगरानी और कार्यान्वयन।

अनुलग्नक – X
(पैरा 10 देखें)
(पृष्ठ 6 का 6)

6. प्रकटीकरण

6.1 वास्तविक महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेन–देन पर प्रकटीकरण की बड़े पैमाने पर कंपनी के हितों के साथ संभावित विरोध हो सकता है

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने अपनी किसी भी संबंधित पार्टियों के साथ वेतन और भत्तों के अलावा, कोई वास्तविक लेन–देन नहीं किया।

6.2 गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा जारी किसी दिशानिर्देशों से संबंधी किसी विषय पर किसी सांविधिक प्राधिकारी द्वारा गैर–अनुपालन, अर्थ–दंड कर कंपनी पर लगाया गया दोषारोपण का ब्योरा

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, गत तीन वर्षों के दौरान, कंपनी पर किसी सांविधिक प्राधिकारी द्वारा अर्थ दंड/दोषारोपण नहीं लगाया गया है।

6.3 अनुपालन

कंपनी सचिव को बैठक (बैठकों) की कार्यसूची और कार्यवृत्त पर टिप्पाणी बनाते समय निगम के संबंध में लागू अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत बने नियमों और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी नियमों में संस्तुत सचिवालयी मानकों (सेक्रेटेरियल स्टेडर्ड) का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए। संबंधित विभागाध्यक्ष अपने संबंधित कार्य के अनुसार सभी लागू कानून और विनियमों के लिए जवाबदेह है।

7. मुखबिर (व्हिसल ब्लोअर) नीति

कंपनी अपनी सभी व्यापारिक गतिविधियों में नीतिपरक व्यवहार को बढ़ावा देती है और कंपनी ने गैर–कानूनी अथवा गैर–नीतिपरक व्यवहार की रिपोर्ट के लिए एक तंत्र बनाया है। कंपनी के पास सतर्क तंत्र और मुखबिर नीति है, जिसमें कर्मचारीगण लागू कानून और विनियमों तथा आचरण संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए स्वतंत्र हैं।

8. संचार के साधन

कंपनी अपनी वेबसाइट पर अन्य महत्वपूर्ण सूचना सहित निगम की वार्षिक रिपोर्ट प्रदर्शित करती है। वार्षिक रिपोर्ट और शेयर धारकों से संबंधित अन्य दस्तावेज नियमित रूप से लोक सभा और राज्य सभा में मूलतः प्रस्तुत किए जाते हैं।

9. अनुपालन प्रमाणपत्र

यह रिपोर्ट केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित अभिशासन पर लोक उद्यम विभाग के आवश्यक दिशानिर्देशों के अंतर्गत है और उसमें दिशानिर्देशों के अनुबंध–VII में दिए गए सभी सुझाव के मद शामिल हैं। लोक उद्यम विभाग द्वारा निर्धारित निगमित अभिशासन की आवश्यकता सहित अनुपालन की तिमाही रिपोर्ट नियमित रूप से प्रशासनिक मंत्रालय को भेजी जाती है। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निगमित अभिशासन के दिशानिर्देशों की शर्तों के अनुपालन संबंधी एक व्यवसायरत कंपनी सचिव से प्राप्त प्रमाण–पत्र, निदेशक मंडल की रिपोर्ट के **अनुलग्नक–XI** पर संलग्न हैं।

अनुलग्नक–XI
(पैरा 10 देखें)

एमएनके एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव
जी–41, भूतल, वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली–110008
फोनः +91–11–4509230, मोबाइलः +91–9818156340, ई–मेल : nazim@mnkassociates.com

कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रमाण–पत्र

(डीपीई द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, 2010 के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर गाइडलाइन के खंड 8.2.1 के अनुसार)

सेवा में,
सदस्यगण,
नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन
दिल्ली

हमने 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए लोक उद्यम विभाग (डीपीई), भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर गाइडलाइन, 2010 में निर्धारित किए अनुसार नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (कंपनी) द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन और उसके साथ जुड़े अनुलग्नकों की जाँच की।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन समिति की है। हमारी जाँच उक्त उल्लेखित गाइडलाइनों में निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई हुई उस प्रक्रिया और कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह न लेखा परीक्षा है न ही कंपनी की वित्तीय विवरिणका पर राय की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय और उत्तम जानकारी में तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने डीपीई गाइडलाइनों में दी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन निम्नांकित को छोड़कर किया है:

1. सरकार ने डीपीई गाइडलाइन द्वारा तय सीमा से अधिक नामांकित निदेशकों की नियुक्ति की है।
2. स्वतंत्र निदेशकों की कुल संख्या कुल बोर्ड सदस्यों में से कम से कम 50% (कार्यकारी अध्यक्ष के साथ सूचीबद्ध सीपीएसई के मामले में) और कम से कम एक तिहाई (कार्यकारी अध्यक्ष के बिना सूचीबद्ध सीपीएसई के मामले में) होना चाहिए। हालांकि, कंपनी के रिकॉर्ड की जानकारी पर, हमने पाया कि निदेशक की नियुक्ति अधिसूचना के माध्यम से संबंधित मंत्रालय द्वारा की जाती है और मंत्रालय ने कंपनी में केवल एक स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करने के लिए अधिसूचना जारी की।
3. वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान, पारिश्रमिक समिति के पुनर्गठन पर निर्णय लंबित होने के कारण पारिश्रमिक समिति की कोई बैठक नहीं की जा सकी।

हम यह भी बताते हैं कि ऐसे अनुपालन, कंपनी की न ही भावी व्यवहार्यता और न ही कुशलता अथवा प्रभावकारिता, जिससे प्रबंध समिति ने कंपनी कार्य को निष्पादित किया है, के लिए आश्वासन हैं।

कृते एमएनके एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

ह.

मोहम्मद नजीम खान
प्रोपराइटर
सीपी 8245 (एफसीएसः 6529)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 25.07.2018

31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र

(₹ लाख में)

विवरण		टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार
I.	परिसंपत्तियां			
1	गैर–चालू परिसंपत्तियां			
	(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	3	483.77	498.82
	(ख) विनिधान संपत्ति	4	14.17	14.87
	(ग) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	5	1.29	4.32
	(घ) विकासोन्नत अमूर्त परिसंपत्तियां	6	10.35	-
	(ङ) वित्तीय परिसंपत्तियां			
	(i) ऋण	7	89,843.63	72,861.15
	(ii) अन्य	8	4.34	4.34
	(च) अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियां	9	50.04	47.71
			90,407.60	**73,431.21**
2	चालू परिसंपत्तियां			
	(क) वित्तीय परिसंपत्तियां			
	(i) नकद और नकद के समकक्ष	10	1,454.97	1,848.79
	(ii) उपर्युक्त (i) के अलावा बैंक शेष	11	32,051.87	31,075.04
	(iii) ऋण	7	60,962.73	55,373.96
	(iv) अन्य	12	5,177.48	4,237.08
	(ख) चालू कर परिसंपत्ति (निवल)	13	11.65	9.81
	(ग) अन्य चालू परिसंपत्तियां	14	106.90	122.77
			99,765.60	92,667.45
	कुल परिसंपत्तियां		**190,173.20**	**166,098.66**
II.	इक्विटी और दायित्व			
1	इक्विटी			
	(क) इक्विटी शेयर पूंजी	15	134,801.00	121,802.00
	(ख) अन्य इक्विटी	16	47,408.94	42,735.02
			182,209.94	**164,537.02**
2	दायित्व			
(i)	गैर–चालू दायित्व			
	(क) प्रावधान	17	283.56	240.94
			283.56	240.94

(₹ लाख में)

विवरण		टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार
(ii)	चालू दायित्व			
	(क) वित्तीय दायित्व			
	(i) उधार राशि	18	4,747.17	-
	(ii) अन्य	19	2,492.82	1,093.20
	(ख) अन्य चालू दायित्व	20	40.38	13.98
	(ग) प्रावधान	17	399.34	213.52
			7,679.70	1,320.70
	कुल इक्विटी और दायित्व		**190,173.20**	**166,098.66**
III-	वित्तीय विवरणों से संलग्न टिप्पणियाँ 1–48 देखें।			

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते नरेश के गुप्ता एंड कं.

सनदी लेखाकार
एफआरएनः 002232एन

ह०
(वरूण शर्मा)
प्रबंधक (वित्त)

ह०
(एम.एस.छतवाल)
प्रबंधक (वित्त)

ह०
(राजेश बिहारी)
उप महाप्रबंधक

ह०
(देवानन्द)
महाप्रबंधक

ह०
(अन्नु भोगल)
कंपनी सचिव

ह०
नितिन गुप्ता
साझेदार
सदस्यता संख्या 096295

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह०
(टी.सी.ए कल्याणी)
निदेशक
डीआईएन–02406559

ह०
(श्याम कपूर)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
डीआईएन–02643416

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 21 अगस्त, 2018

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय का विवरण

(₹ लाख में)

विवरण		टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
I	प्रचालनों से प्राप्त आय	21	3,944.08	2,887.58
II	अन्य आय	22	2,715.08	3,521.18
III	**कुल राजस्व आय (I+II)**		**6,659.16**	**6,408.76**
IV	**व्यय**			
	कर्मचारी हित व्यय	23	1,353.78	971.06
	वित्त लागत	24	89.56	9.40
	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	25	42.15	38.49
	एससीए को प्रोत्साहन	26	89.12	88.42
	प्रशिक्षण व्यय – लाभार्थी		8.44	-
	कारपोरेट सामाजिक दायित्व व्यय	40	32.76	97.07
	अशोध्य और संदिग्ध ऋण	27	-	2.73
	अन्य व्यय	28	291.94	300.95
	कुल व्यय (IV)		**1,907.76**	**1,508.12**
V	**असाधारण मदों और करों से पूर्व व्यय से अधिक आय (III - IV)**		4,751.40	4,900.64
VI	**असाधारण मदें**	29	(0.22)	(0.28)
VII	**कर–पूर्व व्यय से अधिक आय (V - VI)**		4,751.61	4,900.92
VIII	**कर व्यय:**			
	(1) वर्तमान कर		-	-
	(2) आस्थगित कर		-	-
IX	**निरंतर प्रचालनों की अवधि के लिए व्यय से अधिक आय (VII - VIII)**		**4,751.61**	**4,900.92**
X	**अनिरंतर प्रचालनों से व्यय से अधिक आय**		-	-
XI	**अनिरंतर प्रचालनों का कर व्यय**		-	-
XII	**अनिरंतर प्रचालनों से व्यय से अधिक आय (X - XI)**		-	-
XIII	**इस अवधि के लिए व्यय से अधिक आय (IX + XII)**		**4,751.61**	**4,900.92**
XIV	**अन्य व्यापक आय**			
	क (i) वह मदें, जिन्हें आय एवं व्यय लेखे में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।	30	(109.97)	1.04
	क (ii) उन मदों से संबंधित आयकर, जिसे आय एवं व्यय लेखे में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।		-	-
	ख (i) वह मदें, जिन्हें आय एवं व्यय लेखे में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा।		-	-
	ख (ii) उन मदों से संबंधित आयकर, जिन्हें आय एवं व्यय लेखे में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा।		-	-

(लाख रुपयों में)

विवरण		टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2017 के लिए	31 मार्च, 2016 के लिए
XV	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (XIII+XIV) (जिसमें व्यय से अधिक आय और इस अवधि के लिए अन्य व्यापक आय शामिल है)		4,641.64	4,901.96
XVI	प्रति इक्विटी शेयर अर्जन: (निरंतर प्रचालन से)			
	(1) मूलभूत (₹ में)	31	36.74	43.15
	(2) तरलीकृत (₹ में)	31	36.74	43.13
XVII	प्रति इक्विटी शेयर अर्जन: (अनिरंतर प्रचालन से)			
	(1) मूलभूत (₹ में)		-	-
	(2) तरलीकृत (₹ में)		-	-
XVIII	प्रति इक्विटी शेयर अर्जन: (अनिरंतर और निरंतर प्रचालन के लिए)			
	(1) मूलभूत (₹ में)	31	36.74	43.15
	(2) तरलीकृत (₹ में)	31	36.74	43.13
XIX	वित्तीय विवरणों की संलग्न टिप्पणियों को देखें			

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते नरेश के गुप्ता एंड कं.

सनदी लेखाकार	ह०	ह०	ह०	ह०	ह०
एफआरएन: 002232एन	(वरूण शर्मा)	(एम.एस.छतवाल)	(राजेश बिहारी)	(देवानन्द)	(अन्नु भोगल)
	प्रबंधक (वित्त)	प्रबंधक (वित्त)	उप महाप्रबंधक	महाप्रबंधक	कंपनी सचिव

ह०
नितिन गुप्ता
साझेदार
सदस्यता संख्या 096295

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

	ह०	ह०
	(टी.सी.ए कल्याणी)	(श्याम कपूर)
	निदेशक	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
स्थान: नई दिल्ली	डीआईएन–02406559	डीआईएन–02643416
दिनांक: 21 अगस्त, 2018		

(पृष्ट 2 का 1)

31 मार्च, 2018 को समाप्त अवधि के लिए इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण (एसओसीई)

क. इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ लाख में)

विवरण	शेयरों की संख्या (लाख में)	राशि
01 अप्रैल, 2016 को शेष	99.81	99,813.00
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन		
(क) वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी का निर्गम	21.99	21,989.00
31 मार्च, 2017 को शेष	**121.80**	**121,802.00**
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन		
(क) वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी का निर्गम	13.00	12,999.00
31 मार्च, 2018 को शेष	**134.80**	**134,801.00**

2017–18

ख. अन्य इक्विटी

विवरण	आबंटन के लिए लंबित शेयर आवेदन राशि	आरक्षित और अधिशेष		कुल
		विशेष आरक्षित	सामान्य आरक्षित	
वर्ष के आरंभ में बकाया शेष	178.00	3,283.72	39,273.30	42,735.02
पूर्व अवधि समायोजन (टिप्पणी सं. 36 देखें)	-	-		-
वर्ष के आरंभ में पुनः उल्लिखित बकाया शेष	**178.00**	**3,283.72**	**39,273.30**	**42,735.02**
वर्ष के लिए लाभ	-	-	4,751.61	4,751.61
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय	-	-	(109.97)	(109.97)
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	**-**	**-**	**4,641.64**	**4,641.64**
विशेष आरक्षित में अंतरण	-	470.11	(470.11)	-
विशेष आरक्षित निधि निवेश पर ब्याज	-	210.27	-	210.27
वर्ष के दौरान प्राप्त शेयर आवेदन राशि	-	-	-	-
शेयर पूंजी का निर्गम	(178.00)	-	-	(178.00)
वर्ष के अंत में बकाया शेष	**-**	**3,964.11**	**43,444.83**	**47,408.94**

(पृष्ट 2 का 2)

31 मार्च, 2018 को समाप्त अवधि के लिए इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण (एसओसीई)

2016–17

ग. अन्य इक्विटी

(₹ लाख में)

विवरण	आबंटन के लिए लंबित शेयर आवेदन राशि	आरक्षित और अधिशेष		कुल
		विशेष आरक्षित	सामान्य आरक्षित	
वर्ष के आरंभ में बकाया शेष	8,367.00	2,607.15	34,929.07	45,903.22
पूर्व अवधि समायोजन (टिप्पणी–सं. 36 देखें)	-	-	(61.50)	(61.50)
वर्ष के आरंभ में पुनः उल्लिखित बकाया शेष	**8,367.00**	**2,607.15**	**34,867.57**	**45,841.72**
वर्ष के लिए लाभ	-	-	4,900.92	4,900.92
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय	-	-	1.04	1.04
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	**-**	**-**	**4,901.96**	**4,901.96**
विशेष आरक्षित में अंतरण	-	496.23	(496.23)	-
विशेष आरक्षित निधि निवेश पर ब्याज	-	180.34	-	180.34
वर्ष के दौरान प्राप्त शेयर आवेदन राशि	178.00	-	-	178.00
शेयर पूंजी का निर्गम	(8,367.00)			(8,367.00)
वर्ष के अंत में बकाया शेष	**178.00**	**3,283.72**	**39,273.30**	**42,735.02**

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते नरेश के. गुप्ता एंड कं.

सनदी लेखाकार
एफआरएनः 002232एन

ह०
(वरूण शर्मा)
प्रबंधक (वित्त)

ह०
(एम.एस.छतवाल)
प्रबंधक (वित्त)

ह०
(राजेश बिहारी)
उप महाप्रबंधक

ह०
(देवानन्द)
महाप्रबंधक

ह०
(अन्नु भोगल)
कंपनी सचिव

ह०
नितिन गुप्ता
साझेदार
सदस्यता संख्या 096295

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह०
(टी.सी.ए कल्याणी)
निदेशक
डीआईएन–02406559

ह०
(श्याम कपूर)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
डीआईएन–02643416

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 21 अगस्त, 2018

(पृष्ठ 2 का 1)

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह का विवरण

(₹ लाख में)

विवरण		31 मार्च, 2018 समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2017 समाप्त वर्ष के लिए
क. प्रचालन क्रियाकलापों से नकद प्रवाह			
असाधारण मदों और कर से पहले व्यय से अधिक आय		**4,751.61**	**4,900.92**
प्रचालन क्रियाकलापों द्वारा प्रावधान किए गए निवल नकद के प्रति निवल लाभ का सामांजस्य के लिए समायोजन:			
मूल्यह्रास		42.15	38.49
सुनिश्चित लाभ योजनाओं के पुनर्मापन पर अन्य व्यापक आय		(109.97)	1.04
परिसंपत्तियां की बिक्री/हानिकरण/विनिमय पर हानि/(लाभ)		(0.22)	(0.28)
प्रचालन परिसंपत्तियों और देयताओं में परिवर्तनों से पहले प्रचालन लाभ	**(1)**	**4,683.57**	**4,940.17**
निम्नलिखित के लिए समायोजन:			
गैर–चालू ऋणों में कमी/(वृद्धि)		(16,982.49)	(21,060.43)
अन्य गैर–चालू वित्तीय परिसंपत्तियों में कमी/(वृद्धि)		0.00	(1.72)
अन्य गैर–चालू परिसंपित्तयों में कमी/(वृद्धि)		(2.33)	3.25
चालू ऋणों में कमी/(वृद्धि)		(5,588.77)	(8,039.55)
अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियों में कमी/(वृद्धि)		(940.40)	(939.14)
अन्य चालू परिसंपत्तियों में कमी/(वृद्धि)		15.87	(32.97)
अन्य बैंक शेष में कमी/(वृद्धि)		(976.83)	10,250.93
अन्य चालू वित्तीय देयताओं में (कमी)/वृद्धि		1,399.62	920.74
अन्य चालू देयताओं में (कमी)/वृद्धि		26.40	(29.01)
गैर–चालू प्रावधानों में (कमी)/वृद्धि		42.62	(20.91)
चालू प्रावधांनों में (कमी)/वृद्धि		185.82	113.98
	(2)	(22,820.49)	(18,834.83)
प्रचालन से सृजित नकद	**(1+2)**	**(18,136.92)**	**(13,894.66)**
प्रदत्त आयकर		(1.84)	(2.45)
प्रचालन क्रियाकलापों से निवल नकद बहिर्वाह		**(18,138.76)**	**(13,897.11)**

(पृष्ठ 2 का 2)

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2018 समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2017 समाप्त वर्ष के लिए
ख. निवेश क्रियाकलापों से नकद प्रवाह		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की बिक्री/निपटान	0.97	0.64
विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	(10.35)	-
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की खरीद	(24.12)	(21.31)
अमूर्त परिसंपत्तियों की खरीद	-	(3.35)
विशेष आरक्षित निधि निवेश पर ब्याज	210.27	180.34
निवेशकरण क्रियाकलापों से निवल नकद अंतर्वाह	**176.77**	**156.32**
ग. वित्तपोषण क्रियाकलापों से नकद प्रवाह		
शेयर पूंजी का निर्गम	12,821.00	13,622.00
आबंटन के लिए लंबित शेयर आवेदन राशि	-	178.00
उधार से प्राप्ति	4,747.17	-
वित्तपोषण क्रियाकलापों से निवल नकद अंतर्वाह	**17,568.17**	**13,800.00**
नकद और नकद समकक्ष में निवल वृद्धि/(कमी) (क+ख+ग)		
वर्ष के आरंभ में नकद और नकद समकक्ष (टिप्पणी सं. 9 देखें)	(393.82)	59.21
नकद अंतःशेष और नकद समकक्ष	1,848.79	1,789.58
नकद और नकद समकक्ष का सामंजस्य	**1,454.97**	**1,848.79**
वर्ष के अंत की स्थिति के अनुसार नकद और नकद समकक्ष (टिप्पणी सं. 9 देखें)	**1,454.97**	**1,848.79**

टिप्पणियां:–

1. यह नकद प्रवाह विवरण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए नकद प्रवाह विवरण पर भारतीय लेखांकन मानक–7 में दी गई अप्रत्यक्ष पद्धति के अंतर्गत तैयार किया गया है।
2. पिछले वर्ष के आंकड़ों की पुष्टि करने और उन्हें चालू वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलना योग्य बनाने के लिए पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः वर्गीकृत/पुनः समूहीकृत किया गया है।

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते नरेश के गुप्ता एंड कं.

सनदी लेखाकार	ह०	ह०	ह०	ह०	ह०
एफआरएनः 002232एन	(वरुण शर्मा)	(एम.एस.छतवाल)	(राजेश बिहारी)	(देवानन्द)	(अन्नु भोगल)
	प्रबंधक (वित्त)	प्रबंधक (वित्त)	उप महाप्रबंधक	महाप्रबंधक	कंपनी सचिव

ह०
नितिन गुप्ता
साझेदार
सदस्यता संख्या 096295

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

	ह०	ह०
	(टी.सी.ए कल्याणी)	(श्याम कपूर)
	निदेशक	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
स्थानः नई दिल्ली	डीआईएन–02406559	डीआईएन–02643416
दिनांकः 21 अगस्त, 2018		

लेखों पर टिप्पणियां

टिप्पणी: 1 कॉर्पोरेट सूचना

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन भारत में स्थित एक लाभ–निरपेक्ष कंपनी है और यह कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 (जो अब कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 हो गई है) के अंतर्गत 08.02.1989 को स्थापित की गई थी। इसने 09.04.2001 तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों दोनों के लक्ष्य समूहों की आवश्यकताओं की पूर्ति की। यह निगम 10.04.2001 को जनजाति कार्य मंत्रालय के अधीन अनुसूचित जनजाति लक्ष्य समूह के लिए नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के सृजन के पश्चात द्विभाजित हो गया था। इसके द्विभाजन के परिणामस्वरूप निगम अब अनुसूचित जाति लक्ष्य समूह की आवश्यकताओं की अनन्य रूप से पूर्ति करता है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय 14वां तल, कोर 1 और 2, स्कोप मीनार, लक्ष्मी नगर डिस्ट्रिक्ट सेंटर, दिल्ली–110092 में स्थित है।

टिप्पणी: 2 लेखांकन नीतियां

2.1 अनुपालन का विवरण

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए और की स्थिति के अनुसार वित्तीय विवरण, कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015, कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियमावली, 2016 और 2017 के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानकों (इंड–एएस) के अनुसार तैयार किए गए हैं।

2.2 तैयार करने का आधार

ये वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परिपाटी के अंतर्गत और उपचय आधार पर तैयार किए गए हैं, निम्नलिखित मदों को छोड़कर, जिन्हें सुसंगत भारतीय लेखांकन मानकों द्वारा यथापेक्षित उचित मूल्य पर मापा गया है:

(i) सुनिश्चित लाभ योजना और अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ।

(ii) कुछ वित्तीय परिसंपत्तियां और उचित मूल्य पर मापे गए दायित्व।

2.3 अनुमानों और निर्णय का इस्तेमाल

भारतीय लेखांकन मानकों के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रबंधन से यह अपेक्षा की जाती है कि वह ऐसे निर्णय, अनुमान और पूर्वानुमान करें, जो लेखांकन नीति के अनुप्रयोग और परिसंपत्तियों, दायित्वों की रिपोर्ट की गई राशियों, वित्तीय विवरणों की तारीख को आकस्मिक परिसंपत्तियों और दायित्वों के प्रकटीकरण तथा आय और व्यय की रिपोर्ट की गई राशि को प्रभावित करे। इस प्रकार के अनुमानों के उदाहरणों में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, अमूर्त परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवनकाल, संदिग्ध ऋणों, कर्मचारी सेवानिवृत्ति लाभ योजनाओं के अंतर्गत भावी दायित्वों और आकस्मिक दायित्वों के लिए प्रावधान शामिल है। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

अनुमानों और अंतर्निहित पूर्वानुमानों की आवधिक आधार पर समीक्षा की जाती है। इन अनुमानों में परिवर्तनों और वास्तविक परिणाम तथा अनुमानों के बीच के अंतर के कारण भावी परिणाम भिन्न हो सकते हैं। इन अनुमानों को उस अवधि में मान्यता दी जाती है, जिसमें परिणाम जाने जाते हैं/इन्हें मूर्त रूप दिया जाता है ।

2.4 भारतीय रुपयों में प्रस्तुत की गई सभी वित्तीय सूचनाओं और सभी मूल्यों को दो दशमलव पॉइंटों के साथ निकटतम लाख रुपयों में पूर्णांकित किया जाता है, सिवाय ऐसी स्थिति के, जहां अन्यथा उल्लेख किया गया हो।

2.5 **नकद प्रवाह का विवरण**

नकद प्रवाह, अप्रत्यक्ष पद्धति का इस्तेमाल करके सूचित किया जाता है, जिसके द्वारा कर–पूर्व लाभ/(हानि) को गैर–नकद प्रकार के लेन–देनों और बाद के या भावी नकद प्राप्तियों या भुगतानों के उपार्जन या किसी आस्थगन के प्रभाव के लिए समायोजित किया जाता है। कंपनी के प्रचालन, निवेश और वित्तपोषण के क्रियाकलापों से नकद प्रवाह सूचना के आधार पर अलग–अलग कर दिया जाता है।

नकद प्रवाह के विवरण के उद्देश्यों के लिए, नकद और नकद समकक्ष में हस्तांगत नकदी, बैंकों में नकद और बैंकों में मांग जमा राशियां, निवल बकाया बैंक ओवरड्राफ्ट शामिल हैं, जो मांग किए जाने पर भुगतान किए जाने योग्य हैं और कंपनी की नकद प्रबंधन प्रणाली का भाग माने जाते हैं।

भारतीय लेखांकन मानक 7 में संशोधनः

1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी, कंपनी ने भारतीय लेखांकन मानक–7 में संशोधन अपनाया, जिसके तहत संस्थाओं को प्रकटीकरण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रकटीकरण प्रदान करने की आवश्यकता होती है जो वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को वित्तपोषण की गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देयताओं में परिवर्तन का मूल्यांकन करने में सक्षम बनाता है, जिसमें नकद प्रवाह और गैर–नकद परिवर्तनों दोनों से उठे परिवर्तन, वित्त पोषण गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देयताओं के लिए तुलन–पत्र के आरंभिक और अंतःशेष राशि के बीच समायोजन पर सुझाव देते हैं। संशोधन को अपनाने से वित्तीय विवरणों पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ा।

2.6 **विदेशी मुद्रा**

वित्तीय विवरणों में शामिल की गई मदों को ऐसे प्राथमिक आर्थिक वातावरण की मुद्रा का इस्तेमाल करके मापा जाता है, जिसमें कंपनी संचालन करती है (अर्थात् कार्यात्मक मुद्रा)। ये वित्तीय विवरण भारतीय रुपयों में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कंपनी की कार्यात्मक और प्रस्तुतीकरण मुद्रा है।

विदेशी मुद्राओं में हुई आय और किए गए खर्चे लेन–देन की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किए जाते हैं। विदेशी मुद्रा की आर्थिक परिसंपत्तियां और दायित्व तुलन–पत्र की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर रूपांतरित की जाती हैं और निपटान तथा पुनः उल्लेख से उत्पन्न विनियम लाभों और हानियों को आय एवं व्यय के विवरण में मान्यता दी जाती है।

2.7 **संपत्ति, संयंत्र और उपकरण**

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, संचित मूल्यह्रास और नुकसान से होने वाली हानियां, यदि कोई हैं, को घटाकर लागत पर मापा जाता है।

परिसंपत्ति की लागत में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) परिसंपत्तियों के अधिग्रहण पर प्रत्यक्ष रूप से लगाई गई लागत

(ii) मदों को अलग–अलग करने और हटाने तथा उस साइट को पुनः स्थापित करने, जिस पर यह स्थित है, यदि मान्यता संबंधी मापदंड पूरे किए गए हैं, की अनुमानित लागत का वर्तमान मूल्य

प्रतिस्थापन, प्रमुख निरीक्षण, महत्वपूर्ण हिस्सों की मरम्मत की लागत और दीर्घावधि निर्माण परियोजनाओं की उधार लागतें पूंजीकृत की जाती हैं, यदि मान्यता का मापदंड पूरा किया गया हो।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, जिनकी लागत 5,000/– रुपए से अधिक है, को आय एवं व्यय के विवरण में प्रत्यक्ष रूप से प्रभारित किया गया है।

परिसंपत्तियों की बिक्री पर लागत और संचित मूल्यह्रास का अनुमान वित्तीय विवरणों से लगाया जाता है और परिणामी लाभों तथा हानियों को आय एवं व्यय के विवरण में मान्यता दी जाती है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के लिए मूल्यह्रास का प्रावधान, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–II में यथानिर्धारित परिसंपत्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवनकाल पर अपलेखित मूल्य पद्धति पर किया जाता है। अनुमानित, उपयोगी जीवनकाल, अवशिष्ट मूल्य और मूल्यह्रास पद्धति की समीक्षा भावी आधार पर लेखे में लिए गए अनुमानों में किसी परिवर्तन की अवधि से, प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है।

अनुमानित उपयोगी जीवनकाल, नीचे किए गए उल्लेख के अनुसार है:

परिसंपत्तियों की श्रेणी

विवरण	अनुमानित उपयोगी जीवनकाल (वर्ष)
फ्रीहोल्ड बिल्डिंग	60
एयर कंडीशनर	5
कंप्यूटर और हिस्से–पुर्जे	3
जुड़नार और फिटिंग	10
फर्नीचर	10
कार्यालय उपकरण	5
वाहन	8

लीज़ होल्ड बिल्डिंग का परिशोधन प्राथमिक पट्टा अवधि पर किया जा रहा है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी मद के प्रत्येक भाग का मूल्यह्रास अलग–अलग किया जाता है, यदि भाग की लागत उस मद की तुलना के संबंध में महत्वपूर्ण है और उस भाग का उपयोगी जीवनकाल बाकी परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवनकाल से भिन्न है। परिसंपत्तियों का अवशिष्ट मूल्य, परिसंपत्तियों की लागत के 5 प्रतिशत के रूप में लिया जाता है।

मूल्यह्रास को चल रहे पूंजीगत कार्य पर दर्ज नहीं किया जाता जब तक निर्माण और संस्थापन पूरा न कर लिया गया हो और परिसंपत्ति इसके आशयित इस्तेमाल के लिए तैयार न हो।

मूल्यह्रास पद्धतियों, उपयोगी जीवनकालों और अवशिष्ट मूल्यों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को की जाती है।

2.8 अमूर्त परिसंपत्तियां

अमूर्त परिसंपत्तियों को उस समय मान्यता दी जाती है जब यह संभावना हो कि भावी आर्थिक लाभ, जो परिसंपत्ति के कारण होंगे, उद्यम तक आएंगे और परिसंपत्ति की लागत विश्वसनीय रूप से मापी जा सकती है। अमूर्त परिसंपत्तियों का उल्लेख, संचित परिशोधन और हानि, यदि कोई है, घटाकर ऐतिहासिक लागत पर किया जाता है।

"अमूर्त परिसंपत्तियों" के संबंध में ऐसा सॉफ्टवेयर, जो हार्डवेयर उपकरण का अभिन्न अंग नहीं है, सॉफ्टवेयर तैयार करने और उससे संबंधित खर्च, जिसके परिणामस्वरूप तैयार किए गए सॉफ्टवेयर का सफलतापूर्वक संस्थापन किया गया है, को लागत पर मान्यता दी जाती है और इसे तीन वर्ष की अवधि में परिशोधित किया जा रहा है।

मूल्यह्रास पद्धतियों, उपयोगी जीवनकाल और अवशिष्टक मूल्यों की समीक्षा प्रत्येक तुलन–पत्र की तारीख को की जाती है।

2.9 निवेश संपत्तियां

(i) निवेश संपत्ति में पूरी कर ली गई संपत्ति, निर्माणाधीन संपत्ति और वित्तपोषण पट्टे के अधीन रखी गई संपत्ति शामिल है, जो सामान्य व्यवसाय में बिक्री के लिए या उत्पादन अथवा प्रशासनिक कार्यों में इस्तेमाल के लिए, के बजाय किराया अर्जित करने या पूंजी बढ़ाने के लिए या दोनों के लिए रखी गई है।

(ii) निवेश संपत्तियों का उल्लेख लागत, निवल संचित मूल्यह्रास और संचित नुकसान से होने वाली हानियॉं, यदि कोई हैं, पर किया जाता है।

(iii) कंपनी, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में यथानिर्धारित परिसंपत्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवनकाल पर उचित ढंग से निवेश के भवन संघटक पर मूल्यह्रास करती है (टिप्पणी 2.7 देखें)।

(iv) निवेश संपत्तियों पर मूल्यह्रास या तो तब दिया जाता है जब उनका निपटान कर दिया गया हो या जब वे उपयोग से स्थायी रूप से वापस ले ली गई हों और उनके निपटान से कोई भावी आर्थिक लाभ प्रत्याशित न हो। निपटान से प्राप्त निवल राशि और परिसंपत्ति की कैरिंग राशि के बीच के अंतर को मान्यता समाप्त करने की अवधि में आय एवं व्यय के विवरण में मान्यता दी जाती है।

2.10 प्रावधान

प्रावधान को उस समय मान्यता दी जाती है, जब:

(i) कंपनी के पास किसी पिछली घटना के परिणाम के रूप में कोई वर्तमान दायित्व हो;
(ii) संसाधनों के किसी संभावित बहिर्वाह द्वारा दायित्व के निपटाए जाने की आशा हो और
(iii) दायित्व की राशि का कोई विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है।

ऊपर मान्यता प्रदान किए गए प्रावधान, जिसे 12 महीने से अधिक के समय में निपटान किए जाने की आशा हो, को कर–पूर्व बट्टा–दर का इस्तेमाल करके वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है, जो देयताओं के प्रति विशिष्ट जोखिम दर्शाता है और समय बीत जाने के कारण प्रावधान में वृद्धि को ब्याज खर्चों के रूप में मान्यता दी जाती है।

प्रावधानों की समीक्षा प्रत्येक तुलन–पत्र की तारीख को की जाती है।

2.11 राजस्व (आय) मान्यता

(i) **प्रचालन से राजस्व (आय)**

क) राजस्व (आय) को इस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि यह संभावना है कि कंपनी को आर्थिक लाभ पहुंचेगा और राजस्व को विश्वसनीय ढंग से मापा जा सकता है। तथापि, जब राजस्व में पहले से ही शामिल की गई राशि की संग्रहणीयता के बारे में अनिश्चितता उत्पन्न होती है तो संग्रहण न किए जाने

योग्य राशि या ऐसी राशि, जिसके संबंध में वसूली की संभावना समाप्त हो गई है, को पहले से ही मान्यता प्राप्त राजस्व की राशि के समायोजन के बजाय खर्च के रूप में मान्यता दी जाती है।

ख) दिए गए ऋणों पर ब्याज संबंधी आय को, प्रभावी ब्याज दर पद्धति का इस्तेमाल करके लागू होने वाली दर और बकाया राशि हिसाब में लेकर समय अनुपात आधार पर मान्यता दी जाती है।

ग) उपयोगिता में विलंब या अदायगियों में चूक पर दंडस्वरूप ब्याज को इसकी संग्रहणीयता की अनिश्चितता के कारण वसूली पर मान्यता दी जाती है।

घ) अप्रयुक्त निधियों की वापसी पर ब्याज की गणना उपचय (बढ़ोतरी) के आधार पर की जाती है।

(ii) **अन्य आय**

एफडीआर और बैंक जमा राशियों पर ब्याज संबंधी आय को प्रभावी ब्याज दर पद्धति का इस्तेमाल करके लागू होने वाली ब्याज दर और बकाया राशि को लेखे में लेकर समय अनुपात आधार पर मान्यता दी जाती है।

2.12 सरकारी/अन्य संगठनों से राजस्व (आय) अनुदान

(i) पूर्व वर्ष से संबंधित अनुदान जोकि वर्ष के दौरान प्राप्त किए गए हैं, वे मौजूदा वर्ष में माने जाएंगे।

(ii) अप्रयुक्त अनुदान और उन पर उपार्जित ब्याज को आस्थगित कर दिया जाता है और चालू देयताओं में शामिल किया जाता है।

(iii) वर्ष के दौरान आरंभ किए गए कार्यक्रमों के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए अनुदान चाहे वे प्राप्त हो गए हैं या नहीं, को वर्तमान वर्ष से संबंधित व्यय में मान्यता दी जाती है।

2.13 पट्टा

(i) **प्रचालन पट्टा**

- पट्टा को प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया गया है जब जोखिम और रिवार्डों के महत्वपूर्ण भाग कंपनी को अंतरित न किए गए हों।
- भुगतान, पट्टा अवधि में सीधी रेखा पद्धति आधार पर आय एवं व्यय के विवरण में प्रभारित किए जाते हैं सिवाय ऐसी स्थिति के, जहां पट्टा भुगतान प्रत्याशित मुद्रास्फीति लागत में वृद्धि के लिए क्षतिपूर्ति करने हेतु प्रत्याशित सामान्य मुद्रास्फीति के अनुरूप वृद्धि करने के लिए संरचित हों।

(ii) **वित्तपोषण पट्टा**

क) यह सभी जोखिम और रिवार्डों को मूलतः परिसंपत्ति के स्वामित्व में अंतरित करता है।

ख) इन्हें निम्नतर उचित मूल्य या न्यूनतम पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर पट्टे के आरंभ से ही पूंजीकृत किया जाता है।

ग) भुगतानों को वित्तपोषण प्रभारों और पट्टा देयता की कमी के बीच संविभाजित किया जाता है ताकि देयता के बकाया शेष पर ब्याज की एक स्थिर दर प्राप्त की जा सके।

घ) वित्तीय प्रभारों को आय एवं व्यय विवरण में वित्तपोषण लागतों में मान्यता दी जाती है।

ङ) इस पर परिसंपत्ति के उपयोगी जीवनकाल में मूल्यह्रास दिया जाता है। तथापि, यदि पट्टा अवधि के अंत तक स्वामित्व प्राप्त करने की कोई तर्कसंगत निश्चितता है, तो परिसंपत्ति पर, परिसंपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवनकाल और पट्टा अवधि से अपेक्षाकृत कम मूल्यह्रास दिया जाता है।

2.14 गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों का हानिकरण

(i) परिसंपत्तियों की कैरिंग राशियों की समीक्षा प्रत्येक तुलन–पत्र की तारीख को यह निश्चित करने के लिए की जाती है कि क्या हानिकरण का कोई संकेत है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है तो परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है। ऐसी परिसंपत्तियों के लिए, जो उपयोग के लिए अभी उपलब्ध नहीं हैं, वसूली योग्य राशि का अनुमान प्रत्येक तुलन–पत्र की तारीख को लगाया जाता है।

(ii) नुकसान से होने वाली हानि को उस समय मान्यता दी जाती है जब कभी किसी परिसंपत्ति की कैरिंग राशि या इसकी नकदी सृजन इकाई इसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है। क्षति नुकसानी को आय एवं व्यय के विवरण में मान्यता दी जाती है।

(iii) नुकसान से होने वाली हानि को प्रत्यावर्तित कर दिया जाता है, यदि वसूली योग्य राशि निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किए गए अनुमानों में कोई परिवर्तन किया गया है। क्षति नुकसानी को केवल उसी सीमा तक प्रत्यावर्तित किया जाता है कि परिसंपत्ति की कैरिंग राशि उस कैरिंग राशि से अधिक नहीं है, जो निवल मूल्यह्रास या परिशोधन के रूप में निर्धारित की जाती, यदि क्षति नुकसानी को मान्यता न दी गई होती।

2.15 कर्मचारी लाभ

(i) अल्पावधि कर्मचारी लाभ

अल्पावधि कर्मचारी लाभ जैसे अल्पावधि क्षतिपूरित अनुपस्थितियों को, उस वर्ष, जिसमें संबंधित सेवा प्रदान की जाती है, के आय एवं व्यय विवरण में गैर–बट्टा आधार पर खर्च के रूप में मान्यता दी जाती है।

(ii) नियोजनोत्तर लाभ और अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ

क) सुनिश्चित अंशदान योजना

सुनिश्चित अंशदान योजनाएं जैसे भविष्य निधि, पेंशन, कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा और समूह बचत संबद्ध बीमा योजनाओं को, खर्च के रूप में मान्यता दी जाती है और इसे आय एवं व्यय विवरण में प्रभारित किया जाता है। कंपनी, भविष्य निधि के संबंध में, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को सुनिश्चित अंशदान देती है। कंपनी के पास अपने अंशदान के अलावा, इस संबंध में कोई अन्य दायित्व नहीं है, जिसका भुगतान देय होने के समय किया जाता है।

ख) सुनिश्चित लाभ योजना

(i) उपदान

कर्मचारी उपदान निधि योजना का निधिकरण, एक अलग न्यास के माध्यम से जीवन बीमा निगम द्वारा प्रबंधित किया जाता है। जीवन बीमा निगम, जो एक सरकारी उपक्रम है, ने जीवन बीमा निगम के आधार पर वर्ष के दौरान प्रीमियम प्रभारित किया है। तुलन–पत्र में मान्यता दी गई राशि, सुनिश्चित लाभ दायित्वों में से योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य घटाकर और उसमें से, तुलन–पत्र की तारीख को अभी मान्यता न दी गई कोई सेवा लागत घटाकर निकाली गई राशि है।

(ii) छुट्टी लाभ

निगम में एक सुनिश्चित लाभ योजना (छुट्टी लाभ योजना) है, जिसमें निगम के छुट्टी नियमों के अनुसार, संबंधित कर्मचारी के वेतन और रोज़गार के कार्यकाल के आधार पर पात्र कर्मचारियों को कवर किया जाता है। छुट्टी लाभ जैसे छुट्टी नकदीकरण, चिकित्सा छुट्टी आदि को वर्ष के अंत में यथास्थिति बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

2.16 विशेष आरक्षित निधि

निगम, व्यय से अधिक आय का 10%, भवनों में निवेश करने के लिए और आकस्मिकताओं/आकस्मिक घटनाओं के लिए विशेष राजस्व निधि में अंतरित करता है।

2.17 व्यय एवं प्रावधान

- कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों (लाभार्थियों) के लिए किए गए भुगतान, संवितरण के वर्ष में 'आय एवं व्यय' के विवरण में प्रभारित किए जाते हैं और कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व खर्च होने के कारण इसे अलग से दर्शाया जाता है।
- प्रोत्साहन और अन्य योजनाएं, नकदी आधार पर लेखे में ली जाएंगी।

2.18 आयकर

कंपनी की आय, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (26बी) के अंतर्गत कर से छूट प्राप्त है। इस प्रकार आयकर के लिए किसी प्रावधान की आवश्यकता नहीं है। इसके परिणामस्वरूप "आयकर के लेखांकन के लिए" भारतीय लेखांकन मानक–12 का प्रावधान लागू नहीं होता।

2.19 प्रति शेयर अर्जन

प्रति शेयर अर्जन निर्धारित करने में, कंपनी, इक्विटी शेयरधारकों को प्रदान किए जाने योग्य निवल लाभ पर विचार करती है। प्रति शेयर अर्जनों की संगणना करने में इस्तेमाल किए गए शेयरों की संख्या, इस अवधि के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या है। प्रति शेयर तरलीकृत अर्जन निर्धारित करने में, इक्विटी शेयरधारकों को प्रदान किए जाने योग्य निवल लाभ और इस अवधि के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या, तरलीकरण की संभावना वाले सभी इक्विटी शेयरों के प्रभाव के लिए समायोजित किए जाते हैं।

2.20 आकस्मिक दायित्वों और आकस्मिक परिसंपत्तियां

- आकस्मिक दायित्वों का प्रकटीकरण, निम्नलिखित मामलों में से किसी मामले में किया जाता है:
  - (i) किसी पिछली घटना से उत्पन्न कोई वर्तमान दायित्व, जब यह संभव नहीं है कि इस दायित्व का निपटान करने के लिए संसाधनों का बहिर्वाह आवश्यक होगा; या
  - (ii) वर्तमान दायित्व का कोई विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता; या
  - (iii) कोई संभावित दायित्व, जब तक संसाधन के बहिर्वाह की संभावना अल्पतम है।
- आकस्मिक परिसंपत्तियों का प्रकटीकरण किया जाता है, जहां आर्थिक लाभों के अंतर्वाह की संभावना हो।
- आकस्मिक दायित्वों और आकस्मिक परिसंपत्तियों के प्रति आकस्मिक दायित्वों और प्रावधानों की समीक्षा, प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को की जाती है।
- आकस्मिक देयता, निपटान पर संभावित बहिर्वाह पर विचार करते हुए निवल अनुमानित प्रावधान हैं।

2.21 उचित मूल्य मापन

कंपनी, प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को उचित मूल्य पर वित्तीय विलेखों को मापती है। उचित मूल्य वह कीमत है, जो मापन की तारीख को कोई परिसंपत्ति बेचने के लिए प्राप्त होगी या बाज़ार सहभागियों के बीच किसी सामान्य लेनदेन में कोई देयता के लिए भुगतान की जाएगी। उचित मूल्य मापन, उस पूर्वानुमान पर आधारित होता है जो कि परिसंपत्ति बेचने या दायित्व अंतरित करने के लिए लेनदेन निम्नलिखित में से किसी एक तरीके से किया जाता है:

- परिसंपत्ति या दायित्व के लिए मुख्य बाज़ार में; या
- किसी मुख्य बाज़ार के अभाव में, परिसंपत्ति या दायित्व के लिए सर्वाधिक लाभदायक बाज़ार में।

मुख्य या सर्वाधिक लाभदायक बाज़ार कंपनी के लिए सुगम होना चाहिए। किसी परिसंपत्ति या कोई दायित्व का उचित मूल्य, इन पूर्वानुमानों का इस्तेमाल करके मापा जाता है कि बाज़ार सहभागी, परिसंपत्ति या देयता को मूल्यांकित करते समय इसका इस्तेमाल यह मानते हुए करेंगे कि बाज़ार सहभागी उनके सर्वोत्तम आर्थिक हित में कार्य करते हैं। कंपनी, ऐसी मूल्यांकन तकनीकों का इस्तेमाल करती हैं, जो उन परिस्थितियों में समुचित हैं और सुसंगत प्रत्यक्ष इनपुटों का इस्तेमाल अधिकतम करते हुए और अप्रत्यक्ष इनपुटों का इस्तेमाल न्यूनतम करते हुए, जिनके लिए उचित मूल्य मापने हेतु पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध हैं।

ऐसी परिसंपत्तियों और दायित्वों, जिनके लिए उचित मूल्य मापा जाता है और वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण किया जाता है, को पूरे उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण निम्नतम स्तरीय इनपुट पर आधारित, निम्नलिखित के रूप में विनिर्धारित उचित मूल्य अनुक्रम के अंदर श्रेणीकृत किया जाता है:

- स्तर 1 – समान परिसंपत्तियों या दायित्वों के लिए सक्रिय बाज़ारों में उद्धृत (असमायोजित) बाज़ार मूल्य।
- स्तर 2 – ऐसी मूल्यांकन तकनीकें, जिनके लिए उचित मूल्यांकन मापन के लिए

महत्वपूर्ण निम्नतम स्तरीय इनपुट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवलोकन योग्य हैं।

- स्तर 3 – ऐसी मूल्य तकनीकें, जिनके लिए, उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण निम्नतम स्तरीय इनपुट, अवलोकन न किए जाने योग्य हैं।

ऐसी परिसंपत्तियों और देयताओं के लिए, जिन्हें वित्तीय विवरणों में आवर्ती आधार पर मान्यता दी जाती है, कंपनी यह निर्धारित करती है कि क्या अंतरण, प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में श्रेणीकरण पुनः निर्धारित करके (पूरे उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण निम्नतम स्तरीय इनपुट पर आधारित) अनुक्रम में स्तरों के बीच किए गए हैं।

रिपोर्टिंग की तारीख को, कंपनी, परिसंपत्तियों और देयताओं के मूल्य में संचालनों का विश्लेषण करती है, जिनका पुनःमापन या पुनःनिर्धारण लेखांकन नीतियों के अनुसार किया जाना आवश्यक है। इस विश्लेषण के लिए, कंपनी, संविदाओं और अन्य सुसंगत दस्तावेज़ों की मूल्यांकन संगणना में अनुप्रयुक्त प्रमुख इनपुटों का सत्यापन करती है।

कंपनी, प्रत्येक परिसंपत्ति और देयताओं के उचित मूल्यांकन में हुए परिवर्तन का भी मिलान सुसंगत बाह्य स्रोतों के साथ यह पता लगाने हेतु करती है कि क्या परिवर्तन तर्कसंगत हैं।

उचित मूल्य प्रकटीकरण के उद्देश्य के लिए कंपनी ने, ऊपर स्पष्ट किए गए उचित मूल्य अनुक्रम के स्तर पर और परिसंपत्ति या देयताओं के स्वरूप, गुण और जोखिमों के आधार पर परिसंपत्तियों और देयताओं की श्रेणियां निर्धारित की हैं।

2.22 वित्तीय विलेख

(i) आरंभिक मान्यता और मापन

इनमें लेनदेन संबंधी ऐसी लागतें जोड़कर या कम करके, जो प्रत्यक्ष रूप से अधिग्रहण या वित्तीय विलेख जारी करने के लिए प्रदान किए जाने योग्य हैं, वित्तीय विलेखों को इसके उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है।

(ii) उत्तरवर्ती मापन

वित्तीय परिसंपत्तियां

वित्तीय परिसंपत्तियां निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत की गई हैं:

(अ) परिशोधित लागत पर

किसी वित्तीय परिसंपत्ति का मापन, परिशोधित लागत पर किया जाएगा, यदि निम्नलिखित में से दोनों शर्तें पूरी की गई हैं:

(क) वित्तीय परिसंपत्ति, किसी व्यवसाय मॉडल के अंदर धारित है, जिसका उद्देश्य, संविदात्मक नकद प्रवाह प्राप्त करने की दृष्टि से वित्तीय परिसंपत्तियां धारित करना है; और

(ख) वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें, विनिर्दिष्ट तारीखों को, ऐसे नकद प्रवाह उत्पन्न करती हैं, जो बकाया मूलधन पर अनन्य रूप से मूलधन और ब्याज के भुगतान हैं।

वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन, हानिकरण, यदि कोई है, कम करके, प्रभावी ब्याज दर पद्धति का इस्तेमाल करके, परिशोधित लागत पर किया

जाता है। आय एवं व्यय विवरण में वित्तीय आय में, ईआईआर परिशोधन शामिल है।

(आ) अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर (एफवीटीओसीआई)

'ऋण विलेख' अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर वर्गीकृत किया जाता है, यदि निम्नलिखित में से दोनों मापदंड पूरे किए गए हैं:

- व्यवसाय मॉडल का उद्देश्य, संविदात्मक नकदी प्रवाह संगृहीत करके और वित्तीय परिसंपत्तियां बेचकर दोनों तरीके से प्राप्त किया गया है; और
- परिसंपत्ति का संविदात्मक नकदी प्रवाह, अनन्य रूप से मूलधन और ब्याज (एसपीपीआई) के भुगतान को प्रदर्शित करता है।

एफवीटीओसीआई के अंदर शामिल किए गए ऋण विलेखों का मापन आरंभतः और प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को उचित मूल्य पर किया जाता है। उचित मूल्य संचलनों को, अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता दी जाती है। तथापि, कंपनी, आय और व्यय विवरण में, ब्याज संबंधी आय, नुकसान से होने वाली हानियों एवं प्रत्यावर्तनों और विदेशी विनिमय लाभ या हानि को मान्यता देती है। परिसंपत्ति, ओसीआई में पहले मान्यता दिए गए संचयी लाभ या हानि की मान्यता समाप्त कर दिए जाने पर इन्हें इक्विटी से लाभ एवं हानि में पुनः वर्गीकृत किया जाता है। अर्जित ब्याज को, ईआईआर पद्धति का इस्तेमाल करके मान्यता दी है।

(इ) लाभ एवं हानि के जरिए उचित मूल्य पर (एफवीटीपीएल)

'लाभ एवं हानि के जरिए उचित मूल्य पर' (एफवीटीपीएल), वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए एक अवशिष्ट श्रेणी है। कोई वित्तीय परिसंपत्ति, जो परिशोधित लागत पर या एफवीटीओसीआई में दिए गए श्रेणीकरण का मापदंड पूरा नहीं करती, को एफवीटीपीएल पर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

इसके अलावा, कंपनी ऐसी वित्तीय परिसंपत्ति को एफवीटीपीएल पर के रूप में नामोद्दिष्ट करने का विकल्प चुन सकती है, जो अन्यथा परिशोधित लागत या एफवीटीओसीआई के मापदंड पूरा करती है, यदि ऐसा करना मापन या मान्यता की असंगतता को कम करता है या समाप्त करता है। कंपनी ने किसी वित्तीय परिसंपत्ति को एफवीटीपीएल के रूप में नामोद्दिष्ट नहीं किया है।

एफवीटीपीएल श्रेणी के अंदर शामिल की गई वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन, आय एवं व्यय विवरण में मान्यता दिए गए सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर किया जाता है।

वित्तीय देयताएं

(क) परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं

व्यापार और अन्य भुगतान योग्य राशियों, प्रतिभूति जमा राशियों और अवधारण राशि द्वारा प्रदर्शित परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताओं को आरंभतः उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और तत्पश्चात इसे प्रभावी ब्याज दर पद्धति का इस्तेमाल करके परिशोधित मूल्य पर लिया जाता है।

(ख) एफवीटीपीएल पर वित्तीय देयता

कंपनी ने किसी वित्तीय देयता को, एफवीटीपीएल पर नामोद्दिष्ट नहीं किया है।

(iii) मान्यता समाप्त करना

- वित्तीय परिसंपत्ति

वित्तीय परिसंपत्ति (या, जहां लागू हो, वित्तीय परिसंपत्ति के किसी भाग या उसी प्रकार की वित्तीय परिसंपत्तियों के किसी समूह के भाग) की मान्यता केवल तभी समाप्त की जाती है जब परिसंपत्ति से नकदी प्रवाहों के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं या यह वित्तीय परिसंपत्तियां और परिसंपत्ति के स्वामित्व के पर्याप्ततः सभी जोखिम और रिवार्डस अंतरित कर देती है।

- वित्तीय देयता

वित्तीय देयता की मान्यता तभी समाप्त की जाती है, जब देयता के अंतर्गत उत्तरदायित्व का निर्वहन कर दिया जाता है या निरस्त कर दिया जाता है या समाप्त हो जाता है। जब कोई वर्तमान वित्तीय देयता, पर्याप्ततः भिन्न शर्तों पर उसी ऋणी से अन्य ऋणी द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है या किसी वर्तमान देयता की शर्तें पर्याप्ततः संशोधित कर दी जाती हैं तो ऐसी अदला–बदली या संशोधन को मूल देयता की मान्यता समाप्त करने के रूप में माना जाता है और किसी नई देयता की मान्यता और संबंधित कैरिंग राशियों में अंतर को आय एवं व्यय विवरण में मान्यता दी जाती है।

(iv) वित्तीय परिसंपत्तियों का हानिकरण

(i) कंपनी, तुलन–पत्र की प्रत्येक तारीख को यह आकलन करती है कि क्या वित्तीय परिसंपत्ति का हानिकरण हुआ है। भारतीय लेखांकन मानक–109 में, प्रत्याशित क्रेडिट हानियों (ईसीएल) को, हानि अनुमति के जरिए मापे जाने की अपेक्षा की गई है।

(ii) संविदा परिसंपत्तियों/व्यापार प्राप्तव्यों के अलावा अन्य सभी वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए, प्रत्याशित क्रेडिट हानियों को 12 माह के बराबर राशि पर या जीवनकाल ईसीएल के बराबर राशि पर मापा जाएगा, यदि वित्तीय परिसपंत्ति पर क्रेडिट जोखिम में इसकी आरंभिक मान्यता से पर्याप्त रूप में वृद्धि हो गई है।

(iii) इस अवधि के दौरान मान्यता दी गई ईसीएल क्षति नुकसानी भत्ते (या रिवर्सल) को आय एवं व्यय विवरण में आय/व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

2.23 बिक्री के लिए रखी गई गैर–चालू परिसंपत्तियां (या निपटान समूह)

गैर–चालू परिसंपत्तियां (या निपटान समूह), बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत की जाती हैं, जब उनकी कैरिंग राशि, किसी बिक्री लेनदेन के जरिए सिद्धांत रूप में वसूल की जानी हैं और बिक्री अत्यधिक संभावना वाली केवल तभी मानी जाती है, जब परिसंपत्ति या निपटान समूह, उसकी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध है। ऐसी संभावना नहीं है कि बिक्री वापस ले ली जाएगी और बिक्री, वर्गीकरण की तारीख से एक वर्ष के अंदर प्रत्याशित है। बिक्री के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत निपटान समूहों का उल्लेख, कैरिंग राशि के निम्नतर स्तर पर और उचित मूल्य में से बिक्री करने की लागत घटाकर आए मूल्य पर किया जाता है। बिक्री के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत कर दिए जाने के पश्चात संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास नहीं किया जाता या इन्हें

परिशोधित नहीं किया जाता। बिक्री के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियां और दायित्व, तुलन–पत्र में अलग से प्रस्तुत की जाती हैं।

यदि भारतीय लेखांकन मानक–105 "बिक्री के लिए रखी गई गैर–चालू परिसंपत्तियां और बंद कर दिए गए प्रचालन" द्वारा उल्लिखित मापदंड पूरे नहीं किए गए हैं तो निपटान समूह का, बिक्री के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत किया जाना समाप्त हो जाता है। गैर–चालू परिसंपत्ति, जिसका बिक्री के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत किया जाना समाप्त हो जाता है, का मापन (i) बिक्री के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत किए जाने से पहले की मूल्यह्रास के लिए समायोजित इसकी कैरिंग राशि, जिसे मान्यता दी जाती है, यदि वह परिसंपत्ति, बिक्री के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत न की गई होती; (ii) उस तारीख, जब निपटान समूह, बिक्री के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत किया जाना समाप्त होता है, को इसकी वसूली योग्य राशि से निम्नतर राशि पर किया जाता है।

2.24 भारतीय लेखांकन मानक–115 : ग्राहकों के साथ किए जाने वाले संविदाओं से राजस्व (आय)

एमसीए ने, दिनांक 28 मार्च, 2018 में, ग्राहकों के साथ किए जाने वाले संविदाओं से आय पर भारतीय लेखांकन मानक–115 अधिसूचित किया था। इस मानक में, एक नया पांच चरण वाला मॉडल स्थापित किया गया था, जो ग्राहकों के साथ किए जाने वाले संविदाओं से उत्पन्न आय पर लागू होगा। भारतीय लेखांकन मानक–115 के अंतर्गत, आय को उस राशि पर मान्यता दी जाती है, जो उस प्रतिफल को दर्शाती है, जिसके लिए प्रतिष्ठान, किसी ग्राहक को सामान या सेवाएं अंतरित करने के बदले में हकदार होने की आशा करते हैं। भारतीय लेखांकन मानक–115 में दिए गए सिद्धांतों में, आय का मापन करने और मान्यता देने के अधिकाधिक संरचित दृष्टिकोण का प्रावधान किया गया है। नया आय मानक सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होता है और भारतीय लेखांकन मानक के अंतर्गत वर्तमान आय मान्यता की सभी शर्तों को अधिक्रमित करेगा।

भारतीय लेखांकन मानक–115 की प्रभावी तारीख, वार्षिक अवधि की आरंभ की तारीख या 1 अप्रैल, 2018 के पश्चात है। कंपनी के लिए यह आवश्यक है कि वह 01 अप्रैल, 2018 से आरंभ होने वाले वित्तीय वर्ष तक यह मानक अपना ले।

कंपनी, वर्तमान में भारतीय लेखांकन मानक–115 का मूल्यांकन कर रही है और वित्तीय विवरणों पर इससे प्रभाव अभी निर्धारित नहीं किए गए हैं।

टिप्पणी:– 3
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(₹ लाख में)

विवरण	भवन फ्रीहोल्ड	भवन लीजहोल्ड	फर्नीचर, फिक्सचर और फिटिंग्स	वाहन	कार्यालय उपकरण	कंप्यूटर	कुल
लागत या मानित लागत							
01 अप्रैल, 2016 को	**22.48**	**635.37**	**113.35**	**15.01**	**30.08**	**65.97**	**882.27**
अभिवर्धन	-	-	3.03	0.44	4.45	13.39	21.31
निपटान/समायोजन	-	-	(2.39)	(0.02)	(1.42)	(2.22)	(6.05)
31 मार्च, 2017 को	**22.48**	**635.37**	**113.99**	**15.43**	**33.11**	**77.14**	**897.53**
अभिवर्धन	-	-	1.95	-	7.79	14.38	24.12
निपटान/समायोजन	-	-	(9.74)	(0.02)	(3.82)	(1.99)	(15.56)
31 मार्च, 2018 को	**22.48**	**635.37**	**106.21**	**15.42**	**37.09**	**89.52**	**906.09**
मूल्यह्रास और हानिकरण							
01 अप्रैल, 2016 को	**15.84**	**152.07**	**106.33**	**6.81**	**24.30**	**62.25**	**367.60**
वर्ष के लिए मूल्यह्रास प्रभार	0.32	22.64	0.91	2.83	3.35	6.75	36.80
हानिकरण	-	-	-	-	-	-	-
निपटान/समायोजन	-	-	(2.32)	(0.01)	(1.30)	(2.06)	(5.69)
31 मार्च, 2017 को	**16.16**	**174.71**	**104.92**	**9.63**	**26.35**	**66.94**	**398.71**
वर्ष के लिए मूल्यह्रास प्रभार	0.32	20.97	1.32	1.93	4.89	8.99	38.42
हानिकरण	-	-	-	-	-	-	-
निपटान/समायोजन	-	-	(9.35)	(0.02)	(3.55)	(1.89)	(14.81)
31 मार्च, 2018 को	**16.48**	**195.69**	**96.88**	**11.54**	**27.68**	**74.04**	**422.32**
निवल बुक मूल्य							
31 मार्च, 2018 को	**6.00**	**439.68**	**9.33**	**3.88**	**9.40**	**15.48**	**483.77**
31 मार्च, 2017 को	**6.32**	**460.66**	**9.08**	**5.81**	**6.76**	**10.20**	**498.82**

टिप्पणी:– 3.1 कंपनी ने, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–II में यथाविनिर्दिष्ट, स्थिर परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास/परिशोधन पर लेखांकन नीति में प्रकट की गई कुछ परिसंपत्तियों को छोड़कर अनुमानित उपयोगी जीवनकाल लागू किया है। तदनुसार, अपरिशोधित कैरिंग मूल्य का मूल्यह्रास/परिशोधन, संशोधित/बाकी उपयोगी जीवनकाल पर किया जा रहा है।

टिप्पणी:– 3.2 भवनों में, लीजहोल्ड और फ्रीहोल्ड दोनों भवन शामिल हैं। लीजहोल्ड भवनों में, स्वामित्व/उप–पट्टे का अंतरण लंबित रहते, उप–पट्टे पर खरीदा गया, स्कोप मीनार भवन स्थित परिसर शामिल है। इसके अलावा, मुंबई में खरीदे गए दो फ्लैटों का औपचारिक विलेख म्हाडा और आवास समिति के बीच अभी निष्पादित किया जाना है।

टिप्पणी :– 4
विनिधान संपत्ति

(₹ लाख में)

विवरण	फ्रीहोल्ड भवन	कुल
लागत या मानित लागत		
01 अप्रैल, 2016 को	**46.50**	**46.50**
अभिवर्धन	-	-
निपटान/समायोजन	-	-
31 मार्च, 2017 को	**46.50**	**46.50**
अभिवर्धन	-	-
निपटान/समायोजन	-	-
31 मार्च, 2018 को	**46.50**	**46.50**
मूल्यह्रास और हानिकरण		
01 अप्रैल, 2016 को	**30.88**	**30.88**
वर्ष के लिए मूल्यह्रास प्रभार	0.75	0.75
हानिकरण	-	-
निपटान/समायोजन	-	-
31 मार्च, 2017 को	**31.63**	**31.63**
वर्ष के लिए मूल्यह्रास प्रभार	0.70	0.70
हानिकरण	-	-
निपटान/समायोजन	-	-
31 मार्च, 2018 को	**32.33**	**32.33**
निवल कुल मूल्य		
31 मार्च, 2018 को	**14.17**	**14.17**
31 मार्च, 2017 को	**14.87**	**14.87**

टिप्पणी:– 4.1 कंपनी ने, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–II में यथाविनिर्दिष्ट स्थिर परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास/परिशोधन पर लेखांकन नीति में प्रकट की गई कुछ परिसंपत्तियों को छोड़कर अनुमानित उपयोगी जीवनकाल लागू किया है। तदनुसार, अपरिशोधित कैरिंग मूल्य का मूल्यह्रास/परिशोधन, संशोधित/बाकी उपयोगी जीवनकाल पर किया जा रहा है।

टिप्पणी :– 5
अमूर्त परिसंपत्तियां

(₹ लाख में)

विवरण	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	कुल
लागत या मानित लागत		
1 अप्रैल, 2016 को	**11.53**	**11.53**
वर्ष के दौरान अभिवर्धन	3.35	3.35
समायोजन	-	-
31 मार्च, 2017 को अंतःशेष	**14.88**	**14.88**
वर्ष के दौरान अभिवर्धन	-	-
समायोजन	-	-
31 मार्च, 2018 को अंतःशेष	**14.88**	**14.88**
परिशोधन और हानिकरण		
01 अप्रैल, 2016 को	**9.62**	**9.62**
वर्ष के दौरान अभिवर्धन	0.94	0.94
वर्ष के दौरान हानिकरण	-	-
31 मार्च, 2017 को अंतःशेष	**10.56**	**10.56**
वर्ष के दौरान अभिवर्धन	3.03	3.03
वर्ष के दौरान हानिकरण	-	-
31 मार्च, 2018 को अंतःशेष	**13.59**	**13.59**
निवल कैरिंग मूल्य		
31 मार्च, 2018 को	**1.29**	**1.29**
31 मार्च, 2017 को	**4.32**	**4.32**

टिप्पणी :– 6
विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां

(₹ लाख में)

विवरण	राशि
लागत या मानित लागत	
1 अप्रैल, 2016 को	-
वर्ष के दौरान अभिवर्धन	-
समायोजन	-
31 मार्च,' 2017 को अंतःशेष	-
वर्ष के दौरान अभिवर्धन	10.35
समायोजन	-
31 मार्च, 2018 को अंतःशेष	**10.35**
31 मार्च, 2018 को	**10.35**
31 मार्च, 2017 को	-

टिप्पणी 6.1: वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान, कौशल प्रशिक्षण के लिए मॉड्यूल सहित एनएसएफडीसी की वेबसाइट का नया संस्करण एनसीटीआई द्वारा विकसित किया जा रहा था। इसके निमित्त, वेबसाइट के विकास और होस्टिंग के लिए 8.99 लाख रुपए और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा संस्थान से वेबसाइट के लिए सर्वर स्पेस के किराए हेतु 1.36 लाख रुपए खर्च किए गए। वेबसाइट 21.05.2018 को होस्ट की गई है।

टिप्पणी:– 7 वित्तीय परिसंपत्तियां – ऋण

ऋणों का गैर–चालू भाग, 'गैर–चालू वित्तीय परिसंपत्तियां – ऋण' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है और ऋणों का चालू भाग चालू वित्तीय परिसंपत्तियां – ऋण के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार		कुल	31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार		कुल
	गैर–चालू	चालू		गैर–चालू	चालू	
I क. ऋण (अप्रतिभूत – अच्छा समझा गया)						
i) मियादी ऋण संवितरण (नोट 7.1 का संदर्भ लें)	316,044.10	-	316,044.10	281,955.80	-	281,955.80
घटाएं : धन वापसी/वापस मंगाया	(46,910.61)	-	(46,910.61)	(35,824.17)	-	(35,824.17)
घटाएं : पुनर्भुगतान	(165,937.62)	-	(165,937.62)	(152,282.35)	-	(152,282.35)
घटाएं : चालू भाग	(37,359.82)	37,359.82	-	(33,045.99)	33,045.99	-
	65,836.05	37,359.82	103,195.87	60,803.29	33,045.99	93,849.28
ii) लघु ऋण वित्त संवितरण	60,896.45	-	60,896.45	42,150.41	-	42,150.41
घटाएं : धन वापसी/वापस मंगाया	(9,658.20)	-	(9,658.20)	(9,203.06)	-	(9,203.06)
घटाएं : पुनर्भुगतान	(26,398.30)	-	(26,398.30)	(23,275.15)	-	(23,275.15)
घटाएं : चालू भाग	(9,398.37)	9,398.37	-	(7,109.97)	7,109.97	-
	15,441.58	9,398.37	24,839.95	2,562.23	7,109.97	9,672.20
iii) महिला समृद्धि योजना संवितरण	63,977.94	-	63,977.94	57,463.74	-	57,463.74
घटाएं : धन वापसी/वापस मंगाया	(9,976.49)	-	(9,976.49)	(9,110.09)	-	(9,110.09)
घटाएं : पुनर्भुगतान	(34,397.50)	-	(34,397.50)	(26,509.37)	-	(26,509.37)
घटाएं : चालू भाग	(12,862.09)	12,862.09	-	(14,184.62)	14,184.62	-
	6,741.86	12,862.09	19,603.95	7,659.66	14,184.62	21,844.28
iv) महिला किसान योजना संवितरण	1,246.70	-	1,246.70	1,199.50	-	1,199.50
घटाएं : धन वापसी/वापस मंगाया	(448.03)	-	(448.03)	(419.23)	-	(419.23)
घटाएं : पुनर्भुगतान	(526.45)	-	(526.45)	(415.02)	-	(415.02)
घटाएं : चालू भाग	(121.00)	121.00	-	(178.19)	178.19	-
	151.22	121.00	272.22	187.06	178.19	365.25
v) शिल्पी समृद्धि योजना संवितरण	400.65	-	400.65	372.65	-	372.65
घटाएं : धन वापसी/वापस मंगाया	(233.34)	-	(233.34)	(217.64)	-	(217.64)
घटाएं : पुनर्भुगतान	(138.74)	-	(138.74)	(130.09)	-	(130.09)
घटाएं : चालू भाग	(6.71)	6.71	-	(10.18)	10.18	-
	21.86	6.71	28.57	14.74	10.18	24.92

(₹ लाख में)

विवरण		31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार		कुल	31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार		कुल
		गैर-चालू	चालू		गैर-चालू	चालू	
vi)	शिक्षा ऋण योजना संवितरण	4,009.98	-	4,009.98	3,536.29	-	3,536.29
	घटाएं : धन वापसी/वापस मंगाया	(234.13)	-	(234.13)	(234.13)	-	(234.13)
	घटाएं : पुनर्भुगतान	(664.10)	-	(664.10)	(381.52)	-	(381.52)
	घटाएं : चालू भाग	(960.15)	960.15	-	(715.31)	715.31	-
		2,151.60	960.15	3,111.75	2,205.33	715.31	2,920.64
vii)	वीईटीएलएस संवितरण	28.27	-	28.27	28.27	-	28.27
	घटाएं : धन वापसी/वापस मंगाया	-	-	-	-	-	-
	घटाएं : पुनर्भुगतान	-	-	-	-	-	-
	घटाएं : चालू भाग	(5.65)	5.65	-	-	-	-
		22.62	5.65	28.27	28.27	-	28.27
viii)	एएमवाई संवितरण	215.90	-	215.90	-	-	-
	घटाएं : धन वापसी/वापस मंगाया	-	-	-	-	-	-
	घटाएं : पुनर्भुगतान	(27.04)	-	(27.04)	-	-	-
	घटाएं : चालू भाग	(115.08)	115.08	-	-	-	-
		73.78	115.08	188.86	-	-	-
		90,440.56	**60,828.87**	**151,269.43**	**73,460.58**	**55,244.26**	**128,704.84**
	घटाएं : अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता (टिप्पणी: 34 देखें)	(830.91)	-	(830.91)	(887.07)	-	(887.07)
	कुल : I क	**89,609.65**	**60,828.87**	**150,438.52**	**72,573.51**	**55,244.26**	**127,817.77**
I ख.	ऋण प्रतिभूत, अच्छा समझा गया						
i)	मियादी ऋण संवितरण*	-	-	-	24.90	-	24.90
	घटाएं : धन वापसी/वापस मंगाया	-	-	-	-	-	-
	घटाएं : पुनर्भुगतान	-	-	-	(5.97)	-	(5.97)
	घटाएं : चालू भाग	-	-	-	(11.46)	11.46	-
		-	-	-	7.47	11.46	18.93
ii)	महिला समृद्धि योजना	1048.00	-	1,048.00	1,048.00	-	1,048.00
	घटाएं : धन वापसी/वापस मंगाया	-	-	-	-	-	-
	घटाएं : पुनर्भुगतान	(958.00)	-	(958.00)	(878.00)	-	(878.00)
	घटाएं : चालू भाग	(70.00)	70.00	-	(80.00)	80.00	-
		20.00	70.00	90.00	90.00	80.00	170.00
iii)	स्टाफ अग्रिम	213.99	63.86	277.85	190.17	38.24	228.41
	कुल : I ख	**233.99**	**133.86**	**367.85**	**287.64**	**129.70**	**417.34**
	*एफडीआर, पीडीसी के लियन के विरूद्ध						
	कुल : (1क+1ख)	**89,843.63**	**60,962.73**	**1,50,806.36**	**72,861.15**	**55,373.96**	**1,28,235.11**

7.1 वर्ष के विवरण (₹ लाख में)

विवरण	प्रारंभिक शेष 01.04.17	संवितरण 2017–18	पुनर्भुगतान 2017–18	वापसी / वापस मंगाया 2017–18	अंत शेष 31.03.18
मियादी ऋण (टीएल)	93,868.21	34,088.30	13,655.27	11,086.44	103,214.80
लघु ऋण वित्त (एमसीएफ)	9,672.19	18,746.04	3,123.15	455.14	24,839.94
महिला समृद्धि योजना (एमएसवाई)	22,014.28	6,514.20	7,968.13	866.40	19,693.95
महिला किसान योजना (एमकेवाई)	365.25	47.20	111.43	28.80	272.22
शिल्पी समृद्धि योजना (एसएसवाई)	24.92	28.00	8.65	15.70	28.57
शिक्षा ऋण योजना (ईएलएस)	2,920.64	473.69	282.58	-	3,111.75
वीईटीएलएस	28.27	-	-	-	28.27
एएमवाई	**-**	**191.00**	**21.07**	**-**	**169.93**
कुल	**1,28,893.76**	**60,088.43**	**25,170.28**	**12,452.48**	**151,359.43**

टिप्पणी 7.1(क): वर्तमान ऋण वह ऋण राशि है जो वित्तीय वर्ष के अंत तक अगले 12 महीनों के दौरान प्राप्त करने योग्य है।

टिप्पणी 7.1(ख): वर्तमान ऋण नीति के तहत, निर्धारित समय के बाद ऋण की अप्रयुक्त धनराशि पुनर्भुगतान योग्य है। हालांकि, जैसा कि यह मौजूदा परिस्थिति में अनिश्चित है, उसे 'गैर–चालू' में लिया जाएगा।

टिप्पणी 7.1(ग): एससीए गारंटी प्रकटीकरण

2001 में निगम के विभाजन के परिणामस्वरूप, पूर्व राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम की सभी संपत्तियों और देनदारियों को, वास्तविक परिसंपत्तियों के मूल्य और ब्याज की उच्च दर (एचआरआई) और चूक भुगतान (एलडीडीपी) पर नकद हानि के नुकसान को छोड़कर 2:1 के अनुपात में विभाजित किया गया था।

दोनों निगमों के अधिकारियों की एक बैठक संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, सा.न्या. और अधि.मं. और जनजातीय मामलों के मंत्रालय के कार्यालय में हुई थी। उपर्युक्त बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि एनएससीएसटीएफडीसी के पास विभाजन के दिन (अर्थात् 10.04.2001) को उपलब्ध सरकारी गारंटी को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों के हाल ही में संशोधित अनुपात में संबंधित राज्य सरकार को पत्रों के आदान–प्रदान द्वारा सूचना के माध्यम से स्थानांतरित किया जाएगा। उपर्युक्त गारंटियां अभी भी पूर्व एनएससीएसटीएफडीसी के नाम पर ही हैं।

तदनुसार, दिनांक 07.09.2006 के विभिन्न पत्र सं. एनएसएफडीसी / वित्त–ऋण / बीएफ–02 / खंड–II / के माध्यम से 10.04.2001 को विशिष्ट राज्य सरकार गारंटी (अभी भी पूर्व निगम के नाम पर) की उपलब्धता निम्नलिखित राशि अनुसार कम हो गई है:

(i) कर्नाटक – रु.671.42 लाख, (ii) धाडको – रु.184.18 लाख, (iii) मणिपुर – रु.116.25 लाख, (iv) आंध्र प्रदेश (डीआरडीए) – रु.63.00 लाख, (v) हिमाचल प्रदेश – रु.204.21 लाख, (vi) जम्मू व कश्मीर – रु.304.09 लाख, (vii) केरल – रु.95.49 लाख, (viii) ओडिशा – रु.108.17 लाख और (ix) राजस्थान – रु.289.24 लाख

टिप्पणी 7.1(घ)

दिए गए ऋणों के संबंध में, कंपनी ने 5343.55 लाख रुपए (पिछले वर्ष 4526.10 लाख रुपए) की सरकारी गारंटी प्राप्त की है। कंपनी द्वारा प्राप्त कानूनी राय के अनुसार, सरकारी आश्वासन, सरकारी विलेख / आदेश के अनुरूप नहीं है। जोकि मध्यस्थता के माध्यम से विवादित मामलों में भी लागू किया जा सकता है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, कंपनी उन मामलों में वसूली करने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम है जहां बकाया ऋण राशि के संबंध में सरकारी गारंटी दी गई है।

टिप्पणी:– 8 अन्य वित्तीय परिस्थितियां – गैर–चालू (₹ लाख में)

विवरण		31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार
i)	प्रतिभूति जमा (टिप्पणी 8.1 देखें) अप्रतिभूत, अच्छा माना गया	4.34	4.34
	कुल	**4.34**	**4.34**

टिप्पणी:– 8.1 प्रतिभूति जमा में टेलीफोन और टेलेक्स प्रतिभूति शामिल हैं।

टिप्पणी:– 9 अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियां (₹ लाख में)

विवरण		31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार
i)	वसूलीयोग्य अग्रिम (संदिग्ध)	1,539.99	1,540.01
	घटाएं: अशोध्य और संदिग्ध		
	जमा राशि के लिए अनुमति (टिप्पणी 34 देखें)	(1,539.99)	(1,540.01)
ii)	प्रदत्त व्यय (टिप्पणी 9.2 देखें)	50.04	47.71
		50.04	**47.71**

टिप्पणी :– 9.1 वसूलीयोग्य अग्रिम में पनबायर से वसूली योग्य रु.1,539.99/– लाख शामिल है।

टिप्पणी :– 9.2 पूर्वप्रदत्त व्यय में कर्मचारी ऋण और अग्रिम के गैर–परिशोधित अंश या प्रारंभिक मान्यता और दिए गए ऋण पर वित्तीय परिसंपत्तियों के उचित मूल्य के बीच अंतर का रु.50.04 लाख (2016–17 : रु.47.71 लाख) शामिल है।

टिप्पणी:– 10 नकद और नकद समकक्ष (₹ लाख में)

विवरण		31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार
i)	नकद और बैंक शेष		
	हस्तांगत नकद	-	-
	बचत खाते में	1,454.97	1,848.79
	कुल	**1,454.97**	**1,848.79**

टिप्पणी:– 11 नकद और नकद समकक्ष के अलावा बैंक शेष (₹ लाख में)

विवरण		31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार
i)	अन्य बैंक शेष		
	एफडीआर में	26,738.64	27,510.68
ii)	अनुदान निधियां		
	विशेष आरक्षित निधि निवेश खाता	3,283.72	2,606.51
	अन्य (टिप्पणी 11.1 देखें)	2,029.51	957.85
	कुल	**32,051.87**	**31,075.04**

टिप्पणी :– 11.1 अन्य बैंक शेषों – अनुदान निधियों में, प्रशिक्षण के लिए अनुदान की शर्तों के अनुसार लक्ष्य समूह के उपयोग हेतु बनाई गई निधियां शामिल हैं।

टिप्पणी :– 12 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (₹ लाख में)

विवरण		31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार
i)	**प्राप्तव्य ब्याज**	4,418.36	4,155.75
	घटाएं : अशोध्य और संदिग्ध ब्याज के लिए अनुमति (टिप्पणी :12.1 और 34 देखें)	(584.48)	(531.90)
	कुल	**3,833.88**	**3,623.85**
ii)	**अन्य**		
	बचत बैंक खाते पर प्राप्तव्य ब्याज	6.49	4.12
	जमा राशियों पर प्राप्तव्य परंतु अदेय ब्याज	1,114.66	437.44
	विशेष आरक्षित निधि पर प्राप्तव्य परंतु अदेय ब्याज	132.65	119.83
	प्राप्तव्य किराया	0.41	0.41
	प्राप्तव्य राशि	89.39	51.43
	कुल	**5,177.48**	**4,237.08**

टिप्पणी :– 12.1 बीएससीडीसी से अतिदेय राशियों के संबंध में रु.52.58 लाख (2016–17: रु.53.41 लाख) का ब्याज लेखांकन नीति 2.11(i)(क) के अनुसार बुक कर दिया गया है।

टिप्पणी :– 13 चालू कर परिसंपत्तियां (₹ लाख में)

विवरण		31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार
i)	प्राप्तव्य टीडीएस	11.65	9.81
	कुल	**11.65**	**9.81**

टिप्पणी – 14 अन्य चालू परिसंपत्तियां (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार
पूंजीगत अग्रिम के अलावा अग्रिम		
कर्मचारियों को अग्रिम	6.98	7.91
पार्टियों को अग्रिम	24.64	96.69
अन्य		
पूर्व–प्रदत्त खर्चे	9.02	5.95
उपदान योजना परिसंपत्तियां	66.26	12.22
कुल	**106.90**	**122.77**

टिप्पणी :– 14.1 पूर्वप्रदत्त व्यय में कर्मचारी ऋण और अग्रिम के गैर–परिशोधित अंश या प्रारंभिक मान्यता और दिए गए ऋण पर वित्तीय परिसंपत्तियों के उचित मूल्य के बीच अंतर का रु.6.53 लाख (2016–17 : रु.4.83 लाख) शामिल है।

टिप्पणी: – 15 शेयर पूंजी (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार
प्राधिकृत शेयर पूंजी		
प्रति 1000 रुपए के 1,50,00,000 इक्विटी शेयर (31.03.2017 की स्थिति के अनुसार : प्रति 1000 रुपए के 1,50,00,000 इक्विटी शेयर)	150,000.00	150,000.00
जारी की गई/अभिदत्त और प्रदत्त पूंजी		
प्रति 1000 रुपए 1,34,80,100 इक्विटी शेयर (31.03.2017 की स्थिति के अनुसार: 1,21,80,200) प्रति 1000 रुपए के इक्विटी शेयर	134,801.00	121,802.00
	134,801.00	**121,802.00**

टिप्पणी: – 15.1 इक्विटी शेयरों की संख्या और शेयर पूंजी का सामांजस्य

विवरण	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार	
	(शेयरों की संख्या लाख में)	(शेयरों की संख्या लाख में)	(शेयरों की संख्या लाख में)	(शेयरों की संख्या लाख में)
वर्ष के आरंभ में बकाया, जारी की गई/अभिदत्त और प्रदत्त इक्विटी पूंजी	121.80	121802.00	99.81	99,813.00
जोड़ें: वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर	13.00	12999.00	21.99	21,989.00
वर्ष के अंत में बकाया, जारी की गई/अभिदत्त और प्रदत्त इक्विटी पूंजी	**134.80**	**134,801.00**	**121.80**	**121,802.00**

इक्विटी शेयरों से संबद्ध शर्तें और अधिकार

निगम के पास इक्विटी शेयरों का केवल एक वर्ग है, जो 1000 रुपए प्रति शेयर के सममूल्य वाले हैं। प्रत्येक इक्विटी शेयर धारक प्रति शेयर एक वोट के हकदार है। कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त कर लिया है। इसलिए कंपनी द्वारा लाभांश भुगतानयोग्य नहीं है।

टिप्पणी: – 15.2 कंपनी में कुल मिलाकर 5% से अधिक शेयर रखने वाले शेयर धारकों के शेयरों के ब्योरे (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार	
	(शेयरों की संख्या लाख में)	होल्डिंग का%	(शेयरों की संख्या लाख में)	होल्डिंग का%
इक्विटी शेयर	134.80	100.00%	121.80	100.00%
भारत के राष्ट्रपति	**134.80**	**100.00%**	**121.80**	**100.00%**

टिप्पणी: 16 अन्य इक्विटी (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार
अन्य आरक्षित		
विशेष आरक्षित	3964.11	3,283.72
सामान्य आरक्षित	43,444.83	39,273.30
आबंटन लंबित रहने तक शेयर आवेदन राशि	-	178.00
अंतः शेष	**47,408.94**	**42,735.02**

टिप्पणी :– 16.1 विशेष आरक्षित (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार
वर्ष के आरंभ की स्थिति के अनुसार शेष	3,283.72	2607.15
जोड़े : विशेष आरक्षित निधि निवेश पर ब्याज	210.27	180.34
जोड़े : आय एवं व्यय लेखे से अंतरित (टिप्पणी 16.4 और 16.5 देखें)	470.11	496.23
अंतःशेष	**3,964.11**	**3,283.72**

टिप्पणी :– 16.2 सामान्य आरक्षित (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार
वर्ष के आरंभ की स्थिति के अनुसार शेष	39,273.30	34,867.57
जोड़े : आय एवं व्यय लेखे से अंतरित (टिप्पणी 16.4 और 16.5 देखें)	4,281.50	4,404.69
जोड़े : सुनिश्चित लाभ देयताओं के पुनर्मापन से उत्पन्न अन्य व्यापक आय	-109.97	1.04
अंतःशेष	**43,444.83**	**39,273.30**

टिप्पणी :– 16.3 आवंटित लंबित शेयर आवेदन राशि (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार
वर्ष के आरंभ की स्थिति के अनुसार शेष	178.00	8,367.00
जोड़े : वर्ष के दौरान प्राप्त शेयर आवेदन राशि	-	178.00
घटाएं : वर्ष के दौरान आवंटित शेयर	-178.00	-8,367.00
अंतःशेष	-	**178.00**

टिप्पणी :– 16.4 लेखांकन नीति–2.16 के अनुसरण में, लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार ब्याज सहित रु.3283.72/– लाख की विशेष आरक्षित निधि का निवेश अलग से किया गया है।

टिप्पणी :– 16.5

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार
आरंभिक शेष		
जोड़ें : आय व व्यय खाते से अंतरित	4,751.61	4,900.92
घटाएं : विशेष आरक्षित निधि में अंतरित 10%	475.16	496.23
घटाएं : पूर्व वर्ष से संबंधित रिवर्स 10% राशि विशेष आरक्षित निधि में अंतरण से सामान्य आरक्षित में अंतरित शेष	5.05	-
साधारण आरक्षित में स्थानांतरित शेष	**4,281.50**	**4,404.69**

टिप्पणी . 17 चालू और गैर–चालू प्रावधान

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार		कुल	31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार		कुल
	गैर–चालू	चालू		गैर–चालू	चालू	
i) कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान						
– छुट्टी लाभ	283.56	17.90	301.46	240.94	6.17	247.11
– बाह्य सेवा अंशदान के लिए प्रावधान	-	-	-	-	2.88	2.88
– कार्य–निष्पादन संबंधी वेतन के लिए प्रावधान	-	250.31	250.31	-	143.13	143.13
ii) अन्य प्रावधान						
– एससीए को प्रोत्साहन के लिए प्रावधान	-	131.12	131.12	-	61.35	61.35
कुल	**283.56**	**399.34**	**682.90**	**240.94**	**213.52**	**454.46**

टिप्पणी 17.1:– वित्तीय वर्ष की समाप्ति से अगले 12 महीने में सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) से संबंधित धनराशि, चालू प्रावधान के रूप में ली गई है।

टिप्पणी :– 17.2 प्रावधानों के ब्योरे :

(₹ लाख में)

विवरण	1 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार	वर्ष 2017–18 के दौरान अभिवर्धन	वर्ष 2017–18 के दौरान किए गए उपयोग / भुगतान	2017–18 के दौरान पुरांकित	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार
छुट्टी लाभ	247.11	88.98	(34.63)	-	301.46
बाह्य सेवा अंशदान के लिए प्रावधान	2.88	-	-	(2.88)	0.00
पीआरपी के लिए प्रावधान	143.13	107.33	-	-	250.46
एससीए को प्रोत्साहन के लिए प्रावधान	0.00	131.12	-	-	131.12
कुल	**393.12**	**327.43**	**-34.63**	**-2.88**	**683.04**

टिप्पणी 17.3 – भारतीय लेखांकन मानक–19 के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन (उपदान, छुट्टी लाभ) का प्रकटीकरण

निधिबद्ध स्थिति के साथ–साथ आय एवं व्यय लेखा विवरण और तुलन–पत्र में मान्यता प्राप्त दीर्घावधि छुट्टी लाभों और उपदान के सुनिश्चित लाभों की सारांशीकृत स्थिति निम्नलिखित है:

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2018 की स्थिति अनुसार		31 मार्च, 2017 की स्थिति अनुसार	
	उपदान (वित्तपोषित)	छुट्टी नकदीकरण (गैर–वित्तपोषित)	उपदान (वित्तपोषित)	छुट्टी नकदीकरण (गैर–वित्तपोषित)
(I) बीमांकिक का मुख्य अनुमान				
मृत्यु दर	आईएएलएम (2006-08)		आईएएलएम (2006-08)	
एट्रिशन दर				
30 वर्षों तक	3%	3%	3%	3%
31 से 44 वर्ष	2%	2%	2%	2%
44 वर्ष से अधिक	1%	1%	1%	1%
बट्टा दर	7.63%	7.63%	7.31%	7.31%
वेतन में वृद्धि (प्रति वर्ष)	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%
योजनागत परिसंपत्तियों पर लाभ की दर (प्रति वर्ष)				लागू नहीं
शेष कार्यकाल	13.01 वर्ष	13.01 वर्ष	13.00 वर्ष	13.42 वर्ष
(II) दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन				
अवधि के आरंभ में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	310.26	247.11	302.52	284.05
ब्याज लागत	22.68	18.06	23.78	22.33
चालू सेवा लागत	19.93	14.16	12.22	12.99
पूर्व सेवा लागत	28.58	-	-	-
प्रदत्त लाभ (यदि कोई है)	0	-34.63	-29.41	-38.13
बीमांकिक (लाभ)/हानि	111.07	56.76	1.17	-34.13
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	**492.52**	**301.46**	**310.26**	**247.11**
(III) तुलन–पत्र में मान्यता दी जाने वाली धनराशि:				
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	558.78	-	322.48	-
वर्ष के अंत की स्थिति के अनुसार दायित्व का वर्तमान मूल्य	492.52	301.46	310.26	247.11
तुलन–पत्र में मान्यता दी गई निवल परिसंपत्ति/ (देयता)	**66.26**	**(301.46)**	**12.22**	**(247.11)**
(IV) आय एवं व्यय विवरण में मान्यता दिए गए व्यय				
चालू सेवा लागत	19.93	14.16	12.20	12.99
पूर्व सेवा लागत	28.58	-	-	-
निवल ब्याज लागत	-0.89	18.06	0.56	22.32
बीमांकिक (लाभ)/हानि	-	56.76	-	-34.13
आय एवं व्यय विवरण में मान्यता दी गई निवल लागत	**47.62**	**88.98**	**12.76**	**1.18**

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2018 की स्थिति अनुसार		31 मार्च, 2017 की स्थिति अनुसार	
	उपदान (वित्तपोषित)	छुट्टी नकदीकरण (गैर-वित्तपोषित)	उपदान (वित्तपोषित)	छुट्टी नकदीकरण (गैर-वित्तपोषित)
(V) योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तनः				
अवधि के आरंभ में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	322.48	0	295.35	0
योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित लाभ	24.67	0	23.21	0
अंशदान	211.63	0	31.12	0
प्रदत्त लाभ	0	0	-29.41	0
योजनागत परिसंपत्तियों पर बीमांकिक लाभ / (हानि)	0	0	2.21	0
अवधि के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**558.78**	**0**	**322.48**	**0**
(VI) अन्य व्यापक आय में मान्यता दिए जाने वाला बीमांकिक लाभ / (हानि):	-109.97	-	1.04	-
	-109.97	-	**1.04**	-

संवेदनशीलता का विश्लेषण

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ लाख में)

निम्नलिखित में परिवर्तन	अनुमानों में परिवर्तन	उपदान दायित्व पर प्रभाव	छुट्टी नकदीकरण पर प्रभाव
बट्टा दर	+0.5%	(19.44)	(12.09)
	-0.5%	20.54	12.79
वेतन की वृद्धि दर	+0.5%	17.03	12.93
	-0.5%	(16.60)	(12.33)

मृत्यु दर और आहरणों के कारण संवेदनशीलताएं महत्वपूर्ण नहीं हैं और इसलिए, परिवर्तनों के प्रभाव का परिकलन नहीं किया गया है। मुद्रास्फीति की दर, भुगतान में प्रावधानों की वृद्धि की दर, सेवानिवृत्ति से पहले पेंशन की वृद्धि की दर और जीवन प्रत्याशा के बारे में संवेदनशीलताएं सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त लाभ होने के कारण लागू नहीं होती।

टिप्पणी – 18 उधारी

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार		कुल	31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार		कुल
	गैर-चालू	चालू		गैर-चालू	चालू	
i) आईडीबीआई से ऋण	-	3,307.50	3,307.50	-	-	-
ii) पीएंडएसबी से उधार	-	1,439.67	1,439.67	-	-	-
कुल	-	**4,747.17**	**4,747.17**	-	-	-

टिप्पणी 18.1 :– वित्तीय वर्ष 2017–18 के संवितरण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निधि प्रबंधन के उद्देश्य हेतु आईडीबीआई बैंक और पंजाब और सिंध बैंक की एफडीआर के एवज में एक लघु अवधि ऋण लिया गया था। शर्तों के मुताबिक, उधार राशि पर ब्याज एफडीआर दर +0.60% प्रभारित किया गया था जोकि एफडीआर के परिपक्व होने पर या उससे पहले चुकाया जाने योग्य है। हालांकि ऋण राशि दिनांक 06.04.17 और 18.04.17 को पूर्ण रूप से चुका दी गई थी।

टिप्पणी . 19 अन्य वित्तीय दायित्व

(₹ लाख में)

विवरण		31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार
(i)	निम्नलिखित के प्रति सहायता–अनुदान:		
	कौशल प्रशिक्षण के लिए अनुदान (सा.न्या. और अधि.मं.) (टिप्पणी : 19.1 देखें)	2,257.51	770.54
	अन्य संगठनों से अनुदान (टिप्पणी 19.1 देखें)	26.09	43.23
	वस्त्र मंत्रालय से अनुदान	19.70	72.26
(ii)	प्राप्त हुई प्रतिभूति जमा	4.22	3.91
(iii)	भुगतान योग्य ईएमडी	18.87	13.17
(iv)	विविध लेनदार	70.10	51.93
(v)	बकाया व्यय	39.71	127.45
(vi)	अन्य भुगतान योग्य	56.62	10.71
	कुल	**2,492.82**	**1,093.20**

टिप्पणी 19.1 नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा दी गई सलाह के अनुसार, उपलब्ध अनुदानों को राजस्व अनुदानों के रूप में मान्यता दी जाती है और खर्च न किए गए शेष को चालू दायित्वों के रूप में दर्शाया जाता है। वर्ष के दौरान, प्रशिक्षण और प्रशिक्षण वृत्तिका प्रदान करने के प्रति सरकारी संस्थानों से रु.3042.67 लाख (2016–17: रु.1,554.04 लाख) की राशि प्राप्त की गई थी। उपलब्ध कुल अनुदानों में से रु.1659.03 लाख (2016–17: रु.687.20 लाख) जारी किए गए थे और इसे वित्तीय वर्ष के दौरान राजस्व अनुदान के रूप में मान्यता दी गई थी। वर्ष के आरंभ में प्राप्त, लौटाए गए, वर्ष के दौरान जारी किए गए और 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार शेष प्रशिक्षण अनुदानों और आर्थिक सहायता के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

(₹ लाख में)

क्रम सं.	विवरण	01.04.2017 आरंभिक शेष	वर्ष 17–18 के दौरान प्राप्तियां	वर्ष 17–18 के दौरान ब्याज आय	वापसी	17–18 के दौरान स्वीकृत (निर्मुक्त)	अंत शेष
1	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (प्रशिक्षण अनुदान)	770.54	2,950.00	29.94	-	1,492.96	2,257.51
2	संसाधन संपर्क कार्यक्रम II	43.23	52.17	1.28	-	70.58	26.09
3	वस्त्र मंत्रालय से अनुदान	72.26	40.50	2.43	-	95.49	19.70
	कुल	**886.03**	**3,042.67**	**33.64**	**-**	**1,659.03**	**2,303.31**

टिप्पणी – 20 अन्य चालू दायित्व

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार
सांविधिक देय राशियां	40.38	13.51
उचित मूल्य समायोजन	-	0.47
कुल	**40.38**	**13.98**

टिप्पणी – 21 प्रचालनों से प्राप्त राजस्व (आय)

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों/अन्यों को दिए गए ऋण पर ब्याज		
मियादी ऋण (टीएल) पर ब्याज	3,180.68	2,306.34
लघु ऋण वित्त (एमसीएफ) पर ब्याज	193.51	189.49
महिला किसान योजना (एमकेवाई) पर ब्याज	5.84	6.41
महिला समृद्धि योजना (एमएसवाई) पर ब्याज	191.73	198.37
शिल्पी समृद्धि योजना (एसएसवाई) पर ब्याज	0.50	0.30
शिक्षा ऋण योजना (ईएलएस) पर ब्याज	45.82	40.10
वीईटीएलएस पर ब्याज	0.34	-
वापसी पर ब्याज (कृपया टिप्पणी: 21.1 देखें)	321.78	120.59
प्राप्त एलडीडीपी	-	5.47
प्राप्त उच्च ब्याज दर	0.30	20.51
अन्य प्रचालन से राजस्व (आय)		
संदिग्ध ऋणों के लिए भत्तों का प्रत्यावर्तन	3.58	-
कुल	**3,944.08**	**2,887.58**

टिप्पणी:– 21.1 वर्ष 2017–18 के दौरान, एससीए, आरआरबी/पीएसबी और एनबीएफसी–एमएफआई से रु.6837.64 लाख (वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान रु.2329.78 लाख) की धनवापसी पर क्रमशः रु.313.00 लाख (वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान रु.71.24 लाख), रु.8.78 लाख (वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान रु.49.35 लाख) और वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान शून्य (वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान शून्य रुपए) धनवापसी पर ब्याज लगाया गया था। वर्तमान ऋण नीति के अनुसार धनवापसी पर ब्याज निम्नानुसार लगाया जाता है:–

(i) एससीए के मामले में संवितरित राशि की वापसी पर।

(ii) चैनलाइजिंग एजेंसियों के मामले में:–

(क) निर्धारित अवधि के भीतर उपयोग नहीं किए धन पर उच्च ब्याज दर (एचआरआई) और धनवापसी पर एनएसएफडीसी द्वारा चैनलाइजिंग एजेंसियों से लगाए गए ब्याज की सामान्य दर से अधिक प्रति वर्ष 4% की दर से धन संवितरण की तारीख से धन वापसी की तारीख तक लागू होगा।

(ख) चैनलाइजिंग एजेंसियों द्वारा 120 दिनों के भीतर अप्रयुक्त की गई राशि की वापसी पर भी एचआरआई उपरोक्तानुसार लागू होगा।

(ग) चैनलाइजिंग एजेंसियों को पिछले वित्तीय वर्ष के अंत तक 80% या उससे अधिक संचयी निधि उपयोग स्तर के अप्रयुक्त राशि पर एचआरआई लगाए जाने से छूट दी जाएगी।

(iii) एनबीएफसी–एमएफआई के मामले में, चैनलाइजिंग एजेंसियों को धनवापसी पर ब्याज लगाए जाने से छूट दी जाएगी, यदि संचयी निधि उपयोग स्तर किसी विशेष योजना के तहत 80% या उससे अधिक है।

टिप्पणी: – 22 अन्य आय

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
क) ब्याज आय		
बैंकों में जमा राशि पर ब्याज	2,619.31	3,444.78
बचत बैंक खातों पर ब्याज	47.38	39.76
कर्मचारी एवं अन्य को दिए गए अग्रिम पर ब्याज	26.25	19.77
ख) अन्य गैर–प्रचालन आय		
जब्त बयाना राशि जमा	0.05	-
विविध प्राप्तियां	2.53	0.03
प्राप्त किराया (टिप्पणी संख्या 22.1 देखें)	16.48	16.48
उचित मूल्य समायोजन	0.19	0.36
बट्टे खाते का प्रावधान	2.88	-
कुल	**2,715.08**	**3,521.18**

टिप्पणी:– 22.1 प्रतिभूति जमा राशियों के उचित मूल्य निर्धारण के कारण आस्थगित खर्चों के परिशोधन के लिए वर्ष 2017–18 के दौरान रु.0.28 लाख (वित्तीय वर्ष 2016–17: रु.0.28 लाख) को मान्यता दी गई है।

टिप्पणी:– 23 कर्मचारी लाभ व्यय

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
क) वेतन, भत्ते एवं लाभ : अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक		
वेतन एवं भत्ते	30.90	29.95
चिकित्सा प्रतिपूर्ति	0.12	0.07
सदस्यता शुल्क	0.01	0.46
छुट्टी यात्रा रियायत व्यय	-	-
छुट्टी लाभ	0.61	-
बाह्य सेवा अंशदान	8.35	6.57
	39.99	37.05
ख) वेतन एवं भत्ते : कर्मचारी		
वेतन एवं भत्ते	874.01	664.01
छुट्टी लाभ	88.98	1.18
छुट्टी यात्रा रियायत नकदीकरण	0.31	1.00
छुट्टी यात्रा रियायत व्यय	1.13	2.05
चिकित्सा प्रतिपूर्ति	19.88	32.16
समयोपरि भत्ता	0.97	1.09
व्यावसायिक सदस्यता शुल्क	0.09	0.10
निष्पादन संबंधी वेतन (पीआरपी)	107.19	75.85
	1,092.57	777.44

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
ग) भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान		
भविष्य निधि/जीएसएलआईएस में निगम का अंशदान	58.41	46.77
पेंशन में निगम का अंशदान	10.85	11.17
भविष्य निधि प्रशासनिक व्यय	4.93	4.12
उपदान	48.60	13.34
चिकित्सा (सेवानिवृत्त)	17.03	14.45
पेंशन (सेवानिवृत्त)	56.77	48.16
	196.59	138.01
घ) कर्मचारी कल्याण व्यय	16.37	14.91
ङ) ऋणों और अग्रिमों पर कर्मचारी लाभ व्यय	8.26	3.65
कुल (क से ङ)	**1,353.78**	**971.06**

टिप्पणी:– 24 वित्त लागत

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
ब्याज		
सावधि जमा रसीदों पर लिए ऋण पर ब्याज	89.05	8.77
अन्य उधार लागतें		
प्रतिभूति जमा पर छूट की अन्वाइडिंग	0.32	0.29
बयाना राशि पर छूट की अन्वाइडिंग	0.19	0.34
कुल	**89.56**	**9.40**

टिप्पणी:– 25 मूल्यह्रास और परिशोधन लागतें

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
मूर्त परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास (टिप्पणी: 3 और 4 देखें)	39.12	37.55
अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन (टिप्पणी 5 देखें)	3.03	0.94
कुल	**42.15**	**38.49**

टिप्पणी:– 26 राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी को प्रोत्साहन

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
एससीए को प्रोत्साहन	44.12	46.42
एससीए को प्रोत्साहन–एनएपीई	45.00	42.00
कुल	**89.12**	**88.42**

टिप्पणी:– 26.1 दिनांक 01.04.2017 से प्रोत्साहन और अन्य योजनाओं की गणना उपचय आधार पर की जाएगी। वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान ₹.89.12 लाख का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2016–17 के ₹.42.00 लाख बुक किया गया। वित्तीय प्रभाव है कि वर्ष 2017–18 में ₹.89.12 लाख और वर्ष 2016–17 में ₹.69.57 लाख की आय में कमी आई है।

टिप्पणी :– 27 अशोध्य और संदिग्ध ऋण (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ते तथा ब्याज		
बिहार (टिप्पणी: 27.1 देखें)	-	2.73
कुल	-	**2.73**

टिप्पणी:– 27.1 : 31.03.2011 को बीएससीडीसी का संचयी प्रावधान रु.113.62 लाख था। हालांकि, बिहार अनुसूचित जाति निगम (बीएससीडीसी) ने एनएसएफडीसी को वर्ष 2009–10 में, (वर्ष 2010–11 में नवीकृत) रु.2,500.00 लाख तक का आश्वासन दिया था। टिप्पणी संख्या 34.3 के अनुसार संचयी प्रावधान को वापस लिया जाना था, परंतु वित्तीय विवेक से काम लेकर रु.1,113.62 लाख (31.03.2011 तक) के संचयी प्रावधान के प्रत्यावर्तन के आश्वासन को सरकारी आदेश में तब्दील होने तक लंबित किया गया था। तदनुसार, प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को कुल बकाया के समकक्ष पुनर्भुगतान के समायोजन के बाद अगला प्रावधान बनाया जाता है।

वित्तीय वर्ष के दौरान, बीएससीडीसी से रु.56.16 लाख प्राप्त हुए हैं, अतएव, भुगतान के समायोजन के बाद रु.3.58 लाख तक के अतिरिक्त प्रावधान को वापस लिखा गया है। तदनुसार, 31.03.2018 को बीएससीडीसी की संचयी प्रावधान की राशि रु.1,415.39 लाख (गत वर्ष रु.1,418.97 लाख) है।

टिप्पणी:– 28 अन्य व्यय (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
विज्ञापन व्यय	1.38	2.81
कारोबार उन्नयन व्यय	2.15	2.18
कंप्यूटर एवं वेबसाइट व्यय	4.30	0.31
सीएसआर व्यय	-	-
निगम सदस्यता शुल्क	1.26	3.03
निदेशक/बोर्ड बैठक व्यय	1.26	0.83
विद्युत प्रभार	23.62	27.83
बीमा प्रभार	1.34	4.50
विधि और व्यावसायिक व्यय/परामर्श	19.99	23.13
मीडिया–दृश्य–श्रव्य प्रचार/मूल्यांकन/सम्मेलन/सेमिनार	49.89	54.93
कार्यालय/इमारत अनुरक्षण व्यय	99.02	78.71
कार्यालय किराया	5.48	21.51
लेखापरीक्षकों को भुगतान (टिप्पणी सं. 28.1 देखें)	1.44	1.91
संसदीय समिति व्यय	-	15.78
डाक, तार	1.60	1.59
मुद्रण और लेखन–सामग्री	7.20	12.19
स्टाफ भर्ती व्यय	2.54	-
टेलीफोन एवं टेलेक्स	6.63	7.19
प्रशिक्षण व्यय–स्टाफ	6.66	1.09
प्रशिक्षण व्यय–लाभार्थी	-	0
यात्रा किराया व्यय	1.07	0.36
यात्रा व्यय–निदेशक	5.50	3.02
यात्रा व्यय–स्टाफ	34.59	28.54
वाहन व्यय	13.15	8.18
दरें एवं कर	1.19	0.94
समाचारपत्र, पुस्तकें एवं पत्रिकाएं	0.69	0.39
कुल	**291.94**	**300.95**

टिप्पणी:– 28.1 लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
गत वर्ष के लिए लेखापरीक्षा शुल्क	0.04	0.29
वर्तमान वर्ष के लिए लेखापरीक्षा शुल्क	1.25	1.43
कराधान मामलों के लिए	0.15	0.19
कुल	**1.44**	**1.91**

टिप्पणी:– 29 असाधारण मदें

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
परिसंपत्तियों की बिक्री पर (लाभ)/हानि (निवल)	(0.22)	(0.28)
पूर्वावधि	-	-
कुल	**(0.22)**	**(0.28)**

टिप्पणी:– 30 अन्य व्यापक आय के संघटक (ओसीआई)

इक्विटी में आरक्षण के प्रत्येक प्रकार द्वारा अन्य व्यापक आय के परिवर्तनों को पृथकतः नीचे दर्शाया गया है:–

(₹ लाख में)

विवरण	एफवीटीओसीआई	
	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
सुनिश्चित लाभ योजनाओं का पुनर्मापन –उपदान	(109.97)	1.04
कुल	**(109.97)**	**1.04**

टिप्पणी:– 31 प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस)

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
मूलभूत ईपीएस		
निरंतर प्रचालन से	36.74	43.15
तरलीकृत ईपीएस		
निरंतर प्रचालन से	36.74	43.13

टिप्पणी:– 31.1 प्रति शेयर मूलभूत अर्जन

प्रति शेयर मूलभूत अर्जन के परिकलन में इस्तेमाल किए गए इक्विटी शेयरों का अर्जन और भारित औसत संख्या :–

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
कंपनी के इक्विटी धारकों को देय लाभ:		
निरंतर प्रचालन से	4,751.61	4,900.92
प्रति शेयर मूलभूत अर्जन के परिकलन में इस्तेमाल किए गए अर्जन	**4,751.61**	**4,900.92**
प्रति शेयर मूलभूत अर्जन के उद्देश्य के लिए शेयरों की भारित औसत संख्या	129.33	113.58

टिप्पणी:– 31.2 प्रति शेयर तरलीकृत अर्जन

प्रति शेयर तरलीकृत के परिकलन में इस्तेमाल किए गए इक्विटी शेयरों के अर्जन और भारित औसत संख्या :–

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
कंपनी के इक्विटी धारकों को देय लाभ :		
निरंतर प्रचालन से	4,751.61	4,900.92
निरंतर प्रचालनों से प्रति शेयर तरलीकृत अर्जन के परिकलन में इस्तेमाल किए गए अर्जन	**4,751.61**	**4,900.92**

प्रतिशत मूल अर्जन की गणना में इस्तेमाल किए ईक्विटी शेयरों की औसत भारित संख्या को तरलीकृत प्रति शेयर अर्जन के उद्देश्य के लिए ईक्विटी शेयरों की भारित संख्या के सामंजस्य को नीचे दिया जा रहा है–

विवरण	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
तरलीकरण के प्रभाव के उद्देश्य के लिए शेयरों की	129.33	**113.58**
भारित औसत संख्या:		
आबंटन के लिए लंबित शेयर	0.01	0.04
प्रति शेयर तरलीकृत अर्जन के उद्देश्य के लिए इक्विटी शेयरों की भारित संख्या	**129.34**	**113.63**

टिप्पणी:– 31.3 वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान, कंपनी ने रु.13,739.00 लाख की राशि के प्रत्येक 1000/– रुपए के कुल रु.13,73,900 शेयर आवंटित किए हैं जिससे 31.03.2018 को बकाया सामान्य शेयरों की संख्या में काफी बदलाव आ सकता है यदि उनका लेनदेन 31.03.2018 को समाप्त अवधि से पहले होता है।

टिप्पणी:– 32 पूंजी प्रबंधन

कंपनी का उद्देश्य चलायमान प्रतिष्ठान के रूप में जारी रहने की अपनी क्षमता सुनिश्चित करने और उसकी रक्षा करने के लिए तरीके से अपनी पूंजी का प्रबंधन करना है ताकि कंपनी शेयरधारकों को अधिकतम लाभ और अन्य शेयरधारियों को लाभ उपलब्ध कराना जारी रख सके।

इसके अलावा, कंपनी वित्तीय प्रसंविदाओं की आर्थिक शर्तों और अपेक्षाओं में परिवर्तनों के आलोक में समायोजन करने के लिए अपनी पूंजी संरचना का प्रबंधन करती है।

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान पूंजी का प्रबंधन करने के लिए उद्देश्यों, नीतियों या प्रक्रियाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया गया।

टिप्पणी:– 33 उचित मूल्य मापन

(i) श्रेणियों के अनुसार वित्तीय विलेखों का कैरिंग मूल्य निम्नलिखित है:

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार			31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार		
	एफवीटीपीएल	एफवीटीओसीआई	परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	एफवीटीओसीआई	परिशोधित लागत
वित्तीय परिसंपत्तियां						
(i) नकद और नकद समतुल्य	-	-	1,454.97	-	-	1,848.79
(ii) अन्य बैंक शेष	-	-	32,051.87	-	-	31,075.04
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	-	-	5,181.82	-	-	4,241.42
(iv) एससीए और सीए को ऋण	-	-	150,528.52	-	-	128,006.70
(v) कर्मचारियों को ऋण	-	-	277.85	-	-	228.41
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	-	-	**189,495.03**	-	-	**1,65,400.36**

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार			31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार		
	एफवीटीपीएल	एफवीटीओसीआई	परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	एफवीटीओसीआई	परिशोधित लागत
वित्तीय देयताएं						
(i) उधार	-	-	4,747.17	-	-	-
(ii) भुगतान योग्य प्रतिभूति जमा और ईएमडी	-	-	23.09	-	-	17.08
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	-	-	2,469.73	-	-	1,076.12
कुल वित्तीय देयताएं	**-**	**-**	**7,239.99**	**-**	**-**	**1,093.20**

(ii) वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं का उचित मूल्य, जो उचित मूल्य पर मापा जाता है

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार	
	कैरिंग मूल्य	उचित मूल्य	कैरिंग मूल्य	उचित मूल्य
वित्तीय परिसंपत्तियां				
(i) एससीए और सीए को ऋण	150,528.52	150,528.52	128,006.70	128,006.70
(ii) स्टाफ ऋण और अग्रिम	277.85	293.44	228.41	252.84
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	**150,806.37**	**150,821.95**	**128,235.11**	**128,259.54**
वित्तीय देयताएं				
(i) भुगतान योग्य प्रतिभूति जमा और ईएमडी	23.09	23.09	17.08	18.10
कुल वित्तीय देयताएं	**23.09**	**23.09**	**17.08**	**18.10**

i) नकद और नकद समकक्ष की कैरिंग राशियां, अन्य बैंक शेष, उधार प्रतिभूति जमा और ईमडी, अन्य वित्तीय देयताएं और एससीए को ऋण, अल्पावधि स्वरूप के होने के कारण उतने ही माने जाते हैं, जितना उनका उचित मूल्य है।

ii) "कर्मचारियों को ऋणों, प्रतिभूति जमा राशियों" भुगतान योग्य ईमडी का उचित मूल्य, वर्तमान बाजार दर का इस्तेमाल करके बट्टाकृत नकद प्रवाहों के आधार पर परिकलित किया गया है। काउंटर पार्टी क्रेडिट जोखिम सहित अवलोकन न किए जाने योग्य इनपुटों के समावेशन के कारण उन्हें उचित मूल्य अनुक्रम में स्तर तीन उचित मूल्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

उचित मूल्य अनुक्रम

स्तर 1 – समान परिसंपत्तियों या दायित्वों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (असमायोजित)।

स्तर 2 – स्तर 1 के अंदर शामिल किए गए उद्धृत मूल्यों के अलावा, इनपुट जो या तो प्रत्यक्ष रूप से (अर्थात् मूल्यों के रूप में) या अप्रत्यक्ष रूप से (अर्थात् मूल्यों से लिए गए), परिसंपत्तियों या दायित्वों के लिए अवलोकन योग्य हैं।

स्तर 3 – परिसंपत्तियों या दायित्वों के लिए इनपुट, जो अवलोकन योग्य बाजार आंकड़ों (अवलोकन योग्य नहीं इनपुटों) पर आधारित नहीं हैं।

निम्नलिखित सारणी परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों और दायित्वों के उचित मूल्य मापन अनुक्रम को दर्शाती है

31.03.2018 की स्थिति के अनुसार उचित मूल्य अनुक्रम:

(₹ लाख में)

विवरण	मूल्यांकन की तारीख	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
वित्तीय परिसंपत्तियां					
परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां					
(i) कर्मचारियों को ऋण	31 मार्च, 2018	-	-	293.44	293.44
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां		-	-	**293.44**	**293.44**
वित्तीय देयताएं					
परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं					
(i) भुगतान योग्य प्रतिभूति जमा और ईएमडी	31 मार्च, 2018	-	-	23.09	23.09
कुल वित्तीय देयताएं		-	-	**23.09**	**23.09**

31.03.2017 की स्थिति के अनुसार उचित मूल्य अनुक्रम

(₹ लाख में)

विवरण	मूल्यांकन की तारीख	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
वित्तीय परिसंपत्तियां					
परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां					
(i) कर्मचारियों को ऋण	31 मार्च, 2017	-	-	252.84	252.84
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां		-	-	**252.84**	**252.84**
वित्तीय देयताएं					
परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं					
(i) भुगतान योग्य प्रतिभूति जमा और ईएमडी	31 मार्च, 2017	-	-	18.10	18.10
कुल वित्तीय देयताएं		-	-	**18.10**	**18.10**

(iii) **वित्तीय जोखिम प्रबंधन**

कंपनी के मुख्य वित्तीय देयताओं में अनुदान और अन्य भुगतान योग्य राशियां शामिल हैं। इन वित्तीय देयताओं के मुख्य उद्देश्य, कंपनी के प्रचालनों का वित्त पोषण करने और इसके प्रचालन को समर्थन देने के लिए गारंटियां उपलब्ध कराना है। कंपनी की मुख्य वित्तीय परिसंपत्तियों में एससीए/ सीए को मियादी/माइक्रो वित्त ऋण शामिल हैं, जो अपनी इक्विटी से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करते हैं।

कंपनी को बाजार जोखिम, क्रेडिट जोखिम और लिक्विडिटी जोखिम है। कंपनी के वित्तीय जोखिम क्रियाकलाप समुचित नीतियों और प्रक्रियाओं द्वारा विनियमित होते हैं तथा इन वित्तीय जोखिमों का पता लगाया जाता है, इन्हें मापा जाता है और कंपनी की नीतियों और जोखिम उद्देश्यों के अनुसार इनका प्रबंधन किया जाता है। निदेशक मंडल इन जोखिमों में से प्रत्येक का प्रबंधन करने के लिए नीतियों की समीक्षा करता है और सहमति व्यक्त करता है, जो नीचे सारांशीकृत किए गए हैं:–

क) **बाजार जोखिम**

बाजार जोखिम एक ऐसा जोखिम है कि किन्हीं वित्तीय विलेखों के भावी नकद प्रवाहों के उचित मूल्य में, बाजार मूल्यों में परिवर्तनों के कारण उतार–चढ़ाव होगा। बाजार जोखिम में ब्याज दर का जोखिम शामिल होता है। बाजार जोखिम द्वारा प्रभावी वित्तीय विलेखों में ऋण और अग्रिम, जमा राशियां और अन्य गैर–व्युत्पन्न वित्तीय विलेख शामिल हैं।

ख) **ब्याज दर जोखिम**

ब्याज दर जोखिम ऐसा जोखिम है कि बाजार ब्याज दर में परिवर्तनों के कारण किन्हीं वित्तीय विलेखों के भावी नकद प्रवाहों के उचित मूल्य में उतार–चढ़ाव होगा। कंपनी को ब्याज दर जोखिम का खतरा नहीं है।

ग) **क्रेडिट जोखिम**

क्रेडिट जोखिम कंपनी को वित्तीय हानि का जोखिम है, यदि किसी वित्तीय विलेख की कोई काउंटर पार्टी अपने संविदात्मक दायित्व पूरा करने में विफल रहती है और यह मुख्यतः एससीए और सीए से प्राप्ति योग्य कंपनी के ऋणों से उत्पन्न होता है। कंपनी को, एससीए और सीए को दिए गए ऋणों के अपने वित्तीय क्रियाकलापों से क्रेडिट जोखिम का खतरा है।

कंपनी अपनी आंतरिक नीतियों के आधार पर क्रेडिट जोखिम का मूल्यांकन और प्रबंधन करती है। कंपनी परिसंपत्तियों की आरंभिक मान्यता पर चूक की संभावना पर विचार करती है और इस बात पर भी विचार करती है कि क्या प्रत्येक पूरी रिपोर्टिंग अवधि में चलायमान आधार पर क्रेडिट जोखिम में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। यह मूल्यांकन करने के लिए कि क्या क्रेडिट जोखिम में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, कंपनी आरंभिक मान्यता की तारीख की स्थिति के अनुसार चूक के जोखिम के साथ रिपोर्टिंग तारीख की स्थिति के अनुसार परिसंपत्तियों पर हुई चूक के जोखिम की तुलना करती है। यह उपलब्ध तर्कसंगत और समर्थकारी अग्रगामी सूचना पर विचार करती है। विशेष रूप से निम्नलिखित संकेतक शामिल किए गए हैं:

- दायित्व को समर्थन देने वाले संपार्श्विक या तृतीय पक्षकार गारंटियों की गुणवत्ता के मूल्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन।
- समूह में ऋण प्राप्तकर्ताओं (एससीए और सीए) की भुगतान स्थिति में परिवर्तन और ऋण प्राप्तकर्ताओं (एससीए) के प्रचालन परिणामों में परिवर्तनों सहित ऋण प्राप्तकर्ता (एससीए और सीए) के प्रत्याशित कार्य–निष्पादन और व्यवहार में महत्वपूर्ण परिवर्तन।

सामान्य तौर पर, यह अनुमान लगाया जाता है कि आरंभिक मान्यता से क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, यदि भुगतान 3 वर्ष से अधिक समय तक देय है।

किसी वित्तीय परिसंपत्ति में चूक तब होती है जब काउंटर पार्टी उस समय भुगतान करने में विफल रहती है जब वे देय हो जाते हैं।

वित्तीय विलेख और नकद जमा राशियां

बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के पास शेषों से क्रेडिट जोखिम का प्रबंधन कंपनी की नीति के अनुसार किया जाता है। अधिशेष का निवेश काउंटर पार्टी से प्राप्त वित्तीय कोट्स के आधार पर काउंटर पार्टी के अनुमोदन से ही किया जाता है।

घ) **तरलीकृत (लिक्विडिटी जोखिम)**

लिक्विडिटी जोखिम प्रबंधन की अंतिम जिम्मेदारी कंपनी के निदेशक मंडल की है। कंपनी पूर्वानुमानों और वास्तविक नकद प्रवाहों की निरंतर मॉनीटरिंग करके और वित्तीय दायित्वों की परिपक्वताओं का मिलान करके पर्याप्त बैंकिंग सुविधाओं को बनाए रखने का प्रबंधन करती है।

वित्त वर्ष 2017–18 के दौरान कंपनी के नकद हानि जोखिम के प्रबंधन के लिए आईडीबीआई बैंक और पंजाब और सिंध बैंक के एफडीआर पर एक अल्पावधि ऋण लिया गया था।

टिप्पणी:– 34

टिप्पणी:– 34.1 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए ऋणों और अग्रिमों की प्रत्याशित क्रेडिट हानियों के लिए प्रावधान

(₹ लाख में)

विवरण		परिसंपत्ति समूह	चूक की प्रत्याशित सकल कैरिंग धनराशि	चूक की प्रत्याशित संभावना	प्रत्याशित क्रेडिट हानियां	कैरिंग राशि (निवल हानिकरण प्रावधान)
लाइफटाइम प्रत्याशित क्रेडिट हानियों पर मापी गई अनुमत्य हानि	वित्तीय परिसंपत्ति, जिसके लिए क्रेडिट जोखिम में आरंभिक मान्यता से पर्याप्त रूप से वृद्धि नहीं हुई है।	ऋण	150,528.52	0%	-	150,528.52
		ऋणों पर ब्याज	3,833.88	0%	-	3,833.88
	वित्तीय परिसंपत्ति, जिसके लिए क्रेडिट जोखिम में वृद्धि हुई है।	ऋण	830.91	100%	830.91	-
		ऋणों पर ब्याज	584.48	100%	584.48	-
		अग्रिम	1,539.99	100%	1,539.99	-
			157,317.78		**2,955.38**	**154,362.40**

टिप्पणी:– 34.2 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए ऋणों और अग्रिमों की प्रत्याशित क्रेडिट हानियों के लिए प्रावधान :

(₹ लाख में)

विवरण		परिसंपत्ति समूह	चूक की प्रत्याशित सकल कैरिंग धनराशि	चूक की प्रत्याशित संभावना	प्रत्याशित क्रेडिट हानियां	कैरिंग राशि (निवल हानिकरण प्रावधान)
लाइफटाइम प्रत्याशित क्रेडिट हानियों पर मापी गई अनुमत्य हानि	वित्तीय परिसंपत्ति, जिसके लिए क्रेडिट जोखिम में आरंभिक मान्यता से पर्याप्त रूप से वृद्धि नहीं हुई है।	ऋण	128,006.70	-	-	128,006.70
		ऋणों पर ब्याज	3,623.85	-	-	3,623.85
	वित्तीय परिसंपत्ति, जिसके लिए क्रेडिट जोखिम में वृद्धि हुई है और क्रेडिट रूप से हानिकरण नहीं हुआ।	ऋण	887.07	1.00	887.07	-
		ऋणों पर ब्याज	531.90	1.00	531.90	-
		अग्रिम	1,540.01	1.00	1,540.01	-
			134,589.53		**2,958.98**	**131,630.55**

टिप्पणी:– 34.3 एसीए के लिए, जहां राज्य सरकार की गारंटी/आदेश/आश्वासन उपलब्ध है, संदिग्ध ऋणों के लिए अनुमति लेखा–बहियों में 100% की दर से दी गई है, यदि तुलन–पत्र की तारीख को अतिदेय 3 वर्ष से अधिक है और राज्य सरकार की गारंटी/आदेश/आश्वासनों में कमी है।

सीए के अलावा (जहां गारंटी उपलब्ध नहीं है)

(क) भुगतान के लिए देय परंतु 3 वर्ष या इससे अधिक की अवधि के लिए बकाया राशि पर 100% का प्रावधान है।

(ख) भुगतान के लिए देय परंतु 2 वर्ष या इससे अधिक परंतु 3 वर्ष से कम की अवधि के लिए बकाया राशि पर 40% का प्रावधान है।

(ग) भुगतान के लिए देय परंतु 1 वर्ष या इससे अधिक परंतु 2 वर्ष से कम की अवधि के लिए बकाया राशि पर 25% का प्रावधान है।

(घ) भुगतान के लिए देय परंतु 1 वर्ष से कम अवधि के लिए बकाया राशि पर कोई प्रावधान नहीं है।

टिप्पणी:– 34.4 : अशोध्य और संदिग्ध जमा राशियों के लिए प्रावधान

वर्ष 2000–01 के दौरान "पनवायर" के पास जमा की गई राशि के संबंध में लेखा–पुस्तिकाओं में अशोध्य और संदिग्ध जमा राशियों के लिए 1,539.99 लाख रुपए (2016–17: रु.1,539.99 लाख) (जिसकी मूल राशि रु.1,485.00 लाख) है (2016–17: रु.1485.00 लाख) और प्राप्ति योग्य तथा देय ब्याज रु.54.99 लाख (2016–17: रु.54.99 लाख), का प्रावधान है चूंकि मूलधन ही वसूली के लिए संदिग्ध है, इसलिए ब्याज का प्रावधान नहीं किया गया है।

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अंतर्गत "पनवायर" के विरुद्ध एनएसएफडीसी द्वारा न्यायालय के दो मामले संबंधित न्यायालय में लंबित हैं। कंपनी (पनवायर) का माननीय उच्च न्यायालय पंजाब एवं हरियाणा द्वारा पारित दिनांक 01.02.2001 के आदेश द्वारा परिसमापन हो गया था। इसके पश्चात इस मामले में न्यायालय द्वारा सरकारी परिसमापक नियुक्त किया गया था। सरकारी परिसमापक से प्राप्त की गई सूचना के अनुसार पनवायर की परिसंपत्तियां, उसके प्रतिभूत लेनदारों के प्रति कंपनी की देयताएं पूरी करने के लिए भी पर्याप्त नहीं हैं। एनएसएफडीसी के एक अप्रतिभूत लेनदार होने के कारण इसकी राशि की वसूली की कोई गुंजाइश नहीं है और उक्त कंपनी में एनएसएफडीसी द्वारा निवेश की गई राशि वसूली के लिए संदिग्ध है।

टिप्पणी:– 35 अनुमान की अनिश्चितता के मुख्य स्रोत

भविष्य से संबंधित मुख्य अनुमान निम्नलिखित हैं और रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनुमान की अनिश्चितता के मुख्य स्रोत, जो महत्वपूर्ण जोखिम हो सकता है, जिसके कारण अगले वित्तीय वर्ष में परिसंपत्तियों और दायित्वों की कैरिंग राशि में महत्वपूर्ण समायोजन किया जा सकता है:

क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के उपयोगी जीवनकाल

जैसाकि टिप्पणी संख्या 2.7 में उल्लेख किया गया है, कंपनी के पास संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का अनुमानित उपयोगी जीवनकाल है।

उपर्युक्त मूल्यांकन का वित्तीय प्रभाव, आगामी वित्तीय वर्षों में मूल्यह्रास के खर्चों को प्रभावित कर सकता है।

ख) अमूर्त परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवनकाल

जैसाकि टिप्पणी संख्या 2.8 में उल्लेख किया गया है, कंपनी के पास अमूर्त परिसंपत्तियों का अनुमानित उपयोगी जीवनकाल है।

उपर्युक्त मूल्यांकन का वित्तीय प्रभाव, आगामी वित्तीय वर्षों में परिशोधन खर्चों को प्रभावित कर सकता है।

ग) उचित मूल्यांकन मापन और मूल्यांकन प्रक्रिया

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय दायित्वों के उचित मूल्य बीसीएफ मॉडल सहित मूल्यांकन तकनीकों द्वारा मापे जाते हैं। इन पद्धतियों के इनपुट, जहां संभव हो, अवलोकन योग्य बाजारों से लिए जाते हैं परंतु जहां ऐसा करना व्यवहार्य नहीं है, उचित मूल्य निकालने के लिए निर्णय लेने की क्षमता की आवश्यकता होती है। निर्णयों में लिक्विडिटी जोखिम, क्रेडिट जोखिम और अस्थिरता जैसे इनपुटों पर विचार करना शामिल है। इन कारकों के बारे में अनुमानों में होने वाले परिवर्तन वित्तीय विलेखों के रिपोर्ट किए गए उचित मूल्य को प्रभावित कर सकते हैं। अगले प्रकटीकरणों के लिए टिप्पणी संख्या 33 देखें।

घ) सुनिश्चित लाभ दायित्व

कर्मचारी लाभ दायित्व, बीमांकिक मूल्यांकनों का इस्तेमाल करके निर्धारित किए जाते हैं। बीमांकिक मूल्यांकन में ऐसे विभिन्न अनुमान लगाना शामिल है, जो भविष्य में वास्तविक विकास से भिन्न हो सकते हैं। इनमें बट्टा दर का निर्धारण, वेतन में भावी वृद्धियां और मृत्यु दरें शामिल हैं। मूल्यांकन में शामिल जटिलताओं और इसके दीर्घावधि स्वरूप के कारण सुनिश्चित लाभ दायित्व इन अनुमानों में परिवर्तनों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं। रिपोर्टिंग की प्रत्येक तारीख को सभी अनुमानों की समीक्षा की जाती है।

टिप्पणी :– 36

पूर्व–अवधि त्रुटियाँ

(₹ लाख में)

विवरण	राशि
दिनांक 01.04.2016 को सामान्य आरक्षित राशि	**34,856.67**
विभिन्न लेनदार (लाभार्थियों पर प्रशिक्षण व्यय)	10.90
दिनांक 01.04.2016 को पुनः प्रस्तुत प्रारंभिक सामान्य आरक्षित	**34,867.57**
2016–17 को समाप्त वर्ष के लिए निरंतर प्रचालन की अवधि के लिए पुनः प्रस्तुत व्यय से अधिक आय की शेष राशि	4,900.92
2016–17 के दौरान विशेष आरक्षित राशि में हस्तांतरण	-496.23
2016–17 के दौरान अन्य व्यापक आय	1.04
31.03.2017 को पुनः प्रस्तुत प्रारंभिक सामान्य आरक्षित	**39,273.30**

31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए पुनः प्रस्तुत व्यय से अधिक आय

(₹ लाख में)

विवरण	राशि
आय और व्यय के विवरण पर प्रभाव (लाभ में वृद्धि/(कमी)	
निरंतर प्रचालन की अवधि के लिए व्यय से अधिक आय	4,962.27
वसूली के लिए एससीए को प्रोत्साहन	(19.35)
एससीए–एनएपीई को प्रोत्साहन	(42.00)
निरंतर प्रचालन की अवधि के लिए पुनः प्रस्तुत व्यय से अधिक आय की शेष राशि	**4,900.92**

इक्विटी, आय एवं व्यय के विवरण और ईपीएस पर पूर्व अवधि की त्रुटियों को प्रभाव

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	01 अप्रैल, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
इक्विटी पर प्रभाव इक्विटी में वृद्धि/(कमी),		
एससीए को प्रोत्साहन के लिए प्रावधान	(61.35)	-
विविध लेनदार	-	10.29
बकाया खर्च	-	(16.14)
प्राप्ति योग्य ब्याज	-	(0.15)
स्टाफ को अग्रिम	-	(0.23)
पार्टी को अग्रिम	-	(49.72)
प्राप्ति योग्य धनराशि	-	(1.01)
अन्य भुगतान योग्य राशि	-	0.04
उपदान के लिए प्रावधान	-	(4.58)
इक्विटी पर निवल प्रभार	**(61.35)**	**(61.50)**

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	01 अप्रैल, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
आय और व्यय (लाभ में वृद्धि/(कमी) में) विवरण पर प्रभाव		
अन्य खर्च	-	67.49
बचत बैंक खाते पर ब्याज	-	0.14
कर्मचारी लाभ का खर्च	-	4.73
वसूली हेतु एससीए को प्रोत्साहन	19.35	(19.35)
एससीए को प्रोत्साहन – एनएपीई	42.00	(42.00)
कुल प्रभाव	**61.35**	**11.01**
इक्विटी धारकों के प्रति	61.35	11.01

मूलभूत और तरलीकृत प्रति शेयर अर्जनों (ईपीएस) (ईपीएस में वृद्धि/(कमी) पर प्रभाव।

विवरण	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	01 अप्रैल, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
निरंतर प्रचालन के लिए अर्जन प्रति शेयर		
इक्विटी धारकों को देय, निरंतर प्रचालनों से मूलभूत लाभ	0.47	0.10
इक्विटी धारकों को देय, निरंतर प्रचालनों से तरलीकृत लाभ	0.47	0.10

टिप्पणी:– 37 संबंधित पार्टी प्रकटीकरण

टिप्पणी:– 37.1 कंपनी के मुख्य प्रबंधन कार्मिक

नाम	पद
श्री श्याम कपूर	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
श्रीमती अन्नु भोगल	कंपनी सचिव

टिप्पणी:– 37.2 मुख्य प्रबंधन कार्मिकों की प्रतिपूर्ति :

वर्ष के दौरान मुख्य प्रबंधन कार्मिकों के साथ किए गए लेनदेनों का स्वरूप या मात्रा

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष
अल्पावधि लाभ	60.83	50.72
नियोजनोत्तर कर्मचारी लाभ	1.35	3.91
अन्य दीर्घावधि लाभ	1.66	5.21
	63.84	**59.84**

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष
संबंधित पार्टी को ऋण		
वर्ष के आरंभ में संबंधित पार्टियों के स्वामित्व वाली धनराशि	17.09	18.93
वर्ष के दौरान दिया गया ऋण	0.00	0.00
ब्याज	1.01	1.51
वर्ष के दौरान अदायगी	-4.00	-3.35
वर्ष के अंत में संबंधित पार्टियों के स्वामित्व वाली राशि	**14.10**	**17.09**

टिप्पणी:– 37.3 सरकारी संस्थाओं के साथ लेनदेन

उपर्युक्त लेनदेन के अलावा, कंपनी का अन्य सरकारी संस्थाओं के साथ लेनदेन है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं लेकिन यहां तक सीमित नहीं हैं:–

सरकार नाम: भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (100% पूंजीगत योगदान), के माध्यम से

कुछ महत्वपूर्ण लेनदेनः–

(₹ लाख में)

पार्टी	लेनदेन की प्रकृति	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	पूंजीगत योगदान	12821.00	13800.00
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	कौशल प्रशिक्षण हेतु अनुदान	2950.00	1198.42
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	अन्य योजनाएं	40.76	21.93
		15811.76	**15020.35**

टिप्पणी 38. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के अंतर्गत अपेक्षित प्रकटीकरण

(₹ लाख में)

विवरण		31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष
(i)	लेखांकन वर्ष के अंत में किसी आपूर्तिकर्ता को भुगतान न की गई बाकी मूल राशि	11.16	3.37
(ii)	लेखांकन वर्ष के अंत में किसी आपूर्तिकर्ता को भुगतान न की गई राशि पर देय ब्याज	-	-
(iii)	निश्चित तारीख के पश्चात् किए गए भुगतान की राशियों के साथ भुगतान किए गए ब्याज की राशि	-	-
(iv)	वर्ष के लिए देय और भुगतान योग्य ब्याज की राशि	-	-
(v)	वर्ष के लिए देय और भुगतान योग्य ब्याज की राशि	-	-
(vi)	आगामी वर्ष में भी देय और भुगतान योग्य अगले ब्याज की राशि, उस तारीख तक जब ऊपर उल्लिखित देय ब्याज का वास्तव में भुगतान नहीं कर दिया जाता।	-	-

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को देय राशियां, उस सीमा तक निर्धारित की गई हैं, जिस सीमा तक, प्रबंधन द्वारा प्राप्त की गई सूचना के आधार पर इन पार्टियों की पहचान कर ली गई है। इस पर, लेखापरीक्षकों द्वारा विश्वास किया गया है।

टिप्पणी 39: राष्ट्रीय स्तर के निगम और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के साथ किए गए लेनदेन की बाबत, वसूली योग्य/प्राप्ति योग्य राशियों का प्रतितुलन करने के पश्चात, सामूहिक रूप से/उनकी ओर से आयोजित किए गए कार्यक्रमों के प्रति वसूली योग्य कुल धनराशि 64.93 लाख रुपए (31.03.2017 को 79.61 लाख रुपए) है।

टिप्पणीः– 40 कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और अनुसूची–VII के साथ पठित के अनुसार, सीएसआर राशि वर्ष के दौरान 86.77 लाख रुपए (पिछले वर्ष 57.75 लाख रुपए) खर्च किए जाने की आवश्यकता है।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को दिए गए आश्वासन के अनुसार वर्ष 2017–18 के दौरान रु.32.76 लाख (गत वर्ष रु.97.07 लाख) सीएसआर के रूप में बुक किया गया है।

सीएसआर के रूप में खर्च की गई राशि का विवरण नीचे दिया गया है:–

सीएसआर व्यय	वित्तीय वर्ष (₹ लाख में)	
	2017-18	2016-17
वरिष्ठ नागरिकों के लिए योग शिविर	0.16	0
स्वच्छ भारत–कोष में योगदान	28.50	0
जैव–मेथनशन प्लांट–सह–कार्बनिक अपशिष्ट प्रोसेसर की स्थापना	2.30	0
स्वच्छता (स्वच्छता पखवाड़ा)	1.80	0
कौशल उन्नयन	0.00	97.07
कुल	**32.76**	**97.07**

टिप्पणी:– 41 मध्य प्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ने मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000, जो तत्कालीन मध्य प्रदेश राज्य (एमपी) के छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में द्विभाजन के कारण निगम/राज्य सरकार के बीच परिसंपत्तियों और दायित्वों के अंतरण को विनियमित करता है, के अनुसार एनएसएफडीसी के अपने ऋण पोर्टफोलियो द्विभाजित कर दिए। तत्कालीन एमपीएससीएफडीसी के द्विभाजन के कारण एमपीएसडीएफडीसी और सीएसएएसएफडीसी के बीच ऋण देयता के संविभाजन का मामला, अपर रजिस्ट्रार सहकारी समिति द्वारा मध्य प्रदेश सहकारी अधिकरण, भोपाल को संदर्भित किया गया था क्योंकि एमपीएससीएफडीसी द्वारा किया गया द्विभाजन, सीएसएएसएफडीसी को स्वीकार्य नहीं था। एमपीएससीएफडीसी के पक्ष में दिया गया न्यायाधिकरण का निर्णय, सीएसएएसएफडीसी द्वारा स्वीकार नहीं किया गया और उसने इस निर्णय के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश, जबलपुर के समक्ष अपील दायर की। यह समादेश याचिका, माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश द्वारा स्वीकार कर ली गई थी। यह मामला अभी निर्णयाधीन है।

न्यायालय द्वारा दिया जाने वाला निर्णय लंबित रहते हुए, देय ब्याज के साथ–साथ 210.09 लाख रुपए की ऋण देयताएं, सीएसएएसएफडीसी द्वारा स्वीकार कर ली गई है और अदा कर दी गई है। सीएसएएसएफडीसी द्वारा स्वीकार न किए गए, मूलधन के प्रति 835.93 लाख रुपए और 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार ब्याज के प्रति रु.889.46 लाख (पिछले वर्ष रु.820.51 लाख) की देयता के लिए, इसे एमपीएससीएफडीसी के विरुद्ध दिखाया जा रहा है और इसकी अदायगी के लिए उन्हें मांग जारी की जा रही है।

टिप्पणी:– 42 दिनांक 31.03.2018 को ऋणों का कुल अतिदेय, रु.3,793.71 लाख (31.03.2017 की स्थिति के अनुसार रु.2,528.68 लाख) के ब्याज सहित रु.33,277.55 लाख (31.03.2017 की स्थिति के अनुसार रु.35,755.83 लाख) है।

टिप्पणी:– 42.1: तीन वर्ष से अधिक के अतिदेय वाली राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियां निम्नलिखित हैं:

क्रम सं.	एजेंसी	राज्य	कुल अतिदेय (₹ लाख में) (31.03.2018 की स्थिति के अनुसार)
1	एएसडीसी	असम	573.57
2	बीएससीडीसी	बिहार	1,415.39
3	एमपीएससीएफडीसी	मध्य प्रदेश	1,725.39
4	एलएएसडीसी	महाराष्ट्र	8,527.08
5	ओएसएफडीसी	ओडिशा	1,104.73
6	पीएससीएलडीएफसी	पंजाब	1,772.30
7	पीएडीसीओ	पुडुचेरी	317.50
8	यूपीएससीएफडीसी	उत्तर प्रदेश	2,408.21
9	एमएसटीसीबी	मणिपुर	93.77
	कुल (क)		**17,937.94**

टिप्पणी:– 42.2 तीन वर्ष से कम के अतिदेय वाली राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियां निम्नलिखित हैं:

क्रम सं.	एजेंसी	राज्य	कुल अतिदेय (₹ लाख में) (31.03.2018 की स्थिति के अनुसार)
1	जीएससीडीसी	गुजरात	5,310.57
2	डीबीआरएडीसी	कर्नाटक	2,497.68
3	लिडकॉम	महाराष्ट्र	1,719.05
4	टीएससीडीसी	त्रिपुरा	957.89
5	आरएससीडीसी	राजस्थान	948.36
6	जीएमबीसीडीसी	गुजरात	888.14
7	सीटीएससीडीसी	छत्तीसगढ़	858.10
8	एपीएससीडीसी	आंध्र प्रदेश	698.40
9	जेएससीडीसी	झारखंड	335.93
10	जेएंडकेएससीडीसी	जम्मू व कश्मीर	315.88
11	शेष राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियां		809.61
	कुल (ख)		**15,339.61**
	सकल कुल (क+ख)		**33,277.55**

टिप्पणी:– **42.3** दिनांक 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार रु.73,478.26 लाख (31.03.2017 की स्थिति के अनुसार रु.49,512.04 लाख) के उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित हैं। उपयोग की गई निधियों के एससीए/सीए–वार ब्योरे निम्नलिखित हैं:

क्रम सं.	एजेंसी	राज्य	अप्रयुक्त निधियां (₹ लाख में)	
			2017-18	2016-17
1	डीबीआरएडीसी	कर्नाटक	8,598.24	7,652.41
2	एपीएससीडीसी	आंध्र प्रदेश	6,347.35	1,099.44
3	जीएससीडीसी	गुजरात	5,012.95	3,342.14
4	डब्ल्यूबीएससीएसटीडीसी	पश्चिम बंगाल	4,252.90	2,003.93
5	एमपीबीसीडीसी	महाराष्ट्र	4,152.20	0.00
6	टीएससीडीसी	त्रिपुरा	3,451.20	1,035.05
7	एलएएसडीसी	महाराष्ट्र	3,354.84	3,354.84
8	सीटीएससीडीसी	छत्तीसगढ़	2,837.59	704.01
9	लिडकॉम	महाराष्ट्र	1,503.27	1,658.10
10	थाडको	तमिलनाडु	1,281.37	0.00
11	आरएससीडीसी	राजस्थान	1,162.81	0.00
12	जेएंडकेएससीएसटीडीसी	जम्मू व कश्मीर	1,160.34	919.52
13	डीएसएफडीसी	दिल्ली	1,068.69	674.75
14	केएसडीसी	केरल	758.95	375.02
15	एचपीएससीडीसी	हिमाचल प्रदेश	386.17	0.00
16	जीएससीएमबीसीडीसी	गुजरात	305.71	0.00
17	एएसडीसी	असम	304.75	0.00
18	पीएसएलडीएफसी	पंजाब	251.43	0.00
19	झारक्राफ्ट	झारखंड	250.00	0.00
20	यूबीईवीएन	उत्तराखंड	229.75	0.00
21	जेएससीडीसी	झारखंड	198.40	1,022.77
22	एमपीएससीएफडीसी	मध्य प्रदेश	166.23	0.00
23	यूपीएससीएफडीसी	उत्तर प्रदेश	160.82	0.00
24	एसएससीएसटीबीसीडीसी	सिक्किम	131.35	0.00
25	केएसडब्ल्यूडीसी	केरल	120.61	458.44
26	ओएसएफडीसी	ओडिशा	110.79	0.00
27	नेडफी–मणिपुर	मणिपुर	100.00	0.00
28	शेष राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियां		25,819.55	25,211.62
	कुल		**73,478.26**	**49,512.04**

टिप्पणी:– **43 आय कर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर से छूट**

'आयकर/आस्थगित कर के लिए कोई प्रावधान किए जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि निगम की आय, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(26)(ख) के अंतर्गत आयकर से छूट प्राप्त है।

इसके अलावा सीबीडीटी ने दिनांक 29.05.2017 को परिपत्र सं. 18/2017 जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि धारा 10 खंड (26ख) में संदर्भित अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या पिछड़ा वर्ग के सदस्यों के हितों को बढ़ावा देने की दृष्टि से स्थापित निगम, निकाय, संस्था या संगठन के मामले में जिनकी आय में अप्रतिबंधित रूप से छूट प्राप्त है और जिन्हें आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 के अनुसार वैधानिक रूप से आयकर विवरणी दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है, वहां स्रोत पर कर कटौती की कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि उनकी आय भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (26ख) के तहत कर से छूट प्राप्त है।

टिप्पणी:– 44 पांच एससीए, नामतः तमिलनाडु, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा से योजना के अंतर्गत, ऋण की छूट के लिए अपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। एससीए से स्पष्टीकरण मांगे गए हैं, जो लंबित हैं। पूर्ण सूचना के अभाव में छूट के किसी तर्कसंगत अनुमान पर नहीं पहुंचा जा सका। लेखांकन नीति 2.17 के अनुसरण में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

टिप्पणी:– 45 भारतीय लेखांकन मानक–17 'पट्टा' के अनुसार प्रकटीकरण

कंपनी ने कार्यालय परिसर के लिए परिचालन पट्टा करार किया है। पिछली व्यवस्था के अंतर्गत गैर–निरस्तकरणीय अवधि के दौरान न्यूनतम भावी पट्टा भुगतान 'शून्य' है।

टिप्पणी:– 46 भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अंतर्गत छूट

भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 29.04.2011 के अपने पत्र सं. डीएनबीएस.एनडी.सं.4175 एमआई / 10.01.001 / 2010–11 के अंतर्गत यह प्रमाणित किया है कि एनएसएफडीसी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45.1क के उपबंधों और कंपनी के, "सामुदायिक सेवाओं" में विनियोजित एक "लाभ–निरपेक्ष" कंपनी के रूप में भारत सरकार द्वारा वर्गीकृत किए जाने के कारण कंपनी (एनएससीएफडीसी) के आधार पर अन्य विनियामक और विवेकपूर्ण मानकों से बैंक द्वारा छूट प्रदान कर दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बोर्ड के संकल्प की एक प्रति प्रस्तुत करने की सलाह दी है, जिसमें यह उल्लेख किया गया हो कि कंपनी (एनएससीएफडीसी) जनता से निक्षेप स्वीकार नहीं करेगी। तद्नुसार, दिनांक 30.05.2011 को हुई बोर्ड की 118वीं बैठक में संकल्प पारित किया गया है और यह संकल्प दिनांक 13.06.2011 के पत्र सं. एनएसएफडीसी / सचि / 193 / 2010 / 2704 के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत किया गया है।

टिप्पणी:– 47 भौतिक वस्तुओं पर भारतीय लेखांकन मानक को लागू करना

भौतिकता के कारण पूर्व अवधि मदों और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन केवल भारतीय लेखांकन मानकों के प्रावधानों के अनुरूप ही पूर्ववर्ती रूप से लागू होते हैं।

टिप्पणी:– 48 वित्तीय विवरण का अनुमोदन

वित्तीय विवरणों को जारी करने हेतु निदेशक मंडल ने दिनांक **09.08.18** को अनुमोदन प्रदान किया था।

परिशिष्ट–क
(निदेशक मंडल की रिपोर्ट का पैरा 17.1 देखें)
(पृष्ठ 8 का 1)

नरेश के. गुप्ता एंड कं.
सनदी लेखाकार

कमरा सं. 209, 7/28, वरदान हाऊस
अंसारी रोड, दरिया गंज
नई दिल्ली – 110 002
फोन – 23282131

201–202ए, आदित्य आर्केड, प्लॉट नं. 30
सामुदायिक केंद्र, प्रीत विहार
दिल्ली – 110 092
फोन – 43073220
ईमेल : nitin.gupta@nareshkgupta.com

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के सदस्यगणों को,

भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने **नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (*'कंपनी'*)** के 31 मार्च, 2018 संबंधी तुलन–पत्र, उसी तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के आय–व्यय विवरण (अन्यय विस्तृत आय सहित) और नकद प्रवाह विवरण और उस समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य विवरणात्मक सूचना (जिसे इसमें आगे "भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण" कहा गया है) शामिल हैं, के भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है।

वित्तीय विवरणिका के लिए प्रबंध समिति का उत्तरदायित्व

भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 134(5) में उल्लिखित मामलों के लिए कंपनी का निदेशक मंडल जिम्मेदार है, जो कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्धारित लेखांकन मानकों सहित यथा संशोधित कंपनी (भारतीय लेखांकन) नियम, 2015 के साथ पठित और भारत में आमतौर पर स्वीकार किए गए अन्य लेखांकन सिद्धांतों के साथ पठित भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) की धारा 133 के तहत विनिर्धारित के अनुसार कंपनी अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय कार्य–निष्पादन, कंपनी की इक्विटी में परिवर्तनों और नकद प्रवाहों सहित वित्तीय स्थितियों का सही और उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। इस उत्तरदायित्व में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त लेखा रिकार्डों का अनुरक्षण, कंपनी की परिसंपत्तियों के सुरक्षार्थ तथा छल–कपट और अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं पकड़ने के लिए, उपयुक्त लेखांकन नीतियों के चयन व प्रायोज्यता, उपयुक्त और विवेकी निर्णय एवं अनुमान लगाना तथा उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हेतु डिजाइन करना, उनको कार्यान्वित और अनुरक्षण शामिल है। जोकि भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणिकाओं की तैयारी और प्रस्तुति संबंधी लेखांकन रिकॉर्डों की शुद्धता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से प्रचलित थे जोकि सही व उचित दृष्टिकोण देते हैं और विवरण सामग्री मिथ्या वर्णन, धोखा या त्रुटि से मुक्त हैं।

लेखापरीक्षक का दायित्व

हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखापरीक्षा पर आधारित इन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणिकाओं पर अपनी राय देना है।

परिशिष्ट–क
(निदेशक मंडल की रिपोर्ट का पैरा 17.1 देखें)
(पृष्ठ 8 का 2)

नरेश के. गुप्ता एंड कं.
सनदी लेखाकार

कमरा सं. 209, 7/28, वरदान हाऊस
अंसारी रोड, दरिया गंज
नई दिल्ली – 110 002
फोन – 23282131

201–202ए, आदित्य आर्केड, प्लॉट नं. 30
सामुदायिक केंद्र, प्रीत विहार
दिल्ली – 110 092
फोन – 43073220
ईमेल : nitin.gupta@nareshkgupta.com

हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखांकन एवं लेखापरीक्षा मानकों तथा अधिनियम के प्रावधानों एवं उसमें बनाए गए नियमों के अंतर्गत लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले आवश्यक मामलों को ध्यान में रखा है।

हमने अपनी लेखापरीक्षा, भारतीय सनदी लेखाकार द्वारा जारी अधिनियम की धारा 143 (10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार की है। इन मानकों की अपेक्षा है कि हम नैतिक आवश्यकताओं के साथ पालन करें और उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए कि क्या भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणिकाएं मिथ्या वर्णन से मुक्त हैं, के लिए योजना बनाएं एवं लेखापरीक्षा करें।

लेखापरीक्षा में, लेखा परीक्षा के साक्ष्यों को पाने की प्रक्रिया और भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की प्रक्रिया का निष्पादन शामिल है। चयनित प्रक्रिया लेखा परीक्षक के निर्णय पर आधारित है, जिसमें भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणिका के मिथ्या वर्णन के जोखिम का मूल्यांकन शामिल है, चाहे धोखे या त्रुटि के कारण हुआ है। इन जोखिमों का मूल्यांकन करने के लिए लेखापरीक्षक कंपनी की भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणिका की तैयारी में प्रासंगिक आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को मानते हैं। ये वित्तीय विवरणिकाएं लेखापरीक्षा की प्रक्रिया के निर्माण के लिए सही और उचित दृष्टिकोण देती हैं तथा ये उस परिस्थिति में उपयुक्त हैं। लेखा परीक्षा में, प्रयुक्त लेखांकन नीति की उपयुक्तता और कंपनी के निदेशकों द्वारा किए गए तर्क संगत अनुमान के साथ भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणिकाओं की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन शामिल है।

हमें विश्वास है कि हमें प्राप्त लेखा परीक्षा के साक्ष्य पर्याप्त हैं और हमारी राय में भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणिकाओं पर समुचित आधार को बताते हैं।

योग्य राय का आधार

1) *लेखांकन नीति संख्या 2.17 के अनुसरण में ऋणी लाभार्थियों की मृत्यु के मामले में ऋण की छूट के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। हमें प्रबंधन द्वारा यह सूचित किया गया है कि आज की तारीख तक योजना के अंतर्गत ऋण की छूट के लिए पांच राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों नामतः पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा से अपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों से स्पष्टीकरण मांगे गए हैं, जो लंबित हैं। पूरी सूचना के अभाव में, छूट का कोई तर्कसंगत अनुमान नहीं लगाया जा सकता। सभी राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों के लिए इस प्रकार के मामलों की पहचान के अभाव में वित्तीय विवरणों पर इसका प्रभाव, यदि कोई हैं, का इस चरण में पता नहीं लगाया जा सकता और इस प्रकार हम इस पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।*

2) *शेष ऋणों की पुष्टि कुछ राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों से प्राप्त नहीं हुई है। शेष की पुष्टि के अभाव में, ऋणों के अंतःशेष राशि को लेखा बहियों के अनुसार भारतीय लेखांकन मानकों के वित्तीय विवरणों में शामिल कर लिया गया है। भारतीय लेखांकन मानकों के वित्तीय विवरणों पर इस अनिश्चितता के परिणाम के प्रभाव, यदि कोई है, का वर्तमान में पता नहीं लगाया जा सकता।*

परिशिष्ट–क
(निदेशक मंडल की रिपोर्ट का पैरा 17.1 देखें)
(पृष्ठ 8 का 3)

नरेश के. गुप्ता एंड कं.
सनदी लेखाकार

कमरा सं. 209, 7/28, वरदान हाऊस
अंसारी रोड, दरिया गंज
नई दिल्ली – 110 002
फोन – 23282131

201–202ए, आदित्य आर्केड, प्लॉट नं. 30
सामुदायिक केंद्र, प्रीत विहार
दिल्ली – 110 092
फोन – 43073220
ईमेल : nitin.gupta@nareshkgupta.com

3) कंपनी ने रु.4024.87 लाख (एलएएसडीसी–रु.3193.96 लाख और बीएससीडीसी– रु.830.91 लाख) के ऋण को अप्रतिभूत अच्छा समझा गया के रूप में वर्गीकृत किया है जब कि उसे अप्रतिभूत संदिग्ध ऋण के रूप में वर्गीकृत होना चाहिए, जिसके कारण रु.4024.87 लाख के ऋण को अच्छा ऋण मानने से अतिकथन होता है और उसे एक संदिग्ध ऋण मानने से कमतर होता है।

4) कंपनी का एलएएसडीसी (एससीए) को रु.3379.90 लाख (मूलधन रु.3193.96 लाख और अतिदेय ब्याज रु.185.94 लाख) की राशि का ऋण संदिग्ध है, जो तुलन–पत्र की तिथि को 3 वर्ष से अधिक समय से अतिदेय है तथा जिसे सरकारी गारंटी के अंतर्गत कवर नहीं किया गया है। कंपनी नीति के अनुसार, 3 वर्ष से अधिक समय से अतिदेय राशि और जिसे सरकारी गारंटी के अंतर्गत कवर नहीं किया गया है, की राशि पर एससीए को दिए गए ऋणों के लिए 100% की दर से अशोध्य और संदिग्ध, ऋणों हेतु एक प्रावधान की आवश्यकता है। तथापि, कंपनी द्वारा भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसलिए कंपनी के लाभ रु.3379.90 लाख, वित्तीय आस्तियां–ऋण 3193.96 लाख रुपए और प्राप्य ब्याज रु.185.94 लाख अधिक दर्शाया गया।

5) एससीए को दिए गए ऋण के संबंध में 31.03.2018 को, बकाया राशि से कम सरकारी गारंटी के 3 मामलों को नीचे दिया जा रहा है:–

(₹ लाख में)

एससीए का नाम	31.03.18 को बकाया राशि	गारंटी की राशि
डीबीआरएडीसी	11,508.50	6,191.58
एलएएसडीसी	8,766.07	2,025.00
लिडकॉम	3,102.01	1,500.00

अतिदेय ऋणों के मामले में, सरकारी गारंटी में कमी के कारण भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के परिणाम भविष्य में प्रभावित हो सकते हैं। बकाया ऋणों की राशि को कवर करने के लिए कंपनी को पर्याप्त सरकारी गारंटी प्राप्त करनी चाहिए।

6) कंपनी द्वारा प्रदत्त ऋण के संबंध में टिप्पणी 7.1 (ख) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, कंपनी दिए गए ऋण में से निर्धारित अवधि से अधिक अप्रयुक्त राशि के ऋण की धनवापसी के लिए पात्र है। तथापि कंपनी द्वारा वर्ष के अंत में अप्रयुक्त राशि को निर्धारित नहीं किया गया है और इस राशि को 'वित्तीय आस्तियां–ऋण' की टिप्पणी 7 में गैर–चालू ऋणों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

धनवापसी हेतु देय राशि को चालू ऋण के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए और तदनुसार उसे प्रकट करना चाहिए। कंपनी द्वारा इस प्रकार की राशियों को किसी भी निर्धारित मात्रा की अनुपस्थिति में, गैर–चालू के रूप में दिखाया जाना जारी रखना चाहिए।

परिशिष्ट–क
(निदेशक मंडल की रिपोर्ट का पैरा 17.1 देखें)
(पृष्ठ 8 का 4)

नरेश के. गुप्ता एंड कं.
सनदी लेखाकार

कमरा सं. 209, 7/28, वरदान हाऊस
अंसारी रोड, दरिया गंज
नई दिल्ली – 110 002
फोन – 23282131

201–202ए, आदित्य आर्केड, प्लॉट नं. 30
सामुदायिक केंद्र, प्रीत विहार
दिल्ली – 110 092
फोन – 43073220
ईमेल : nitin.gupta@nareshkgupta.com

7) कंपनी, एससीए और सीए के माध्यम से अनुसूचित जातियों को वित्तीय और अन्य सहायता प्रदान कर रही है। हालांकि, 31 मार्च, 2018 को रु.73,478.26 लाख के लिए उपयोगिता प्रमाण–पत्र लंबित हैं।

8) कंपनी ने नार्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (नेडफी), को उत्तर दिनांकित चेकों के एवज में ऋण दिए हैं जिनकी बकाया राशि 31.03.2018 को रु.90.00 लाख हैं। इसे 'अप्रतिभूत ऋण–अच्छा समझा गया' के बजाय 'प्रतिभूत ऋण–अच्छा समझा गया' के रूप में अनुचित तरीके से दर्शाया गया है जिसके कारण 'प्रतिभूत ऋण–अच्छा समझा गया' की राशि रु.90.00 लाख बढ़ गई है तथा 'अप्रतिभूत ऋण–अच्छा समझा गया' की राशि रु.90.00 लाख कम हो गई है।

9) कंपनी ने अनिक फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को सावधि जमा राशियों के एवज में ऋण प्रदान किए हैं जिनकी बकाया राशि 31.03.2018 को रु.97.20 लाख है। इन्हें 'प्रतिभूत ऋण–अच्छा समझा गया' के स्थान पर 'अप्रतिभूत ऋण–अच्छा समझा गया' के रूप में अनुचित तरीके से दर्शाया गया है, जिसके कारण 'अप्रतिभूत ऋण–अच्छा समझा गया' की राशि रु.97.20 लाख बढ़ गई तथा 'प्रतिभूत ऋण–अच्छा समझा गया' की राशि रु.97.20 लाख कम हो गई।

10) टिप्पणी 7 में रु.127.31 लाख की ऋण राशि को गैर–चालू ऋण के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जबकि यह ऋण 'चालू' वर्ग का है इसलिए इसे 'चालू' के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। अतः चालू ऋणों की राशि को रु.127.31 लाख कम दर्शाया गया है और गैर–चालू ऋणों की राशि को इतनी ही राशि अधिक बताया गया है।

11) कंपनी के पास उत्तर–सेवानिवृत्ति मेडिकल लाभ (पीआरएमबी) है, जिसके अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके पति/पत्नी को कंपनी के अस्पतालों/एम्पैनल अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। वे कंपनी द्वारा निर्धारित राशि की सीमा के अधीन बाह्य रोगी के रूप में भी उपचार का लाभ उठा सकते हैं। इसकी देयता, 'कर्मचारी लाभ' पर भारतीय लेखांकन मानक 19 के अनुसार बीमांकित मूल्य पर आधारित है, इसे कंपनी द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है, इसलिए यह भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण में मान्य नहीं है।

12) बैंकों में जमा राशि पर ब्याज रु.2,619.31 लाख (टिप्पणी 22) और विशेष आरक्षित निधि निवेश पर ब्याज रु.210.27 लाख (टिप्पणी 16.1) का बैंक सामंजस्य प्रमाण–पत्र और अनुवर्ती समायोजन, यदि कोई है, की सीमा में है। अनुवर्ती समायोजन का प्रभाव प्रबंधन द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है।

13) एक स्वतंत्र मूल्यांकक द्वारा निवेश संपत्ति के मूल्यांकन पर जानकारी के संबंध में निवेश संपत्ति, किराए से आय और विभिन्न परिचालन व्यय के लिए आय और व्यय विवरण में मान्यता प्राप्त राशि, निवेश संपत्ति की प्राप्ति पर प्रतिबंधों की राशि और निवेश संपत्ति संबंधी अनुबंधनात्मक दायित्वों के संबंध में भारतीय लेखांकन मानक 40 में उल्लखित प्रकटीकरणों को भारतीय लेखा परीक्षा मानक वित्तीय विवरणों में शामिल नहीं किया गया है।

परिशिष्ट–क
(निदेशक मंडल की रिपोर्ट का पैरा 17.1 देखें)
(पृष्ठ 8 का 5)

नरेश के. गुप्ता एंड कं.
सनदी लेखाकार

कमरा सं. 209, 7/28, वरदान हाऊस
अंसारी रोड, दरिया गंज
नई दिल्ली – 110 002
फोन – 23282131

201–202ए, आदित्य आर्केड, प्लॉट नं. 30
सामुदायिक केंद्र, प्रीत विहार
दिल्ली – 110 092
फोन – 43073220
ईमेल : nitin.gupta@nareshkgupta.com

अन्य मामले

1. टिप्पणी संख्या 11.1 के अनुसार, कंपनी ने बिहार अनुसूचित जाति विकास निगम (बीएससीडीसी) से संदिग्ध अतिदेय धनराशियों के संबंध में रु.52.58 लाख की ब्याज आय बुक की है, जिसका रु.52.58 लाख की सीमा तक, प्रचालनों से राजस्व (आय) की अत्युक्तिपूर्ण कथन का प्रभाव पड़ा है। तथापि, नीति संख्या 2.22 (iv) के अनुसार इतनी ही धनराशि के अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान के सृजन के कारण कुछ सीमा तक व्यय से अधिक आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

2. यह अवलोकन किया गया है कि अनेक एससीए ने भुगतानों में चूक की है, जिसके परिणामस्वरूप रु.179.38 करोड़ तक की राशि का तीन वर्ष से अधिक का अतिदेय हो गया है। हालांकि, इन ऋणों में से रु.111.97 करोड़ की ऋण राशि राज्य सरकार की गारंटियों द्वारा सुरक्षित हैं, परंतु ये गारंटियां कभी भी भुनाई नहीं गई हैं, जिसके परिणामस्वकरूप निधियां अवरूद्ध हो गई हैं।

3. कंपनी द्वारा सरकारी आश्वासन प्राप्त रु.5,343.55 लाख की ऋण राशि के संबंधी में टिप्पणी संख्या 7.1 (घ) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसके लिए सरकारी आश्वासन प्राप्त की लिया है। कंपनी द्वारा प्राप्त कानूनी राय के अनुसार, सरकारी आश्वासन सरकारी विलेख/आदेश के अनुरूप नहीं है। जिसे मध्यस्थता के माध्यम से विवादित मामलों में लागू किया जा सकता है। प्रबंध समिति की दृष्टि में, कंपनी उन मामलों में पर्याप्त रूप से कवर की गई है जहां बकाया ऋण राशि के लिए सरकारी आश्वासन दिया जाता है।

4. एससीए गारंटी प्रकटी करण के संबंध में टिप्पणी संख्या 7.1 (ग) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें कंपनी ने 10.04.2001 को नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स् फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कार्पोरेशन 'पूर्व संस्था') के पास उपलब्ध सरकारी गारंटी को कंपनी और नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कार्पोरेशन ('एनएसटीएफडीसी') के बीच सहमत अनुपात में विभाजित किया है। जैसा कि उपर्युक्त नोट में वर्णित है, यह विभिन्न पत्रों के माध्यम से सूचित किया गया था तथा परिणामस्वरूप राज्य सरकार की गारंटी अभी भी पूर्व संस्था के नाम पर है, न कि कंपनी का नाम पर।

5. टिप्पणी संख्या 7 में एक लिपिकीय गलती है जिसमें कुल निधियों में से रु.830.91 लाख के अशोध्य और संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता की मात्रा को नहीं घटाया गया है।

6. टिप्पणी 12 (i) में 31.03.2017 को अशोध्य और संदिग्ध ब्याज के लिए सकल ब्याज प्राप्य और भत्ता की मात्रा को रु.63.13 लाख के द्वारा दोनों मदों के लिए बहाल कर दिया गया है। जबकि, इसके संबंध में भारतीय लेखा मानकों में कोई प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

परिशिष्ट–क
(निदेशक मंडल की रिपोर्ट का पैरा 17.1 देखें)
(पृष्ठ 8 का 6)

नरेश के. गुप्ता एंड कं.
सनदी लेखाकार

कमरा सं. 209, 7/28, वरदान हाऊस
अंसारी रोड, दरिया गंज
नई दिल्ली – 110 002
फोन – 23282131

201–202ए, आदित्य आर्केड, प्लॉट नं. 30
सामुदायिक केंद्र, प्रीत विहार
दिल्ली – 110 092
फोन – 43073220
ईमेल : nitin.gupta@nareshkgupta.com

7. *टिप्पणी 17.2 में एससीए को प्रोत्साहन के लिए प्रावधान की राशि गलत तरीके से बताई गई है। 01.04.2017 को प्रावधान के तहत राशि शून्य बताई गई है, वर्ष 2017–18 के दौरान अतिरिक्त राशि रु.131.2 लाख बताई गई है और 2017–18 के दौरान भुगतान शून्य राशि का बताई गई है, जोकि गलत है। जबकि 01.04.2017 को प्रावधान के तहत राशि रु.61.35 लाख होना चाहिए, वर्ष 2017–18 के दौरान अतिरिक्त राशि रु.89.12 लाख होना चाहिए और 2017–18 के दौरान भुगतान राशि रु.19.35 लाख होना चाहिए।*

8. *टिप्पणी 26.1 में राशि गलत तरीके से बताई गई है। वित्तीय वर्ष 2016–17 के संबंध में एससीए को प्रोत्साहन के लिए रु.61.35 लाख का प्रावधान किए गया हैं, जिसे नोट 36 में भी प्रकट किया गया है। तथापि, वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए, आय में कमी के संबंध में रु.69.57 लाख और एससीए को प्रोत्साहन के लिए रु.42 लाख का प्रावधान जैसे आकड़ें टिप्पणी 26.1 में गलत तरीके से बताया गया है। जबकि इसे वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए आय में कमी और एससीए को प्रोत्साहन का प्रावधान दोनों के लिए रु.61.35 लाख होना चाहिए।*

9. *आय और व्यय के ब्योरे का विवरण पर प्रभाव गलत तरीके से दिखाया गया है जैसा कि टिप्पणी 36 में 31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए एससीए को प्रोत्साहन के प्रावधान के संबंध में आय में रु.61.35 लाख की वृद्धि हुई है। जबकि इसे शून्य होना चाहिए।*

10. *31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए व्यय की राशि को सीएसआर व्यय के लिए रु.97.07 लाख और लाभार्थियों के प्रशिक्षण खर्चों के लिए शून्य राशि के रूप में गलत तरीके से बताया गया है। जबकि इसे 31.03.2017 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित भारतीय मानक लेखा विवरणों के अनुसार सीएसआर व्यय के लिए शून्य होना चाहिए और लाभार्थियों के प्रशिक्षण खर्चों के लिए रु.97.07 लाख होना चाहिए।*

11. , *कंपनी ने प्रति शेयर अर्जन की गणना कम पड़ने के संभावित प्रभाव के तहत रु.0.01 लाख इक्विटी शेयरों को गलत तरीके से शामिल किया है। हालांकि हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार इक्विटी शेयरों में ऐसी कोई संभावित कमी नहीं है क्योंकि 31.03.2018 तक आवंटन के लिए कोई इक्विटी शेयर लंबित नहीं है। इसका प्रति शेयर अर्जन की गणना पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता है।*

हमारी राय इन मामलों के संबंध में योग्य/संशोधित नहीं है।

योग्य राय

हमारी राय और हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, योग्य राय के लिए आधार के पैराग्राफ में बतायी सामग्री के प्रभाव को छोड़कर उक्त भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण

परिशिष्ट–क
(निदेशक मंडल की रिपोर्ट का पैरा 17.1 देखें)
(पृष्ठ 8 का 7)

नरेश के. गुप्ता एंड कं.
सनदी लेखाकार

कमरा सं. 209, 7/28, वरदान हाऊस
अंसारी रोड, दरिया गंज
नई दिल्ली – 110 002
फोन – 23282131

201–202ए, आदित्य आर्केड, प्लॉट नं. 30
सामुदायिक केंद्र, प्रीत विहार
दिल्ली – 110 092
फोन – 43073220
ईमेल : nitin.gupta@nareshkgupta.com

अपेक्षित तरीके से कंपनी अधिनियम द्वारा अपेक्षित सूचना को दर्शाते हैं और कंपनी के भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय प्रावधानों सहित भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों की पुष्टि में 31 मार्च, 2018 को निगम की स्थिति, उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए व्यय से अधिक लाभ और अपनी नकद प्रवाह विवरणिका और इक्विटी में परिवर्तन के मामले में सही और उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं।

अन्य विधिक और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप–धारा (11) के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ("आदेश") द्वारा यथापेक्षित कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश कंपनी पर लागू नहीं होता।

2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत जारी किए गए निर्देशों के जरिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा यथापेक्षित, प्रबंधन से प्राप्त लिखित प्रतिवेदनों के आधार पर हम संलग्न "अनुलग्न्क क" में विनिर्दिष्ट मामलों पर अपनी रिपोर्ट देते हैं।

3. अधिनियम की धारा 143(3) में यथापेक्षित हम लागू होने वाली सीमा तक रिपोर्ट करते हैं कि:

   (क) हमने वे सभी सूचनाएं एवं विवरण मांगे और प्राप्त किए हैं, जो हमारी सर्वोतम जानकारी और विश्वास के लिए आवश्याक थे।

   (ख) हमारी राय में कंपनी ने वे सभी समुचित लेखा बहियाँ रखी हैं, जो कि नियमानुसार आवश्यक हैं, जहाँ तक उन बहियों की हमारी परीक्षा द्वारा सामने आया है।

   (ग) इस रिपोर्ट में वर्णित तुलन–पत्र आय और व्यय विवरणिका, नकद प्रवाह विवरणिका और ईक्विटी में परिवर्तन का विवरण लेखा बहियों का अनुपालन करते हैं।

   (घ) हमारी राय में 'योग्या राय का आधार' के मद संख्या 1 और 2 में वर्णित मामले के प्रभाव को छोड़कर उक्त भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणिकाएँ भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में, भारतीय लेखांकन मानक नियमावली, 2015 और अधिनियम के अन्य सुसंगत उपबंधों के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्टन भारतीय लेखांकन मानकों का अनुपालन करते है।

   (ङ) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी की गई दिनांक 05 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ङ) के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उप–धारा (2) सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होती;

   (च) हमारी राय में, उपर्युक्त व अनुच्छेद में योग्य राय के आधार पर वर्णित मामले से कंपनी के कामकाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।

परिशिष्ट–क
(निदेशक मंडल की रिपोर्ट का पैरा 17.1 देखें)
(पृष्ठ 8 का 8)

नरेश के. गुप्ता एंड कं.
सनदी लेखाकार

कमरा सं. 209, 7/28, वरदान हाऊस
अंसारी रोड, दरिया गंज
नई दिल्ली – 110 002
फोन – 23282131

201–202ए, आदित्य आर्केड, प्लॉट नं. 30
सामुदायिक केंद्र, प्रीत विहार
दिल्ली – 110 092
फोन – 43073220
ईमेल : nitin.gupta@nareshkgupta.com

(छ) खातों के रखरखाव और इसके साथ जुड़े अन्य मामले से संबंधित योग्यता उपर्युक्त अनुच्छेद में योग्य राय के आधार पर है।

(ज) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता के संबंध में, अनुलग्नक 'ख' में हमारी अलग रिपोर्ट देखें; तथा

(झ) कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में हमारी राय और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:

(i) कंपनी ने अपने भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणिकाओं में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव को प्रकट किया है?

(ii) कंपनी का व्युत्पत्तिक अनुबंधों सहित कोई भी दीर्घावधि अनुबंध नहीं है जिससे

(iii) ऐसा कोई मामला नहीं है जहाँ कंपनी द्वारा राशि को निवेशकों की शिक्षा और संरक्षण कोष में अंतरित किया जाना है।

कृते नरेश के. गुप्ता एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 002232एन

ह.

नितिन गुप्ता
साझेदार
सदस्यता सं. 096295
स्थान : दिल्ली
दिनांक : अगस्त 21, 2018

परिशिष्ट–क

(निदेशक मंडल की रिपोर्ट का पैरा 17.1 देखें)

नरेश के. गुप्ता एंड कं.

सनदी लेखाकार

कमरा सं. 209, 7/28, वरदान हाऊस
अंसारी रोड, दरिया गंज
नई दिल्ली – 110 002
फोन – 23282131

201–202ए, आदित्य आर्केड, प्लॉट नं. 30
सामुदायिक केंद्र, प्रीत विहार
दिल्ली – 110 092
फोन – 43073220
ईमेल : nitin.gupta@nareshkgupta.com

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक – क

31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए **मैसर्स नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कार्पोरेशन** के भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों के हमारे उत्तर निम्नांकित हैं:

1	क्या कंपनी के पास क्रमशः फ्रीहोल्ड/पट्टा विलेख के लिए स्पष्ट स्वामित्व/लीज डीड है? यदि नहीं तो कृपया फ्रीहोल्डक और लीजहोल्ड् का क्षेत्रफल बताएं जिसके लिए स्वामित्वज/पट्टा विलेख उपलब्ध नहीं है?	लीजहोल्ड / पट्टा विलेख का स्वामित्व : कंपनी के पास न तो लीजहोल्ड और न ही पट्टा विलेख की कोई भूमि नहीं है। कंपनी के पास उसके स्वामित्व में फ्रीहोल्डन भवनों का स्पष्ट स्वीमित्व विलेख है। उप पट्टे पर खरीदे गए 11,144.43 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल वाले स्कोप मिनार स्थित लीजहोल्ड भवन के विलेख का स्वामित्वा/उप–पट्टे का अंतरण लंबित है। लगभग 1571 वर्ग फुट के कुल क्षेत्रफल वाले, मुंबई में खरीदे गए दो फ्लैटों के औपचारिक विलेख, म्हाडा और हाउसिंग सोसायटी के बीच अभी निष्पादित किए जाने हैं।
2	क्या कर्जों/ऋणों/ब्याज इत्यादि की माफी/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला है? यदि हां तो उसका कारण और राशि बताएं।	लेखापरीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कर्जों/ऋणों/ब्याज की कोई माफी/बट्टेखाते में डालने का कोई मामला नहीं है।
3	तृतीय पक्षकारों के पास पड़ी वस्तु सूची और सरकारी अथवा अन्य प्राधिकारियों से उपहार/दान के रूप में प्राप्त परिसंपत्तियों का उपयुक्त रिकार्ड रखा जाता है?	कार्य की प्रकृति के कारण, कोई वस्तुसूचियां नहीं हैं, इसलिए कंपनी को, तृतीय पार्टियों के पास रखी वस्तु सूचियों का रिकार्ड रखने की आवश्यतकता नहीं है। इसके अलावा, हमें प्रबंध समिति द्वारा सूचित किया गया है कि सरकारी अथवा अन्य प्राधिकारियों से उपहार के रूप में परिसंपत्ति प्राप्त करने के कोई मामला नहीं है।

कृते नरेश के. गुप्ता एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 002232एन
नितिन गुप्ता
साझेदार
सदस्यता सं. 096295
स्थान : दिल्ली
दिनांक : 21 अगस्त, 2018

परिशिष्ट–क का अनुलग्नक 'ख'
(निदेशक मंडल की रिपोर्ट का पैरा 17.1 देखें) (पृ. 3 का 1)

नरेश के. गुप्ता एंड कं.
सनदी लेखाकार

कमरा सं. 209, 7/28, वरदान हाऊस
अंसारी रोड, दरिया गंज
नई दिल्ली – 110 002
फोन – 23282131

201–202ए, आदित्य आर्केड, प्लॉट नं. 30
सामुदायिक केंद्र, प्रीत विहार
दिल्ली – 110 092
फोन – 43073220
ईमेल : nitin.gupta@nareshkgupta.com

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर सम संख्यक तारीख को स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक "ख"

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप–धारा 3 के खंड (i) के अधीन वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने **नेशनल शेड्यूल्ड का स्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन** ('कंपनी') के 31 मार्च, 2018 तक के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के साथ, उसी तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष को कंपनी के भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधक का उत्तरदायित्व

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षण के दिशानिर्देश टिप्पणी में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक तत्वों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को स्थापित करने और अनुरक्षण के लिए कंपनी के प्रबंधन उत्तरदायी हैं। इस उत्तरदायित्व में अभिकल्प, पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का कार्यान्वयन व अनुरक्षण शामिल है। कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षानुसार, ये वित्तीय नियंत्रण, व्यवसाय को व्यवस्थित और सक्षम ढंग से चलाने में (इसमें कंपनी नीति का अनुसरण करना शामिल है), इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और गलतियों से बचाव और पता लगाना, लेखा रिकार्ड की शुद्धता और पूर्णता एवं विश्वीसनीय वित्तीय सूचना की समय से तैयारी शामिल है।

लेखा परीक्षक का दायित्व

हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखापरीक्षा पर आधारित वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपनी राय देना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के अंतर्गत विहित और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखापरीक्षा के मानकों और वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा दिशानिर्देश टिप्पणी "दिशानिर्देश टिप्पणी") के अनुसार की है। यह आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा की सीमा तक लागू है। यह दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा पर लागू है तथा दोनों भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी है। इन मानकों और दिशानिर्देश नोट की अपेक्षा है कि हम नैतिक आवश्यरकताओं का पालन करें और उचित आश्वानसन प्राप्त करने के लिए कि क्या वित्तीय प्रतिवेदन के ऊपर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और कायम थे और क्या ऐसे नियंत्रणों ने सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से कार्य किया, के लिए योजना बनाएं और लेखापरीक्षा करें।

हमारी लेखापरीक्षा में परीक्षण आधारित जाँच राशि के आशय और वित्तीय प्रतिवेदन पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और उनकी प्रचालन प्रभाविकता शामिल है। हमारी वित्तीय प्रतिवेदन की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा में वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को समझना, ब्याज भौतिक कमजोरी के जोखिम का मूल्यांकन और मूल्यांकित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की परख तथा डिजाइन और प्रचालन

परिशिष्ट–क का अनुलग्नक 'ख'
(निदेशक मंडल की रिपोर्ट का पैरा 17.1 देखें) (पृ. 3 का 2)

नरेश के. गुप्ता एंड कं.
सनदी लेखाकार

कमरा सं. 209, 7/28, वरदान हाऊस
अंसारी रोड, दरिया गंज
नई दिल्ली – 110 002
फोन – 23282131

201–202ए, आदित्य आर्केड, प्लॉट नं. 30
सामुदायिक केंद्र, प्रीत विहार
दिल्ली – 110 092
फोन – 43073220
ईमेल : nitin.gupta@nareshkgupta.com

प्रभाविता प्राप्त करना शामिल है। नियुक्त की गई प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर आधारित हैं। इसमें वित्तीय विवरणों के भौतिक मिथ्या विवरण जोखिम का मूल्यांकन चाहे वह धोखे या त्रुटि के कारण हुआ हो, भी शामिल है।

हमें विश्वास है कि हमें प्राप्त लेखापरीक्षा के साक्ष्य पर्याप्त हैं और कंपनी के वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारे लेखापरीक्षा विचार के आधार के लिए उचित हैं।

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण से तात्पर्य

किसी कंपनी की वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय प्रतिवेदन की विश्वतसनीयता के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई प्रक्रिया है और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार बाह्य उद्देश्यों के लिए भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण तैयार करना है। कंपनी के वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) उन अभिलेखों के अनुरक्षण से संबंधित हैं, जो कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन–देन और निपटान को उचित विवरण में, शुद्ध और निष्पक्ष ढंग से दर्शाते हैं, (2) उचित आश्वासन प्रदान करना कि लेन–देन का आवश्यकतानुसार रिकार्ड हो रहा है ताकि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों को तैयार करने की अनुमति दी जा सके, और कंपनी की प्राप्तियाँ और व्ययों को केवल कंपनी की प्रबंध समिति और निदेशकों के प्राधिकार के अनुरूप किया जा रहा है; और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों का बचाव अथवा समय से अनधिकृत अधिग्रहण का पता लगाना, इस्तेमाल, अथवा निपटान संबंधी उचित आश्वासन प्रदान करना कि उनका भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सके।

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमा

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमा के कारण (इसमें मिली भगत की संभावना या नियंत्रण को प्रभावी करने वाला अनुपयुक्त प्रबंधन, धोखा या त्रुटि के कारण भौतिक मिथ्या विवरण शामिल) हो सकता है तथा इसका पता भी नहीं लगाया जा सकेगा। इसके अलावा, भविष्य के लिए वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के प्रेक्षपण में यह खतरा है कि परिस्थितियों में बदलाव के कारण वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण कहीं अपर्याप्त न हो जाए या नीतियों के साथ अनुपालन की मात्रा या पद्धतियों में कमी आ सकती है।

राय

हमारी राय में, नीचे पैरा (क) और (ख) में उल्लिखित मामलों को छोड़कर, कंपनी के पास सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय प्रतिवेदन पर पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण लेखापरीक्षा दिशानिर्देश टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के आवश्यक तत्वों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, 31 मार्च, 2018 तक ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय प्रतिवेदन पर प्रभावी रूप से कार्य

परिशिष्ट–क का अनुलग्नक 'ख'
(निदेशक मंडल की रिपोर्ट का पैरा 17.1 देखें) (पृ. 3 का 3)

नरेश के. गुप्ता एंड कं.
सनदी लेखाकार

कमरा सं. 209, 7/28, वरदान हाऊस
अंसारी रोड, दरिया गंज
नई दिल्ली – 110 002
फोन – 23282131

201–202ए, आदित्य आर्केड, प्लॉट नं. 30
सामुदायिक केंद्र, प्रीत विहार
दिल्ली – 110 092
फोन – 43073220
ईमेल : nitin.gupta@nareshkgupta.com

कर रहे थे।

1. कंपनी की आंतरिक नियंत्रणों और व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए, हम इस स्थिति में नहीं हैं कि एससीए को संवितरित अनुमोदित निधियों के अंतिम उपयोग का सत्यापन कर सकें। हमें प्रबंधन द्वारा यह सूचित किया गया है कि पात्र लाभार्थियों को निधि जारी करने की एकल जिम्मेदारी एस सीए की है। कंपनी को ऐसी कोई लेखापरीक्षा व्यवस्था पर विचार करना चाहिए जिसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा सके कि निधियाँ पात्र लाभार्थियों को उचित ढंग से संवितरित की गई हैं। यह और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह एक 'लाभ निरपेक्ष कंपनी' है और विभिन्न विधियों के तहत अनेक छूटों का लाभ ले रही है।

2. कंपनी, राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों और चैनलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से अनुसूचित जातियों से संबंधित लाभार्थियों को वित्तीय एवं अन्य सहायता उपलब्ध करा रही है। तथापि, 31 मार्च, 2018 को रु.73,478.26 लाख के उपयोगिता प्रमाण–पत्र लंबित हैं। यथाशीघ्र उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए।

3. दिनांक 31.03.2018 को, एससीए को दिए गए ऋण के संबंध में बकाया राशि की तुलना में सरकारी गारंटी की कमी के 3 मामलें हैं, जिसका विवरण हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के 'योग्य राय का आधार' के खंड 5 में पहले से ही साझा किया गया है। कंपनी को उन मामलों की निगरानी करने के लिए आंतरिक नियंत्रण को मजबूत करना चाहिए जहां बकाया ऋण राशि की तुलना में सरकारी गारंटी में कमी आई है।

4. हमारे 'योग्य राय का आधार' के खंड 2 और 12 में उल्लिखित विभिन्न मामले और खंड 5 से 10 तक के पैराग्राफों में उन विषयों पर बल दिया गया है जो कि वित्तीय रिपोर्टिंग सिस्टम के आंतरिक नियंत्रण की कमी को सूचित करते हैं। इस संबंध में कंपनी को आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को नियंत्रित और सुदृढ़ करना चाहिए।

कृते नरेश के. गुप्ता एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 002232एन

ह.

नितिन गुप्ता
साझेदार
सदस्यता सं. 096295
स्थान : दिल्ली
दिनांक : 21 अगस्त, 2018

परिशिष्ट 'ख'

(निदेशक मंडल की रिपोर्ट का पैरा 17.1 देखें)

(पृष्ट 8 का 1)

वर्ष 2017–18 के वार्षिक लेखे पर सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर प्रबंध समिति का उत्तर

क्रम सं.	लेखा परीक्षा पैरा	प्रबंध समिति का उत्तर
1	लेखांकन नीति संख्या 2.17 के अनुसरण में ऋणी लाभार्थियों की मृत्यु के मामले में ऋण की छूट के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। हमें प्रबंधन द्वारा यह सूचित किया गया है कि आज की तारीख तक योजना के अंतर्गत ऋण की छूट के लिए पांच राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों नामतः पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा से अपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों से स्पष्टीकरण मांगे गए हैं, जो लंबित हैं। पूरी सूचना के अभाव में, छूट का कोई तर्कसंगत अनुमान नहीं लगाया जा सकता। सभी राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों के लिए इस प्रकार के मामलों की पहचान के अभाव में वित्तीय विवरणों पर इसका प्रभाव, यदि कोई हैं, का इस चरण में पता नहीं लगाया जा सकता और इस प्रकार हम इस पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।	लेखांकन नीति संख्या 2.17 ऋण छूट से संबंधित नहीं है। यह 'व्यय और प्रावधानों जो (i) कौशल प्रशिक्षण (लाभार्थियों) व्यय और (ii) प्रोत्साहन और अन्य योजनाओं के लिए है, से संबंधित है।' ऋण की अवधि के दौरान लाभार्थियों की मृत्यु होने पर ऋण/देयों की छूट पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए लाभार्थियों की मृत्यु के मामले में ऋण माफी को शुरू किया गया था ताकि लाभार्थी के पीड़ित जीवित कानूनी उत्तराधिकारी (उत्तराधिकारियों), यदि वे चाहें तो, उनके ऋण को कम किया जा सके। 5 एससीए से प्राप्त ऋण छूट के अनुरोध प्रस्ताव, योजना के अंतर्गत मांगे गए दस्तावेजों/सूचनाओं सहित नहीं थे। समय–समय पर सभी राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों को इन कमियों के बारें में सूचित किया गया था। राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियां, अपेक्षित दस्तावेजों को पूरा किए बिना और अयोग्य मामलों को वापस लिए बिना पूरी बकाया ऋण राशि को माफ करने का अनुरोध बार–बार करते हैं। हालांकि योजना केवल आशय–पत्र में निर्धारित ऋण के स्वीकृत हिस्से के अनुपात में एनएसएफडीसी और एससीए के अंश तक ही सीमित है। इसके अलावा वसूली योग्य संपत्तियों के मूल्य के समायोजन के बाद निवल ही बकाया राशि पर ही छूट होगी। जिसकी कोई सूचना दस्तावेजों में उपलब्ध नहीं है। हालांकि, योजना दि. 31.03.2015 से बंद कर दी गई थी और इसके बाद एससीए को बोर्ड के दि. 18.07.2014 के अनुमोदन के अनुसार दि. 01.04.2015 से इसके एक्ज में व्यक्तिगत/समूह ऋण जीवन बीमा योजना को अपनाने का अनुरोध किया गया था। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए वित्तीय विवरणों पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है।

परिशिष्ट 'ख'

(निदेशक मंडल की रिपोर्ट का पैरा 17.1 देखें)

(पृष्ट 8 का 2)

क्रम सं.	लेखा परीक्षा पैरा	प्रबंध समिति का उत्तर
2	शेष ऋणों की पुष्टि कुछ राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों से प्राप्त नहीं हुई है। शेष की पुष्टि के अभाव में, ऋणों के अंतःशेष राशि को लेखा बहियों के अनुसार भारतीय लेखांकन मानकों के वित्तीय विवरणों में शामिल कर लिया गया है। भारतीय लेखांकन मानकों के वित्तीय विवरणों पर इस अनिश्चितता के परिणाम के प्रभाव, यदि कोई है, का वर्तमान में पता नहीं लगाया जा सकता।	ऋण की शेष राशि की पुष्टि प्राप्त करने की प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया है। अनुवर्तन करने के बाद, सभी 64 एससीए/वैकल्पिक चैनलों से शेष राशि की पुष्टि अब प्राप्त हो गई है।
3	कंपनी ने रु.4024.87 लाख (एलएएसडीसी– रु.3193.96 लाख और बीएससीडीसी– रु.830.91 लाख) के ऋण को अप्रतिभूत अच्छा समझा गया के रूप में वर्गीकृत किया है जब कि उसे अप्रतिभूत संदिग्ध ऋण के रूप में वर्गीकृत होना चाहिए, जिसके कारण रु.4024.87 लाख के ऋण को अच्छा ऋण मानने से अतिकथन होता है और उसे एक संदिग्ध ऋण मानने से कमतर होता है।	I. एलएएसडीसी रु.3193.96 लाख एनएसएफडीसी की ऋण नीति के अनुसार, एससीए सरकारी गारंटी विलेख/सरकारी आदेश/आश्वासन को प्रतिभूति/गारंटी के रूप में प्रदान करेगा। एलएएसडीसी ने रु.2025.00 लाख के लिए सरकारी विलेख और रु.11050.00 लाख के सरकारी आदेश सहित कुल रु.13075.00 लाख की गारंटी दी है, जिसकी तुलना में कुल बकाया ऋण रु.8791.01 है, तदनुसार, एलएएसडीसी के ऋण को 'अप्रतिभूत अच्छा समझा गया' के तहत सही वर्गीकृत किया गया है। II. बीएससीडीसी – रु.830.91 लाख बीएससीडीसी के मामले में संदिग्ध ऋण के लिए बीएससीडीसी की बकाया राशि के बराबर 100% भत्ता प्रदान किया जाता है। तदनुसार, टिप्पणी संख्या 6 पर इसे ऋण से कम होने के क्रम में 'अप्रतिभूत अच्छा समझा गया' कहा गया है क्योंकि वित्तीय विवरणों में इसे पहले से ही संदिग्ध के रूप में दिखाया गया है, जोकि केवल प्रस्तुतीकरण का मामला है, कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है।
4	कंपनी का एलएएसडीसी (एससीए) को रु.3379.90 लाख (मूलधन रु.3193.96 लाख और अतिदेय ब्याज रु.185.94 लाख) की राशि का ऋण संदिग्ध है, जो तुलन–पत्र की तिथि को 3 वर्ष से अधिक समय से अतिदेय है तथा जिसे सरकारी गारंटी के अंतर्गत कवर नहीं किया गया है। कंपनी नीति के अनुसार, 3 वर्ष से अधिक समय से अतिदेय राशि और जिसे	एनएसएफडीसी की ऋण नीति में यह स्पष्ट रूप से अनुबंधित है कि वित्तीय वर्ष के दौरान संवितरण हेतु सरकारी विलेख के रूप में सरकारी आदेश/आश्वासन के साथ–साथ सरकारी गारंटी पूरी तरह मान्य है। 31.03.2018 को गारंटी के विवरण हेतु रु.8791.01 लाख के बकाया ऋण की तुलना में रु.2025.00 लाख के सरकारी विलेख और रु.11050.00 लाख के ब्लॉक सरकारी आदेश

परिशिष्ट 'ख'

(निदेशक मंडल की रिपोर्ट का पैरा 17.1 देखें)

(पृष्ट 8 का 3)

<table>
<tr><th>क्रम सं.</th><th>लेखा परीक्षा पैरा</th><th>प्रबंध समिति का उत्तर</th></tr>
<tr><td></td><td>सरकारी गारंटी के अंतर्गत कवर नहीं किया गया है, की राशि पर एससीए को दिए गए ऋणों के लिए 100% की दर से अशोध्य और संदिग्ध, ऋणों हेतु एक प्रावधान की आवश्यकता है। तथापि, कंपनी द्वारा भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसलिए कंपनी के लाभ रु.3379.90 लाख, वित्तीय आस्तियां–ऋण 3193.96 लाख रुपए और प्राप्य ब्याज रु.185.94 लाख अधिक दर्शाया गया।</td><td>को दर्शाते हुए कुल रु.13075.00 लाख की गारंटी लेखा परीक्षा के लिए उपलब्ध कराई गई।
इसके अलावा, एलएएसडीसी ने विधिवत मोहर के साथ हस्ताक्षरित शेष राशि पुष्टिकरण प्रमाण पत्र भी प्रदान किया है।
चूंकि एलएएसडीसी को प्रदत्त, ऋण सरकारी विलेख/आदेश के माध्यम से पूरी तरह से सुरक्षित हैं, इसलिए वित्तीय विवरण में कोई प्रावधान किए जाने की आवश्यकता नहीं है।</td></tr>
<tr><td>5</td><td>एससीए को दिए गए ऋण के संबंध में 31.03.2018 को, बकाया राशि से कम सरकारी गारंटी के 3 मामलों को नीचे दिया जा रहा है:–
(₹ लाख में)
<table>
<tr><th>एससीए का नाम</th><th>31.03.18 को बकाया राशि</th><th>गारंटी की राशि</th></tr>
<tr><td>डीबीआरएडीसी</td><td>11,508.50</td><td>6,191.58</td></tr>
<tr><td>एलएएसडीसी</td><td>8,766.07</td><td>2,025.00</td></tr>
<tr><td>लिडकॉम</td><td>3,102.01</td><td>1,500.00</td></tr>
</table>
अतिदेय ऋणों के मामले में, सरकारी गारंटी में कमी के कारण भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के परिणाम भविष्य में प्रभावित हो सकते हैं। बकाया ऋणों की राशि को कवर करने के लिए कंपनी को पर्याप्त सरकारी गारंटी प्राप्त करनी चाहिए।</td><td>लेखा परीक्षा द्वारा गलत अवलोकन किया गया है। निम्न तीन मामलों में, 31.3.18 को बकाया राशि की तुलना में सरकारी गारंटी उपलब्ध है:–
(₹लाखों में)
<table>
<tr><th>एससीए का नाम</th><th>31.03.18 को रूप में बकाया राशि</th><th>लेखापरीक्षा के अनुसार गारंटी की राशि</th><th>एनएसएफडीसी के रिकॉर्ड के अनुसार वास्तविक गारंटी/आदेश के आंकड़े</th><th>बकाया राशि के मुकाबले सरकारी गारंटी की उपलब्धता</th></tr>
<tr><td>डीबीआरएडीसी</td><td>11,508.50</td><td>6,191.58</td><td>38,427.58</td><td>पर्याप्त</td></tr>
<tr><td>एलएएसडीसी</td><td>8,766.07</td><td>2,025.00</td><td>13,075.00</td><td>पर्याप्त</td></tr>
<tr><td>लिडकॉम</td><td>3,102.01</td><td>1,500.00</td><td>4,615.00</td><td>पर्याप्त</td></tr>
</table>
कुछ सरकारी लेखापरीक्षकों ने प्रतिभूतियों को नहीं माना है जबकि ये सरकारी आदेश संबंधित राज्य सरकारों द्वारा जारी किए जाते हैं, तथा बाध्यकारी हैं और वैध सरकारी गारंटी हैं।
चूंकि एससीए के लिए ऋण नीति के अनुसार, पर्याप्त सरकारी गारंटी उपलब्ध है, अतः सरकारी गारंटी में कोई कमी नहीं है।
इसके अलावा, डीबीआरएडीसी, एलएएसडीसी और लिडकॉम ने विधिवत मोहर के साथ दिनांक 31.3.18 में, हस्ताक्षरित शेष राशि पुष्टिकरण प्रमाण–पत्र भी प्रदान किया है।</td></tr>
</table>

परिशिष्ट 'ख'

(निदेशक मंडल की रिपोर्ट का पैरा 17.1 देखें)

(पृष्ट 8 का 4)

क्रम सं.	लेखा परीक्षा पैरा	प्रबंध समिति का उत्तर
6	कंपनी द्वारा प्रदक ऋण के संबंध में टिप्पणी 7.1 (ख) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, कंपनी दिए गए ऋण में से निर्धारित अवधि से अधिक अप्रयुक्त राशि के मामले में कंपनी धनवापसी के लिए पात्र है। तथापि कंपनी द्वारा वर्ष के अंत में अप्रयुक्त राशि को निर्धारित नहीं किया गया है और इस राशि को 'वित्तीय आस्तियां–ऋण' की टिप्पणी 7 में गैर–चालू ऋणों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। धनवापसी हेतु देय राशि को चालू ऋण के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए और तदनुसार उसे प्रकट करना चाहिए। कंपनी द्वारा इस प्रकार की राशियों को किसी भी निर्धारित मात्रा की अनुपस्थिति में, गैर–चालू के रूप में दिखाया जाना जारी रखना चाहिए।	एनएसएफडीसी की ऋण नीति के अनुसार अप्रयुक्त राशि के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान हैं:– (i) निर्धारित अवधि के भीतर निधियों का इस्तेमाल न करने पर दंड स्वरूप ब्याज लग सकता है। (ii) एससीए के पास अप्रयुक्त पड़ी निधियों को एनएसएफडीसी द्वारा वापस लिया जा सकता है। (iii) एनएसएफडीसी भावी संवितरण को रोक सकता है। एनएसएफडीसी की ऋण योजनाओं का उद्देश्य रु.3,00,000/– तक की वार्षिक आय सीमा से नीचे के अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को रियायती ब्याज दरों पर ऋण प्रदान करना है। उपर्युक्त वर्णित प्रावधान स्पष्टतः बताते हैं कि इस विधान का उद्देश्य विभिन्न राज्यों की वित्तीय संस्थानों को समर्थन प्रदान करना है ताकि वे अनुसूचित नीति के व्यक्तियों को रियायती ब्याज दरों पर ऋण प्रदान कर सकें और इसीलिए यहां "सकता है" ('may') शब्द का उपयोग किया है। उपर्युक्त प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में, अप्रयुक्त राशि का डेटा एकत्र करना केवल प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) का मामला है। जब एक निश्चित राशि जिसकी न तो गणना की जा सके और न ही पता लगाया जा सके, वह राशि लेखा परीक्षकों द्वारा 'क्वालिफाई' करने योग्य नहीं हो सकती। इस संबंध में, टिप्पणी संख्या 7.1 (ख) स्वतः स्पष्ट है, और यह पहले से ही बताया गया है कि ऐसी किसी भी राशि की मात्रा अनिश्चित है। आम तौर पर एससीए/सीए समय पर धन का उपयोग करते हैं, हालांकि कभी–कभी परिस्थितियां नियंत्रण में ना होने के कारण एससीए/सीए धन का उपयोग करने के लिए अधिक समय लेते हैं। इसके अलावा, उपयोग प्रमाण पत्र जिला स्तर से राज्य स्तर के कार्यालय और फिर एनएसएफडीसी को सूचित किए जाते हैं। सूचना के इस क्रम के कारण, कुछ मामलों में, एससीए/सीए ऋण राशि का उपयोग करने के बाद भी उपयोगिता प्रमाण–पत्र को संप्रेषित करने में सक्षम नहीं होते हैं। यहां उल्लेख करना उचित है कि उपरोक्त टिप्पणी सं. 7.1 (ख) लेखा परीक्षा के आग्रह पर ऋण के उपयोग या गैर–उपयोग के रूप में शामिल किया गया था। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, प्रस्तुति सही है।

परिशिष्ट 'ख'

(निदेशक मंडल की रिपोर्ट का पैरा 17.1 देखें)

(पृष्ट 8 का 5)

क्रम सं.	लेखा परीक्षा पैरा	प्रबंध समिति का उत्तर
7	कंपनी, एससीए और सीए के माध्यम से अनुसूचित जातियों के लाभार्थियों को वित्तीय और अन्य सहायता प्रदान कर रही है। हालांकि, 31 मार्च, 2018 को रु.73,478.26 लाख के लिए उपयोगिता प्रमाण–पत्र लंबित हैं।	एससीए को संवितरण की तारीख से 120 दिनों के भीतर वितरित निधि का उपयोग करना होता है। एनएसएफडीसी उपयोगिता पाने और उपयोग रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु एससीए के साथ आवधिक उपयोग अभियान चलाता है। एनएसएफडीसी की नीति के अनुसार, एससीए को नया संवितरण करने के लिए पूर्ववर्ती माह के अंत तक न्यूनतम 80% तक का उपयोग स्तर पूर्वापेक्षित है। एससीए को निधि निर्मुक्त करते समय इस शर्त की पूर्णता को कड़ाई से सुनिश्चित किया जाती है। व्यावहारिक तौर पर यह देखा गया है कि एससीए के साथ लाभार्थियों द्वारा दस्तावेजों को पूरी करने की प्रक्रिया में देरी के कारण कुछ मामलों में उपयोग में देरी हो रही है। इसके अलावा, चैनल वित्त प्रणाली में, 15–20% निधि का उपयोग हमेशा पाइपलाइन में रहता है और इसलिए इस सीमा तक एससीए को अनुमति दी जाती है। इसके अलावा, एनएसएफडीसी के रिकॉर्ड में अप्रयुक्त के रूप में दिखाई जाने वाली निधि का यह मतलब नहीं है कि वास्तव में इन्हें क्षेत्र स्तर पर उपयोग नहीं किया जाता है। ऐसी संभावना है कि वास्तव में जिलों में निधि का उपयोग किया जाता है लेकिन एससीए की क्षेत्र इकाइयों द्वारा मुख्यालय में उपयोगिता प्रमाण–पत्र देर से जमा करने के कारण या एससीए के मुख्यालय में इसे संकलित करने और एनएसएफडीसी को भेजने हेतु लंबित पड़े रहने के कारण एनएसएफडीसी के रिकॉर्ड में अप्रयुक्त राशि के रूप में दिखाई देती है। चूंकि लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र (यूसी) के आंकड़े एमआईएस का मामला है और लेखा–बही में इसका कोई वर्णन नहीं किया गया है, अतः यह लेखापरीक्षा की अभियुक्ति का मामला है और इसे 'क्वालिफाई' नहीं किया जाना चाहिए।

परिशिष्ट 'ख'

(निदेशक मंडल की रिपोर्ट का पैरा 17.1 देखें)

(पृष्ट 8 का 6)

क्रम सं.	लेखा परीक्षा पैरा	प्रबंध समिति का उत्तर
8	कंपनी ने नार्थ ईस्टैर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (नेडफी), को उत्तर दिनांकित चेकों के एवज में ऋण दिए हैं जिनकी बकाया राशि 31.03.2018 को रु.90.00 लाख हैं। इसे 'अप्रतिभूत ऋण–अच्छा समझा गया' के बजाय 'प्रतिभूत ऋण–अच्छा समझा गया' के रूप में अनुचित तरीके से दर्शाया गया है जिसके कारण 'प्रतिभूत ऋण–अच्छा समझा गया' की राशि रु.90.00 लाख बढ़ गई है तथा 'अप्रतिभूत ऋण–अच्छा समझा गया' की राशि रु.90.00 लाख कम हो गई है।	लेखा परीक्षा अभियुक्ति सं. 9 के साथ पठित लेखा परीक्षा अभियुक्ति सं. 8 दर्शाता है कि निगम ने रु.7.20 लाख (रु.97.20 लाख – रु.90.00 लाख) की निवल राशि को वास्तव में प्रतिभूत के बजाय अप्रतिभूत के रूप में दिखाया है। अतएव, रु.7.20 लाख वास्तव में सुरक्षित हैं और उसे लेखापरीक्षकों द्वारा 'क्वालिफाई' नहीं करना चाहिए था क्योंकि यह केवल प्रस्तुति का विषय है और इसका वित्तीय प्रभाव नहीं है।
9	कंपनी ने अनिक फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को सावधि जमा राशियों के एवज में ऋण प्रदान किए हैं जिनकी बकाया राशि 31.03.2018 को रु.97.20 लाख है। इन्हें 'प्रतिभूत ऋण–अच्छा समझा गया' के स्थान पर 'अप्रतिभूत ऋण–अच्छा समझा गया' के रूप में अनुचित तरीके से दर्शाया गया है, जिसके कारण 'अप्रतिभूत ऋण–अच्छा समझा गया' की राशि रु.97.20 लाख बढ़ गई तथा 'प्रतिभूत ऋण–अच्छा समझा गया' की राशि रु.97.20 लाख कम हो गई।	
10	टिप्पणी 7 में रु.127.31 लाख की ऋण राशि को गैर–चालू ऋण के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जबकि यह ऋण 'चालू' वर्ग का है इसलिए इसे 'चालू' के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। अतः चालू ऋणों की राशि को रु.127.31 लाख कम दर्शाया गया है और गैर–चालू ऋणों की राशि को इतनी ही राशि अधिक बताया गया है।	यह प्रस्तुति का विषय है और इसका वित्तीय प्रभाव नहीं है।

परिशिष्ट 'ख'

(निदेशक मंडल की रिपोर्ट का पैरा 17.1 देखें)
(पृष्ट 8 का 7)

क्रम सं.	लेखा परीक्षा पैरा	प्रबंध समिति का उत्तर
11	कंपनी के पास उत्तर–सेवानिवृत्ति मेडिकल लाभ (पीआरएमबी) है, जिसके अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके पति/पत्नी को कंपनी के अस्पतालों/एम्पैनल अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। वे कंपनी द्वारा निर्धारित राशि की सीमा के अधीन बाह्य रोगी के रूप में भी उपचार का लाभ उठा सकते हैं। इसकी देयता, 'कर्मचारी लाभ' पर भारतीय लेखांकन मानक 19 के अनुसार बीमांकित मूल्य पर आधारित है, इसे कंपनी द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है, इसलिए यह भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण में मान्य नहीं है।	लेखापरीक्षा अभियुक्ति में मिथ्या कथन दिया गया है कि 'सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके पति/पत्नी को कंपनी के अस्पतालों/एम्पैनल अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं' क्योंकि सेवानिवृत्त कर्मचारियों की उपचार सुविधाओं के लिए कोई कंपनी अस्पताल/सूचीबद्ध अस्पताल नहीं है। सेवानिवृत्त कर्मचारी किसी भी अस्पताल में अपनी पसंद/सुविधा के अनुसार इलाज कराने के लिए स्वतंत्र हैं। कर्मचारी लाभ पर भारतीय लेखापरीक्षा मानक 19 स्पष्ट रूप से बताता है कि *'रोजगारोत्तकर लाभ परिभाषित अंशदान योजना में इकाई जमा प्रणाली के तहत निर्धारित लाभ के रूप में माना जाता है। नियोक्ता कुछ निश्चित अवधि तक निर्धारित राशि का अंशदान करते हैं।* *प्रति लाभ पर आकस्मिक जोखिम और प्रतिफल कर्मचारी द्वारा वहन किया जाता है। परिभाषित अंशदान के अतिरिक्त कोई जोखिम नहीं है चूंकि कंपनी का कानूनी या निर्माण संबंधी दायित्व उस राशि तक सीमित है जितना वह निधि में अंशदान करने के लिए सहमत होता है* ***इसलिए इस अंशदान को व्यय के रूप में माना जाना चाहिए और इसको "डिस्काउन्ट" करने का कोई प्रश्न नहीं उठता।*** उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए चूंकि पीआरएमबी में कर्मचारी अंशदान एक परिभाषित अंशदान योजना है, भारतीय लेखापरीक्षा मानक 19 के अनुसार व्यय के रूप में दर्ज किया गया है।
12	बैंकों में जमा राशि पर ब्याज रु.2,619.31 लाख (टिप्पणी 22) और विशेष आरक्षित निधि निवेश पर ब्याज रु.210.27 लाख (टिप्पणी 16.1) का बैंक सामंजस्य प्रमाण–पत्र और अनुवर्ती समायोजन, यदि कोई है, की सीमा में है। अनुवर्ती समायोजन का प्रभाव प्रबंधन द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है।	बैंकों में जमा राशि पर ब्याज और विशेष आरक्षित निधि निवेश पर ब्याज की गणना मौजूदा लेखा नीति 2.11 (ii) (क) के अनुसार की जाती है, जिसमें कहा गया है कि ***"बकाया राशि और प्रभावी ब्याज दर प्रणाली के अनुसार लागू ब्याज दर को ध्यान में रखते हुए एफडीआर और बैंक जमा को समय अनुपात आधार पर मान्यता प्राप्त है।"*** इस नीति का निरंतर अनुपालन किया जाता रहा है, यह आजमाई और जांची हुई है तथा इस पर पिछले सभी वैधानिक लेखा परीक्षक और सरकारी लेखापरीक्षा पार्टियां सहमत रही है। इसके अलावा, यह भारतीय लेखापरीक्षक मानकों के अनुसार है, इसलिए अनुवर्ती समायोजन की आवश्यकता नहीं है।

परिशिष्ट 'ख'

(निदेशक मंडल की रिपोर्ट का पैरा 17.1 देखें)
(पृष्ट 8 का 8)

क्रम सं.	लेखा परीक्षा पैरा	प्रबंध समिति का उत्तर
13	एक स्वतंत्र मूल्यांकक द्वारा निवेश संपत्ति के मूल्यांकन पर जानकारी के संबंध में निवेश संपत्ति, किराए से आय और विभिन्न परिचालन व्यय के लिए आय और व्यय विवरण में मान्यता प्राप्त राशि, निवेश संपत्ति की प्राप्ति पर प्रतिबंधों की राशि और निवेश संपत्ति संबंधी अनुबंधनात्मक दायित्वों के संबंध में भारतीय लेखापरीक्षा मानक 40 में उल्लखित प्रकटीकरणों को भारतीय लेखा परीक्षा मानक वित्तीय विवरणों में शामिल नहीं किया गया है।	यह केवल प्रकटीकरण का विषय है और इसका कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है। निगम की लखनऊ में केवल एक निवेश संपत्ति है जिसे बीआईएसए एक सरकारी संगठन को किराए पर दिया गया है। प्रबंध समिति की राय में, निम्नलिखित कारणों से इस निवेश संपत्ति को एक स्वतंत्र मूल्यांक द्वारा मूल्यांकित कराने की आवश्यकता नहीं है:– (i) किराए की आय वास्तविक मूल्य पर स्वीकृत है। (ii) किराए की प्राप्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं है क्योंकि संपत्ति फ्रीहोल्ड है। (iii) किराया–करार के अनुसार एनएसएफडीसी के पास कोई संविदात्मक दायित्व नहीं है। (iv) स्वतंत्र मूल्यांकक के पारिश्रमिक की लागत।

परिशिष्ट 'ग'

(निदेशक मंडल की रिपोर्ट का पैरा 17.2 देखें)

कार्यालय प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड–IV, नई दिल्ली.
Office of the Principal Director of Commercial Audit & Ex-officio Member Audit Board-IV, New Delhi.

गोपनीय

स. 696-PDCA/MAB-IV/HS/A/cs/NSFDC/18-19/4076
दिनांक :- 26 .09.2018

सेवा में,

The Chairman –cum- Managing Director,
National Scheduled Castes Finance and Development Corporation,
Scope Minar, Core 1 & 2
District Centre, Laxmi Nagar,
Delhi 110092

विषय: भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम 2013के अनुच्छेद 143(6)(b) के अंतर्गत National Scheduled Castes Finance and Development Corporation के 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के वित्तीय खातों पर टिप्पणियां

महोदय,

इस पत्र के साथ कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 143(6)(b) के **National Scheduled Castes Finance and Development Corporation** के 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के वित्तीय खातों पर Nil Comment प्रमाणपत्र भेजा जा रहा है।

कृपया इस पत्र की पावती भेजने की कृपा करें।

भवदीय

संलग्न : यथोपरि

(मनीष कुमार)
महानिदेशक वाणिज्य लेखापरीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड - IV

आठवीं व नवीं तल, संकाय भवन, 10, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली–110002
8th & 9th Floor, Annexe Building, 10, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002
Tel. / दूरभाष : 23239413, 23239415, 23239419, 23239420, फैक्स / Fax : 23239416,
ईमेल / Email : mabNewdelhi4@cag.gov.in

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, के 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) में वित्तीय प्रतिवेदन फ्रेमवर्क के अनुसार वित्तीय विवरणिका तैयार करना कंपनी प्रबंधन की जिम्मेदारी है। भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा 139(5) के तहत नियुक्त वैधानिक लेखापरीक्षक/लेखापरीक्षक, अधिनियम की धारा 143(10) के तहत विहित लेखा परीक्षणों के मानक के साथ स्वतंत्र लेखापरीक्षण पर आधारित, अधिनियम की धारा–143 के तहत वित्तीय विवरणिका पर अपनी राय देने के लिए जिम्मेदार है। उनके 21 अगस्त, 2018 के लेखापरीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार इसे पूर्ण किया हुआ माना जाना चाहिए।

मैंने, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की तरफ से अधिनियम की धारा 143(6)(क) के तहत नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए, वित्तीय विवरणिका पर अनुपूरक लेखापरीक्षण किया है यह अनुपूरक लेखापरीक्षण, स्वतंत्र ढ़ंग से, वैधानिक लेखापरीक्षकों के कार्यकारी कागज़ात को देखे बगैर किया गया है। तथा यह प्राथमिकतः वैधानिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों से पूछताछ तथा कुछ चयनित लेखा अभिलेखों की जांच तक सीमित है।

मेरी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मेरे ध्यान में ऐसा कुछ विशेष नहीं आया है जिससे अधिनियम की धारा 143 (6) (ख) के तहत वैधानिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट अथवा अनुपूरक के लिए कोई टिप्पणी उठे।

कृते भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक
तथा उनकी ओर से

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 20.09.2018

ह.

(मनीष कुमार)
मुख्य निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड–IV

एनएसएफडीसी कार्यालयों का पता

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन
(भारत सरकार का उपक्रम)
(आईएसओ 9001:2008 प्रमाणित कंपनी)

पंजीकृत कार्यालय

14वां तल, कोर 1 और 2, स्कोप मीनार,
लक्ष्मी नगर जिला केंद्र, लक्ष्मी नगर,
दिल्ली – 110 092
फोन : 011–22054392, 22054394, 22054396 फैक्स : 011–22054395
ई–मेल : support-nsfdc@nic.in वेबसाइट : www.nsfdc.nic.in

संपर्क केंद्र

1	**डॉ. वी.आर. सालकुटे** **प्रबंधक** एनएसएफडीसी, संपर्क केंद्र, 5वां तल, विश्वेश्वरैया मुख्य टावर, डॉ. अम्बेडकर वीथी, बैंगलूरू – 560 001 दूरभाष: 080–22865175 मोबाइल : 09845871561
2	**डॉ. वी. आर. सालकुटे** **प्रबंधक** एनएसएफडीसी, संपर्क केंद्र, ओशिवारा म्हाडा काम्पलैक्स बिल्डिंग नं. 5, फ्लैट नं. 004, आदर्श नगर न्यू लिंक रोड, आजाद नगर डाक घर, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई – 400 053. दूरभाष : 022–26361624 मोबाइल : 09845871561
3	**डॉ. के. सी. महतो** **सहायक महाप्रबंधक** एनएसएफडीसी, संपर्क केंद्र, न्यू मार्केट, फेस–I, 5वां तल, 15–एन, नेल्ली सेनगुप्ता सारनी, कोलकाता – 700 087. दूरभाष : 033–22521395 मोबाइल : 09810448741

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन
(भारत सरकार का उपक्रम)
NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION
(A Government of India Undertaking)

(आईएसओ 9001:2008 प्रमाणित कंपनी)
(An ISO 9001:2008 Certified Company)

14वीं मंजिल, कोर 1 व 2, स्कोप मीनार, लक्ष्मी नगर जिला केंद्र, दिल्ली-110092
14th Floor, Core 1 & 2, SCOPE Minar, Laxmi Nagar District Centre, Delhi-110092
फोन/Phone : 011-22054392, 22054394, 22054396 फैक्स/Fax : 011-22054395
ई-मेल/E-mail : support-nsfdc@nic.in वेबसाइट/website : www.nsfdc.nic.in